राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] **चौदहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का तीसरा दिवस** **[संख्या : 3**

शुक्रवार,

27 फरवरी, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : नमस्कार, नमस्कार। राम राम, साहब। प्रश्नकाल, श्री हरिसिंह रावत।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन सुन लो आप मेरा।

श्री अध्यक्ष : देखिये, कल मैं चाहता था कि जब मैंने कार्यवाही का कार्यक्रम लिया, उस समय आप थे नहीं, मैं उस समय आपको बुलवाना चाहता था, आज भी मैं बुलवा लूंगा क्वेश्चन आवर के बाद।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़) : ठीक है।

देवगढ़ राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने की कार्य-योजना

22. श्री हरीसिंह रावत (भीम) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला राजसमंद के राजकीय महाविद्यालय देवगढ़ में किस-किस श्रेणी के कितने पद सृजित हैं तथा सृजित पदानुसार कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(3) क्या सरकार राजकीय महाविद्यालय देवगढ़ एवं भीम में विद्यार्थियों की उपलब्धता को देखते हुए विज्ञान एवं वाणिज्य संवर्ग खोलने का विचार

(श्री हरिसिंह रावत)

रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ) : (1) जिला राजसमंद में स्थित राजकीय महाविद्यालय देवगढ़ में सृजित तथा रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

पद नाम	**स्वीकृत पदों का विवरण**	**भरे पदों की संख्या**	**रिक्त पदों की संख्या**
प्राचार्य स्नातक	01	01	00
व्याख्याता	07	04	03
पुस्तकालयाध्यक्ष	01	00	01
शारीरिक शिक्षा अनुदेशक	01	00	01
स्टेनोग्राफर	01	00	01
कार्यालय अधीक्षक	01	00	01
लिपिक ग्रेड प्रथम	01	00	01
लिपिक ग्रेड द्वितीय	02	00	02
प्रयोगशाला सहायक	01	00	01
प्रयोगशाला वाहक	01	00	01
बुक लिफ्टर	01	00	01
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02	01	01
योग	**20**	**06**	**14**

(2) जी हां। व्याख्याताओं के 1118 रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थना प्रेषित की जा चुकी है जिसके क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति दिनांक 12.1.2015 को प्रकाशित कर दी है। भर्ती हेतु आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 26.3.2015 है। आयोग के द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त अशैक्षणिक कार्मिकों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण के माध्यम से भरा जाना प्रस्तावित है।

(श्री कालीचरण सराफ)

(3) राजकीय महाविद्यालय देवगढ़ और भीम में विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोलने के विषय में निर्धारित मानदण्ड के पूर्ण होने की स्थिति में तत्समय उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न। श्री रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं सम्मानीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रथम सत्र में ही आपने हमारे राजकीय महाविद्यालय खोला। इसके लिए मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही आपसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि प्रथम वर्ष हमारा संचालित हुआ, काफी समय बाद प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भ होने के बाद 120 छात्रों ने प्रथम सत्र में एडमिशन लिया है। आज हालत यह है कि 20 में से 6 पद भरे हैं और 14 रिक्त हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि इनको तत्काल भरा जाए।

दूसरा आपने लिखा है कि 1118 रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थना प्रेषित की जा चुकी है। और दूसरा आपने लिखा है कि राजकीय महाविद्यालय देवगढ़ और भीम में विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोलने के विषय में निर्धारित मानदण्ड के पूर्ण होने की स्थिति में तत्समय उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर विचार किया जाना प्रस्तावित है। तो मुझे थोड़ा यह स्पष्ट करें कि ये मापदण्ड पूरे कब होंगे? यह तो वह कहावत हो गयी कि एक बाप था, बेटा उसको पूछता रहा कि पिताजी मेरी शादी कब कराओगे। तो बाप बोलता रहा, बेटा तू जिंदा रहना, मैं तेरी शादी करवा दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसा नहीं हो कि खाली ये वित्तीय संसाधन होंगे, कब होंगे, कब तक यह व्यवस्था हो।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा और सप्लीमेंट्री सवाल है।

श्री अध्यक्ष : एक पूरक प्रश्न का जवाब आ जाने दीजिए। माननीय मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा कि कालेज में पद कब भरे जाएंगे। तो यह नया कालेज है, अभी इसी सत्र से प्रारम्भ हुआ है, लैक्चरर्स के पद इसमें मैंने बताया कि 07 में से 4 भरे हुए हैं, 3 पद रिक्त हैं। बाकी जो पद रिक्त हैं वे अशैक्षणिक कर्मचारियों के हैं। अलगा सत्र जब प्रारम्भ होगा उसके पहले हमारी कोशिश रहेगी कि आपके सारे अशैक्षणिक पद भर पर दिये जाएं। हमने आरपीएससी को भी यह अनुरोध किया है कि अगला सत्र प्रारम्भ हो उसके पहले-पहले 1118 पदों की हमने अभ्यर्थना भेजी है वह जल्दी से जल्दी भर्ती कर लें जिससे कि अगले सत्र में किसी को परेशानी नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री) : जहां तक मापदण्डों का...

श्री अध्यक्ष : बोलिए।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री) : जहां तक मापदण्डों का सवाल है, नवीन संकाय। विषय प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित मापदण्ड हैं-महाविद्यालय में भवन की उपलब्धता, प्रस्तावित संकाय विषय के लिए 20 किलोमीटर की परिधि में कम से कब 4 सीनियर सैकण्डरी स्कूलों का संचालन होना चाहिए, प्रस्तावित संकाय का 30 किलोमीटर की परिधि में कोई अन्य महाविद्यालय संचालित नहीं होना चाहिए। ये मापदण्ड पूरे हो जाएंगे तो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आपके यहां ये नये विषय खोल दिए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, आपने फर्माया कि 30 किलोमीटर की परिधि में नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, प्रथत तो मेरे भीम राजकीय महाविद्यालय में करीब 650 विद्यार्थी फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक अध्ययनरत हैं। दूसरा इन्होंने जो डिस्टेंस की बात की है तो भौगोलिक दृष्टि से मेरा विधान सभा क्षेत्र महाविद्यालय ब्यावर वहां से 55 किलोमीटर पड़ता है, भीलवाड़ा वहां से 100 किलोमीटर पड़ता है। राजसमंद भी 100 किलोमीटर पड़ता है। पाली 90-100 किलोमीटर पड़ता है, तो यह सब क्राइटेरिया में तो आता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्राइटेरिया में आए तो आपको करना चाहिए।

(श्री हरिसिंह रावत)

दूसरा, आज राज्य सरकार या शिक्षा विभाग भी प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर वाणिज्य और विज्ञान संकाय खोल रही है, क्या कारण रहा कि हमारे यहां खोलने की आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं? मेरे क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय देवगढ़ खुला है, उसकी भवन की स्वीकृति नहीं होने की वजह से, जमीन नहीं मिलने की वजह से अवरूद्ध हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि भवन नहीं है, भवन बनाने के लिए तत्काल जमीन का आबंटित कराएं।

साथ ही भीम राजकीय महाविद्यालय के लिए भी मेरा निवेदन है कि 2005 में यह राजकीय महाविद्यालय खुला था, वहां पर बाउण्ड्री की व्यवस्था नहीं होने से जो पेड़-पौधे लगाते हैं वे जानवर खा जाते हैं। तो आपके माध्यम से निवेदन है कि बाउण्ड्री के लिए पैसा संग्रहण कराया जाए। भीम से वह करीब पांच किलोमीटर दूर है, इससे स्टाफ के आने-जाने की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाती है। मेरा निवेदन है कि वहां प्राचार्य, व्याख्याता व अन्य स्टाफ की रेजीडेंस की व्यवस्था हो जाएगी तो उपयुक्त रहेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसकी कब तक व्यवस्था कर सकेंगे?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, देवगढ़ महाविद्यालय के लिए सुभाष नगर योजना में नगरपालिका स्वामित्व की भूमि में से 30 बीघा भूमि आबंटित करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग जयपुर से अनुमति के लिए प्रस्ताव भिजवा दिये गये हैं और मुझे आशा है कि जल्दी ही यह भूमि हमें आबंटित हो जाएगी। भूमि आबंटित होते ही वहां कालेज भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा। जहां तक आपने वेकेंसीज का कहा, तो जैसा मैंने कहा कि अगले सत्र तक आपके वेकेंसीज भर दी जाएं, इसका मैं प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न, कैलाश चौधरी।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : विज्ञान संकाय।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री) : संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर...

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री) : विज्ञान संकाय खोलने के लिए हम विचार करेंगे।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) अध्यक्ष महोदय, सभी व्यवस्था...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब आ गया। पूरक प्रश्न, कैलाश चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सबसे पहले तो मुख्य मंत्रीजी को और हमारे मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, बायतू के अन्दर प्रथम सत्र में ही कालेज खोलने के लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बायतू नहीं, यह सवाल भीम और देवगढ़ का है। नहीं, इससे बाहर नहीं।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : मैं सबके साथ का विषय पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : हमारे जो विद्यालय खुले...

श्री अध्यक्ष : सवाल भीम और देवगढ़ का है, इसके बारे में आपको पूरक प्रश्न करना हो तो आप कीजिए, अन्यथा नहीं।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि हमारे कालेज तो खोला लेकिन उसमें स्टाफ सिर्फ दो हैं।

श्री अध्यक्ष : वह आप व्यक्तिगत जाकर कह दीजिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : सिर्फ दो स्टाफ हैं।

श्री अध्यक्ष : वह आप व्यक्तिगत जाकर कह लीजिए, विराजिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : सिर्फ दो स्टाफ हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामलाल शर्मा

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : एक सामूहिक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, आप, नहीं।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : एक सामूहिक प्रश्न है, नये भवन बने...

श्री अध्यक्ष : सामूहिक प्रश्न आप व्यक्तिगत कीजिए। श्री रामलाल शर्मा।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : जो सामूहिक भवन बने हैं...

श्री अध्यक्ष : विराजो।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : एक मिनट, मेरा छोटा-सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: आप व्यक्तिगत मिल लेना।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : जो सामूहिक भवन बने हैं, वे कब तक...

श्री अध्यक्ष : इससे सम्बन्धित नहीं है। हां, रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जहां पर छात्र संख्या अधिक है और पद स्वीकृत कम हैं तो क्या छात्र संख्याओं के आधार पर नवीन पद स्वीकृत करने का मानस रखते हैं उन महाविद्यालयों के अन्दर?

श्री अध्यक्ष : विराजिये। मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री) : देखिये, जहां पद रिक्त हैं, छात्रों की संख्या ज्यादा है, आप प्रस्ताव वहां से भिजवाइये। उसके ऊपर विचार करके यदि पद ज्यादा स्वीकृत कराने होंगे तो करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मानसिंह, पूरक प्रश्न।

श्री मान सिंह (गंगापुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा, अतिरिक्त संकाय के लिये 30 किलोमीटर का दायरा है, मेरे क्षेत्र में 50-50 किलोमीटर के एरिये में दूसरा वैसा संकाय नहीं है। हमारे हिण्डौन, लालसोट, सवाई माधोपुर, करौली के बीच में गंगापुर में कामर्स संकाय 50 किलोमीटर के एरिये में नहीं है, क्या आप इसका विचार रखते हैं?

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री) : मैंने जैसा पहले कहा, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर मापदण्ड पूरे होने पर आपके प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न, श्री मोहनलाल गुप्ता। (व्यवधान) हो गये, तीन पूरक प्रश्न हो गये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : अगर कोई महाविद्यालय गुम जाए, उसको आप ढुंढवाते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) : अगर कोई महाविद्यालय गुम जाए, उसको ढूंढने का प्रावधान है क्या?

श्री अध्यक्ष : राजेन्द्र सिंहजी, आप विराजिये। नहीं, तीन प्रश्न हो गये। श्री मोहनलाल गुप्ता।

जयपुर जिले की गृह निर्माण सहकारी समितियों का अंकेक्षण

23. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले में वर्तमान में कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं? क्या सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में उक्त समितियों का अंकेक्षण करवाया गया है? यदि हां, तो कब-कब? समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अभियान चलाकर उक्त समितियों का अंकेक्षण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा अंकेक्षण नहीं करवाया गया है उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री अजय सिंह) : (1) जयपुर जिले में वर्तमान में 208 गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हैं।

जी हां। गत पांच वर्षों में वर्षवार जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा (आडिट) हुई है, उनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वर्ष	लेखापरीक्षित (आडिटेड) गृह निर्माण सहकारी समितियों की संख्या
1	2009-10	24
2	2010-11	34
3	2011-12	0
4	2012-13	20
5	2013-14	4

97वें संविधान संशोधन के अनुसार राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 54 में दिनांक 24.4.2013 को हुए संशोधन के उपरान्त समिति के लेखाओं की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक नियुक्त करने व लेखा-परीक्षा कराने का सांविधिक दायित्व स्वयं समिति का है। वर्षवार

(श्री अजय सिंह)

लेखापरीक्षित (आडिटेड) गृह निर्माण सहकारी समितियों की समितिवार सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उपरोक्तानुसार लेखापरीक्षा (अंकेक्षण) करवाने का दायित्व स्वयं समिति का है। फिर भी विभाग द्वारा गृह निर्माण सहकारी समितियों की लेखा-परीक्षा (आडिट) को माह जुलाई, 2014 से अभियान के रूप में लेते हुए समाचार पत्रों में समय-समय पर विज्ञप्ति जारी कर व विभागीय आडिट अधिकारियों द्वारा पत्रों के माध्यम से लेखा परीक्षा पूर्ण कराने हेतु निर्देश जारी किये गये। जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा अधिनियमानुसार लेखा-परीक्षा नहीं करायी जा रही है, उनके विरुद्ध अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। (परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।)

(3) जी हां। जयपुर जिले में पंजीकृत 208 सहकारी समितियों में से 108 सहकारी समितियों के विरुद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की गयी है :-

1. विभाग द्वारा लेखापरीक्षा नहीं करवाने वाली 37 गृह निर्माण सहकारी समितियों के विरुद्ध माह फरवरी, 2015 से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 30(2) के अन्तर्गत समिति अध्यक्ष एवं मंत्री को हटाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। (समितिवार सूची परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।)

2. विभाग द्वारा 71 गृह निर्माण सहकारी समितियों के विरुद्ध धारा 55 के अन्तर्गत प्रबन्धन एवं कारोबार की जांच करायी गयी जिनके जांच परिणामों के आधार पर निम्न प्रकार कार्यवाही की गयी :-

(क) 29 गृह निर्माण सहकारी समितियों के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2014 में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 61 के अन्तर्गत अवसायन के आदेश जारी किये जा चुके हैं। (समितिवार सूची परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।)

(ख) 23 गृह निर्माण सहकारी समितियों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 61 के अन्तर्गत अवसायन में लाने की कार्यवाही अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खण्ड जयपुर के स्तर पर माह दिसम्बर, 2014 से विचाराधीन है। (समितिवार सूची परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।)

(श्री अजय सिंह)

(ग) 18 गृह निर्माण सहकारी समितियों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 के अन्तर्गत उनके प्रबन्धन एवं कारोबार की जांच जारी है। (समितिवार सूची परिशिष्ट-6 पर उपलब्ध है)

(घ) एक गृह निर्माण सहकारी समिति का अप्रैल, 2014 में पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। (समितिवार सूची परिशिष्ट-7 पर उपलब्ध है।)

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न एक, श्री मोहनलाल जी गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जिससे आप जयपुर में रहने वाले सब लोग परिचित भी हैं, कि एक गोरखधंधा चल रहा है सहकारी समितियों के माध्यम से। इसमें सरकार का रेवेन्यू लास भी शामिल है। बैक-डेट में पट्टे जारी करना, स्टाम्प की चोरी करना, बिना भूमि के ही भूमि का आबंटन करना, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना और इसी के साथ-साथ लोगों को धोखाधड़ी के मामले में फंसाना- यह गोरखधंधा कोआपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जयपुर शहर में चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है। इसका कण्ट्रोलिंग डिपार्टमेंट कोआपरेटिव डिपार्टमेंट है, सहकारिता विभाग है। सहकारिता विभाग का इन कोआपरेटिव सोसाइटियों पर नियंत्रण नहीं है। माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय के भी यह बड़ी दिक्कत रहती है कि को-आपरेटिव सोसाइटियों का जो डिपार्टमेंट है वह इन पर कार्यवाही नहीं करता है, जे.डी.ए. के जिम्मे डाल देता है मकान बन जाते हें, डुप्लीकेट पट्टे इश्यू हो जाते हैं, गोरखधंधा चल रहा है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिल रही है और स्टाम्प डिपार्टमेंट भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। बैक-डेट में स्टाम्प मिल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : पूरी बात समझाना चाहता हूं सदन के माध्यम से आपको कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट यदि इन सोसाइटियों पर नियंत्रण कर ले तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू बहुत ज्यादा प्राप्त हो जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी की चोरी रुक जाएगी। बैक-डेट के स्टाम्प जो बाजार में पड़े हुए हैं, उनके ऊपर कार्यवाही कीजिये। इससे जो यह गोरखधंधा चल रहा है सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण का, डुप्लीकेट पट्टे जारी करने का, यह रुक सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अखबारों के माध्यम से यह बात कई बार

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

सामने आ गयी कि कोआपरेटिव सोसाइटी वाले गड़बड़ कर रहे हैं लेकिन कोआपरेटिव डिपार्टमेंट..

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं आपका।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि धारा 55 के तहत...(व्यवधान) आ रहा हूं, आ रहा हूं। धारा 55 के तहत जिन-जिन सोसाइटीज के खिलाफ आपने कार्यवाही की है, उनकी क्या-क्या शिकायतें आपके पास पैंडिंग हैं?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय आपका जवाब दे रहे हैं, आप विराजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : एक मिनट, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न कर लेना आप। दूसरा मौका और दे रहा हूं, यह जवाब आने दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, यह 'गोरखधंधा' शब्द जो है, वह गलत बात के लिये इंगित नहीं होता है। यह गोरक्षनाथजी का अपमान है, इसलिये माननीय सदस्य इसको सुधार कर लें। 'गोरखधंधा' अच्छे काम के लिये होता है, बूरे काम के लिये नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, आपने सुझाव दे दिया। बहुत अच्छा, अच्छा सुझाव है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : गोरक्षा का धंधा नहीं है। गोरखधंधा भी गलत काम के लिये होता है। (व्यवधान)

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता) : माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह आडिट के सम्बन्ध में है कि जयपुर जिले में जो गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं वे अपना आडिट नहीं करवा पा रहीं। उन्होंने कह कि पट्टे कट रहे हैं, स्टाम्प ड्यूटी, तो वह सहकारिता विभाग से सम्बन्धित नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने मेरे उत्तर में स्पष्ट जवाब, माननीय सदस्य को दिया है कि 1997 में जो संविधान संशोधन हुआ, उसके पहले तक विभाग के लेखा-परीक्षक के द्वारा आडिट करवाई जाती थी। लेकिन उसके बाद जब से यह संशोधन हो गया 2013 में, तब से यह समितियों के ऊपर छोड़ा गया है। एक पैनल बना हुआ है उसमें आडिटर्स हैं, फर्म्स हैं और हमारे विभागीय आडिटर्स भी उसमें शामिल हैं। यह समिति पर निर्भर है कि वह अपनी आम सभा में किसको उस पैनल में से चुनती है। एक

(श्री अजय सिंह)

बार जिसको भी वह आडिट के लिये चुन लेती है, वह दो वर्ष तक लगातार उससे आडिट करवा सकती है। दो वर्ष के बाद में उसके आडिट को चेंज करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम गत वर्षों का भी देखें तो वर्तमान सरकार ने आते ही बहुत अच्छे कदम इस सम्बन्ध में उठाये हैं। अगर हम गत पांच वर्षों का देखें, तो आपने सूचना मांगी है, जयपुर की चार समितियों को छोड़ कर किसी ने आडिट नहीं करवाया है। 208 में से 108 के विरुद्ध हम कार्यवाही कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि छह माह के अन्दर हम जो भी हमारे एक्ट में प्रावधान है, वह कार्यवाही कर देंगे और अंत में पूरे प्रभावी तरीके से इन समितियों का पंजीयन रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी, छह माह में।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न। (व्यवधान) नहीं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। धारा 55 के तहत जिन सोसाइटीज की जांच चल रही है, उनके खिलाफ क्या-क्या शिकायतें हैं, आडिट रिपोर्ट में उनके खिलाफ क्या-क्या अनियमितताएं पाई गयीं, उसका जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, दे रहे हैं।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता) : आपने पूछा कि धारा 55 में क्या–क्या शिकायतें आयीं। मैं कह रहा हूं कि पिछले कई वर्षों से ये आडिट ही नहीं करवा रहे। रिकार्ड सहकारिता विभाग के पास है ही नहीं। इसलिये तो 55 में उनके विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं हम। रिकार्ड नहीं दे रही हैं वे, आडिट नहीं करवा रही हैं। समितियां हों चाहे गृह निर्माण समितियां हों, हम चाहते हैं कि स्वायत्ता उनको रहे। लेकिन साथ में वित्तीय अनुशासन हम आवश्यक मानते हैं कि वित्तीय अनुशासन रहे। हमारे एक्ट में जो प्रावधान हैं उनका वे पालन करें। जो नियम बने हुए हैं, उनका पालन करें। सब से बड़ी बात जो माननीय सदस्य भी अभी कह रहे थे, जनता का विश्वास। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि छह महीने के अन्दर इनके ऊपर सख्त प्रभावी कार्यवाही विभाग द्वारा कर ली जाएगी।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न, श्री जोगाराम पटेल।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, तीन नहीं। जवाब आ गया।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : मेरा उसी पर पूरक प्रश्न है, साहब। उन्होंने जवाब नहीं दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : आप अलग से मिल लेना। अलग से मिल लेना। आ गया।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : मेरा मूल प्रश्न है। उस पर तो आप...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न, श्री जोगाराम पटेल। दो पूरक प्रश्न हो गये आपके।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : दो नहीं हुए, सर।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत जानना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जयपुर से सम्बन्धित है?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : हां, सर।

श्री अध्यक्ष : जयपुर से सम्बन्धित है तो बोलिए। जयपुर से।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : इसी से बिलकुल सम्बन्धित है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान के शेष जिलों में कार्यरत ऐसी गृह निर्माण सहकारी समितियां जिन्होंने अंकेक्षण नियमानुसार नहीं करवाया है, क्या सरकार उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है, एक? साथ ही, एक छोटा और।

दूसरा, राजस्थान की ऐसी मृतप्राय गृह निर्माण सहकारी समितियां जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्या उनके विरुद्ध भी जांच करके उनको समाप्त करने का विचार सरकार रखती है?

श्री अध्यक्ष : चलो, है तो यह व्यापक, सम्बन्धित नहीं है, पर मैंने अलाउ कर दिया।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लगभग 30 हजार से अधिक समितियां हैं विभिन्न तरह की। गृह निर्माण भी हैं, जी.एस.एस.एस. भी हैं, सब मिलाकर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार में आने के बाद में पूरे राजस्थान के अन्दर ये निर्देश जारी

(श्री अजय सिंह)

कर दिये गये हैं और जो भी आडिट नहीं करवाएगा, उसके विरुद्ध एक्ट के अनुसार जो भी प्रभावी कार्यवाही हो सकती है, वह विभाग द्वारा की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री भैराराम चौधरी ।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : जवाब आपने दे दिया। श्री भैराराम चौधरी, क्या आपका जयपुर से सम्बन्धित है?

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां) : जी।

श्री अध्यक्ष : हां, जयपुर से सम्बन्धित प्रश्न कीजिए।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां) : माननीय मंत्रीजी से मैं यह जानना चाहता हूं कि आपकी विभागीय आडिट भी नहीं है, क्या इसके अन्दर होनी चाहिए? सी.ए. की आडिट भी नहीं है तो इसके लिए आखिर कौन जवाबदार है? न तो आपका विभाग ही आडिट कर रहा है और न ही इसका सी.ए. आडिट कर रहा है। पूरे प्रदेश के अन्दर इन सहकारी समितियों में इतना घपना है, इतना घपला, यदि आप एक जी.एस.एस.एस. के ऊपर चैक करवाएंगे, जैसे मेरे ओसियां विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक जी.एस.एस.एस. के अन्दर कम से कम 20 लाख का घपला निकलेगा।

श्री अध्यक्ष : आपका पहले वाला सवाल ठीक था। ओसियां का जवाब नहीं आएगा।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां) : नहीं-नहीं, पूरे प्रदेश के अन्दर और पूरे जयपुर के अन्दर ऐसा ही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिए आप।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां) : माननीय मंत्रीजी से मैं यह जानना चाहता हूं कि विभागीय आडिट भी नहीं है और सी.ए. आडिट भी नहीं है तो आखिर इसका जवाबदार कौन है?

श्री अध्यक्ष : बस, यह ठीक है आपका सवाल।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बताया, शायद आपने इसको सुना नहीं। 97वें संविधान संशोधन के बाद में आडिट का दायित्व समिति पर डाला गया है। विभाग के द्वारा, रजिस्ट्रार, समितियों के द्वारा एक पैनल तैयार किया जाता है, उस पैनल में

(श्री अजय सिंह)

लगभग 500 हैं। उसमें 157 हमारे भी लेखा परीक्षक हैं। वह समिति उनको चुनती है अपनी आम सभा में कि इस पैनल में से हम फलां फर्म से आडिट करवाएंगे और उसके बाद में यह आडिट करवाती है। दो वर्ष तक वह लगातार एक ही फर्म से या एक ही आडिटर से आडिट करवा सकती है और उसके बाद में उसको दूसरे से करवाना पड़ता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उस 97वें संविधान संशोधन के बाद में किसी तरह का सरकार का या विभाग का ऐसा अंकुश नहीं है कि हम उनको बाध्य कर दें कि फलां व्यक्ति से आप आडिट करवाओगे।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। तीसरा पूरक प्रश्न, श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह जानना है कि विभाग के अधिकारियों द्वारा मांगने पर भी जिस गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा आवश्यक पेपर या पत्रावली उपलब्ध नहीं करवाई जाती है बार-बार मांगने पर भी, उनके विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करते हैं? साथ में, गृह निर्माण सहकारी समितियां अपने जो भी दस्तावेज हैं, यह कहकर बरी हो जाती हैं कि हमारे सब दस्तावेज गुम हो गये, ऐसी स्थिति में आप किसको जिम्मेदार मानते हो? आपके विभाग के अधिकारियों की भी कुछ जिम्मेदारी इसमें तय है या नहीं, इस बात को मंत्रीजी स्पष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता) : माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि रिकार्ड हमें उपलब्ध नहीं करवाते, माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम बने हुए है, यह अगर ध्यान में लाएंगे, सूचना के अधिकार के तहत, किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं और उसकी अपील भी आगे होती है। रिकार्ड तो हर विभाग, जो भी नोर्म्स के अनुसार है, बाध्य है देने के लिए। आपने एक और प्रश्न भी किया है, अलग-अलग हमारे फील्ड में हमारे निरीक्षक वगैरह लगे हुए हैं, समय-समय पर उनको आडिट के लिए अब बाध्य नहीं कर सकते, 2013 के बाद में। हम पत्र के द्वारा, समाचार-पत्रों के माध्यम से कहते हैं कि आडिट करो। आडिट नहीं करवाने के कारण ही तो विभाग को यह जरूरत पड़ी है कि उनके विरुद्ध कार्यवाही करे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री श्रीराम भींचर।

मकराना नगर परिषद में स्वीकृत सीवरेज व सड़क निर्माण कार्य

24. श्री श्रीराम भींचर (मकराना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद क्षेत्र मकराना में सीवरेज व सड़क निर्माण का कार्य स्वीकृत है? यदि हां, तो कितनी राशि कब स्वीकृत की गयी और कार्य पूर्ण होने की अवधि क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य को करने हेतु करूषी इन्फ्रा इण्डिया प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद के नाम से टेण्डर स्वीकृत है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त फर्म ने नगर परिषद, मकराना में सीवरेज व सड़क निर्माण का कार्य किया है? यदि हां, तो कितना व कितनी राशि का? क्या वर्तमान में कार्य चालू है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त फर्म द्वारा कार्य पूर्ण कर भुगतान लेने हेतु बिल/बाउचर प्रस्तुत किये गये हैं? यदि हां, तो फर्म को कितना भुगतान किया गया व कितना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार बकाया राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री राजपाल सिंह शेखावत) : (1) जी हां। नगर परिषद मकराना क्षेत्र में सीवरेज व इससे क्षतिग्रस्त होने वाली सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण का कार्य स्वीकृत है। उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 28.12.2012 को राशि रुपये 67.71 करोड़ की जारी की गयी थी। कार्य के पूर्ण होने की अवधि एक वर्ष है। स्वीकृति आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर एवं कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। 55.15 किलोमीटर सीवरेज लाइन डाली जा चुकी है व कार्य के दौरान काटी गयी सड़कों में से लगभग 90 प्रतिशत सड़क की मरम्मत की जा चुकी है। नगर परिषद, मकराना द्वारा फर्म को राशि रुपये 3509.48 लाख भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में कार्य चालू है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

(4) फर्म को अब तक किये गये कार्य के विरुद्ध उनके द्वारा प्रस्तुत बिल/बाउचर के अनुसार नियमानुसार देय राशि रुपये 3509.48 लाख का भुगतान किया जा चुका है एवं वर्तमान में फर्म का कोई बिल भुगतान हेतु लम्बित नहीं है। फर्म को दिनांक 25.2.2015 तक किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(5) जी हां। फर्म द्वारा दिनांक 20.2.2015 तक नगर परिषद, मकराना में प्रस्तुत सभी बिलों का नियमानुासर देय भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि का भुगतान कार्य की प्रगति, अनुबंध की शर्तों एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न, नम्बर एक।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि इस कार्य को शुरू करने की जो तिथि थी वह थी 25.2.2013 और कार्य को पूर्ण करने की तिथि थी 24.2.2014, आज एक साल तो कम से कम इस काम में लेट हो गये, बात यह है। उसके बाद में माननीय मंत्रीजी स्वयं बता रहे हैं कि यह काम अभी तक 90 प्रतिशत ही हुआ है जबकि इस काम की वास्तविकता यह है कि यह काम मात्र 75 प्रतिशत हुआ है, 25 परसेंट आज भी बाकी है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि फर्म ने जो एक साल की देरी की है इसमें, इस फर्म के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी, यह बताएं? दूसरा, यह कार्य अब कब तक पूर्ण होगा, यह भी सदन के समक्ष बताएं? तीसरा यह है कि सीवरेज लाइन के अन्दर भवन निर्माण का जो अपना काम है, वह भी अभी अधूरा पड़ा है, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि भवन निर्माण कार्य जो अभी अधूरा पड़ा है, यह कब तक पूरा करवाया जाएगा?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस कार्य का कम्प्लीशन, 24 फरवरी, 2014 को हो जाना चाहिए था। सीवरेज का प्रोजैक्ट है, एक साल में इस कार्य का पूरा करने के लिए कहा गया था। लेकिन, जैसा कि अनुभव रहा

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

है, सीवरेज के अन्दर आम तौर पर दो साल से पहले राजस्थान में कोई प्रोजैक्ट पूरा नहीं हुआ है। यहां तक कि आर.यू.आई.डी.पी. की फेज-2 के अन्दर सीवरेज की योजनाएं गये चार-पांच सालों में चल रही हैं, वे भी दो-दो साल से लेट चल रही हैं। यह एक बड़ा एम्बिशस टार्गेट था एक साल में पूरा करने का, अनरियलिस्टिक टार्गेट था। यह अनरियलिस्टिक टार्गेट था इसलिए एक साल में पूरा तो होना ही नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस प्रोजैक्ट में कई ऐसी तकलीफें आयीं जिन तकलीफों के कारण यह प्रोजैक्ट फरवरी में पूरा नहीं हो पाया। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इस प्रोजैक्ट में डिले होने के कई कारण रहे। पहला कारण तो यह रहा कि यू.एल.बी. को जो सीवरेज पम्पिंग स्टेशन बनाना था, वह पहले तय किया था यू.एल.बी. की जमीन में सब्जी मंडी के नजदीक। वहां एनक्रोचमेंट के कारण से जगह नहीं मिली तो दूसरी लोकेशन को तय किया गया, उस लोकेशन को शिफ्ट किया गया। जहां नई लोकेशन पर यू.एल.बी. की जमीन को शिफ्ट किया गया वहां पर ओवरहैड पानी का बनना था, रिजर्वायर बनना था, वह रिजर्वायर बनने के लिए फिर समय लगा। पी.एच.ई.डी. वालों ने काम नहीं करने दिया। कहा कि आप यहां पर खुदाई करोगे, सीवरेज का पम्पिंग स्टेशन बनाओगे तो यह हमारी टंकी जो बना रहे हैं, वह टंकी गिर जाएगी। वह काम इस प्रकार से डिले होता रहा।

दूसरा, मकराना में रेलवे ट्रैक के अलोंग विथ सीवरेज लाइन डल रही है इसलिए रेलवे की जमीन में रेलवे की परमिशन मांगना बहुत जरूरी था। पहली परमिशन उन्होंने मांगी 4.6.2013 को जो ग्रांट हुई 7.11.2013 को, 156 दिन की डिले थी। फिर भी काम पूरा नहीं हुआ तो एक्सपैंशन के लिए इन्होंने लिखा। एक्सपैंशन के लिए लिखा 13.1.2014 को और ग्रांट हुई परमिशन 27.6.2014 को, यह 166 दिन का डिले हुआ। तो 156 दिन का एक डिले रेलवे के कारण पहला, 166 दिन का डिले रेलवे के कारण दूसरा। हमने जो सीवरेज पम्पिंग स्टेशन के लिए जगह बदली, जगह बदलने के बाद पी.एच.ई.डी. के आब्जेक्शन के कारण काम डिले हुआ, इस कारण से जो काम डिले हुआ वह 304 दिन हुआ।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका पूरा प्रोजेक्ट पीरियड ही 365 दिन का हो, उसमें 304 दिन की डिले तो इसी कारण से हो जाए। उसके अलावा काम में कई और प्राब्लम भी आयीं। एक एम.एल.ए. साहब के मकान के सामने से सीवरेज लाइन जा रही थी तो उन्होंने आब्जेक्शन लगा दिया। उनके आब्जेक्शन से 134 दिन की डिले वहां हो गयी, काम रुका रहा। एक डेसावाली ढाणी के अन्दर, जहां से सीवरेज लाइन जानी चाहिए थी, जहां अलाइनमेंट था उसका, वहां पर एक आदमी ने कहा कि यह जमीन मेरी है। यह डिस्प्यूट खड़ा हो गया और डिस्प्यूट खड़ा होने के कारण इस अलाइनमेंट को बदलना पड़ा। यह अलाइनमेंट बदल लिया गया है। माइंस के इलाके से भी यह सीवरेज लाइन जाती थी, माइनिंग जहां हो रही है वहां तो गाइड वाल होती है, वॉल के गिर जाने के कारण भी डिले हुआ। इस प्रकार से कई कारणों के कारण इस प्रोजैक्ट में डिले हुआ। चूंकि प्रोजैक्ट का पीरियड केवल एक साल था मकराना में, इसलिए इतना डिले होने के कारण यह सीवरेज पाइंट कमप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद इस काम में तेजी आयी है और जितने भी इम्पेडिमेंट्स काम को रोकने में हुए, उन सारे इम्पेडिमेंट्स को खत्म कर दिया गया है, निपटा दिया गया है। काम बडी तेजी के साथ में शुरू हो गया है और अब आने वाले तीन महीने के अन्दर मकराना में सीवरेज लाइन का पूरा काम कमप्लीट कर देंगे और इस साल के सितम्बर के अन्दर कमीशन करके लोगों को कनेक्शन दे देंगे, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं।

साथ में आपने कहा नगर परिषद की बिल्डिंग के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सीवरेज की योजना थी, इस सीवरेज की योजना के तहत नगर परिषद की बिल्डिंग बनाने का ओरिजिनली प्रावधान कोई नहीं था। लेकिन तत्कालीन सरकार के यूडीएच मंत्री जब मकराना गये तो उन्होंने कहा कि नगर परिषद का यह भवन जो जर्जर हालत में है, यह भवन भी बना दिया जाना चाहिए, तो उस भवन के लिए भी इसी फर्म को आर्डर दे दिया गया और भवन के निर्माण के लिए कह दिया गया। भवन का निर्माण शुरू भी हो गया लेकिन बीच में कुछ आडिट आब्जेक्शंस आये हैं। उन आडिट आब्जेक्शंस का निवारण किया जा रहा है। 2 करोड़ रुपये से ऊपर का काम वहां पर हो चुका है। उन आडिट आब्जेक्शंस का निवारण होने के साथ ही उस बिल्डिंग का काम

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

भी पूरा कर दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं, बिल्डिंग का काम भी इस साल के अंत में हम पूरा करके जनता को समर्पित कर देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विस्तार से आ गया जवाब। अब कुछ पूछने को रह गया आपके।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना) : माननीय मंत्रीजी, डेसावालियों की ढाणी और रेलवे लाइन के पास में आपने जो अवरोध बताया, मैं मकराना शहर की बात कर रहा हूं, यह रेलवे लाइन की बात बाद की है। अभी शहर के अन्दर भी कम से कम 16 किलोमीटर का काम बाकी पड़ा है। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इस फर्म ने एक साल का जो डिले किया है, उस एक साल के डिले करने के कारण से उस फर्म के खिलाफ में क्या कार्यवाही की गयी, यह बात मैं सदन में जानता चाहता हूं?

श्री अध्यक्ष : विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरा प्रोजैक्ट 71 किलोमीटर का है, 71 किलोमीटर में से 55 किलोमीटर में सीवरेज लाइन डाली जा चुकी है और 29 किलोमीटर का रोड कट है। इस 29 किलोमीटर के रोड कट में से 26.5 किलोमीटर की रोड रिपेयर हो चुकी है। इसके अन्दर 90 प्रतिशत तो सड़क की मरम्मत का काम पूरा हो गया है और 55 किलोमीटर जो मैं निवेदन कर रहा हूं, 55 किलोमीटर काम सीवरेज का पूरा हो गया है। बाकी बची हुई सीवरेज का काम बहुत तेज गति से जारी है। आपने कहा कि इस फर्म ने लेट क्यों किया। फर्म के लेट होने के कई कारण थे। लेकिन यह पहली बार हुआ कि इस लेट होने के कारण फर्म के ऊपर हमने एक करोड़ 69 लाख की पैनल्टी इम्पोज की है और पैनल्टी रिकवर भी की है। हमने पैनल्टी लगाई है, यह पैनल्टी पहली बार लगी है और पहली बार पैनल्टी का पेमेंट भी हमने उनसे ले लिया है। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि पैनेल्टी लगाने के बाद अब तो कोई कारण नहीं है कि प्रोजैक्ट डिले हो। मकराना शहर में और रेलवे लाइन के ट्रैक से लेकर सीवरेज पम्पिंग स्टेशन तक पूरा का पूरा काम हम आने वाले तीन महीने में पूरा कर देंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : भागीरथ चौधरी, मकराना से सम्बन्धित है आपका पूरक सवाल?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां 2006 में सीवरेज योजना लागू हुई थी, 2008 में वह पूरी होनी थी। आज तक 40 प्रतिशत भी सीवरेज...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां-हां, आप पूरक प्रश्न इस प्रश्न के सम्बन्ध में कीजिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : मेरे किशनगढ़ की बात है और वही सीवरेज की बात है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, किशनगढ़ नहीं, विराजिये आप।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : 2006 में शुरू हुई और 2008 में कमप्लीट होनी थी, आज तक 40 प्रतिशत भी पूरी नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : आप अलग से सवाल कीजिए। मैं नहीं कह सकता उनको। आपका मकराना से सम्बन्धित है सवाल?

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) : नहीं, सीवरेज लाइन से है।

श्री अध्यक्ष: नहीं।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) : सीवरेज लाइन प्रदेश के अन्दर सभी जगह समय पर पूरी नहीं हो रही है और साथ ही कई जगह इनका ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं बना अभी तक।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट सवाल।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेडा) : अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो पूंछूं।

श्री अध्यक्ष : बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता ने मकराना के बारे में पूछा, लेकिन जहां-जहां आर यू आई डी पी की योजना चल रही है, सब जगह करीब-करीब यही समस्या आ रही है। डिले हो रहा है। सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं। उन सड़कों की मरम्मत टाइम से नहीं होती। लोगों को आवागमन की बहुत दिक्कत आ रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, क्या इस प्रकार के आप कोई डायरेक्शन इश्यू करने की कृपा करेंगे कि जहां जमीन खुदे, लाइन डले उसके तुरन्त बाद वहां पर सड़क का निर्माण हो जाए। उससे लोगों को अवागमन की सुविधा तो बनी रहे।

श्री अध्यक्ष: राजाखेड़ा के माननीय विधायक, विराजिये। बहुत विस्तृत जवाब मांग लिया, पर वह दे देंगे जवाब।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी बात बिलकुल सही है। जैसा कि मैं भी आपको अभी थोड़ी देर पहले निवेदन कर रहा था, राजस्थान में आर यू आई डी पी का पहला फेज बहुत ढंग से इम्प्लीमेंट हुआ। पूरे हिन्दुस्तान में इस आर यू आई डी पी के फर्स्ट फेज के इम्प्लीमेंटेशन की चर्चा हुई जिसमें जयपुर भी शामिल है, बीसलपुर का पानी भी शामिल है, जोधपुर भी शामिल है। इसीलिए बड़े उत्साह के साथ में, बड़े लेवल पर आर यू आई डी पी का फेज टू शुरू किया। फेज टू इस प्रकार से मैश हुआ कि छोटे-छोटे 15-16 शहरों की योजना के लिए 115 से 135 पैकेजेज में इस काम को बांट दिया गया। आपस के अन्दर एजेंसीज के बीच में कोई इंटीग्रेशन नहीं था, न कोई एक्सपर्टीज थी। हालत यह है, जैसा मैं थोड़ी देर पहले निवेदन कर रहा था, कि प्रोजैक्ट दो साल की डिले से चल रहा है और डिले के अन्दर भी इतना मैश है, इतना मैश है। हमने उस पूरे को एग्जामिन किया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी उसमें पहले रिव्यू किया है। रिव्यू करने के बाद में हमने उस काम की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया है। हमने टुकड़े-टुकड़े के पैकेजेज को इंटीग्रेट कर दिया है। इंटीग्रेट करने के साथ में एक शहर में एक ही एजेंसी इम्प्लीमेंट करेगी। फेज थर्ड के लिए और सैकण्ड के लिए मैं यह कह सकता हूं कि इस साल के अंत में 90 प्रतिशत से ज्यादा काम हम कर देंगे। जो कांग्रेस राज में एक्सटेंशन लिया गया, अगले साल के जून तक है, और अगले साल के जून से बहुत पहले, इस साल के अंत तक फेज टू के सारे काम को लगभग-लगभग पूरा कर देंगे। अब जितने भी नये काम हम शुरू करेंगे, उन सारे कामों में उन सब चिन्ताओं को हमने इनकारपोरेट कर लिया जो माननीय प्रद्युम्न सिंह साहब ने हमको बतायी हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : हो गया। अगला सवाल, श्री राजकुमार शर्मा।

प्रदेश में देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की कार्य-योजना

25. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2012 से 2014 तक प्रदेश में कितने देशी व विदेशी पर्यटक आये और उनसे सरकार की कितनी आय हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. राजकुमार शर्मा)

(2) क्या सरकार पारम्परिक पर्यटन के साथ-साथ धार्मिक पर्यटन, ईको पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक? व नहीं तो क्यों?

(3) क्या सरकार प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर यात्रियों की सुविधा हेतु सेवाएं विकसित करने व ऐसे स्थलों का जीर्णोद्धार करने के लिए मास्टर प्लान बनाकर विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन धार्मिक स्थलों का और इन पर कितनी राशि व्यय कर कब तक इन्हें विकसित किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में स्थित लोहार्गल धाम को विकसित करने हेतु विशेष योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में पयर्टन की दृष्टि से लोहार्गल धाम के साथ-साथ प्राचीन हवेलियां व अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं? यदि हां, तो क्या सरकार नवलगढ़ में धार्मिक व अन्य पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों एवं प्राचीन हवेलियों को विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : (1) वर्ष 2012 से 2014 तक राज्य में आये देशी व विदेशी पर्यटकों की संख्या का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। पर्यटन विभाग द्वारा राज्य योजना के तहत एवं सी.एस.एस. योजना के तहत पारम्परिक पर्यटन के साथ धार्मिक पर्यटन, ईको पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उचित पर्यटन स्थलों का चयन किया जाकर राशि की उपलब्धता के आधार पर विकास कार्य कराये जाते हैं।

(3) प्रदेश के धार्मिक स्थलों एवं यात्रियों की सुविधा हेतु सेवाएं विकसित करने व ऐसे स्थलों का जीर्णोद्धार करने के लिये मास्टर प्लान बनाने की योजना देवस्थान विभाग के अन्तर्गत विचाराधीन है। प्रस्तावित धार्मिक स्थलों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

कंसल्टेंट द्वारा उक्त स्थलों का मास्टर प्लान एवं डी.पी.आर. तैयार करने के बाद व्यय राशि का आकलन हो सकेगा।

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)

(4) पर्यटन विभाग में वर्तमान में लोहार्गल धाम को विकसित करने हेतु कोई योजना विचाराधीन नहीं है। वर्ष 2007-08 में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सी.एस.एस. योजना के तहत स्वीकृत शेखावाटी क्षेत्र के पर्यटन स्थलों के विकास कार्यों की परियोजना अन्तर्गत राशि रुपये 43.28 लाख व्यय कर लोहार्गल में पर्यटकों के लिए यूटिलिटी सेंटर एवं 24-कोसी परिक्रमा स्थल पर यात्री शेड का निर्माण कराया गया है।

(5) जी हां। नवलगढ़ में धार्मिक तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों एवं प्राचीन हवेलियों को विकसित करने के सम्बन्ध में पूर्व में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के माध्यम से शेखावाटी क्षेत्र (सीकर, चूरू एवं झुन्झुनूं) में स्थित ऐतिहासिक महत्व की परिसम्पत्तियों का सर्वे कराया गया जिसमें नवलगढ़ की हवेलियां भी सम्मिलित हैं। इनके ऐतिहासिक एवं कलात्मक महत्व के आधार तथा बजट संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न एक।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया से मैं पूरक प्रश्न पूछूं, उससे पहले मुझे आपसे एक शिकायत है, क्योंकि + + + कर रहे हैं आप तो।

श्री अध्यक्ष : कर लीजिये, शिकायत कर लीजिये। अंकित नहीं हो + + + का।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : आसन पर आरोप नहीं लगाया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : + + + इस बात का कर रहे हैं। मैं तो मेरी प्रार्थना रख रहा हूं कि पहले तो इन्होंने कहा अगला सवाल। पहले तो कहा कि अगला सवाल, तो सत्ता पक्ष के सदस्यों का नाम लेते हैं क्या, अध्यक्ष महोदय?

एक माननीय सदस्य : आसन पर आरोप लगा रहे हैं आप।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : मैं तो सिर्फ मेरी बात...

श्री अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न कीजिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : दूसरी बात आप मेरा नाम गलत बोल रहे हैं। अभी आपने कहा है कि आंखों का आपरेशन करा लिया है तो डाक्टर गलत है या आपकी आंखों का आपरेशन सही नहीं किया गया है। आपको सामने वाला नाम भी नहीं दिख रहा है।

श्री अध्यक्ष : नाम दिख रहा है न।

डा. राजकुमार शर्मा (नलवगढ़) : मैं मानता हूं, माननीय सदस्य, कि आसन पर आरोप नहीं लगा सकते, मैंने तो मेरा निवेदन रखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सीधा माननीय मंत्री महोदया से आपके माध्यम से एक सवाल है कि आपने विदेशी पर्यटकों के बारे में काफी विस्तार से बात बोली है, मैं इतना कह सकता हूं कि जिस प्रकार से जनसंख्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से जो विदेशी या देशी पर्यटक राजस्थान के अन्दर आये हैं, उसमें परसेंटेज के आधार पर बहुत कमी आयी है, मात्र 20 प्रतिशत संख्या रह गयी है। यानी पहले हर तीसरा पर्यटक राजस्थान में आता था लेकिन अब मात्र 20 प्रतिशत रह गया है। तो इसके बारे में क्या हमने कोई योजना बनायी है या सिर्फ हम लोग एक स्लोगन देते हैं, पधारो म्हारे देश? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : सीधा सवाल पूछो।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : मैं वो ही चीज कह रहा हूं।

तो एक तो इसमें पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कोई योजना है?

दूसरा, स्वाइन फ्लू की वजह से, अब मंत्री महोदय कहेंगे कि इसमें स्वाइन फ्लू कहां से आ गया, स्वाइन फ्लू की वजह से पूरे राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार से आम जनता में भय है उसी प्रकार से पर्यटकों में भी दहशत है। एक विदेशी पर्यटक की भी मौत हो गयी और उसके बाद जिस प्रकार से...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रश्न क्या है?

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : भाई साहब, प्रश्न ही तो कह रहा हूं, डट जाओ छोड़े से। आप लोग, 15-15 मिनट सत्ता पक्ष के सदस्य सवाल पूछ रहे थे, माननीय सदस्य ने कहानी सुना दी थी। हम अध्यक्ष महोदय से बात कर रहे हैं।

(डा. राजकुमार शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि उद्योग मण्डल एसोचैम की एक रिपोर्ट आयी जिसमें राजस्थान और महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू की वजह से 5500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। आम आदमी की जान-माल की तो सुरक्षा नहीं कर पाये, उलटा पर्यटन के हिसाब से जो हमारे आता है, क्या आगे कोई योजना है कि हम पर्यटकों को विश्वास दिला सकें कि हमारा राजस्थान स्वस्थ है और आप यहां आइये, यहां घूमिये, आपको कुछ नहीं होगा? (व्यवधान)

प्रश्न ही तो पूछ रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं योजना है क्या कि पर्यटक यह मानें कि हम ठीक हैं, राजस्थान में जाएंगे तो हमें बीमार नहीं होना पड़ेगा?

तीसरा नम्बर, जो महत्वपूर्ण सवाल है, मेरा पूरक प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हमारा लोहार्गल एक धार्मिक स्थल है और उस धार्मिक स्थल का इतना महत्व है कि जिस प्रकार से तीर्थराज पुष्कर है, हमारे शेखावाटी में लोहार्गल को भी उस प्रकार से मानते हैं, लोहार्गल को विकसित करने का यह सरकार कोइ्र मानस रखती है? इन्होंने कहा कि हमारी कोई योजना नहीं है। 24 शहरों का नाम इन्होंने दिया है कि 24 जगहों को हम लोग विकसित करेंगे। क्या झुन्झुनूं जिले को इसलिए वंचित कर दिया कि झुन्झुनूं जिले का कोई मंत्री नहीं है? राजस्थान की सरकार के अन्दर झुन्झुनूं जिले का मंत्रिमण्डल में कोई सदस्य नहीं है इसलिए झुन्झुनूं को आप विकास के नाम पर पीछे कर दें? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि लोहार्गल को...(व्यवधान)

पटेल साहब, बैठ जाइये, हम आपको छोटे भाई हैं।

लोहार्गल इसलिए भी है कि भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा था कि पांडव वहां पर जाकर प्रायश्चित करें। तो मैं यह कह रहा हूं कि लोहार्गल को आप विकसित कर दो ताकि आपको भी भविष्य के अन्दर प्रायश्चित करने का वहां मौका मिल जाए।

दूसरा, भगवान परशुरामजी का...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : यह ज्ञानी हैं, इनके प्रवचन का अलग से समय तय कर दें। भगवान राम कहां गये थे, लक्ष्मण कहां आये थे, सीधा सवाल करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : तो भगवान राम से आप चिढ़ क्यों रहे हो? भगवान राम की वजह से ही तो आप सरकार में आ गये।

एक माननीय सदस्य : आपका काम सुनने का है, सुनो आप।

श्री अध्यक्ष : आपस में चर्चा नहीं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : आप कौरव, पांडव और महाभारत की कथा मत सुनाओ, कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो। अध्यक्ष महोदय, सदन का समय बेकार जाया हो रहा है, प्रश्न तो पूछते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : महाभारत और रामायण की कथा कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, आप विराजिये। आप पूरक प्रश्न कीजिए। (व्यवधान) आप भी विराज जाइये। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : दुर्भाग्य है कि राम के नाम पर आप सदन का वक्त जाया बता रहे हैं। (व्यवधान) आपने पूरे देश का वक्त जाया कर दिया राम के नाम पर और आज सदन के अन्दर राम की बात करें, कृष्ण की बात करें, आपको वक्त जाया लग रहा है। मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा। (व्यवधान) राम मन्दिर के नाम पर पूरे देश को आप लोगों ने झोंक दिया, लोगों में आपस में झगड़े करवा दिये।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न कीजिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : अब मैं कह रहा हूं, लोहार्गल धाम परशुराम भगवान की तपोस्थली है और उसके कारण घनश्याम तिवाडीजी भी वहां पर तप करने के लिए जाते हैं। आप पूछ लो इनसे भी अगर लोहार्गल में नहीं जाते हैं तो।

श्री अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न कीजिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : अब, अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के सदस्य ज्यादा हैं हम तो निर्दलीय हैं, अकेले बैठे हैं, पांच-सात और बैठे हैं हमारे साथ। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : अध्यक्ष महोदय, घनश्याम तिवाड़ी ही कहां-कहां जाते हैं, यह राजकुमारजी को कैसे मालूम है?

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : इसलिए मालूम है कि लोहार्गल सौभाग्य से मेरे नवलगढ़ क्षेत्र में आता है, साहब, इसलिए मुझे पता है। इन्होंने वहां पर देखा है कि चौबीस कोसी परिक्रमा, अध्यक्ष महोदय...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : आपकी और घनश्यामजी की मिलीभगत है, दोनों एक-दूसरे से वहां जाकर मिलते हो।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : मिलते हैं, मेरे पिता तुल्य हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : चौबीस कोसी परिक्रमा है, पांच लाख श्रद्धालु आते हैं। मंत्री महोदया, चौबीस कोसी परिक्रमा के अन्दर पांच लाख से ऊपर श्रद्धालु आते हैं, सर्पदंश से मौतें होती हैं, कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, क्या आप जनहित को ध्यान में रखते हुए, उन पांच लाख लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए लोहार्गल धाम को विकसित करने का भविष्य में कोई आदेश फर्माएंगे, यही आपसे निवदेन है?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (राज्य मंत्री, पर्यटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने तो बहुत लम्बे-लम्बे भाषण दे दिये, मैं तो इतना जरूर कहूंगी कि जो लोहार्गल का स्थान है, 2007 और 2008 से 43.28 लाख का काम हो चुका है और यह 2012 में पूरा कम्प्लीट हुआ है।

अभी माननीय सदस्य और कुछ कहना चाहते हैं, अगर कोई और शिकायत है, आप वो दिखवा दो, मैं सरकार के जरिए से, अपने डिपार्टमेंट के जरिए से...(व्यवधान) कर दूंगी।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न नम्बर दो।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय 2008 के जिस हैड की बात कर रहे हैं, 45 लाख की लागत से हम लोगों ने पर्यटन विभाग से करवाया था लेकिन आज उसकी इतनी दुर्दशा है कि चारों तरफ कोई बाउंड्री वाल नहीं है, उसके अन्दर जानवर बैठे रहते हैं इन्सान नहीं बैठते। सीधा-सा सवाल यह है कि 24 कोसी परिक्रमा को पब्लिक के लिए, जनहित के लिए उन श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए विकसित करने की योजना क्या है? मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं तो जनता की तरफ से आपसे प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (राज्य मंत्री, पर्यटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी बता दिया कि जैसे भी हमारे पास बजट होगा उसी आधार पर हम काम करेंगे।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : माननीय मंत्री महोदया, आप ताली बजा रहे हैं। आप विपक्ष में बैठ कर खड़े-खड़े ऐसे करते थे, हम भी फिर ऐसे करें क्या?

बजट होगा तो करेंगे, तो बजट सरकार क्यों नहीं लेकर आ रही है? यह सवाल सिर्फ मजाक का सवाल नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के सदस्यों से कि लोहार्गल के लिए हमारी हरिद्वार से भी ज्यादा आस्था है, उसके लिए आपको लाना पड़ेगा, आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप सिर्फ यह कह देते हैं कि बजट होगा तो करेंगे, यह तो कोई तरीका नहीं है। सत्ता पक्ष के सदस्य जो काफी सीनियर हैं, हम लोग उनसे सीखते हैं, वो इस बात का ताली बजा कर मजाक उड़ा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी शर्मिंदगी की बात है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : राजकुमारजी, आप पांच मंत्री थे न, तब आपने क्या किया? (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ) : मंत्री थे तो सात करोड़ रुपये का काम कराया, धार्मिक स्थल की सड़कों को जोड़ने के लिए लोहार्गल धाम को जोड़ा है, 45 लाख रुपये का पर्यटन का सैट हमने हमारी सरकार में बनाया है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : पांच साल में...(व्यवधान) पांच साल में 45 लाख।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े प्रस्तुत कर रही हैं मंत्री महोदया, वो हमारी सरकार की देन है। इन्होंने खुद कुछ भी नहीं किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : लोहार्गल में सड़क से जोड़ने का काम माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी की अभिशंसा पर पूर्ववर्ती सरकार वसुन्धराजी की सरकार में किया गया था। लोहार्गल के महत्व को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर योजना बना कर इसका निश्चित तौर पर विकास करेंगे, हमारी मंशा भी है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : आपकी उपेक्षा आप पर भारी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : आपका पूरक प्रश्न, श्री जोगाराम पटेल। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर मिथ्या बात नहीं होनी चाहिए, झूठ बात नहीं होनी चाहिए। आपका धन्यवाद कि आपने भविष्य की प्लानिंग तो रख दी। लेकिन आप कह रहे हैं कि इनकी अनुशंसा पर, आज से दो साल पहले माननीय गहलोत साहब की सरकार की योजना थी कि धार्मिक पर्यटन स्थलों को सड़कों से जोड़ेंगे, उस योजना के तहत लोहार्गल को जोड़ा गया, आप पता कर लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री यहां विराज रहे हैं, इनसे पता कर लो आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : बहुत-बहुत धन्यवाद। विराज जाओ।

श्री अध्यक्ष : श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि वर्ष 2012 से 2014 की अवधि तक किस-किस जिले में कितने-कितने विदेशी पर्यटक आये?

दूसरा, क्या सरकार विशेष प्रयास कर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले सबसे अधिक आय देने वाले जिले को प्रोत्साहित करने का विचार रखती है अथवा नहीं?

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : मैंने बटन दबाया है।

श्री अध्यक्ष : बाद में दबाया है। (व्यवधान)

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (राज्य मंत्री, पर्यटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 2012, 13, 14 में जो विदेशी पर्यटक आये, इसकी पूरी जानकारी मेरे पास है और आपको जो और चाहिए मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी।

श्री अध्यक्ष : आप उपलब्ध करा दीजिए। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से शेखावाटी में मुकंदगढ़, मण्डावा, नवलगढ़, फतेहपुर, रामगढ़ के साथ-साथ में लक्ष्मणगढ़ शहर की प्राचीन हवेलियां भी संरक्षण के...

श्री अध्यक्ष : यह लक्ष्मणगढ़ से सम्बन्धित नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : हां, लक्ष्मणगढ़ ही है न।

श्री अध्यक्ष : सम्बन्धित नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : शेखावाटी लिखा है न, लक्ष्मणगढ़ की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आप कर लीजिए प्रश्न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, केवल शेखावाटी की बात मंत्रीजी ने जवाब में कही है, क्वेश्चन में राजकुमारजी ने पूछा है तो मैं शेखावाटी की ही तो बात कर रहा हूं।

तो लक्ष्मणगढ़ की प्राचीन हवेलियों का संरक्षण और विकास करने की पर्यटन की दृष्टि से क्या सरकार मंशा रखती है, या नहीं रखती है? रखती है तो कब तक?

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा है। मंत्री महोदया। (व्यवधान) आप बैठिये, आप बैठिये। मंत्री महोदया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : मजाक मत बनाओ।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (राज्य मंत्री, पर्यटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया, हम शेखावाटी की हवेलियों का ध्यान रखेंगे। अभी जो सवाल माननीय सदस्य राजकुमारजी ने पूछा, मैंने उन्हीं की बैल्ट का लिया है। जो आपके इलाके का है, उसका भी हम सर्वे करवा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चलो। श्री छोटू सिंह। नही, अब नहीं, आप विराजें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : एक मिनट दे दो।

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें। बिलकुल नहीं।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यही निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर एक सीमावर्ती पर्यटक क्षेत्र है, फोर्ट गोल्डन, सोने के नाम से फेमस है। कई सालों से उसकी सीवरेज बंद पड़ी है। जो काम हुआ, वह भी बंद पड़ा है। इस फैस्टिवल के अन्दर रास्ते को बंद करके रखा था।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सम ड्यूंस जैसलमेर की परिधि से 40 किलोमीटर दूर है...

श्री अध्यक्ष : आप सवाल कीजिए। यूं नहीं, भाषण नहीं।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : फोर्ट के बारे में मंत्रीजी बताएं कि कब तक सीवरेज का काम हो जाएगा?

श्री अध्यक्ष : एक जवाब दे दो आप।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (राज्य मंत्री, पर्यटन) : माननीय सदस्य, मैं यह कहना चाहती हूं कि आप मुझे लिखित में दे दो, उसकी मैं जांच करवाकर जो काम करवाना है, वह मैं अवश्य करा दूंगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न। श्री राव राजेन्द्र सिंह।

केन्द्र सरकार से विभिन्न परियोजनाओं के लिए राज्य को प्राप्त राशि

26. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार से राज्य को समय-समय पर विभिन्न परियोजनाओं के लिये राशि प्राप्त होती है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में राज्य को किन-किन कार्यों के लिये कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कई परियोजनाओं के लिये राज्य द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी नहीं करने के कारण केन्द्र सरकार से अग्रिम राशि प्राप्त नहीं हो पायी है? यदि हां, तो सरकार द्वारा किन-किन परियोजनाओं में उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया और उसके क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (डा. रामप्रताप) : (1) जी हां। गत पांच वर्षों में आर आर आर योजना अन्तर्गत 7.07 करोड़, एआईबीपी योजना अन्तर्गत 202.872 करोड़ एवं टीएफसी अन्तर्गत 101.50 करोड़ धनराशि राज्य को प्राप्त हुई। कार्यों की योजनावार सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने जी नहीं खण्ड 2 का जो जवाब दिया है, उसके आपने पहले पैरा की 4 लाइन का दिया है या संपूर्ण पैरा ही आपका 'जी नहीं' है?

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री) : आपने यू सी के बारे में पूछा था कि पिछले 5 सालों की, उसके बारे में 'जी नहीं' लिखा है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं गवर्नमेंट आफ इंडिया की मिनिस्ट्री आफ वाटर रिसोर्स रीवर डवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेशन प्रोग्राम डेटेड 3.11 2014 की तरफ। वहां के अनिल कुमारजी जो स्पेशल प्रोजैक्ट आफिसर हैं, उनका यह पत्र है, उन्होंने कहा है कि 2009-10 में लघु सिंचाई की त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत 7 परियोजना, गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो पोर्टल है उसमें आपका आवेदन आया हुआ है, 7 परियोजनाओं के लिए 14 करोड़ 17 लाख रुपये उन्होंने आपको दिये जिनका राज्य सरकार ने अभी तक पूरा उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं दिया है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र यानि यूटिलिटी सर्टिफिकेट, मैं यूसी की ही तो पूछ रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिसने भी यह सूचना आपके विभाग में दी है, उस विभाग ने या तो इस प्रश्न को समझने की कोशिश नहीं की है। 14 करोड़ 17 लाख रुपये उनके पोर्टल पर 7 न्यू माइनर इर्रिगेशन स्कीम्स का लिख रखा है। आपके जो कम्प्लीट हुए प्रोजैक्टस हैं, उनकी भी एक लिस्ट है। उसके अलावा भी गत 5 वर्ष के अन्दर ओटिस ग्रांट्स आपकी नहीं आयी हैं। आपके यहां से जो पत्र गये हैं उनमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है, आपने नर्मदा के लिए और गंग नहर के लिए और पैसे मांगे हैं। पिछले 5 साल के अन्दर नर्मदा का जो आपको आखिरी पैसा आया था, वह भी आपने पिछले ग्रांट के रूप में नहीं लिया है। अब हम 2014-15 में मांग रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि जो ग्रांट्स आयी थीं, उनका उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं जारी करने की वजह से क्या हम वे ग्रांट्स नहीं ले पाये? यह जो पत्र वहां के मंत्रालय ने दिया है, क्या यह मंत्रालय का पत्र गलत है? इस मंत्रालय के पत्र पर हम प्रतिकूल टिप्पणी करते हैं या अनुकूल टिप्पणी करते है?

दूसरा, आपकी ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं जो एक्सिलेरेटेड इर्रिगेशन बैनिफिट प्रोग्राम के तहत आती हैं और ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं जो ग्रांट्स के आधार पर हैं? एक्चुअली क्या है कि आपके सैक्रेटेरिएट ने वाटर रिसोर्स को इर्रिगेशन तक सीमित कर दिया है। हमने सेन्ट्रल ग्रांट्स के बारे में पूछा था। आपके पास में 8 करोड़ 77 लाख की एक ग्रांट 8/9 से आयी हुई पड़ी है जिसमें से सिर्फ 3 लाख रुपया खर्च हुआ है। उस ग्रांट का हम लोग किसी प्रकार से कोई उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से कि हमने उसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं भेजा। 25, गवर्नमेंट आफ इण्डिया का कल तक का

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पोर्टल यह बात कर रहा है कि वह पैसा इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि क्योंकि हमारे यहां से किसी प्रकार का कोई इन्फोर्मेशन नहीं गयी।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो फर्मा रहे हैं, जो मुझे सूचना मिली थी उस आधार पर मैंने आपसे निवेदन किया है। जहां तक नर्मदा का सवाल है तो शुरू में केन्द्र सरकार ने इसको 09/10 में हमें दिया था। 2011-12 के टाइम में कुछ इसमें डिस्प्यूट हो गये कि यह योजना 09/10 में कवर हो रही है कि नहीं हो रही है, इस वजह से हमारी आगे की यूसी देने के बावजूद सारी कार्यवाही रोक दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो 5 साल की यूसी की मैंने सूचना दी है, उसमें कहीं कोई कमी-खामी है तो आप मुझे बताइए। मुझे जो सूचना दी गयी है वह मैंने आपको दे दी। लेकिन अगर कहीं कोई गलत सूचना दी है तो मैं अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही निश्चित तौर पर करूंगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो मंत्री महोदय की सहूलियत के लिए यह जो कागज गवर्नमेंट आफ इंडिया से आया है, वह मैं टेबल कर देता हूं, जिससे आप जिसके भी खिलाफ कार्यवाही करनी है, वह कर सकते हैं।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, वह आपके डोमेन में नहीं आएगा क्योंकि आपका विभाग विभाजित है। मंत्री महोदय जो पेयजल से डील कर रहे हैं, आपके पास में 8 करोड़ 66 लाख रुपये निवर्तमान सरकार के समय से आये हुए पड़े हैं, जो 5 साल के अन्दर नहीं हुआ। वह बच्चों के पीने के लिए पानी और फिल्टर प्लांट का है। उसमें से सिर्फ 3 लाख रुपया आप खर्च कर पाये हैं। वह 8 करोड़ 66 लाख रुपया 5 साल से यूं का यूं पड़ा है और गवर्नमेंट आफ इण्डिया से आप ग्रांट नहीं ले पा रहे हैं। इसकी तो जांच आप कराएं। वह जल मणि पोर्टल पर है। मैं आपको बता देता हूं, जल मणि प्रोग्राम के पोर्टल पर है और यह जो कागज है यह वाटर रिसोर्स के पोर्टल पर है जो गंगा रिजुवेशन का है। यह कागज तो मैं आपकी इजाजत हो तो टेबल कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप कर दीजिए। पूरक प्रश्न, श्री भागीरथ चौधरी।

(माननीय सदस्य श्री राव राजेन्द्र सिंह द्वारा पत्र सदन की टेबल पर रखा गया)

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, विराजें आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत साफ कहा मंत्रीजी ने।

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : यूसी। यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कह दिया यूसी, आप देखो और कोई गलती हो तो बताओ।

श्री अध्यक्ष : ठीक इंटरप्रिटेशन है आपका। बधाई हो आपको।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझे बताया और सदन को भी अवगत कराया, माइक्रो इर्रिगेशन प्रोजैक्ट है इसमें 14.17 करोड़ की यूसी जारी नहीं की गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 14.17 करोड़ की यूसी है, यह 2.2.2015 को भेजी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी अगर कहीं कमी-खामी है तो मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि निश्यित तौर पर बताएं। आपके द्वारा जो सवाल पूछे जाते हैं वे सिम्पिली गवर्नमेंट को टोन-अप करने के लिए होते हैं। मैं तो स्वागत करूंगा अगर कहीं कोई कमी-खामी है तो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी के पेटे आपको निवेदन करना चाहूंगा, 2011-12 से यह नर्मदा प्रोजैक्ट है, इसको एड नहीं मिली थी, सीएसएस से पैसा नहीं मिला था, हमने हमारे प्लान साइज से निकालकर इसके काम को नहीं रोका। हमारी सरकार आने के बाद में, मेरे सामने जो साथी बैठे हैं मैं उनकी कोई काट नहीं कर रहा, आलोचना भी नहीं कर रहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हिसाब-किताब चल रहा था, उसको गति प्रदान करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने एक सेल का गठन किया। कुछ अधिकारी, इंजीनियर्स एक साथ बैठकर प्रोजैक्ट्स को तैयार करेंगे। उसका नाम भी हमने 'वार रूम' रखा है। 'वार रूम' रखने का मतलब यह है कि इन सारे प्रोजैक्ट्स को हम गति प्रदान कर सकें। आपको सुनकर खुशी होगी कि इसके नतीने भी हमें आने लगे हैं। टीएफसी की 2 किश्तें हैं, हमें एक तो कल ही

(डा. रामप्रताप)

मिली है और 1 पहले मिल चुकी है। लगातार हमारा प्रयास यही है, हम बार-बार एक ही बात कहते हैं कि हमारे पास 1 परसेंट पानी है, डेढ़ परसेंट पानी है। हम इस नैक्सस से निकलना चाहते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : आपने यह 'वार रूम' कहां बनाया है? 'डब्ल्यू' है कि 'बी' है?

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री) : जो आप समझ रहे हो, वही है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : उसके बाद पता लगेगा कि 'डब्ल्यू' है कि 'बी' है।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री) : यह है तो 'डब्ल्यू' ही।

श्री अध्यक्ष : वैसे आप कैसे पूछ रहे हैं यह सवाल?

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री) : नहीं, नहीं, आप इसको गम्भीरता से लें, मेरे पास में रिकार्ड है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह घनश्यामजी का, उनका हक नहीं लगता है प्रश्न पूछने का।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री) : मैं इस बात को समझता हूं। इनकी भावनाओं को भी समझता हूं। लेकिन मैं यह पूरा डिटेल में आपको जब डिमांड आएगी, तब बताऊंगा।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

डूंगरगढ़ के माननीय विधायक, कल भी आप बोलना चाह रहे थे, अभी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़) : मेरी सीट 176 नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सीट का मामला है?

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़) : यह बदल कर 157 पर ला दी।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का मामला है, मुख्य सचेतक महोदय से आप मिल लीजिए। सीट का हो जाएगा, जैसी भी आपकी है।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़) : मैं उनसे क्यों मिलूं, मैं तो आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप मुख्य सचेतक से निवेदन करो।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़) : मुझे बहुत दुःख हुआ, मैं परसों आते ही 176 पर गया तो दूसरे माननीय सदस्य बैठे थे। मुझे बहुत दुःख हुआ क्योंकि पड़ोस में एक साल रहा, वह मेरी राशि के हैं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। मुख्य सचेतकजी ने सुन ली आपकी बात और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस व्यवस्था के मामले में चर्चा करके इनकी ग्रीवेंस दूर करें। (व्यवधान)

अनुपस्थिति अनुमति

बी.एल. कुशवाह, श्री, को, 25 फरवरी, 2015 से सत्रांत तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि बी एल कुशवाह, सदस्य, विधान सभा ने धौलपुर कारागार में निरुद्ध होने के कारण दिनांक 25 फरवरी, 2015 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थिति रहने की अनुमति प्रदान की जाए? (व्यवधान) यह तय हो चुका है, लोक सभा में भी यह तय हो चुका है जब उनका अधिकार नहीं है यहां आने का, निरुद्ध हैं तो यह स्वीकार की जानी चाहिए। लोक सभा में भी इस तरह की रूलिंग है।

हां, तो अनुमति दे दी जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा एवं 9 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ाने से आमजन में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में।

(2) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से पंचायत चुनावों में फर्जी टीसी प्राप्त कर चुनाव लड़ने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से पंचायत चुनावों में फर्जी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुनाव लड़ने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री रमेश चन्द मीना, सदस्य की ओर से राज्य की विद्युत कम्पनियों में भ्रष्टाचार और कुप्रबन्धन के कारण बढ़ रहे घाटे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

आपके और हमारे यह तय भी हो चुका था कि बिजली पर अपन अलग से करेंगे चर्चा, इसलिए वह भी एक कारण है कि मैं इस पर अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(5) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से राज्य में संविदा पशु चिकित्सकों द्वारा कार्य बहिष्कार करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री भंवर सिंह, सदस्य की ओर से कोलायत तहसील मुख्यालय पर स्वीकृत राजकीय स्नातक महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य शुरू नहीं होने से छात्र-छात्राओं को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीन सदस्य, श्री मनोज कुमार एवं श्री भंवर सिंह को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से जिला नागौर की नव सृजित पंचायत समिति खींवसर में भू-जल स्तर का सर्वे करवाकर डार्क जोन से बाहर घोषित करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रमेश चन्द मीणा, सदस्य की ओर से लालसोट से धौलपुर तक निर्माणाधीन राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 11-बी का निर्माण मानदण्डानुसार एवं गुणवत्ता-युक्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से दुर्घटना में मृतक को दी जाने वाली सहायता राशि में विसंगति होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री किशनाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा किसानों से वीसीआर के नाम पर अवैध तरीके से पैसा वसूलने के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती शिमला बावरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में घड़साना को नगरपालिका बनाने के सम्बन्ध में।

(6) डा. गोपाल जोशी, सदस्य की ओर से बीकानेर शहर के कोट गेट रेलवे गेट के ऊपर एलिवेटेड रोड या रेल बाइपास बनाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री सुरेन्द्र पारीक, सदस्य की ओर से जयपुर के मुहाना मण्डी गेट पर दिनांक 25 फरवरी, 2015 को तिरपाल से ढके ट्रक में 28 गोवंश की दम घुटने से मौत होने एवं प्रदेश में गोवंश की हत्या का धंधा पनपने के सम्बन्ध में।

(8) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से जिला जालौर में जीरा एवं ईसबगोल की खराब हुई फसल का किसानों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

(9) श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में कुहाड़वास से काजला सड़क के तीन माह में ही टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से अजमेर से पुष्कर के मध्य सुरंग (टनल) निर्माण के सम्बन्ध में।

(11) श्री कैलाश भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर में भरपूर मात्रा में पानी उपलब्ध होने पर भी एकान्तर पानी सप्लाई करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती गोलमा, सदस्य की ओर से गौरव पथ निर्माण की स्वीकृति, क्षेत्र के वर्तमान विधायक की अनुशंसा पर करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची :-

(1) श्री घनश्याम, विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की खराब सड़कों के सुधार के सम्बन्ध में।

(2) श्री छोटू सिंह, जैसलमेर जिले में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री अशोक डोगरा, विधान सभा क्षेत्र बूंदी स्थित रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में आने वाले गांवों के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(4) श्री भैराराम चौधरी, विधान सभा क्षेत्र ओसियां के उपखण्ड ओसियां में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

श्री मनोज कुमार।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था सर्वोपरि है लेकिन बिजली वाला जो मुद्दा है वह साधारण चर्चा नहीं है, इसमें बीस परसेंट सरकार ने दरें बढ़ायी हैं तो जल्दी ही इसमें व्यवस्था हो।

श्री अध्यक्ष : मैं एक बात निवेदन कर दूं। इस सदन का यह नियम है कि कोई भी विषय किसी भी प्रक्रिया में एक बार आ जाए, उसको दूसरी बार नहीं लिया जाता है। लेकिन यह गम्भीर विषय है इसलिए आपके प्रतिपक्ष के नेता और वरिष्ठ नेता उसमें थे, कार्य सलाहकार समिति ने उनकी राय से हमने इसको फुल फ्लैजेड डिबेट करने के लिए रखा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : नहीं, जल्दी कराने के लिए रख दें, बस यही निवेदन था। जल्दी चर्चा करा दें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राज्य में संविदा पशु चिकित्सकों द्वारा कार्य बहिष्कार

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पशु विभाग द्वारा पशु चिकित्सकों को संविदा पर 19 सितम्बर, 2013 को नियुक्ति दी गयी। उनमें से 288 समेकित पारिश्रमिक तहसील मोबाइल यूनिट पर और 34 संविदाकर्मी जिला स्तरीय मोबाइल यूनिट में कार्यरत थे। वे दिनांक 24.2.2015 से कार्य बहिष्कार पर हैं। राज्य सरकार की और केन्द्र सरकार की पशुओं के लिए काफी ऐसी स्कीम हैं जिनमें संविदाकर्मी पशु चिकित्साकर्मियों के अलावा उनकी देखरेख करने वाला दूसरा कोई नहीं है। विभाग के अनुसार राजस्थान में लगभग 6 करोड़ पशुधन हैं एवं राजस्थान में 10742 पशुओं पर एक संस्था है। राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 5000 पशुओं पर एक संस्था होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान में नहीं है। पशुधन संख्या को देखते

(श्री मनोज कुमार)

हुए प्रदेश में 12000 पशु चिकित्सकों की आवश्यकता है जबकि विभाग के अनुसार 3091 पशु चिकित्सक पद स्वीकृत हैं जो अत्यन्त कम हैं। उक्त 3091 पदों में से भी 1200 से अधिक पद रिक्त हैं। संविदा पर जिन पशु चिकित्सकों को लिया गया वे कार्य हड़ताल पर हैं। राजस्थान में बार-बार पशुधन की बात की जा रही है, जबकि लगातार तीन दिन से पशुधन के चिकित्सक हड़ताल पर हैं। सिर्फ चिकित्सक एलएस के आधार पर खुले हैं जो सिर्फ टैबलेट दे सकते हैं, उसके अलवा कोई इंजेक्शन नहीं लगा सकते, कोई आपरेशन नहीं कर सकते। राजस्थान की कुछ तहसीलें तो ऐसी हैं जहां पूरी तहसील में संविदा पशु चिकित्सक के अलावा दूसरा डाक्टर नहीं है। उन तहसीलों में हैं पीपलू, बागीडोरा, मनोहरथाना। झालावाड़ जो माननीय मुख्य मंत्री का जिला है, उसमें मात्र एक चिकित्सक है। ऐसी व्यवस्था इस राजस्थान में पशुओं के लिए होगी। सबसे ज्यादा राजस्थान में ये गायों के बारे में और पशु पालन विभाग के बारे में बात करते हैं, गौ पालन की बात करते हैं, पशु चिकित्सकों की कमी के कारण हालत बहुत गम्भीर है। राजस्थान में पायलट प्रोजैक्ट 109 चल रहा है लेकिन उनियारा, देवली में एक भी डाक्टर उन यूनिट पर नहीं है तो उनको ये कैसे चला पाएंगे मुख्य मंत्री पशु चिकित्सा योजना, मुख्य मंत्री निःशुल्क दवा योजना पूर्णत : फेल हो चुकी हैं। केन्द्र सरकार ने मुंहपका, खुरपका केन्द्रीय प्रोजैक्ट के लिए राजस्थान सरकार को 100 करोड़ का बजट दिया, लेकिन उसके लिए एक भी डाक्टर नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि संविदाकर्मी पशु चिकित्सकों को तुरन्त संविदा पर लिया जाए। उनको नियमित किया जाए। जो संविदाकर्मी पशु चिकित्सक आज धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे सरकार जल्द से जल्द वार्ता करके इसका समाधान करे ताकि राजस्थान के पशुपालकों को उसका लाभ मिल सके, माननीय मंत्री महोदय, इसके लिए आप कितने चिंतित हैं, किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, मैं आपसे माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से जानना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। आप रेस्पोंड करेंगे?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन के माध्यम से सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया,

(श्री प्रभू लाल सैनी)

उसके बारे में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 2013-14 में...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : आपका साफा कहां गया?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री) : कोई बात नहीं, आप तो वैसे ही किसान हैं। वर्ष 2013-14 में 508 वेटरिनरी आफिसर्स को अर्जेंट टैम्परेरी बेसिस पर नियुक्ति दी गयी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियुक्ति के वक्त में उन्हें एक निर्धारित सैलरी 16800/- रुपये प्रति माह पर एक साल के लिए नियुक्ति दी गयी थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इनकी प्रारम्भिक नियुक्ति 19.9.2013 को जारी हुई और 19.9.2014 को वह अवधि पूरी हुई। उसके बाद फाइनेंस विभाग और डीओपी के द्वारा 30.11.2014 तक उसकी अवधि बढ़ायी गयी। इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि जो भर्ती प्रक्रिया हुई, राजस्थान एनिमल हस्बेंडरी सर्विस रूल्स, 1963 के नियम 26 के अन्तर्गत अर्जेंट टैम्परेरी अपाइंटमेंट किया गये थे। उन प्रोविजंस के तहत एक साल तक और साल के बाद आरपीएससी की अनुमति के बाद एक साल और अवधि बढ़ायी जा सकती है। रूल 26 निवेदन करना चाहूंगा जो अर्जेंट टैम्परेरी अपाइंटमेंट का है, ‘‘Provided that such appointments will not be continued beyond a period of one year without referring the case to the RPSC for the concurrence.” माननीय अध्यक्ष महोदय, आरपीएससी को विभाग के द्वारा पत्र लिखा गया है, पत्र लिखने के बाद आरपीएससी ने कहा है कि एक साल से अधिक की इनकी अवधि नहीं बढ़ायी जा सकती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में चर्चा न करें। (व्यवधान) आपस में चर्चा नहीं। (व्यवधान) आपस में चर्चा नहीं। कृपया आपस में चर्चा नहीं। अपने स्थान पर जाइये।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि पशुपालन विभाग द्वारा 350 वेटरिनरी आफिसर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गयी है। (व्यवधान) लिखित परीक्षा 12.2.2015 को आनलाइन पूरी की जा चुकी है। हम प्रयास कर रहे हैं। मोबाइल यूनिट पर जो अर्जेंट बेसिस, टैम्परेरी बेसिस पर लगाये गये थे, उनकी अवधि अभी चल रही है। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि टैम्परेरी अपाइंटमेंट वाले किसी भी कर्मचारी को छुट्टी लेकर जाने का कोई अधिकार

(श्री प्रभू लाल सैनी)

भी नहीं होता है। पोस्टिंग के वक्त में ही सुनिश्चित करके उनको निर्देशित किया गया था कि ये पूर्ण रूप से अस्थायी है, इसको आगे बढ़ाने का, स्थायी करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह आदेशों में उल्लेखित था। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, हम प्रयास कर रहे हैं, जब तक आपीएससी में स्थायी रूप से 350 चिकित्सकों की भर्ती नहीं हो जाती तब तक लगातार हम इनको आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंस और डीओपी से कार्यवाही कर रहे हैं। अनुमति प्राप्त होने के बाद निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवर सिंह। (व्यवधान) नहीं, नहीं, आप विराजिए। आप विराजिए। नहीं। हो गया जवाब, नो, नो, विराजिए। जवाब हो गया। यह व्यवस्था नहीं है। सवाल-जवाब नहीं हो सकता। श्री भंवर सिंह। बोलिए। (व्यवधान) आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, आप विराजिए। प्रतिपक्ष के नेता कुछ कह रहे हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर पशुपालन एक बहुत बड़ा आजीविका का जरिया है। आज डाक्टर सड़कों पर खड़े हैं, धरना, प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि वे हास्पिटल सारे बंद हो गये। हमने पशुओं की फ्री दवाई की स्कीम चालू की थी, फ्री दवाई तो दूर की बात रही, हास्पिटल बंद हो गये। उनकी आजीविका का जरिया पशु है। आज यह बहुत गम्भीर विषय है। इसमें आप कहीं न कहीं व्यवस्था करके एडहाक पर रखे हुए थे, उनको वापस या तो हास्पिटल में लगाओ, जो भी व्यवस्था करनी है। आपको, मंत्री महोदय, व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवर सिंह। (व्यवधान) आप रेस्पोंड कर रहे हो?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार की बात कही है, उनको कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने उनको सेवा से पृथक् नहीं किया है। कोई भी हास्पिटल बंद नहीं हुआ है। मोबाइल यूनिट्स में वे लोग काम कर रहे थे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वे बिलकुल वायोलेट कर रहे हैं आपके नियुक्ति पत्र को। हमने उनको कहा है, 350 चिकित्सक जिनमें इन सबने आवेदन किया है, शीघ्र ही आरपीएससी द्वारा सूची जारी की जाएगी, वे नियमित हो जाएंगे। अभी उनको

(श्री प्रभू लाल सैनी)

सेवा पृथक् नहीं किया गया है, उनकी अवधि बढ़ाने की प्रक्रिया हम लोग चालू कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवर सिंह।

कोलायत के राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य

श्री भंवरसिंह (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2013 में पिछली कांग्रेस सरकार ने 46 राजकीय महाविद्यालय खोलने के आदेश किये थे। इसी क्रम में बीकानेर जिले में श्रीकोलायत में, श्रीडूंगरगढ़ में व खाजूवाला में भी क्षेत्र की ग्रामीण जनता की मांग के अनुरूप तीन सरकारी महाविद्यालय खोले गये। अध्यक्ष महोदय, 24 सितम्बर, 2013 के आदेश से उक्त महाविद्यालयों में प्रिंसिपल और अन्य जो स्टाफ है, उसको लगाया गया जिससे कि वर्ष 2014 के शैक्षणिक सत्र में उस क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को कालेज एजुकेशन प्राप्त करने के लिए एडमिशन मिल सके। वर्ष 2014 में चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद इन तमाम सरकारी महाविद्यालयों को बंद करने का आदेश सरकार के द्वारा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, हमने विधान सभा के पिछले सत्र में भी, माननीय शिक्षा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, इनसे निवेदन किया था कि बीकानेर जिले की कोलायत तहसील बीकानेर से 60 किलोमीटर दूर है, कोलायत से आगे भारत-पाक अन्तरराष्ट्रीय सीमा तक करीब 150 किलोमीटर का क्षेत्र है, जहां बहुत भारी आबादी निवास करती है और 200 किलोमीटर लम्बा कोलायत विधान सभा क्षेत्र है, इस पूरे कोलायत विधान सभा क्षेत्र में एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे निवेदन को दरकिनार करते हुए माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने यह कहकर अपनी बात समाप्त की कि इन कालेजों को बंद नहीं किया गया है, इन सरकारी महाविद्यालयों की समीक्षा की जा रही है और सरकार के द्वारा एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति बनायी गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि 14 माह का समय बीत जाने के बावजूद अभी तक समीक्षा नहीं हुई है और बीकानेर जिले के इन तीनों सरकारी महाविद्यालयों को बंद करने से सीमावर्ती क्षेत्र में शैक्षणिक वातावरण बिगड़ता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोलायत शिक्षा की दृष्टि से पहले से ही पिछड़ा हुआ है और सरकारी महाविद्यालय के नहीं खुलने

(श्री भंवरसिंह)

से कोलायत में शैक्षणिक वातावरण बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गांव का आम आदमी, गरीब आदमी बीकानेर शहर से आकर अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को पढ़ाने की सामर्थ्य नहीं रखता है। अभी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा-पत्र है उसमें यह लिखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा और प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक राजकीय महाविद्यालय खोला जाएगा, एक सरकारी महाविद्यालय खोला जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां सरकार ने एक तरफ ये सरकारी महाविद्यालय बंद करने के आदेश किये हैं, वहीं दूसरी तरफ पिछले बजट में ही बडी संख्या में सरकारी महाविद्यालय खोले गये हैं। अभी देवगढ़ से पधारे हुए और बायतू से पधारे हुए माननीय विधायक महोदय ने मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दिया कि उनके विधान सभा क्षेत्र में सरकारी महाविद्यालय खोले गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि 2013 में जो सरकारी महाविद्यालय खोला गया उसको तो बन्द किया जा रहा है और 2014 में जहां सरकारी महाविद्यालय नहीं खोले थे वहां नये सरकारी महाविद्यालय खोले दिये गये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा और विकास के मामले में सरकार को भेदभाव को नहीं बरतना चाहिए। कोलायत में आज कांग्रेस पार्टी का विधायक जरूर जीता है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा की दृष्टि से कोलायत बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बहुमत से है और सरकार को सभी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने में भेदभाव नहीं करना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन रहेगा कि अभी जो बजट पेश किया जाएगा उसमें कोलायत में सरकारी महाविद्यालय को स्वीकृति पुन: प्रदान की जाए। हालांकि इसकी स्वीकृति दी गयी है लेकिन सरकार यदि अपनी छाप रखना चाहती है तो मेरा निवेदन रहेगा कि कोलायत के सरकारी महाविद्यालय को इस 2015 के शैक्षणिक सत्र में चालू करने के लिए स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) आपसी चर्चा नहीं करें। माननीय कृषि मंत्रीजी, यह आपसी चर्चा नहीं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) : मेरा आपसे पुन: निवेदन रहेगा कि शिक्षा मंत्री कोलायत के, खाजूवाला और डूंगरगढ़ के सरकारी महाविद्यालयों को चालू करने के बारे में अपना जवाब प्रस्तुत करें। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : आप आपसी चर्चा मत करें। माननीय शिक्षा मंत्री जी।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पिछली सरकार ने चुनाव से पहले झूठी वाहवाही लेने के लिए बिना बजटीय प्रावधान के...(व्यवधान) सुन तो लो, भाई। सुन लो पहले पूरी बात।

42 महाविद्यालयों को सत्र 2013-14 में शुरू करने की घोषणा बजट में की थी। उनमें से 27 महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य प्रारम्भ हो गया था। शेष 15 महाविद्यालयों में से 4 महाविद्यालयों की घोषणा पिछले बजट में आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने बजटीय प्रावधान करके कन्या, धौलपुर राजगढ़, बाडी और देवगढ़ यहां महाविद्यालय शुरू करने की घोषणा कर दी थी। अब 11 महाविद्यालय इस प्रकार के हैं जहां क्योंकि बजट का प्रावधान नहीं था इसलिए घोषणा रोक ली गयी थी। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने सरकार बनने के बाद मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन किया और जो पिछली सरकार ने लास्ट के 6 महीनों में निर्णय किये थे, उनकी समीक्षा के लिए उस उप समिति को यह अधिकार दिया था कि वो समीक्षा करे। ये जो 11 महाविद्यालय हैं वो मंत्रिमण्डलीय उप समिति में समीक्षा के लिए पैण्डिंग हैं और जैसे ही वहां से निर्देश आएगा तो वहां पर महाविद्यालय प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नियम 295 के अन्तर्गत श्री हनुमान बेनीवाल। (व्यवधान) यह सवाल-जवाब नहीं हो सकता, जवाब आ गया है। विराजिये। आप बैठिये। नहीं, नहीं, बैठिये आप। सवाल-जवाब नहीं होगा।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, 14 महीने हो गये, समीक्षा कब तक चलती रहेगी? अध्यक्ष महोदय, निवेदन रहेगा कि यह शिक्षा का मामला है, कोलायत में सरकारी महाविद्यालय खोलना बहुत ही जरूरी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, जवाब आ गया है। सवाल-जवाब नहीं होगा। नहीं होगा। सवाल-जवाब नहीं होगा। आप बैठिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : मैं तो बोलूं, मेरा ही तो नाम लिया है आपने।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम लिया है क्या, सारी। मैं सोचा, ये और ही बोल रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : थोड़ी कृपा रखा करो मेरे पर।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमान बेनीवाल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

नागौर की कतिपय पंचायत समितियों को डार्क जोन घोषित करने से उत्पन्न समस्याएं

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के तहत जिला नागौर की पंचायात समिति नागौर, मूण्डवा एवं मेड़ता में घोषित डार्क जोन क्षेत्र से पंचायत समिति खींवसर के ग्रामों को बाहर घोषित करने हेतु आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004 में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा जिला नागौर की पंचायत समिति नागौर, मूण्डवा एवं मेड़ता में तहसील स्तर पर सर्वे करवाकर डार्क जोन घोषित किया गया था। पंचायत समिति खींवसर के ग्रामों के कुओं में भू-जल स्तर में कोई गिरावट नहीं आयी है। विधान सभा क्षेत्र खींवसर में वर्ष 2004 से पूर्व खुदे हुए ट्यूबवैल एवं कृषि कुओं में कृषि विद्युत कनेक्शन लेने में भारी कठिनाई आ रही है। तहसीलदार एवं पटवारियों द्वारा वर्ष 2004 से पूर्व की रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट करने के नाम पर किसानों से एक लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक लेकर भारी भ्रष्टाचार कर शोषण किया जा रहा है।

जिला नागौर में स्थानीय जनता का जीवन-यापन का एक मात्र साधन खेती ही है और खेती करने हेतु नहरी इलाका नहीं होने के कारण सिंचाई हेतु एक मात्र साधन ट्यूबवैल एवं कृषि कुए ही हैं।

वर्ष 2004 में डार्क जोन क्षेत्र घोषित होने के कारण वहां के निवासियों को कृषि कुए एवं ट्यूबवैल में कृषि कनेक्शन हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सरकार द्वारा किसानों को किसी भी प्रकार की सहायता अथवा अनुदान भी नहीं मिल पा रहा है।

गत 11 वर्षों से पंचायत समिति मूण्डवा, नागौर एवं मेड़ता तथा नवसृजित पंचायत समिति खींवसर के ग्रामों के भू-जल स्तर में कोई गिरावट नहीं आयी है, इसके बावजूद उक्त क्षेत्र को डार्क जोन क्षेत्र घोषित कर रखा है।

मेरे अनुरोध पर वर्ष 2012 में तत्कालीन भू-जल मंत्री द्वारा जिला नागौर की पंचायत समिति नागौर, मूण्डवा एवं मेड़ता में भू-जल स्तर की

(श्री हनुमान बेनीवाल)

समीक्षा एवं सर्वे हेतु एक समिति का गठन किया गया था, परन्तु अत्यन्त ही क्षोभ एवं खेद के साथ निवेदन कर रहा हूं कि उक्त समिति की न तो आज तक कोई बैठक हुई और न ही कोई रिपोर्ट पेश की गयी।

नागौर जिले के उक्त क्षेत्र में निवासियों के जीवन-यापन का एक मात्र साधन खेती ही है जहां पर नकदी फसलें जैसे जीरा, ईसबगोल, कपास, मूंगफली एवं सरसों की खेती बहुतायत से की जाती है तथा जीरा एक मुख्य फसल के रूप में होता है।

उक्त क्षेत्र के डार्क जोन क्षेत्र घोषित होने के कारण वहां के किसानों के सामने रोजी-रोटी एवं जीवन-यापन का गम्भीर संकट पैदा हो गया है जिसके कारण वहां के किसान अन्यत्र पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके एवं सदन के माध्यम से सदन, माननीय मुख्य मंत्री एवं भू-जल मंत्रीजी तथा किसानों के हित को प्राथमिकता देने वाली सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर जिले की नवसृजित पंचायत समिति खींवसर में पुन: भू-जल स्तर का सर्वे करवाकर किसानों को एवं स्थानीय जनता को राहत पहुंचाने के लिए कम से कम 700 फीट स्तर तक के भू-जल क्षेत्र को डार्क जोन क्षेत्र से बाहर घोषित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रमेश चन्द मीणा।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 बी का निम्न स्तरीय निर्माण

श्री रमेश (सपोटरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि करौली शहर में लालसोट से करौली और करौली से धौलपुर तक एनएच-11बी सड़क का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। पहले से बनी सड़क को खोद दिया जिससे करौली शहर से गुजरने वाले एनएच-11बी पर 24 घंटे धूल उड़ती रहती है और पूरे करौली शहर का वातावरण प्रदूषित हो गया है। पैदल एवं दुपहिया चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। कई स्थानों पर पानी भरने से कीचड़ हो गया है। इस सड़क का कार्यादेश दिये हुए एक वर्ष का समय हो गया है और जगह-जगह पुरानी सड़क को खोद दिया गया है। वर्तमान में एनएच-11बी का कार्य दो माह से बन्द है। गंगापुरसिटी से धौलपुर तक फर्म द्वारा बाइपास की कोई व्यवस्था नहीं करने से रोजाना वाहनों का जाम लगा रहता है। सड़कों का काम्पैक्शन कार्य

(श्री रमेश)

नियमानुसार नहीं करने से रात्रि में भारी वाहन फंसने से जाम लग जाता है। कई स्थानों पर अतिक्रमण और पेड़ भी नहीं हटाये गये हैं।

लालसोट से धौलपुर तक एनएच-11बी पर वाहनों का भार बहुत अधिक है। सड़क कार्य सुव्यवस्थित तरीके से नहीं होने और मानिटरिंग के अभाव में कार्य निम्न स्तर का रहा रहा है। इसमें स्थानीय कच्चे सैंड स्टोन का प्रयोग हो रहा है जिसकी इम्पैक्ट वैल्यू कम है। WMM का कार्य WBM की तरह हो रहा है और कहीं भी काम्पैक्शन का कार्य मानकों के अनुसार नहीं हो रहा है। अर्थ वर्क का कार्य लेयर-बाई-लेयर, निर्धारित थिकनैस के अनुसार नहीं हो रहा है। स्थानीय मिट्टी की PI वैल्यू अधिक होने से सड़क फटना निश्चित है। मिट्टी और सैंड स्टोन के लिए फील्ड टैस्ट लेबोरेटरी नहीं है। सम्पूर्ण अनियमितताएं इंजीनियरों की मिलीभगत से हो रही हैं एवं इसमें करोड़ों का घोटाला है। एप्रूव्ड माइंस के बजाय क्षेत्र के कच्चे पत्थर का उपयोग हो रहा है। स्टोन, मेसनरी में जी-शिड्यूल के अनुसार काम नहीं हो रहा है। पूरा काम 1:15 के अनुपात में हो रहा है। सैंड की क्वालिटी ठीक नहीं है। पोली चुनाई, छोटे-छाटे पत्थरों एवं कच्चे पत्थर का उपयोग हो रहा है और प्रापर क्योरिंग नहीं हो रही है। आरसीसी में लोकल लोहे एवं हैवी वेट का स्टील काम में लिया जा रहा है। पुलियाओं का निर्माण कार्य निम्न स्तर का है। बाइपास की व्यवस्था नहीं है। तराई का कार्य नहीं हो रहा है और पुलियाओं की जगह को खोदकर छोड़ने से भारी परेशानी हो रही है।

गंगापुर सिटी से करौली कार्य भी निम्नस्तरीय है। पूरा कार्य घोर कुप्रबंधन एवं पुअर वर्कमैनशिप से ग्रस्त है। लोकल कच्चे पत्थर का उपयोग हो रहा है। कार्य जी-शिड्यूल के अनुसार नहीं हो रहा है। फर्में मनमानी कर रही हैं। लालसोट-करौली का कार्य दिलीप बिल्डकान और करौली-धौलपुर का कार्य एनएचआई द्वारा करवाया जा रहा है। दोनों ही कार्यों की क्वालिटी बहुत घटिया है। सडक बनने के साथ-साथ समाप्त हो रही है। बीस वर्षो बाद एनएच-11बी के लिए जो मुश्किल से पैसा मिला, वह सड़क दो साल में ही खतम हो जाएगी। अगले मार्च महीने में कैलादेवी का मेला लगने वाला है जिसमें लाखों की संख्या में यात्री आते हैं। यदि इस सड़क का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से नहीं हुआ तो इनकी संख्या में कमी आएगी और जो आएंगे उनको भी धूल और टूटी सड़क से काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान रोडवेज की बसों में यात्री भार कम होगा तो उसे भी हानि होगी।

(श्री रमेश)

अत: राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस सड़क की जांच करवाएं और अनियमितता करने वाले इंजीनियरों के विरुद्ध कार्यवाही हो। सड़क निर्माण मानदण्डानुसार गुणवत्तायुक्त एवं जी-शिड्यूल के अनुसार होना सुनिश्चित करें।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्दजी पारख।

दुर्घटना में मृतक को दी जाने वाली सहायता राशि में विसंगति

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि मैं राज्य सरकार के समक्ष विभिन्न योजनाओं में विसंगतियों की वजह से उत्पन्न हो रही परेशानियों की जानकारी दे रहा हूं।

दुर्घटना में मृतक के परिजनों को पूर्व में मुख्य मंत्री सहायता कोष से दस हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती थी, जिसे बाद में बढ़ाकर बीस हजार रुपये एवं उसके बाद पचास हजार रुपये कर दिया गया, जबकि अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृतक के परिजनों को शुरू से ही पच्चीस हजार रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। ज्ञात वाहन से मृतक के परिजनों को सहायता राशि पांच गुना बढ़ गयी जबकि अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृतक के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी नहीं की गयी। साथ ही ज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृतक के परिजनों को माननीय न्यायालय द्वारा दावा राशि भी दिलवाई जाती है, जबकि अज्ञात वाहन से मृतक के परिवारों को दावा राशि नहीं मिलती है। ज्ञात वाहन से मृतक के परिजनों को सहायता राशि तत्काल मिल जाती है जबकि अज्ञात वाहन से मृतक के परिजनों को सहायता राशि पुलिस द्वारा प्रकरण की अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के बाद ही मिलती है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि अज्ञात वाहन से मृतकों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि में भी पांच गुना बढ़ोतरी की जाए एवं इसका कुछ हिस्सा तत्काल ही मृतक के परिजनों को दिया जाए।

दूसरा, दुर्घटना में मृतक के पोस्टमार्टम करवाने की आवश्यकता को माननीय न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया था परन्तु मुख्य मंत्री सहायता कोष से लाश अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में ही पोस्टमार्टम नहीं कराये जाने पर ही सहायता राशि दी जाती है, अन्यथा पोस्टमार्टम करवाने

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

पर ही सहायता राशि दी जाती है। अन्य प्रकरणों में सहायता राशि नहीं दी जाती है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि दुर्घटना में प्रत्येक मृतक चाहे उसके परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया है, आवेदन करने पर सहायता राशि दी जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

डूंगरगढ़ में किसानों से वीसीआर के नाम पर अवैध वसूली

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा किसानों से वीसीआर के नाम पर अवैध तरीके से पैसा वसूल किया जा रहा है। इसकी समय-समय पर शिकायतें भी की गयी थीं, किन्तु अभी तक कोई कार्रवाही नहीं की गयी।

विगत कुछ समय से जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा मेरे क्षेत्र के किसानों को वीसीआर के नाम पर डरा-धमकाकर भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है एवं किसानों से रिश्वत के रूप में मोटी रकम ऐंठी जा रही है। जो किसान निगम अधिकारियों के भ्रष्ट प्रस्तावों पर सहमत नहीं होते हैं, उनके मनमाने ढंग से 10-10 लाख रुपये से भी अधिक की वीसीआर भरकर प्रताड़ित किया जा रहा है। अत: वीसीआर की पुन: समीक्षा करवाकर, उचित निस्तारण करवाकर एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के साथ ही भविष्य में ऐसी मनमानी कार्रवाइयों पर प्रभावी अंकुश हेतु जन हित में आवश्यक कदम उठाने की व्यवस्था करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में किसान खेतों पर मकान बनाकर रहते हैं, लेकिन कुछ समय से किसानों को खेतों पर सिंगल फेज विद्युत सप्लाई बंद कर देने से, विद्युत सप्लाई के अभाव में छात्र/छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हस्तक्षेप कर किसानों के खेतों पर बने मकानों के लिए सिंगल फेस विद्युत सप्लाई दिलवाने के आदेश प्रदान करें।

(श्री किशनाराम)

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से नियम 295 के तहत माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से अनुरोध है कि आप किसानों की उपरोक्त समस्याओं का समाधान करवाये जाने की व्यवस्था करें, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, फसल पूरी पाट पर है। बहुत अन्याय हो रहा है, इस वास्ते मंत्रीजी को थोड़ा आदेश देकर आप कहें कि वह डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र को सम्भालें।

श्री अध्यक्ष : हो गया। सब लिख दिया आपने।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़) : बहुत बड़ा अन्याय है।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल सम्भालेंगे। आदेश दे देंगे। श्रीमती शिमला बावरी (अनुपस्थित)।

डाक्टर गोपाल जोशी (अनुपस्थित)। श्री सुरेन्द्र पारीक।

राज्य में बढ़ती गौकशी की घटनाएं

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव करते हुए निवेदन है कि मुहाना मंडी के गेट पर दिनांक 25 फरवरी, 2015 को खड़े तिरपाल से ढके ट्रक में 28 गौवंश की दम घुटने से मौतें होने से स्थानीय निवासियों में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। गत वर्ष भी इसी प्रकार जयपुर में गौवंश को ले जा रहे ट्रक को स्थानीय निवासियों ने मौके पर पकड़ा था। इस प्रकार की घटनाएं निरन्तर हो रही हैं क्योंकि सरकार द्वारा ऐसे मामलों में कठोरता से कार्रवाई नहीं की जाती है।

यही नहीं, राज्य के मेवात क्षेत्र में खुले जंगलों में बड़े पैमाने पर ठेके पर गौवंश की हत्या करने का गोरखधंधा फल-फूल रहा है। इस क्षेत्र में गौ-मांस ''चिल्लर'' की सब्जियों एवं बुरादे की आड़ में ट्रकों में भरकर दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। मेवात क्षेत्र में गौकशी का धंधा नया नहीं है, लेकिन राज्य सरकार की अनदेखी और पुलिस की मिलीभगत से अब इसने उद्योग का रूप ले लिया है। कुछ साल पहले तक राज्य भर से गौकशी के लिए गौवंश खरीदकर राज्य की उत्तर-पूर्वी सीमाओं से बाहर ले जाया जाता था और वहां गौकशी की जाती थी। लेकिन अब तो गाय काटने का काम भी अलवर और भरतपुर जिलों के सीमाई इलाकों में होने लगा है। भरतपुर के जुरहरा, पहाड़ी, गोपालगढ़, सीकरी क्षेत्र और अलवर के तिजारा, किशनगढ़ बास, टपूकड़ा, कोटकासिम, नौगांव, मुबारिकपुर, पडासली, रसगण,

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

सक्का का बास, आंधाका एवं रामगढ़ के बीहड जैसी जगहें धंधे में लिप्त लोगों के लिए पसंदीदा जगह बन गयी हैं।

श्री अध्यक्ष : सार्वजनिक निर्माण मंत्री, मेरी सीधी नजर आप पर पड़ रही है, इसलिए आप तो कम से कम आपसी चर्चा नहीं करें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : इन स्थानों पर स्थानीय लोगों के ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो 15-20 हजार रुपये की मजदूरी में राज्य के विभिन्न हिस्सों से खरीदकार लाये गये मवेशियों को जंगल में ले जाकर काटने और मांस एवं खाल को ट्रकों में भरने का काम करते हैं। मांस पर सब्जियां या फिर केले के छिलके डालकर दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश तथा खाल को कानपुर एवं आगरा ले जाया जाता है। एक ट्रक चिल्लर में करीब सौ गायों का मांस आता है। खुर, सींग एवं पूछ को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी गौकशी करने वालों पर ही होती है। अत: इस सम्बन्ध में मैं गृह मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री सुखराम विश्नोई।

जालौर जिले में जीरा एवं ईसबगोल की खराब फसलों का मुआवजा

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव करते हुए मेरा निवेदन कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचोर में नर्मदा नहर से पिघले 4-5 वर्षो से सिंचाई हो रही है। जालौर जिले में जीरा एवं ईसबगोल की खेती प्रचुर मात्रा में होती है। गुजरात की ऊंझा मण्डी जालौर जिले के पैदा होने वाले जीरा व ईसबगोल पर निर्भर रहती है। जिला जालौर में कृषि मण्डी सांचोर, भीनमाल में जीरा एवं ईसबगोल की बहुतायत होती है। पूरा ईसबगोल व जीरा विदेशों में निर्यात होता है। इस वर्ष रबी की फसल में पश्चिमी हवा चलने से मौसम खराब रहने से जीरा में चिरमा बीमारी फैल गयी है तथा ईसबगोल की बाली काली पड़ गयी है जिससे जीरा एवं ईसब दोनों खराब हो गये हैं। किसान ने इतनी महंगी खेती तैयार की है व लाखों रुपये लगाये हैं, जीरा व ईसब खराब होने से किसान बर्बाद हो जाएगा। पश्चिमी हवा चलने से सवेरे-सवेरे नमी रहने से फसलों पर पानी आने से यह बीमारी आयी है।

मेरी सदन के माध्यम से मांग है कि किसानों को इस बीमारी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पटवारियों से सर्वे कराया जाकर मुआवजा दिया

(श्री सुखराम विश्नोई)

जाए ताकि किसान जो इस फसल खराब से आत्महत्या कर रहे हैं, उन्हें रोका जा सके। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती शिमला बावरी।

घड़साना को नगरपालिका का दर्जा

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 295 के तहत बोलने का मौका दिया इसलिए आपका धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में घड़साना को 2008 में माननीय वसुंधरा सरकार द्वारा नगरपालिका घोषित किया गया था। परन्तु शासन में आते ही कांग्रेस सरकार के द्वारा घड़साना को नगरपालिका का दर्जा समाप्त कर दिया गया जिसका लोगों ने विरोध किया था। यहां उपखण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, वन विभाग, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीनियर स्कूल, मुंसिफ न्यायिक कार्यालय, सिंचाई विभाग, पंचायत समिति कार्यालय, कृषि उपज मण्डी, विद्युत कार्यालय सहित अनेक राजकीय कार्यालय हैं और हजारों कर्मचारी यहां कार्यरत हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, घड़साना में अमर कालोनी, सुन्दर कालोनी, मेहताब कालोनी, जाट कालोनी, आमे कालोनी, भगतसिंह नगर-3, एसटीआर मगरसिंह कालोनी सहित अनेक कॉलोनी स्थित हैं जिनमें लगभग 40-50 हजार की आबादी है। यहां अनेक समस्याएं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय घड़साना आज से लगभग 50-60 वर्ष पुराना बसा हुआ है जिसे ग्राम पंचायत का दर्जा है। पूर्व में भी जन प्रतिनिधियों व आमजन द्वारा घड़साना को नगरपालिका बनाने की मांग की गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि घड़साना को नगरपालिका बनाने से आम जनता की कई परेशानियों का समाधान हो सकता है। घड़साना में कच्ची बस्तियों के आवासीय पट्टों की समस्या, पानी के निकास की समस्या आदि का समाधान हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ण आशा है, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि घड़साना को यथाशीघ्र नगरपालिका बनाकर जनता को नई सौगात प्रदान करे और सुराज शासन का सपना पूरा हो ताकि इससे जनता को अनेक समस्याओं से निजात मिले। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : डा. गोपाल जोशी।

बीकानेर शहर में कोट गेट रेलवे गेट के ऊपर एलिवेटेड रोड का निर्माण

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि हमारे बीकानेर में कोटगेट से के.ई.एम. रोड बीकानेर का मुख्य बाजार है एवं यहीं से सभी बड़े कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों व अस्पतालों (पी.बी.एम. अस्पताल) के लिए रास्ता जाता है। कोटगेट रेलवे गेट के बार-बार बंद होने व आवागमन के लिए अन्य कोई वैकल्किप रास्ता न होने के कारण यहां दिन में कई बार जाम की स्थिति लग जाती है जिससे निकलने में काफी समय लगता है। यह हमारे बीकानेर के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है।

इसके समाधान के लिए कई मीटिंग, अभियान एवं धरने चलाये जा चुके हैं। इसके कुछ वैकल्पिक उपाय भी सम्बन्धित अधिकारियों, व्यापारियों व लोगों द्वारा बताये जा चुके हैं। इनमें से ऐलीवेटेड रोड या रेल बाइपास ही श्रेष्ठ होगा। रेलवे अण्डरब्रिज से बरसाती दिनों में पानी की निकासी की समस्या होगी जो कि अपने आप में एक चुनौती है एवं जगह कम होने एवं सड़कें चौड़ी नहीं होने के कारण अण्डरब्रिज व ओवरब्रिज भी नहीं बन सकते। ओवरब्रिज बनने से मुख्य बाजार नष्ट होने के कारण यह उचित समाधान नहीं होगा। इस सम्बन्ध में पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय श्री भैरोसिंहजी व तत्कालीन रेल मंत्री श्री जाफर शरीफजी ने बीकानेर का दौरा साथ-साथ किया था व माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बाइपास के लिए जमीन देने हेतु सहमति जतायी थी। परन्तु वह क्रियान्वित नहीं हुई। इसलिए हमारे द्वारा कई गणमान्य लोगों से इस बारे में विचार विमर्श व राय जानने के बाद एवं गहनता से विचार करने पर ऐलीवेटेड रोड या रेल बाइपास का उपाय सर्वोत्तम होगा। बीकानेर की इस दयनीय समस्या को गम्भीरता से लेते हुए इस पर अतिशीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार।

सूरजगढ़ में नवनिर्मित सड़कों का तीन माह में ही क्षतिग्रस्त हो जाना

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में 2013-14 में कुहाड़वास से काजला सड़क बनायी गयी थी, वह सड़क 2014 में तीन माह में ही टूट गयी है। मैंने बार-बार जिला कलक्टर, अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को अवगत कराया किन्तु अभी तक कोई कार्य चालू नहीं हुआ है। एक सड़क सिंघाणा से

(श्री श्रवण कुमार)

बुहाणा 2014-15 में बनायी गयी थी जो तीन माह में ही टूट गयी। आज तक बार-बार इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वह सड़क पुन: बनवाई जाए। इस प्रकार की सड़कों का निर्माण मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में 34 साल में नहीं देखा जो तीन माह में टूट जाएं। वहां के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज भी लोगों में बड़ा आक्रोश है कि इतनी जल्दी सड़कें टूटी हैं। मैं यही समझता हूं कि सरकार का नियंत्रण नहीं है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उक्त सड़कों का कार्य तत्काल चालू कर जनता को तत्काल रिलीफ देने का श्रम करें क्योंकि पैसे का भुगतान हो चुका है। नौकरशाही हावी होती जा रही है तथा सरकार का अपने अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश सिंह रावत।

अजमेर से पुष्कर के मध्य सुरंग निर्माण

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) : महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में तीर्थराज पुष्कर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। तीर्थराज पुष्कर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं। वर्तमान में जो अजमेर से पुष्कर का मार्ग है, वह पहाड़ी क्षेत्र और दुर्गम घाटी का रास्ता है। उक्त रास्ते में हमेशा जाम लगा रहता है और रास्ता खराब होने से दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं।

वर्तमान में अजमेर से पुष्कर की दूरी 11 किलोमीटर है, अगर इस मार्ग में सुरंग का निर्माण कर दिया जाता है तो दूरी भी एक किलोमीटर कम होगी, दुर्गम घाटी से निजात मिलेगी और आवागमन भी सुगम होगा। इसके अतिरिक्त उक्त मार्ग पर चलने वाले वाहनों में पैट्रोल और डीजल की खपत भी कम होगी। उक्त मार्ग पर जो सुरंग बनाई जानी है वह 1.88 हैक्टेयर वन भूमि से निकलेगी जिसके लिए वन विभाग से अनुमति आवश्यक थी। इस बाबत भारत सरकार के लखनऊ वन विभाग से पत्र क्रमांक 8 बी/9/1601/97 एफसी/323 दिनांक 26.6.1998 द्वारा स्वीकृति ली हुई है। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर के यहां से भी 24.2.1997 को 7 करोड़ 5 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी हो चुकी थी, लेकिन आज तक इस सुरंग का निर्माण कार्य नहीं होने से

(श्री सुरेश सिंह रावत)

स्थानीय लोगों और पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि उक्त मार्ग पर सुरंग का निर्माण हो जाता है तो पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि होने की सम्भावना है।

अत: मेरा माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से इस प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि उपरोक्त स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उक्त मार्ग पर सुरंग निर्माण कराने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश देने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आपने पढ़ लिया है उतना ही काफी है। श्री कैलाश भंसाली (अनुपस्थित)। श्रीमती गोलमा (अनुपस्थित)।

पर्ची के माध्यम से अब मैं बोलने के लिए बुला रहा हूं। आज तो आपने एक लाइन में दिया है, कल बहुत विस्तृत जवाब, जो आप बोलना चाहते हैं विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की खराब सड़कों के सम्बन्ध में, इसका बहुत विस्तृत आपको दिया जा चुका है और 54(1) के तहत दूसरी बार यह नहीं लिया जा सकता। इसलिए मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। बहुत विस्तृत आ गया जवाब। वो ही सड़कों का है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जवाब ही असत्य है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जो जवाब दिया गया है वह असत्य है। एक कमेटी गठित की जाए। आपसे मेरी एक प्रार्थना है, एक सेकण्ड सुन लो। टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र की रोडों के लिए मंत्री महोदय से निवेदन है, इन्होंने पिछले बजट भाषण में भी कहा था...

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : मेरी प्रार्थना है, सुनो तो सही। बजट भाषण में कहा था, एक कमेटी का गठन करेंगे, एक महीने में रिपोर्ट देंगे। आज तक न कोई कमेटी का गठन हुआ है न एक रुपये का कोई काम किया गया है। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : कल यही प्रश्न आ चुका है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : यह बिलकुल असत्य है।

श्री अध्यक्ष : यह असत्य है तो आप किसी प्रक्रिया के अन्तर्गत आएं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल असत्य जवाब है। विभाग ने असत्य रिपोर्ट प्रेषित की है।

श्री अध्यक्ष : यह कल आ चुकी है, असत्य है तो आप किसी प्रक्रिया से लाइये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : नहीं, इसी वजह से मैंने यह पर्ची के माध्यम से लगाया है। मेरी आपसे प्रार्थना है, एक मिनट, मंत्री महोदय से यह पूछा जाए कि यह असत्य जवाब विभाग ने क्यों दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप किसी प्रक्रिया से कीजिये न। विशेषाधिकार हनन कीजिये। कई प्रक्रियाएं हैं यहां गलत सूचनाएं आती हैं तो। लेकिन जो विषय कल आ चुका है, विस्तार से उस पर आज बोलने की मैं इजाजत नहीं दूंगा। श्री छोटू सिंह।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : आ चुका पर, साहब, स्टेट हाइवे जो सड़कें हैं उन सड़कों का नाम नहीं है। एक साल से, मंत्री महोदय ने पिछली बार यह कहा था...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलिये छोटू सिंह जी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जैसलमेर की गम्भीर पेयजल समस्या

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जैसलमेर की पानी की विकट समस्या के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दो साल से जैसलमेर जिला और विशेषकर मेरा क्षेत्र अकाल की स्थिति से जूझ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पेजजल के ट्यूबवैल भी हैं और नहरी क्षेत्र से भी पानी आता है। जैसलमेर में सर्किल डिवीजन है, एसई का हैडक्वार्टर है। वहां तीन एक्सईएन बैठते हैं चार-पांच एईएन हैं, लेकिन जेईएन केवल दो हैं और क्षेत्रफल वाला भी कम से कम 25-30 हजार स्क्वायर मील का एरिया है। एक सब डिवीजन के अन्दर एक-एक भी जेईएन उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो वर्कचार्ज स्टाफ था वो वर्कचार्ज स्टाफ इन पांच-सात सालों में जैसे-जैसे सेवानिवृत्त हो गया, चाहे पंप ड्राइवर हो, चाहे फिटर हो, चाहे लाइनमैन हो, जितना कम हुआ, टोटल कम होता गया। आज स्थिति यह है कि पाइपलाइन की दूरी तीस-तीस किलोमीटर, वो कहीं भी डैमेज हो जाएं, पंप ड्राइवर या फिटर ठीक करने के लिए वहां पहुंच नहीं सकता है।

(श्री छोटू सिंह)

उसके साथ समस्या दूसरी और भी है कि हमारे जितने भी पेयजल टयूबवैल हैं, उनकी बिजली सप्लाई पांच-छह घंटे से ज्यादा नहीं है क्योंकि वो कृषि लाइन से जुडा हुआ है, अलग उनकी कोई भी लाइन नहीं लगी हुई है। इसलिए इस क्षेत्र को देखते हुए हर पेयजल टयूबवैल को, माननीय मंत्रीजी विराजे हैं, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि पेयजल टयूबवैल को चौबीस घंटे लाइट से जोड़ा जाए। यदि नहीं जुडता है तो आज भयंकर अकाल की स्थिति को देखते हुए इन्होंने अस्थायी तौर पर हमारे टैंकर भी लगाये हैं, लेकिन टैंकर में एक आदमी को चौबीस घंटे में केवल दस लीटर पानी दिया जा रहा है। क्या दस लीटर एक आदमी के लिए चौबीस घंटे में पानी पर्याप्त हो सकता है? यह पूरा स्टाफ, सदन के पूरे माननीय सदस्य बैठे हैं, जैसलमेर जैसे क्षेत्र में दस लीटर पानी कैसे पर्याप्त रह सकता है।

इसके साथ में हमारा क्षेत्र सारा पशुपालन क्षेत्र है, उसके अन्दर भयंकर अकाल की स्थिति देखते हुए आज भी चारे और पानी की भयंकर समस्या है। टैंकर पानी पहुंचाता है, दस लीटर आदमी को तो देता है लेकिन पशुओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई वाटर सप्लाई नहीं है। ट्यूबवैल पंप खराब होने से या किसी कारणवश खराब होने से दस-दस दिन तक वो सुचारु रूप से चल नहीं सकता है। इस समस्या को देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भूभाग में आलरेडी पानी है, कुदरत ने यह मेहरबानी हमें की है, जैसा भी है, फ्लोराइड है, कुछ खारा पानी जैसा भी है, हम चाहते हैं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री विराजे हुए हैं, कि जितना हो सके, क्षेत्रफल की दृष्टि को देखते हुए, पाइपलाइनों की दूरी को देखते हुए हर गांव या हर पंचायत में टयूबवैल खोदा जाए या हैंडपंप खोदा जाए तो उस समस्या का निस्तारण किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : एक मिनट। आधा मिनट और, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, एक मिनट।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : दूसरा निवेदन, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि 245 आर डी का काम आज सात साल में लिंगर-आन चल रहा है।

(श्री छोटू सिंह)

जिस ठेकेदार, जिस कम्पनी ने काम लिया है, अधूरा छोड़ कर लम्बा लिंगर-आन कर दिया है। अधिकारियों की लापरवाही है, पूर्ववर्ती सरकार की लापरवाही है। वो काम आज तक पूर्ण नहीं हुआ है। नहर में जब सप्लाई पूर्ण है, हमें पेयजल के लिए सप्लाई क्यों नहीं हो रही है? पहले भी 171 गांवों को नहीं हुआ, भेदभावपूर्ण नीति रही। फर्स्ट फेज वाले को सैकिंड फेज किया। आज हम चाहते हैं कि बाकी रहे हुए 171 गांवों के अलावा भी जो गांव हैं, आलरेडी नहर से सप्लाई पानी की हो रही है, नई योजनाएं जो मैंने लिख कर दी हैं आदरणीय मंत्रीजी को, हमारे दूसरे जो भी बचे हुए गांव हैं उनको टयूबवैल से और नहर क्षेत्र के पेयजल से जोड़ा जाए।

साथ में भयंकर समस्या अभी पशुपालन के चारे और पानी की है। नब्बे दिन तक यह योजना चली और सब गांवों में चारे-पानी की व्यवस्था रही, लेकिन आज की तारीख में वो बंद है। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, अकाल राहत मंत्री और पेयजल मंत्री विराजे हैं, आप जैसलमेर क्षेत्र को देखते हुए, जैसलमेर की जनता पर राहत करते हुए पानी और चारे की सप्लाई सुचारु करने की व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आप बोलेंगी? बोलिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर से आने वाले हमारे माननीय विधायक छोटूसिंहजी की बात बहुत सही है कि जैसलमेर भूभाग की दृष्टि से बहुत ही बड़ा जिला और उसमें वास्तव में पेयजल का बहुत बड़ा संकट है। उनका यह कहना बहुत सही है कि हम लोगों को पेयजल के सम्बन्ध में बहुत कुछ जैसलमेर के लिए देना है। इसके लिए योजनाएं जो अभी इन्होंने कहा जैसे कि जेईएन उपलब्ध नहीं है, तो उसकी हम लोगों ने आपको जानकारी में दे दिया था। पूरे राजस्थान में जो पूर्व में जेईएन थे, उन सबका प्रमोशन कर दिया था, इससे वो एईएन हो गये। जेईएन के जो पद रिक्त पड़े हैं, उनके लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परीक्षाएं हो चुकी हैं, उसका रिजल्ट आने के बाद में उनको जब सलैक्ट हो जाएंगे तो पोस्टिंग भी दे दी जाएगी। उसको भी हम लोग जितना जल्दी कर सकते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं।

साथ ही आपने जैसे कहा, आपके यहां जो हैंडपंप्स हैं उनके बारे में भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूं। जैसलमेर में कुल जो आप लोगों के यहां पर हैंडपंप्स हैं, वो सभी क्रियाशील हैं। इसके अलावा आपके जो

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

ट्यूबवैल्स हैं, वो भी सारे क्रियाशील हैं। कुछ हैंडपंप्स और ट्यूबवैल्स जो खराब पडे हैं, उनकी ठीक होने की प्रक्रिया चल रही है। इस बार में मीटिंग आप स्वयं भी थे, उस समय यह हुआ है और उसमें काम चल रहा है। आप भी उसके लिए संतुष्ट थे। और पेयजल परिवहन भी प्रारम्भ हो चुका है आपके यहां पर। आज की स्थिति में 52 ग्राम और 98 ढाणियों के अन्दर पेयजल का परिवहन किया जा रहा है, वह भी आपके यहां हो रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना जो है एनआरडीडब्ल्यूपी, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके माध्यम से भी दस करोड़ तियालीस लाख रुपये के आपके यहां पर काम हुए हैं। ये चाहें तो मैं इनको पूरी सूची भी उपलब्ध करवा दूंगी।

इसके अलावा, माननीय सदस्य जी का कहना है कि बिजली की सप्लाई मात्र 6-7 घंटे आ रही है जिसकी वजह से और भी जो पानी यूज होना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए डैडीकेटेड फीडर जो हमें लगाना है, उसका प्रस्ताव हमारे पास में विचाराधीन है। बहुत शीघ्र ही बजट की उपलब्धता के आधार पर हम उसे स्वीकृत करेंगे। इसलिए हम लोग पूरे तरीके से संवेदनशील हैं। जैसलमेर जिले में पेयजल की जो व्यवस्था है उसमें 171 गांवों की एक योजना हमारी बनी है, उस योजना को भी बहुत शीघ्र ही बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत करवाएंगे। साथ ही 177 गांवों के जो प्रोजैक्ट हैं, उनका काम चल रहा है। ठेकेदार धीरे काम कर रहा है। पूर्ववर्ती सरकार में जो ठेकेदार आये हैं, उनमें जो काम धीरे कर रहे हैं, आपके साथ में मीटिंग करके हमने उस काम को एक्सपीडाइट किया है। जल्दी से जल्दी उस काम को पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। जो नयी और योजना हम लोगों को लेनी है, उसके बारे में भी माननीया मुख्य मंत्रीजी से और आपसे चर्चा करके, माननीय विधायकजी से चर्चा करके उन गांवों को भी हम शीघ्र ही लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री अशोक डोगरा।

(13.00 बजे)

रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में आये बूंदी के गांवों में मूलभूत सुविधाओं का संकट

श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, 20 मई, 1982 को 33 साल पहले एक अधिसूचना जारी हुई जिसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र का 60

(श्री अशोक डोगरा)

परसेंट एरिया और मेरी चार पंचायतें-जावटी, नया गांव, भैरूपुरा ओझा और खटखड़ा और इसके अलावा दूसरी विधान सभाओं को मिलाकर करीब 44 गांव अभयारण्य में आ गये। जिसमें मेन-मेन हैं- खटखड़, खटियाड़ी, रजवास, अखेड़, बारवाल, झरवालापुरा, बदलेवपुरा, राताबड़ा, गणेशपुरा, गुढामकदूल, हरिपुरा, झावरा की झोपड़िया, भीमगंज, गुलखेड़ी। इस तरह कुल 44 गांव आ गये। 33 वर्षों से शहर के लिये तो हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी जब सुराज संकल्प यात्रा में आयी थीं, वहां उन्होंने वाद किया था और उसकी कार्यवाही चल रही है। शहर तो निकल जाएगा लेकिन इन 44 गांवों में न पीने के पानी के लिये कोई हैंड पम्प लगाने देता, कोई सड़क नहीं बनाने देता। वहां न तो डामर रोड बनती है, न सीसी रोड बनती है, न वहां ग्रेवल डालने देते फोरेस्ट वाले। लाइट के कोई नये कनेक्शन नहीं होने देते। 2011 से अमैंडमेंट कर दिया, उनकी प्रापर्टी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। उनको केसीसी पर लोन नहीं मिल रहा। किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं हो रहा, सब तरह के निर्माण कार्य बंद हैं। एक स्कूल 10वीं तक अपग्रेड हो गया, उसमें स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाने दे रहे। एक स्कूल में एक हैंडपम्प है, उसका पानी मैंने खुद भरकर पीएचईडी में चैक करवाया, वह पानी दूषित है लेकिन वहां हैंडपम्प नहीं लगाने देते। प्रधान मंत्री सड़क योजना में कुछ गांवों में सड़कें सैंक्शन हुई तो फोरेस्ट वालों ने एनओसी नहीं दी, वे नहीं बनने दीं। नरेगा का कोई काम नहीं चल रहा। जब से नरेगा योजना आयी, इन गांवों में फोरेस्ट वाले काम नहीं होने दे रहे। मेरा यह निवेदन है कि इन गांवों में जो लोग रह रहे हैं, उनको उचित मुआवजा दे कर अपन दूसरी जगह शिफ्ट कर दें या फिर जो मूलभूत सुविधाएं हैं- डामर रोड नहीं, सीसी रोड नहीं, कम से कम ग्रेवल रोड बना दें जिससे उनके आने-जाने का रास्ता हो। आज यह स्थिति है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो उसको चारपाई पर लिटा कर खाट को चार आदमी उठाकर 10 किलोमीटर आते हैं, तब उनको साधन मिलता है। आज किसी के घर में कोई बीमारी है, किसी को बेटी की शादी करनी है, वह अपनी एक बीघा जमीन बेच नहीं सकता, बैंक से लोन नहीं ले सकता। 33 साल से वे लोग नरक का जीवन जी रहे हैं। जो पुराने रास्ते थे उनमें जंगल उग गया, बबूल उग गया। वे जंगल कटाई नहीं करने देते। वहां मोटर साइकिल भी चलना मुश्किल हो गया। वहां के कुछ गुर्जर जाति के लोग, मीणा समाज के लोग, भील समाज के लोग, ऐसे

(श्री अशोक डोगरा)

लोग जो रोजाना दूध बेचने आते हैं, उनको मोटर साइकिल चलाने तक का रास्ता नहीं रहा, पूरा जंगल बन गया। न तो इनको मुआवजा देकर कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, न उनको कोई सुविधाएं दे रहे हैं1 यह बहुत गम्भीर मामला है। 44 गांवों का मामला है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि या तो इनको मुआवजा देकर शिफ्ट करें, यदि शिफ्ट नहीं करें तो जो मूलभुत सुविधाएं हैं, वे उपलब्ध कराएं। आप सीसी रोड मत बनाओ, ग्रेवल डलवा दें। उनके नरेगा के काम के लिये कार्यकारी संस्था फोरेस्ट को बना दें ताकि उन लोगों को रोजगार मिले। स्कूल में हैंडपम्प लगाने दें, लोग दूषित पानी पी कर रोज बीमार हो रहे हैं। मेरे पिछले पांच साल के कार्यकाल में एक हैंडपम्प के लिये 27 लाख रुपये विधायक कोष से दिये हुए वापस आ गये, फोरेस्ट वालों ने कोई काम नहीं होने दिया। लोग बिलकुल नरक में जी रहे हैं। एक तो मंत्री जी यह बता दें कि इनको कब तक सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे। दूसरा, बूंदी शहर का 60 परसेंट एरिया जो फोरेस्ट में है, जिसके निकलने के लिये सारी प्रक्रिया पूरी हो रही है, उसकी समय सीमा बता दें कि कितने दिन में बूंदी शहर को भी फोरेस्ट से मुक्त कर दिया जाएगा और उन गांव वालों को सुविधाएं दिला देंगे। आपके माध्यम से मंत्रीजी से मुझे यह जवाब दिलवा दीजिए, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आप रेस्पोंड कर रहे हैं?

श्री राज कुमार रिणवां (राज्य मंत्री, खान) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 20.10.1982 को रामगढ़ में वन्य जीव अभयारण्य का यह अधिनियम लगा दिया गया था, और आप तो जानते हैं कि यह जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्ट है उस पर स्टेट गवर्नमेंट का पूरा नियंत्रण नहीं है। इस पर नेशनल एक्ट लागू है, सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण है। यह हमारी मजबूरी भी है। हम जानते हैं कि वहां जो 45 गांव आ रहे हैं उन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी जब हमारे केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रीजी जयपुर पधारे थे, तब उनसे बात भी की थी। उसके बाद भी दो पत्र उनको लिखकर उनसे निवेदन किया है कि कम से कम मूलभूत आवश्यकताएं हैं- पानी है, बिजली है, ग्रेवल सड़क है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से इमसें हम आपकी मदद करेंगे। इसमें जो भी शिथिलता दी जा सकती है, वह शिथिलता हम आपको देंगे।

(श्री राज कुमार रिणवां)

जहां तक बूंदी का सवाल है, यह इनके लिये खुशी की बात है कि बूंदी का जो क्षेत्र 2200 में से पड़ता था, 600 के आस पास वन्य भूमि, उसके लिये नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्ट वालों का और स्टेट का, दोनों का अनुमोदन था, वह स्वीकार हो गया है। अब हमें नोटिफिकेशन जारी करना है, हम लगभग दो महीने में इनका वह क्षेत्र बाहर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट को कुछ इस तरह के आदेश मिले हैं कि हैंडपम्प वगैरह हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से लगा सकें। अगर वे शिफ्ट होना चाहें तो पहले भी काफी गांव शिफ्ट हुए हैं, उनके लिये मुआवजा राशि फिक्स है। अब वे उसका डबल मांग रहे हैं, तो उसके लिये हमने आगे लिखकर दिया है। अगर वे लोग उतना स्वीकार करते हैं तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो जिस समझौते से भी वे जाना चाहें, हम उनके लिये व्यवस्था करेंगे। जब तक वह आदेश नहीं आता है तब तक आप चाहें तो हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से पानी वगैरह की व्यवस्था उनके लिये करेंगे, यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। श्री भैराराम चौधरी।

ओसियां में राजकीय महाविद्यालय

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने एक याचिका लगायी थी विधान सभा क्षेत्र ओसियां उपखण्ड पर राजकीय महाविद्यालय के बारे में। मुझे चिट्टी के द्वारा इसका जवाब मिला है कि श्री शिरडी सांई महाविद्यालय ओसियां में वर्ष 2010 से संचालित है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि यह विद्यालय सिर्फ कागजों में संचालित है, वहां हकीकत में निजी महाविद्यालय भी नहीं है। मेरे आस-पड़ोस के सारे विधान सभा क्षेत्रों में राजकीय महाविद्यालय हैं। जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं, वह सम्पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें लगभग 67 ग्राम पंचायतें हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं पढ़ने के लिये शहर में नहीं जा पाती हैं, अमूमन 8वीं, 10वीं पढ़कर अपने घर बैठ जाती हैं। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि इन बालिकाओं की शिक्षा के लिये और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये ओसियां में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हो जिससे बालिका शिक्षा और हमारे क्षेत्र के युवाओं को एक स्वर्णिम मौका मिलेगा। मैं आपके माध्यम से इस बात की पुष्टि भी करना चाहूंगा कि जिस श्री शिरडी महाविद्यालय का जिक्र किया है, उसकी आप चाहो तो दुबारा जांच करा लो, वह

(श्री भैराराम चौधरी)

सिर्फ कागजों में है, वहां वास्तविकता में कोई प्राइवेट महाविद्यालय भी नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि ओसियां उपखण्ड में एक ऐसा राजकीय महाविद्यालय खोलें जिससे बालिका शिक्षा को और वहां के युवाओं को एक अच्छा शिक्षा का साधन मिले। यह सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र है। ओसियां विधान सभा क्षेत्र जोधपुर सम्भाग से कम से कम 170-180 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां की ढाणियों की जो बसावट है, वह सारी की सारी छितराई हुई है। आपसे हमारा नम्र निवेदन है कि ओसियां में राजकीय महाविद्यालय खोला जाए, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आप रेस्पोंड कर रहे हैं?

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री) : हां। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये सरकार की यह मंशा है कि हर सब डिवीजनल हैडक्वार्टर पर सरकारी महाविद्यालय हो। पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस बार हमने यह तय किया कि प्राथमिकता के आधार पर पहले ऐसे सब डिवीजनल हैडक्वार्टर जहां गवर्नमेंट कालेज भी नहीं है और प्राइवेट कालेज भी नहीं है, वहां प्रायोरिटी के आधार पर महाविद्यालय खोले जाएं। इस दृष्टि से हमने 46 उपखण्ड चिह्नित किये हैं जहां अभी गवर्नमेंट कालेज भी नहीं है और प्राइवेट कालेज भी नहीं है। सबसे पहले हम प्राथमिकता के आधार पर इन 46 उपखण्डों में महाविद्यालय खोलने का प्रयास करेंगे। ओसियां का जहां तक सवाल है, मेरी सूचना के हिसाब से वहां एक महाविद्यालय अभी संचालित हो रहा है और उसमें 174 बच्चों की संख्या है। कला संकाय फर्स्ट, सैकिण्ड और थर्ड ईयर चल रहा है। कामर्स फैकल्टी में फर्स्ट ईयर वहां चल रह है और 174 बच्चों की संख्या है। फिर भी माननीय विधायक ने यह कहा कि वहां वास्तव में कोई महाविद्यालय नहीं चल रहा, यदि इनकी बात सही है तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा और यदि वहां कोई भी महाविद्यालय गवर्नमेंट का या प्राइवेट नहीं है तो प्राथमिकता के आधार पर अगले 1-2 साल में वहां महाविद्यालय हो, इस बात को मैं सुनिश्चित करूंगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश भंसाली।

जोधपुर में भरतपुर मात्रा में पानी उपलब्ध होने के पश्चात भी जोधपुर का एकान्तरे पानी का दिया जाना न्याय संगत नहीं के सम्बन्ध में।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जोधपुर में अनियमित जलापूर्ति

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्तमान में जोधपुर में एकान्तरे जलापूर्ति के साथ कई जगह कम समय एवं कम प्रैशर के साथ पानी की सप्लाई की जा रही है जिससे जनता पानी के टैंकर डलवाने को मजबूर हो रही है। मुख्यत: केके कालोनी, सरस्वती नगर, काजीवाड़ा, मोती चौक, सिटी पुलिस, ढंढ की ढाणी, बासनी प्रथम चरण इत्यादि प्रमुख हैं। जनता इस समस्या के लिए बार-बार जन प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत एवं दूरभाष पर अवगत करवा रही है परन्तु विभाग की बेरुखी से एवं जलदाय विभाग की सही मानिटरिंग नहीं होने से जोधुपर में पर्याप्त मात्रा में पानी होने के बावजूद भी जनता पीने को तरस रही है।

वर्तमान में दोनों जलाशयों में भरपूर मात्रा में पानी आ गया है अत: एकान्तरे जलापूर्ति बंद करके नियमित पेयजल जोधपुर की जनता को दिया जाए। विगत चार वर्षो से एकान्तरे पेयजल वितरण किया जा रहा है तत्कालीन सरकार के समय विभाग द्वारा अचानक नहर बंदी के समय से यह कहकर बंद कर दिया गया कि राज्य सरकार ने एकान्तरे जलापूर्ति वितरण के निर्देश दिये हैं। विभाग द्वारा भी इस तरह से प्रचारित किया गया कि नहर बंदी समाप्त होते ही नियमित पेयजल वितरण शुरू हो जाएगा, परन्तु वह अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है।

जोधपुर शहर में पानी की सुचारु मात्रा देने के लिए पूर्व में 700 करोड़ की योजना से बांध बनाया जाना था, यह कार्य अभी बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, जिसकी गति बढ़ायी जाए। साथ ही शहर के भीतरी क्षेत्रों में कई पाइप लाइनें बहुत पुरानी होने से जगह-जगह क्षतिग्रस्त होकर उसमें पानी का रिसाव होने से जोधपुर का भूजल स्तर बढ़ रहा है एवं कहीं पर सीवर लाइन से मिक्स होकर गंदा एवं बदबूदार पानी आने की शिकायतें आने से वहां पर पीलिया रोग पनप रहा है। इसी के साथ विद्युत संचालन के दौरान पानी की टंकियों को पूर्ण रूप से भरने के उपरान्त ही पानी की सप्लाई दी जाए ताकि पूरे प्रैशर के साथ वह कम से कम दो घंटे की अवधि तक पानी नियमित रूप से आ सके। जिन उक्त इलाकों में पानी की मात्रा कम आ रही है, वहां पर

(श्री कैलाश भंसाली)

सम्बन्धित अभियंताओं से जानकारी हासिल कर उसे दुरुस्त कराएं। वर्तमान दोनों जलाशयों में भरपूर मात्रा में पानी है तो जोधपुर की जनता को नियमित रूप से पानी की सप्लाई दी जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय विधायिका श्रीमती गोलमा देवी, जब मैंने आपका नाम पुकारा था 295 के लिए, उस समय आप उपस्थित नहीं थीं। अब आप चाहें तो पढ़े या आपका पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मूल विचार आएंगे, मूल विचार।

(माननीय सदस्या श्रीमती गोलमा की नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की पढ़ी हुई मानी गयी सूचना के लिए, कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष जी, मेरा पढ़ा हुआ मान लेना और मेरे क्षेत्र में विकास होना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह सरकार सबकी। मंत्री सुन रहे हैं, मेरे क्षेत्र में लक्ष्मणगढ़ में, राजगढ़ में, रेनी में सब जगह विकास होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, देखिये। मंत्री के लिए सब एक हैं पार्टी के और बगैर पार्टी के।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : आपका निर्वाचन क्षेत्र है, कौनसा है?

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : हां?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : आपका निर्वाचन क्षेत्र कौनसा है?

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्षेत्र वही है न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : कौनसा?

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : आप मेरे क्षेत्र पर ध्यान ही नहीं दे रहे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : कौनसा है, बताओ?

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : कि गोलमा जी के कोई काम नहीं होना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : क्षेत्र बताओ, कौनसा है?

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : देखिये, ऐसे नहीं होना चाहिए। मुख्य मंत्रीजी से कह देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : आपका क्षेत्र डा. किरोड़ीलाल है?

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : ऐसे नहीं करना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : आपका क्षेत्र सिर्फ डा. किरोड़ीलाल जी है। आप क्षेत्र बताओ, कौनसा है?

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : किरोडीलाल जी काहे को, हमारा सारा ही क्षेत्र है। आप ऐसे तो मत कहो। गोलमा डरपा नहीं रही है। पढ़ी-लिखी नहीं है जब ही तो, नहीं गोलमा जी तो चरा देगी सबको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, आपके और गोलमा जी के बीच में आने का किरोड़ीलाल जी को क्या अधिकार है, पहली बात? (व्यवधान) दूसरी बात यह है कि लैला मजनूं की कहानी तो पुरानी है।

श्री अध्यक्ष : यह अधिकार इन्होंने स्थाई रूप से ले रखा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : लैला मजनूं की कहानी तो पुरानी हो गयी, यह तो किरोड़ी-गोलमा जी की कहानी है।

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ) : अध्यक्ष जी, सुनिये, अब तो पढ़े-लिखे को ले रहे हैं, गोलमा जैसे को नहीं लेंगे। क्षेत्र में मेरे नाम से कोई काम हो जाए तो मेरा भी नाम हो जाए।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित वित्त विभाग की 77 एवं आबकारी विभाग की 2 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

वित्त विभाग

1- अधिसूचना संख्या : एफ.12(74)वित्त/कर/2014-105 दिनांक 24.9.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-6 के अन्तर्गत सिगरेटों पर कर की दर निर्धारित की गई है;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.12(143)वित्त/कर/2011-106 दिनांक 24.9.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-84 दिनांक 30.7.2014 में संशोधन किया गया है;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.2(15)वित्त/कर/2010-107 दिनांक 29.9.2014 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा जारी नान-कन्वर्टेबल बाण्ड्स पर देय स्टाम्प ड्यूटी में रियायत प्रदान की गई है;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.2(33)वित्त/कर/2014-108 दिनांक 29.9.2014 जिसके द्वारा रेकार्ड आफ ट्रांजेक्शन (इलेक्ट्रोनिक आर अदरवाइज) पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-पार्ट-109 दिनांक 30.9.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(89)वित्त/कर/2007-26 दिनांक 29.6.2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.24(4)वित्त/कर/2014-110 दिनांक 1.10.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-47 दिनांक 14.7.2014 में दिनांक 1.8.2014 से संशोधन किया गया है;

7- अधिसूचना संख्या : एफ.24(4)वित्त/कर/2014-111 दिनांक 1.10.2014 जिसके द्वारा केबल सर्विस पर मनोरंजन कर की दर निर्धारित की गई है;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.24(4)वित्त/कर/2014-112 दिनांक 1.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर नियम, 1957 के नियम-18 व 18-ए में संशोधन किया गया है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

9- अधिसूचना संख्या : एफ.12(79)वित्त/कर/2014-113 दिनांक 1.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में कतिपय संशोधन किये गये हैं;

10- अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2010-पार्ट-1-118 दिनांक 8.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 के अन्तर्गत पात्र उद्यमों को विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

11- अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2010-पार्ट-1-119 दिनांक 8.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 के अन्तर्गत पात्र उद्यमों को मनोरंजन कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

12- अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2010-पार्ट-1-120 दिनांक 8.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 के अन्तर्गत पात्र होटल्स के लिये विलासिता कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

13- अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2010-पार्ट-1-121 दिनांक 8.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 के अन्तर्गत पात्र उद्यमों को सशर्त प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है;

14- अधिसूचना संख्या : एफ.2(15)वित्त/कर/2010-122 दिनांक 8.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 के अन्तर्गत योग्य उद्योगों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

15- अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2010-पार्ट-1-123 दिनांक 8.10.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(99)वित्त/कर/2007-65 दिनांक 14.2.2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

16- अधिसूचना संख्या : एफ.12(91)वित्त/कर/2014-128 दिनांक 15.10.2014 जिसके द्वारा राज्य विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों के लिये उस सीमा तक, जिस तक कर की दर 5 प्रतिशत से अधिक हो, प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

17- अधिसूचना संख्या : एफ.2(5)वित्त/कर/2009-129 दिनांक 17.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य वेयर हाउसिंग कारपोरेशन को कतिपय क्षेत्रों में वेयरहाउस निर्माण बाबत स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

18- अधिसूचना संख्या : एफ.2(5)वित्त/कर/2009-130 दिनांक 17.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन को कतिपय क्षेत्रों में वेयरहाउस निर्माण बाबत् पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

19- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-पार्ट-131 दिनांक 18.10.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(89)वित्त/कर/2007-26 दिनांक 29.6.2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) में दिनांक 19.10.2014 से संशोधन किया गया है;

20 - अधिसूचना संख्या : एफ.12(82)वित्त/कर/2014-132 दिनांक 20.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8(2) के अन्तर्गत अवशिष्ट से व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ) पर वैट से छूट प्रदान की गई है;

21- अधिसूचना संख्या : एफ.12(80)वित्त/कर/2014-133 दिनांक 22.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-4 की उप-धारा(5) के अन्तर्गत 500/- रुपये प्रति मीटर से अधिक विक्रय मूल्य वाले टैक्सटाइल शर्टिंग एण्ड शूटिंग पर वैट कार परिहार किया गया है;

22- अधिसूचना संख्या : एफ.12(103)वित्त/कर/2014-134 दिनांक 22.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-4(5) के अन्तर्गत अनुसूची 5 के क्रम सं. 44 में संशोधन किया गया है;

23- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/पार्ट-135 दिनांक 31.10.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(89)वित्त/कर/2007-26 दिनांक 29.6.2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) को दिनांक 1.11.2014 से विखड़ित किया गया है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

24- अधिसूचना संख्या : एफ.12(83)वित्त/कर/2014-136 दिनांक 25.11.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-32 दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

25- अधिसूचना संख्या : एफ.12(83)वित्त/कर/2014-137 दिनांक 25.11.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-33 दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

26- अधिसूचना संख्या : एफ.2(15)वित्त/कर/2010-138 दिनांक 25.11.2014 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा जारी नान-कन्वर्टेबल बाण्ड्स पर देय स्टाम्प ड्यूटी में रियायत प्रदान की गई है;

27- अधिसूचना संख्या : एफ.12(104)वित्त/कर/2014-139 दिनांक 17.11.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-4 की उप-धारा-(5) के अन्तर्गत अनुसूची-4 में संशोधन किया गया है,

28– अधिसूचना संख्या : एफ.12(104)वित्त/कर/2014-140 दिनांक 27.11.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-4 की उप-धारा-(5) के अन्तर्गत अनुसूची-5 में संशोधन किया गया है;

29- अधिसूचना संख्या : एफ.12(111)वित्त/कर/2014-141 दिनांक 27.11.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-25 दिनांक 14.7.2014 में संशोधन किया गया है;

30- अधिसूचना संख्या : एफ.24(10)वित्त/कर/2014-142 दिनांक 5.12.2014 जिसके द्वारा फिल्म जेड-प्लस को दिनांक 5 दिसम्बर, 2014 से 4 दिसम्बर, 2015 तक मनोरंजन कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

31- अधिसूचना संख्या : एफ.2(6)वित्त/कर/2014-143 दिनांक 16.12.2014 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

धारा-9-क के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में सशर्त रियायत प्रदान की गई है;

32- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-पार्ट-144 दिनांक 18.12.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूलय परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-4 की उप-धारा-5 के अन्तर्गत अनुसूची-6 में संशोधन किया गया है;

33- अधिसूचना संख्या : एफ.2(67)वित्त/कर/2014-145 दिनांक 19.12.2014 जिसके द्वारा मीरा कन्या महाविद्यालय, संगरिया (हनुमानगढ़) को निष्पादित दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

34- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-146 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-9 दिनांक 17.10.2014 के सम्बन्ध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है;

35- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-147 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा हिन्दी में भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-10 दिनांक 14.7.2014 के सम्बन्ध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है;

36- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-148 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-13 दिनांक 14.7.2014 के सम्बन्ध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है;

37- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-149 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-14 दिनांक 14.7.2014 के सम्बन्ध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है;

38- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-150 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-16 दिनांक 14.7.2014 के सम्बन्ध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

39- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-151 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-17 दिनांक 14.7.2014 के सम्बन्ध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है;

40- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-152 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या : एफ. 12(59)वित्त/कर/2014-18 दिनांक 14.7.2014 के सम्बन्ध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है;

41- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-153 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-19 दिनांक 14.7.2014 के सम्बन्ध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है;

42- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-154 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-23 दिनांक 14.7.2014 के सम्बन्ध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है;

43- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-155 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-32 दिनांक 14.7.2014 के सम्बन्ध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है;

44- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-156 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-33 दिनांक 14.7.2014 के सम्बन्ध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है;

45- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-157 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-37 दिनांक 14.7.2014 के सम्बन्ध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है;

46- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-158 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचना

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-40 दिनांक 14.7.2014 के सम्बन्ध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है;

47- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-159 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचनाओं में राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) उप-खण्ड-।। दिनांक 14.7.2014 में छपे शब्द/अभिव्यक्तियों सम्बन्धी शुद्धि-पत्र जारी किया गया है;

48- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-160 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) उप-खण्ड-।। दिनांक 14.7.2014 में छपे पृष्ठ सं. सम्बन्धी शुद्धि-पत्र जारी किया गया है;

49- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-161 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा आंगल भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-09 दिनांक 14.7.2014 के सम्बन्ध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है,

50- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-162 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा आंगल भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-09 दिनांक 14.7.2014 के सम्बन्ध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है;

51- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-163 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा आंगल भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-12 दिनांक 14.7.2014 के सम्बन्ध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है;

52- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-164 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा आंगल भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-14 दिनांक 14.7.2014 के सम्बन्ध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है;

53- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-165 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा आंगल भाषा में प्रकाशित अधिसूचना

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-18 दिनांक 14.7.2014 के सम्बन्ध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है;

54- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-166 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा आंगल भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-23 दिनांक 14.7.2014 के सम्बन्ध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है;

55 - अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-167 दिनांक 22.12.2014 जिसके द्वारा आंगल भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-39 दिनांक 14.7.2014 के सम्बन्ध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है;

56 - अधिसूचना संख्या : एफ.12(129)वित्त/कर/2011-पार्ट-169 दिनांक 7.1.2015 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा-8 की उप-धारा-(5) के अन्तर्गत लेमिनेटेड आटोमोबाइल टैक्टटाइल फेब्रिक्स पर केन्द्रीय विक्रय कर की दर को 0.5 प्रतिशत तक किया गया है;

57- अधिसूचना संख्या : एफ.2(88)वित्त/कर/2010-171 दिनांक 8.1.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 - की उप-धारा (1) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. को शेयर सर्टिफिकेट पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है,

58 – अधिसूचना संख्या : एफ.2(6)वित्त/कर/2014-पार्ट-172 दिनांक 16.1.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.2(6)वित्त/कर/2014-143 दिनांक 16.12.2014 में संशोधन किया गया है;

59- अधिसूचना संख्या : एफ.2(62)वित्त/कर/2010-173 दिनांक 21.1.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत गिर्ल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट-2 के पक्ष में असेट्स एवं लाइबिलिटीज के हस्तान्तरित दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

60- अधिसूचना संख्या : एफ.12(79)वित्त/कर/2014-पार्ट-1-174 दिनांक 22.1.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम-40 में संशोधन किया गया है;

61– अधिसूचना संख्या : एफ.12(101)वित्त/कर/2014-175 दिनांक 22.1.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-3 की उप-धारा-5 के अन्तर्गत अनुसूची-4 में संशोधन किया गया है;

62- अधिसूचना संख्या : एफ.12(34)वित्त/कर/2010-177 दिनांक 23.1.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-32 दिनांक 14.7.2014 में संशोधन किया गया है;

63- अधिसूचना संख्या : एफ.12(34)वित्त/कर/2010-178 दिनांक 23.1.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-33 दिनांक 14.7.2014 में संशोधन किया गया है;

64- अधिसूचना संख्या : एफ.15(19)वित्त/कर/2014-179 दिनांक 28.1.2015 जिसके द्वारा पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर की वसूली हेतु सहायक माइनिंग इंजिनियर्स को असेसिंग आफिसर्स के रूप में नियुक्त किया गया है;

65- अधिसूचना संख्या : एफ.12(79)वित्त/कर/2014-180 दिनांक 29.1.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम-9 में संशोधन किया गया है;

66- अधिसूचना संख्या : एफ.12(134)वित्त/कर/2014-181 दिनांक 2.2.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश कर नियम, 1999 में संशोधन किया गया है;

67 - अधिसूचना संख्या : एफ.12(89)वित्त/कर/2012-182 दिनांक 5.2.2015 जिसके द्वारा मै. आयशर पोलारिस प्रा. लि. द्वारा उपभोग की गई विद्युत पर देय शुल्क पर छूट प्रदान की गई है;

68 - अधिसूचना संख्या : एफ.12(89)वित्त/कर/2012-183 दिनांक 5.2.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश कर अधिनियम, 1999 की धारा-9 के अन्तर्गत मै, आयशर पोलारिस प्रा. लि. को प्रवेश कर से छूट प्रदान की गई है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

69- अधिसूचना संख्या : एफ.12(89)वित्त/कर/2012-184 दिनांक 5.2.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8 की उप-धारा-(3क) के अन्तर्गत अनुसूची-2 में संशोधन किया गया है;

70- अधिसूचना संख्या : एफ.12(89)वित्त/कर/2012-185 दिनांक 5.2.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत मै. आयशर पोलारिस प्रा. लि. को माल के विक्रय पर सशर्त कर से छूट प्रदान की गई है;

71– अधिसूचना संख्या : एफ.12(89)वित्त/कर/2012-पार्ट-186 दिनांक 5.2.2015 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा-8 की उप-धारा-(5) के अन्तर्गत मै. आयशर पोलारिस प्रा.लि. पर केन्द्रीय विक्रय कर की दर को 0.05 प्रतिशत तक किया गया है;

72- अधिसूचना संख्या : एफ.12(89)वित्त/कर/2012-187 दिनांक 6.2.2015 जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या : एफ. 12(89)वित्त/कर/2012-184 दिनांक 5.2.2015 के सम्बन्ध में शुद्धि-पत्र जारी किया गया है;

73- अधिसूचना संख्या : एफ.12(16)वित्त/कर/2009-188 दिनांक 9.2.2015 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत एमनेस्टी योजना-2015 अधिसूचित की गई है;

74- अधिसूचना संख्या : एफ. 24(4)वित्त/कर/2015-189 दिनांक 11.2.2015 जिसके द्वारा फिल्म हवाईजादा को अधिसूचना जारी करने की तिथि से एक वर्ष के लिये सशर्त मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है;

75- अधिसूचना संख्या : एफ.2(6)वित्त/कर/2014-190 दिनांक 14.2.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.2(6)वित्त/कर/2014-143 दिनांक 16.12.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) को अधिक्रमित किया गया है;

76- अधिसूचना संख्या : एफ.12(101)वित्त/कर/2011-191 दिनांक 24.2.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कर/2005-81 दिनांक 11.8.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है; एवं

77- अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2010-पार्ट-।।।-192 दिनांक 24.2.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2010-पार्ट-।-121 दिनांक 8.10.2014 को अतिष्ठित किया गया है।

आबकारी विभाग

1- अधिसूचना संख्या : प.4(1)वित्त/आब/2014-पार्ट-।।। दिनांक 1.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है एवं

2- अधिसूचना संख्या : प.4(11)वित्त/आब/2009-पार्ट-। दिनांक 10.10.2014 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (ग्रान्ट आफ होटल बार/क्लब बार लाइसेंसेज) नियम, 1973 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री युनुस खान।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : यस, यस, पाइंट आफ आर्डर।

व्यवस्था का प्रश्न

भाषागत अशुद्धियों को शुद्ध करने हेतु अधिसूचनाएं जारी करना सरकार की लापरवाही

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने 74 अधिसूचनाएं रखी हैं, उनमें से 22 अधिसूचनाएं हैं वह संशोधन है। आप देखिये, यह प्रशासन के लिए सोचने की बात है। आप यहां अधिसूचना संख्या 34 से चलिए जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या : एफ. इतने-इतने में शुद्धि पत्र जारी किया गया। 35 जिसके द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित अधिसूचना संख्या इतने में संशोधन शुद्धि पत्र जारी किया गया। 22 शुद्धि पत्र जारी किये गये हैं और वे शुद्धि पत्र किस बात के हैं? हिन्दी भाषा में गलती होने के कारण से। यह स्पष्ट नहीं है कि हिन्दी भाषा में अधिसूचना जारी करने से जो गलती रह गयी, उसका लाभ किस को

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मिला। जब उन्होंने संशोधन जारी किया तो उसका क्या लाभ हुआ। कल मैंने उठाया था और आपने संशोधन कराया, संशोधन वैसे होता नहीं है, राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार को संशोधन पेश करना पड़ेगा, जो गलती है उसमें। ये सरकार के अधिकारी-कर्मचारी इतनी तनख्वाह लेते हैं, किस बात की लेते हैं? 22-22 अधिसूचनाएं इसलिए जारी करनी पड़ीं कि उन अधिसूचनाओं में लैंग्वेज की गलती है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय, आप पेश कर दें, लेकिन इसको देखें कि इस प्रकार से सदन का भी वो होता है कि कोई भी चीज लाकर रख दी। इसमें आज जारी कर दिया, कल भाषा का संशोधन। किस बात का? यह मैं आपके सामने, आप देखिये इसको...

श्री अध्यक्ष : आपने ठीक ज्ञान खींचा है। माननीय मंत्रीजी विराज रहे हैं, आप रेस्पोंड करेंगे?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : निश्चित रूप से जो प्रश्न उठाया गया है काफी गम्भीर है। भाषा की अशुद्धि लगातार हो, अनवरत हो, इसको चैक किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से इसको दिखाया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री युनुस खान।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

परिवहन विभाग

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या : एफ. 6(75)परि/कर/मु/08/55279-91 दिनांक 20.8.2014 जिसके द्वारा दिनांक 25.8.2014 से 10.9.2014 की अवधि में अन्य राज्यों से रामदेवरा (जिला-जैसलमेर) आने-जाने वाले समस्त यात्री वाहनों पर देय 3500/- रुपये से अधिक करों का सशर्त परिहार किया गया है;

2 - अधिसूचना संख्या : एफ. 6(64)परि/कर/मु/2012/62899 दिनांक 15.12.2014 जिसके द्वारा सैन्ट जूड़े इंडिया चाइल्ड केयर सैन्टर्स, जयपुर के वाहन पर देय कर सशर्त परिहार किया गया है; एवं

(श्री युनुस खान)

3- अधिसूचना संख्या : एफ. 6(123)परि/कर/मु/2005/ दिनांक 9.2.2015 जिसके द्वारा इस्कान फूड रिलीफ फाउण्डेशन, मानसरोवर, जयपुर 7 वाहनों पर देय कर का सशर्त परिहार किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल।

पंचायती राज विभाग

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पंचायती राज विभाग की 68 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1457 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा अजमेर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1458 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा भीलवाड़ा जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1459 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा टोंक जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1460 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा नागौर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1461 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा भरतपुर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1462 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा धौलपुर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

7- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1463 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा करौली जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

8- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1464 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा सवाई माधोपुर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

9- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1465 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा बीकानेर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

10- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1466 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा चूरू जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

11- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1467 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा गंगानगर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

12- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1468 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा बारां जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

13- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1469 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा बारां जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

14- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1470 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा बूंदी जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

15- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1471 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा बूंदी जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

16- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1472 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा झालावाड़ जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

17- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1473 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा जोधपुर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

18- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1474 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा बाड़मेर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

19- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1475 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा जैसलमेर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

20- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1476 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा जालौर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

21- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1477 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा पाली जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

22- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1478 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा सिरोही जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

23- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1479 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा जयपुर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

24- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1480 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा अलवर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

25- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1481 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा दौसा जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

26- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1482 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा झुंझुनूं जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

27- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1483 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा सीकर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

28- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1484 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा उदयपुर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

29- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1485 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा उदयपुर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

30- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1486 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा प्रतापगढ़ जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

31- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1487 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा राजसमन्द जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

32- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1488 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

33 - अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1489 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

34 - अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1490 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा डूंगरपुर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

35- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1491 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा डूंगरपुर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

36 - अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1492 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा राजसमन्द जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

37 - अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1493 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा बांसवाड़ा जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

38- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1494 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा अजमेर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

39- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1495 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा भीलवाड़ा जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

40- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1496 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा नागौर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

41- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1497 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा भरतपुर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

42- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1498 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा धौलपुर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

43 - अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1499 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा करौली जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

44 - अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1500 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा सवाई माधोपुर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

45 - अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1501 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा बीकानेर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

46 - अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1502 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा चूरू जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

47 - अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1503 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा श्रीगंगानगर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

48- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1504 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा झालावाड़ जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

49- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1505 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा जोधपुर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

50- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1506 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा जोधपुर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

51- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1507 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा बाड़मेर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

52- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1508 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा जोधपुर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

53- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1509 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा जयपुर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

54- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1510 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा दौसा जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

55- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1511 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा झुंझुनूं जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है,

56- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1512 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा सीकर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

57- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/1513 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा सीकर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

58- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1514 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा उदयपुर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

59- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1515 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा उदयपुर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

60- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1516 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा उदयपुर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

61- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1517 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा बांसवाड़ा जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

62- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1518 दिनांक 5.11.2014 जिसके द्वारा डूंगरपुर जिले की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया गया है;

63- अधिसूचना संख्या : एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/परावि/2014/1539 दिनांक 17.11.2014 जिसके द्वारा राज्य की ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन बाबत एक शुद्धि-पत्र जारी किया गया है;

64- अधिसूचना संख्या एफ.4(25)एम/रूल/इले/लीगल/पीआर/2014/1531 दिनांक 12.11.2014 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन किया गया है;

65- अधिसूचना संख्या एफ.4(25)एम/रूल/इले/लीगल/पीआर/2014/1625 दिनांक 18.12.2014 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन किया गया है;

66- अधिसूचना संख्या एफ.4(25)एम/रूल/इले/लीगल/पीआर/2014/1645 दिनांक 24.12.2014 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन किया गया है;

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

67- अधिसूचना संख्या : एफ.4( )डिजी/पट्टा/विधि/पंरा/2014/1569 दिनांक 27.11.2014 जिसके द्वारा डिजीटली हस्ताक्षरित आवासीय पट्टा अनुमान्य किया गया है; एवं

68- अधिसूचना संख्या एफ.4(3)अधिसूचना/विधि/पंरा2015/105 दिनांक 20.2.2015 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-98 के अन्तर्गत इस अधिनियम की धारा-26(2) में वर्णित शक्तियां जिला कलक्टर्स को प्रत्यायोजित की गई हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

प्रतिवेदन एवं लेखे

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वित्त-लेखे (खण्ड-I एवं II) वर्ष 2013-14 एवं विनियोग लेखे वर्ष 2013-14

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वित्त-लेखे (खण्ड-I एवं II) वर्ष 2013-14 एवं विनियोग लेखे वर्ष 2013-14 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री रामेश्वर लाल डूडी।

समिति प्रतिवेदन

जन लेखा समिति (क्र. सं. 31 से 56)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति 2014-15 के 26 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

1. जनलेखा समिति, 2012-13 के 178वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 31वां प्रतिवेदन।
2. जनलेखा समिति, 2012-13 के 216वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 32वां प्रतिवेदन।

3. जनलेखा समिति, 2010-11 के 55वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 33वां प्रतिवेदन।

4. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 2.1 में समाविष्ट उद्यान विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 34वां प्रतिवेदन।

5. जनलेखा समिति, 2011-12 के 88वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 35वां प्रतिवेदन।

6. जनलेखा समिति, 2012-13 के 157वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 36वां प्रतिवेदन।

7. जनलेखा समिति, 2013-14 के 223वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 37वां प्रतिवेदन।

8. जनलेखा समिति, 2012-13 के 177वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 38वां प्रतिवेदन।

9. जनलेखा समिति, 2013-14 के 225वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 39वां प्रतिवेदन।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

10. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 3.2.2., 3.4.5 एवं 3.4.7 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा वर्ष 2011-12 का अनुच्छेद सं. 3.4.8 महिला बाल विकास एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 40वां प्रतिवेदन।

11. जनलेखा समिति, 2013-14 के 234वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 41वां प्रतिवेदन।

12. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 1.8.4 एवं 3.4 वन, गृह एवं जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा सिविल) वर्ष 2011-12 का अनुच्छेद सं. 3.1.3 व 3.4.9 जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 42वां प्रतिवेदन।

13. जनलेखा समिति, 2013-14 के 235वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 43वां प्रतिवेदन।

14. जनलेखा समिति, 2013-14 के 248वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 44वां प्रतिवेदन।

15. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2011-12 के अनुच्छेद संख्या 2.3.2.1 में समाविष्ट कृषि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 45वां प्रतिवेदन।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

16. विनियोग लेखे वर्ष 2011-12 में बताये गये दत्तमत अनुदानों तथा प्रभृत्त विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 46वां प्रवितेदन।

17. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2011-12 का अनुच्छेद संख्या 3.1.1 आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, वर्ष 2011-12 का अनुच्छेद सं. 3.3.1 वित्त विभाग, वर्ष 2011 का अनुच्छेद सं. 3.4.2 श्रम एवं नियोजन विभाग तथा वर्ष 2011-12 का अनुच्छेद सं. 3.4.12 आपदा प्रबन्धन, वित्त एवं गृह विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 47वां प्रतिवेदन।

18. जनलेखा समिति, 2013-14 के 244वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 48वां प्रतिवेदन।

19. जनलेखा समिति, 2013-14 के 242वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 49वां प्रतिवेदन।

20. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2010-11 का अनुच्छेद संख्या 2.3.2.1 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पर्यटन तथा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 50वां प्रतिवेदन।

21. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2009-10 में समाविष्ट आबकारी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 51वां प्रतिवेदन।

22. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2009-10 में समाविष्ट पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 52वां प्रतिवेदन।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

23. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2008-09 में समाविष्ट बिक्री कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 53वां प्रतिवेदन।

24. जनलेखा समिति, 2011-12 (तेरहवीं विधान सभा) के 87वें प्रतिवेदन (वन विभाग) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2014-15 का 54वां प्रतिवेदन।

25. जनलेखा समिति, 2011-12 (तेरहवीं विधान सभा) के 106वें प्रतिवेदन (भू-राजस्व विभाग) से सम्बन्धित सिफारिशों की परिकल्पना से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 55वां प्रतिवेदन।

26. जनलेखा समिति, 2013-14 246वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिकल्पना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 56वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : श्री तरुण कागा, याचिका समिति की ओर से।

याचिका समिति (क्र.सं. 1)

श्री तरुण राय कागा (चौहटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से याचिका समिति 2014-15 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि हमने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस प्रारम्भ कर दी है। उसके लिये समय भी निर्धारित कर दिया है। उसके हिसाब से मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आबंटित समय था 12 घंटे 45 मिनट, अभी तक उन्होंने 2 घंटे 22 मिनट लिये हैं। 10 घण्टे 23 मिनट उनके बाकी हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का आबंटित समय था एक घण्टा 56 मिनट, उन्होंने 29 मिनट लिये हैं। एक घण्टा 17 मिनट उनके बाकी हैं। नेशनल पीपुल्स पार्टी के 20 मिनट हैं, अभी आप में से कोई बोला नहीं है, निल है। बहुजन समाज पार्टी के 15 मिनट हैं, अभी उनमें से कोई बोला नहीं है। नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी के 10 मिनट हैं, उनमें से कोई बोला

(श्री अध्यक्ष)

नहीं है। निर्दलीयों के 34 मिनट हैं जिनमें से कोई नहीं बोला है। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि यह क्रम बने और माननीय प्रतिपक्ष के नेता और सदन की नेता के भाषण के लिये भी समय बचे, इस हिसाब से आप अपने नाम दीजिये। अपनी तरफ से 5 से 10 मिनट तक बोल लें आपके वक्ता और इस टाइम को ध्यान में रखते हुए वे अपना भाषण समाप्त करें। आपको रैगुलेट करना है अपने सदस्यों को, सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों को भी आपको रैगुलेट करना है। पांच से दस मिनट वे बोलें। बाकी जितना भी वे अधिक बोलेंगे, मैं तो यहां से टोक ही दूंगा कि आपका समय पूरा हो गया है, लेकिन जितना वे अधिक लेंगे, वह आपकी पार्टी में से कम होगा और इसमें वह सम्मिलित हो जाएगा। कल अधूरा रहा था भाषण, श्री रामचन्द्र।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो।

श्री अध्यक्ष : हां, आप, यस-यस।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व की परम्परा को ध्यान में रखते हुए आपने समय का आबंटन कर दिया। उसमें हम कोई ऐतराज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना आपसे निवेदन कर सकते हैं, पूर्व में भी, पिछले सत्र में भी आसन काफी फ्लैक्सिबल रहा था। उसी फ्लैक्सिबिलिटी की कामना आपसे करते हैं। इतना हार्ड एण्ड फास्ट रूल मत रखियेगा। जब बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी, तब छह बजे के ऊपर एक सहमति-सी बनी थी। लेकिन कुछ सुझाव ये भी आये थे, सदन के वरिष्ठ मंत्री माननीय कटारिया जी ने कहा था छह और सात। कोशिक होनी चाहिए, छह बजे ही समाप्त हो जाए। किसी हालत में साढ़े छह भी हो सकता है। तो कृपया इस पर स्ट्रिक्ट न करें, उस पर जोर न दें। और विपक्ष के लिये खास तौर से, नम्बर को ध्यान में रखते हुए आपने जो समय दिया है, उस पर भी आप पुनर्विचार करेंगे, उस पर फ्लैक्सिबिलिटी रखेंगे ही, मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष : यह उस समय भी शायद अपने चर्चा कर ली थी कि फ्लैक्सिबिलिटी रहेगी, छह से सात तक अपन बढ़ सकते हैं। सात से आगे कतई नहीं बढ़ेंगे, यह अपने तय हो चुका है। इसमें मुझको सब सदस्यों का सहयोग चाहिए। आप चाहें जब छह से सात, आप दोनों सचेतक मिल कर जिस रोज छह से सात करना चाहें, आप रिक्वैस्ट कर दें, मैं अलाउ कर दूंगा। लेकिन सात बजे के बाद सदन कभी भी नहीं चलेगा। यह अपने बिलकुल तय

(श्री अध्यक्ष)

हो चुका है। यह सबको मालूम हो जाना चाहिए, वक्ताओं को भी, आपको भी। दोनों पक्ष और सारे पक्ष, अपने वक्ताओं को रैगुलेट करें, यह मेरा निवेदन है। आपका निवेदन भी स्वीकार है। श्री रामचन्द्रजी।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री रामचन्द्र (डग) : सम्मानीय अध्यक्ष जी, क्रमश: मैं वहीं से बात आरम्भ कर रहा हूं। आपने कल उदार मन से जो समय बढ़ाकर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपको साधुवाद ज्ञापित करता हूं।

1991 में पूर्व मुख्य मंत्री स्व. श्री भैरोसिंहजी शेखावत के समय राजस्थान की पंचायतों का पुनर्गठन हुआ था, उसके बाद वर्तमान सरकार की मुख्य मंत्री महोदया ने पंचायतों का पुनर्गठन किया। राजस्थान में पंचायत पुनर्गठन की महत्ती आवश्यकता थी। सुदूर क्षेत्रों में ढाणी, मजरे वगैरह थे उनको मिलाकर जो पंचायतों का पुनर्गठन किया, उससे पंचायती राज मजबूत होगा। पंचायत राज के माध्यम से ही ग्रामीण आधारभूत ढांचा और संरचना की मजबूती हो सकती है। इस हेतु 1423 पंचायतों का पुनर्गठन हुआ और 47 पंचायत समितियां राजस्थान में बढ़ायी गयीं। सबसे बड़ी बात, पंचायत चुनावों में जो शिक्षा का एक नया मापदण्ड किया, उससे राजस्थान के अन्दर शिक्षित युवा और युवतियों का आगमन होगा। गुजरात में एक आईआईटियन पिछले सत्र में सरपंच बनीं और उन्होंने अपने गांव की जो तस्वीर बदल कर रखी, वह देखने लायक और सोचने लायक है। गुजरात में एक विद्यालय के अन्दर नन्हे-मुन्ने बच्चों द्वारा एक बैंक खोलकर उस विद्यालय का जो पूरा ढांचा है, वह बदला गया है। सिर्फ अपनी सीमित आय और बचत के माध्यम से। नगर पालिका चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए। पूरे प्रदेश में शासन, प्रशासन और पुलिस द्वारा ला एण्ड कानून को मेन्टेन करके बिना किसी हो-हल्ले के सरकार ने पंचायत के चुनाव सम्पन्न कराये इसलिये मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

(13.26 बजे)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पदासीन)

राजस्थान की सरकार ने पिछले एक वर्ष के अन्दर उल्लेखनीय कार्य किये हैं, जिसमें झालावाड़ जिले के मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं। पिछले एक साल में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा और सरकार

(श्री रामचन्द्र)

के मंत्रियों द्वारा बहुत सारी परियोजनाओं को चालू करके मेरे विधान सभा क्षेत्र में शिथिल पड़े विकास को गति दी गयी। रेवा पेयजल परियोजना जो पिछली सरकार में बंद-सी थी, उसको पुन: वित्तीय आबंटन देकर अभी हाल ही में 148 गांवों को पीने का पानी मुहैया कराया गया। पिछले बजट में भीमणी और माधवी को बजट देकर उनको गति दी गयी। 31 मार्च तक पूरे डग क्षेत्र तक पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। गागरिन प्रोजैक्ट जो रवासा किसी काण्ट्रेक्टर को दे रखा था, पिछले साल बंद था, 2003-08 की इसी सरकार में स्वीकृत था। उसको पुन: इस सरकार में चालू करके अभी चौमेला क्षेत्र को 315 गांवों को पानी देना चालू किया गया है। ऐसे ही फोर वाटर कंसैप्ट में 39 माइक्रो इर्रिगेशन प्रोजैक्ट विधान सभा में स्वीकृत किये गये हैं। माननीय सभापतिजी, जिस प्रकार राजस्थान के अन्दर सारे सैकण्डरी स्कूल सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत हुए, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले 67 सालों से मात्र 24 विद्यालय सीनियर सैकण्डरी थे, लेकिन वर्तमान में कुल 59 और 4, इस तरह 63 विद्यालय सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत हुए। इसके अलावा राजस्थान की सरकार द्वारा वन विभाग में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में बहुत प्रगति की गयी है विधान सभा क्षेत्र में। जब सरकारी बनी थी, उस समय विपक्ष के साथी बहुत कहते थे कि नि:शुल्क दवा योजना ओर जांच योजना बंद कर दी। मैं सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि नि:शुल्क दवाई योजना और नि:शुल्क जांच दोनों ही जारी हैं और पिछले साल 5 करोड़ 44 लाख 86 हजार लोगों की जांच इसमें की गयी है। स्वाइन फ्लू पिछले 4-5 साल से राजस्थान में चला आ रहा हे, सरकार ने बहुत ही व्यापक प्रबन्ध करके इसकी रोकथाम के लिये पूरा प्रयास किया है। औद्योगिक दृष्टि से रिसर्जेंट राजस्थान एक बहुत बड़ी परिकल्पना है जिसके अन्तर्गत एक नया राजस्थान, औद्योगिक दृष्टि से सम्पूर्ण राजस्थान प्रस्तावित है, जिसकी दशा और दिशा माननीय मुख्य मंत्रीजी के मुख्य विजन में है, तो राजस्थान पूर्ण रूप से तरक्की करेगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत राजस्थान के अन्दर 28 लाख 98 हजार शौचालय निर्मित हुए हैं। पिछले साल 31 लाख की स्वीकृति जारी की गयी जिसमें से 7 लाख 28 हजार शौचालयों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। राजस्थान के अन्दर अजमेर स्मार्ट सिटी बनने वाला है। उसके लिये विजन और डाकूमेंट तैयार किया जा रहा है और टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। 'सरकार आपके द्वार' में सरकार सम्भाग स्तर पर

(श्री रामचन्द्र)

गयी है। सड़क के क्षेत्र में 'ग्रामीण गौरव पथ' बन रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में और सभी क्षेत्रों में पूर्ण विकास की दरकार को ध्यान में रखते हुए, मैं, माननीय सभापति महोदय, यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान एक नया राजस्थान बनने की ओर अग्रसर है। जिस प्रकार माननीय प्रधान मंत्रीजी इस देश को एक नयी दिशा देना चाहते हैं, वैसे ही राजस्थान भी अपनी दिशा के साथ आगे बढ़ना चाहता है। मैं इस समय माननीय प्रधान मंत्रीजी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सूरतगढ़ में आकर साइल हैल्थ कार्ड का प्रोग्राम वहां पर रखा और पूरे देश को दिशा दी। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इस बात के साथ मेरी बात समाप्त करना चाहता हूं कि राजस्थान निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत प्रगति करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सदन को विश्वास है राजस्थान में आने वाला समय उत्कृष्ट और चरमोत्कृष्ट समय होगा। जब मैंने कल शुरू किया था, तब मैंने एक शेर के साथ शुरू किया था और उसी शेर की अंतिम कड़ी जोडते हुए वापस उससे समाप्त करना चाहता हूं :-

न गंदगी पसंद है न बंदगी पसंद है,
चिडिया की चहकान हो, बिटिया की मुस्कान हो,
राजस्थान विकसित का सोपान हो, स्वच्छ भारत का अभियान हो,
वही जिंदगी पसंद है,
न गंदगी पसंद है, न बंदगी पसंद है।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय नवनीत लालजी।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) : माननीय सभापित महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में बोल रहा हूं। हमारा देश जब आजाद नहीं था, उस वक्त अन्य समाज व विदेशी आक्रमणकारियों के अधीन था। सन 1857 से 1947 तक आजादी की लडाई 90 साल तक चली। यह आजादी का सत्याग्रह, धीमी गति से वह वातावरण चलता रहा। हमारे राष्ट्रीय नेता दादा भाई नौरोजी, वीर सावरकर साहब, सुभाष चंदजी, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभग भाई पटेल, पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं ने इस देश को आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभायी। लेकिन अभी हाल ही इस विधान सभा के अन्दर मैं देखता हूं, अभी पक्ष और विपक्ष

(श्री नवनीत लाल)

का कानून बनाया था हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने कि नदी बहती रहे, लेकिन आज विपक्ष की संख्या देश में बढ़ गयी है जिससे भ्रष्टाचार का वातावरण पनपा है। विपक्ष एक ही होना चाहिए था। जैसे नदी बहती है, विपक्ष को नदी का नाम रखा है और पक्ष का तालाब या समुद्र का नाम रखा है। लेकिन, आज की तारीख में विपक्ष की संख्या हिन्दुस्तान में बढ़ गयी है, जिससे वातावरण में अव्यवस्था फैल गयी है। देश के अन्दर और हमारे राजस्थान की विधान सभा में भी पक्ष-विपक्ष में कई संख्याएं ज्यादा हैं, यह ठीक नहीं है, यह अव्यवस्था है, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेताओं की भावना भी यही थी।

माननीय सभापति महोदय, जब राजस्थान में 2003-04 में माननीया मुख्य मंत्रीजी के द्वारा सरकार की बागडोर हाथ में ली गयी थी, उस वक्त राजकोषीय घाटा 6.5 प्रतिशत था जिसे इसे घटा कर 2007-08 में 1.75 प्रतिशत कर दिया गया। लेकिन पिछली सरकार इसको फिर से 3 प्रतिशत से अधिक छोड़कर गयी है। वर्ष 2014-15 में अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा 20167 करोड़ बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में अभी राज-काज में बड़ी दिक्कत आने की स्थिति वापस खड़ी कर दी गयी है।

माननीय सभापति महोदय, इतनी बात को कहते हुए मैं सदन का मन हमारे बांसवाड़ा...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय सभापति महोदय, एक भी मंत्री यहां पर सदन में मौजूद नहीं है। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (राज्य मंत्री, विधि) : दिख नहीं रहा है क्या आपको? मैं बैठा हुआ हूं।

श्री जीतमल खांट (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन) : हम बैठे हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, श्रम) : हम बैठे हैं।

श्री सभापति : कृपया डिस्टर्ब न करें। आप चालू रखें। प्लीज। जोगारामजी, प्लीज।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : नम्बर बढ़ गये हैं चश्मे के। (व्यवधान)

श्री नवनीत लाल (घाटोल) : अभी राजस्थान की सरकार ने माननीया मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में शुद्ध पेयजल आपूर्ति को प्रथम वरीयता दी है। इस वरीयता में हमारे गांवों की 1523 गुणवत्ता प्रभावित हैबिटेशन शामिल की गयी

(श्री नवनीत लाल)

हैं और वर्ष 2014-15 में वार्षिक कार्य योजना के तहत 1774 गुणवत्ता प्रभावित हैबिटेशन सहित कुल 3173 हैबिटेशन को लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया है। पानी की शुद्ध व्यवस्था करने हेतु मैं सुझाव देता हूं और आपका मन बांसवाड़ा जिले की ओर ले जाना चाहता हूं। बांसवाड़ा जिले में जनता जल योजना की कुल 37 परियोजनाएं हैं जिसमें से 20 परियोजनाएं आज बंद पड़ी हैं जिससे जनता को पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है। उसे तत्काल सर्वे करवाकर प्रारम्भ किया जाकर 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने बाबत मेरा आग्रह है। गत सरकार की लापरवाही के कारण जनता जल योजनाएं जो अभी बंद पड़ी हैं। उनका नाम मैं अंकित करवाना चाहता हूं- ग्राम-देवदा, चोकड़ी, भुवासा, बस्सी आड़ा, जगपुरा, बासली खेड़ा, सेनावासा, देलवाड़ा लोकिया, कटुम्बी, वजवाना, बड़गांव, कोहाला, मोटी टिम्बी, बस्सी, पीपलोद, पिण्डारमा, नागावाड़ा, ईटाउवा, ओबला, फलवा। 20 योजनाएं हैं, इनमें विद्युत कनेक्शन काट दिये गये हैं और ये योनजाएं बंद पड़ी हैं। इन योजनाओं को चालू कर जनता को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का मेरा आपको निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से हमारा देश किसान प्रधान देश है। किसानों की व्यवस्था को देखते हुए बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर माही नाम का एक बड़ा डैम बना हुआ है, जिसकी शुरुआत 1967 में प्रारम्भ की गयी थी और 1980 में जाकर यह डैम पूरा हुआ। इस डैम से बांसवाड़ा जिले में हरियाली आयी। बांसवाड़ा जिले में खेती योग्य 6 लाख 94 हजार 304 एकड़ भूमि में इससे पानी सप्लाई होता है। वहां पर गत सरकार ने माही डैम के मुख्य अभियंता की जो पोस्ट है, उसको तोड़ दिया है। मेरा आग्रह है कि मुख्य अभियंता की पोस्ट को यथा स्थान बांसवाड़ा जिले में कायम रखा जाए ताकि माही से जो नहरें निकली हुई हैं, जो पानी बहाव क्षेत्रों में सप्लाई किया जा रहा है, उसकी अव्यवस्था हो गयी है, वह न हो। छोटी से छोटी स्वीकृति लेने के लिए माही के अधिकारियों को उदयपुर या जयपुर में आकर स्वीकृति लेनी पड़ती है। मेरा आग्रह है कि माही डैम के चीफ इंजीनियर का आफिस तोड़ा है, उसे यथा स्थान बांसवाड़ा जिले में ही रखा जाए। इतनी बात कहकर मेरी बात को यहीं विराम देता हूं।

श्री सभापति : श्री रमेश मीणा। समय का ध्यान रखें, रमेशजी।

श्री रमेश (सपोटरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 फरवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय जब अपना भाषण देने आये तो उन्होंने किसी प्रकार का यह एहसास नहीं होने दिया कि वह अभिभाषण नहीं पढ़ना चाहते। थोडा व्यवधान भी हुआ, किन्तु वे अनवरत अपना अभिभाषण पढ़ते रहे। लेकिन सरकार की...(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आपस में बातचीत न करें। कृपया बात न करें।

श्री रमेश (सपोटरा) : अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाए, बीच में बोल दिया गया। क्योंकि सरकार को पता था कि यह अभिभाषण असत्य का पुलिन्दा है और इसमें सदस्य विरोध करेंगे। हो सकता है कि सत्ता पक्ष के भी विरोध करें। पूरे राज्य की जनता जानती है कि इन सवा सालों में सरकार ने क्या किया। ऐसे कोई काम नहीं किये जो ऊंगली पर गिनाने लायक भी हों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार बनने के काफी अन्तराल के बाद सरकार ने सम्भागीय दौरे किये। वहां पर लोगों की समस्याओं को सुना और आपके द्वार का कार्यक्रम सरकार ने रखा। वहां पर समस्याएं थीं- हैण्डपम्प खराब है, सड़कें टूटी हुई हैं, पुलियाएं क्षतिग्रस्त हैं, स्कूलों में मिड-डे-मिल ठीक नहीं है, गांवों में शिक्षक नहीं है, गांवों में डाक्टर नहीं हैं, बीपीएल सूची में नाम नहीं हैं, पेंशन नहीं मिल रही है, शौचालयों नहीं है, तबादले नहीं हो रहे हैं। इन समस्याओं का अम्बार लगा, लाखों की संख्या में शिकायतें जब सरकार को मिलीं तो सरकार एकदम हैरत में आ गयी, बैकफुट पर आ गयी और सरकार ने दौरे रोक दिये। दौरे रोक दिये और इस समस्या का समाधान करने में सरकार विफल रही। राजस्थान में 8 लाख अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन पर नियंत्रण जयपुर से बैठकर नहीं हो सकता। हमारा सुसंगठित एक प्रशासनिक तंत्र है, हर स्तर पर निरीक्षण की व्यवस्था है, लेकिन सरकार उस तंत्र को मजबूत करने के बजाय उनके द्वार गयी और सरकार का जो भय था, जो गैप था, वह भी खतम हो गया। इस भ्रष्ट तंत्र में किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सरकार सम्भाग के दौरे में भी विफल रही।

उसके बाद जो अभी सरकार ने बिजली में वृद्धि की है, घरेलू बिजली में 70 प्रतिशत, कामर्शियल बिजली में 19 प्रतिशत, इससे घाटा पाटने की सरकार ने कोशिश की है और टैरिफ को बढ़ाया है। माननीय सभापति महादेय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार बनते ही इस टैरिफ को क्यों नहीं बढ़ाया? बिजली घाटे में है, इस बिन्दु पर मैं कहना चाहूंगा कि यह पक्ष और

(श्री रमेश)

विपक्ष की बात नहीं है, यह एक गम्भीर मुद्दा है। बिजली कम्पनियों पर 75 हजार से ज्यादा का जो घाटा है, वह 90 हजार करोड़ तक पहुंचने जा रहा है, तो इस मुदे पर सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार इस घाटे को रोकें और बिजली की रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा आए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में ऐसे जिले हैं जहां पर छीजत 35 से 40 परसेंट है। उन जिलों में है हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी जहां से चुनाव लड़ती हैं, झालावाड़ और उनके पुत्र जहां से सांसद हैं बारां। बारां और झालावाड़, धौलपुर, करौली, अलवर, गंगानगर, दौसा, सवाई माधोपुर, इन जिलों में सबसे ज्यादा छीजत होती है। इस छीजत को रोकने का प्रयास सरकार नहीं कर रही है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, सरकार राजनीतिक फायदा उठाती है। चुनाव होते हैं तब वह ढील छोड़ दी जाती है और चोरी बढ़ जाती है। सरकार इससे ऊपर उठकर छीजत को रोकने का प्रयास करे। सरकार ने जो रेट बढ़ायी है इससे लगभग 4500 करोड़ की राजस्व प्राप्ति होगी। लेकिन जो घाटा है वही लगभग 15 हजार करोड़ है और जिसमें से भी 7 हजार 744 करोड़ तो ब्याज में ही चला जाता है। अल्प अवधि का ऋण है, उसमें ही चला जाता है। डिपार्टमेंट के अन्दर भ्रष्टाचार है, करप्शन है, टेण्डरों में अनियमितता है, सी एल आर बेसेज पर, टंकी बेसेज पर जो ठेके होते हैं, उसमें लेबर रेट तो मात्र 5 से 10 लाख होती है, लेकिन कांट्रेक्टर एक करोड़ से बीस करोड़ का माल ले जाता है। उसके बाद उसकी जो फाइनल बिलिंग है, वह पैंडिंग पड़ी रहती है और उसमें से आधा माल बेच जाता है। आप क्राइसिस बताकर महंगी दरों पर बिजली खरीदते हो। उसके बाद आपके इंस्पैक्शन विंग बना हुआ है, उसमें भ्रष्टाचार भरा हुआ है। आप इंस्पैक्शन कराते हैं, उसकी बजाय आप थर्ड पार्टी इंस्पैक्शन कराएं। जो भी आपका सेल है, परचेजिंग है या टेण्डर है, उसमें एक कमेटी बनाएं और इंस्पैक्शन कराएं। आज आपके इंजीनियर्स हैं, इंस्पैक्शन करने जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं, कोई फर्स्ट ए.सी. में जा रहा है। उसको क्या किराया मिलता है? क्या उसका प्रोटोकाल है, क्या सिस्टम है? वहां फैक्टरी का मालिक आता है, वह उसको डायरेक्ट ही अपनी गाड़ी मे ले जाएगा, साइन कराएगा। यह इंस्पैक्शन हो गया। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो चोरी हो रही है, उसको रोक दे सरकार तो घाटा पूर्ण हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण राजस्थान में आज बना हुआ है, झालावाड़ में एक इंजीनियर

(श्री रमेश)

कनेक्शन काटने के लिए जाता है कालोनी में, लंका कालोनी कुछ ऐसा नाम है, उसमें गया तो वहां जे.ईएन. के साथ मारपीट होती है। सत्ता के लोगों का एक तरह से उसको सपोर्ट रहता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। बारां शहर में योगेश्वरी देवी जे.ईएन. को सरेआम रोड पर पीटा जाता है, क्या वह अपने घर के लिए नौकरी कर रही है? सरकार की नौकरी कर रही है, उसको पीटा जाता है। वह अवैध कनेक्शन को रोकने के लिए गयी थी। मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि एफ आर ई सिस्टम में, रिनोवेशन में जो भी आपको मैटीरियल मिला, उसको कांट्रेक्टरों ने बेच खाया तो सरकार को इस भ्रष्टाचार पर रोक लगानी होगी। टेण्डरों में ध्यान रखना होगा। राजस्व घाटे को कैसे पाटा जाए? यह जो 17 या 19 परसेंट कामर्शियल और किसानों के लिये 75 पैसे बढ़ाया, इसको बढ़ाने से घाटा पूरा नहीं होगा। घाटे को रोकने के लिए सरकार की मंशा स्पष्ट करनी होगी, सरकार को काम करने के अच्छे प्रयास करने होंगे।

आपकी जो कानून व्यवस्था है, आप जब सरकार में नहीं थे, सुराज संकल्प यात्रा के दौरान आपने घोषणा की थी। सुराज संकल्प यात्रा के दौरान माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने कहा था कि महिलाओं का खोया हुआ सम्मान, जो कांग्रेस सरकार में सम्मान खो गया था, उसको हम वापस लाएंगे। लेकिन आज राजस्थान की स्थिति क्या है महिलाओं के प्रति? 14 से 16 परसेंट इस राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं। 2013 की क्राइम रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। दिसम्बर, 2014 की जो रिपोर्ट है, उसमें 3759 बलात्कार हुए हैं और 1637 हत्याएं हुई हैं। 1301 लूट हुई हैं, 29095 चोरियां हुई हैं और 5671 अपहरण हुए हैं। यानि प्रतिदिन लगभग 5 हत्याएं और 11 बलात्कार इस प्रदेश में हो रहे हैं।

अभी बात चल रही थी पर्यटन की, कि पर्यटक आएंगे और पर्यटन को सरकार बढ़ावा देगी। जापानी युवती के साथ बलात्कार इस प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसको कंट्रोल करे। अधिकारियों को चुस्त-दुरुस्त करे। अभी मैं पढ़ रहा था कि डी.पी.जी. ने जिले के एस.पीज की रिपोर्ट ली तो एक डूंगरपुर एस.पी. के अलावा सभी की रिपोर्ट बड़ी दयनीय थी। सरकार में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, वह इस कदर बढ़ा है कि सत्ता पक्ष के विधायक, सत्ता पक्ष के मंत्री भी इस बात

(श्री रमेश)

का एहसास कर रहे है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार नाकाम रही।

वे मंत्री जिन्होंने जनता के सामने अपनी बात को स्वीकार किया है, यह कहने वाली बात नहीं हैं कि हमने सत्ता पक्ष के होते हुए बात कह दी, हमारे खिलाफ जाएगी। यह खिलाफ बात नहीं जाएगी, जनता के सामने कम से कम आपने अपनी बात रखी, अपने दर्द को आपने जनता के सामने स्वीकार किया। सरकार की एक मंत्री बता रही हैं कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। हमारे मुख्य सचेतक कह रहे हैं कि बाबू बिना पैसे के काम नहीं करते हैं। बाबू को कह रहे हैं कि अब आगे से ऐसा काम मत करना नहीं तो मुख्य मंत्री से शिकायत करूंगा, सजा दिलवा दूंगा। मुख्य सेचतक को जो भी बाबू था, यदि उसने कोई गलत काम किया था तो उसको तुरन्त सस्पैंड करना चाहिए था, उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए थी।

भ्रष्टाचार राजस्थान में इस कद्र बढ़ा है कि मंत्री की मौजूदगी में मीडिया के सामने दौसा जिले में विधायक ने अफसरों पर भ्रष्टता के आरोप लगाये। डीडवाना में एक जे.ईएन. बोलूराम सैनी ने बकाया भुगतान के लिए कमीशन के दो लाख रुपये मांगे, 50 हजार रुपये देने के बाद भी वो पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया तो ठेकेदार शेर असलम खान को आत्महत्या करनी पड़ी। इससे बडी शर्म की बात क्या होगी। राजस्थान सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और लोग मर रहे हैं।

आपने अभी पैट्रोल पर वैट बढ़ा दिया। जब अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पैट्रोल की दर, तेल की दर कम हुई तो दर कम करनी चाहिए थी। हमारे समय में गैस सिलिण्डर पर 25 रुपये की सब्सिडी दी, उसको भी आपने समाप्त कर दिया।

आपने सत्ता में आने से पहले टीचर्स के लिए एक ट्रांसफर पालिसी का एलान किया था और सत्ता में आने के बाद भी इस पालिसी के लिए आपने खूब हल्ला मचाया, लेकिन फिर वही हुआ, पुराना ढर्रा। घोर भ्रष्टाचार के आरोप में आपने तबादले किये और इतना हल्ला मचा कि मंत्री बदनाम हो गये और सरकार को उनका विभाग भी बदलना पड़ा। सरकार ने अभी ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर सैकण्डरी स्कूलों को हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत किया है... (व्यवधान) हां, बोलिये।

श्री हीरालाल (निवाई) : कांग्रेस के आपके शासन में मास्टर भंवर लाल का महकमा बदला था, तो महकमा बदलना कोई यह बात थोड़े ही है।

श्री रमेश (सपोटरा) : सरकार आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है। वो भंवर लाल और बाबू लाल वो सब...(व्यवधान) चले गये वो।

श्री सभापति : निवाई से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : आपको पता नहीं, भामाशाह योजना... (व्यवधान) वो सरकार आने के बाद चालू की है भामाशाह। (व्यवधान) महिलाओं के हित की बात करते हो, दो-दो मंत्री जेल में पड़े हैं।

श्री सभापति : अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रमेश (सपोटरा) : (व्यवधान) कर्म किया है जब ही तो यहां बैठे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत तो कर दिया लेकिन न जगह की व्यवस्था है, न अध्यापकों की व्यवस्था है।

पैरा नम्बर 37 में नौवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को साइकिल की घोषणा तो कर दी गयी, यथावत रखेंगे, लेकिन साइकिलें अभी तक नहीं मिली हैं। हमने आठवीं क्लास में प्रथम आने पर टैबलेट की जो योजना रखी थी, उसको आपने समाप्त कर दिया है। उसमें भी आपने कटौती की है कि बारहवीं में 75 परसेंट अंक लाने पर छह हजार लोगों को स्टेट मैरिट के आधार पर दिया जाएगा, हमने लैपटाप दिया था दस हजार स्टेट मैरिट पर।

किसानों के लिए सरकार ने स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान किसान हित की बात कही थी लेकिन जब समय आया तो किसानों को खाद नहीं मिल रही। खाद के लिए महिलाएं लाइन में लगीं, पुरुषों को तो ड़ंडे पड़े ही, महिलाओं को भी पुलिस के डंडे खाने पड़े और खाद थाने में बंटवायी गयी। कभी मंत्रीजी कहते हैं कि किसान खर्च करते हैं, ज्यादा खाद का उपयोग करते हैं इसलिए कमी आयी। कभी मंत्रीजी ने कहा कि वैगन नहीं आ रही और कभी मंत्रीजी कहते हैं कि रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग करें। तो यह किसानों के साथ किस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, क्या किसान मूर्ख हैं?

(श्री रमेश)

किसानों के लिए सरकार ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पहले कहा था कि हम कोई रेट नहीं बढाएंगे, अभी 75 पैसे बढ़ा दिये। बजट में यह भी घोषणा की थी कि जो पैंडिंग कनेक्शन हैं, उनकी एक नीति बनाएंगे और हम कृषि कनेक्शन जारी करेंगे। राजस्थान में अभी साढ़े तीन लाख पैंडिंग कनेक्शन हैं कृषि क्षेत्र में, आपने मात्र 25 हजार कनेक्शन जारी किये हैं।

अभी हाल ही में माननीय प्रधान मंत्री मोदीजी पधारे थे और किसान हैल्थ कार्ड जारी किये। किसानों के लिए क्या है किसान हैल्थ कार्ड? साइल का जो आप जारी कर रहे हो उनकी उपजाऊ भूमि के लिए, टैस्टिंग के लिए कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन उनको आप बिजली, पानी और खाद समय पर दे नहीं पा रहे हो और किसानों के हित की आप बात कर रहे हो। मोदी जी पधारे थे तो हमें भी लगा कि राजस्थान प्रदेश को कुछ न कुछ अच्छी सौगात मिलेगी लेकिन लगा ऐसा कि सरकार से नाराज थे। आकर वापस चले गये। राजस्थान की वर्षों से मांग थी कि राजस्थान को विशेष दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला।

आज राजस्थान की सड़कों की स्थिति बड़ी दयनीय है। बड़ी घोषणा की थी, बड़े अभिमान से कहा था कि बीस हजार किलोमीटर की सड़कें बनाएंगे और पीपीपी माडल के आधार पर टोल वाली सड़कें होंगी। लेकिन सड़कों का पीपीपी माडल न तो धरातल पर आया है और न जो गौरव पथ की बात थी, स्वीकृति हो गयी है लेकिन काम कहीं मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा कि गौरव पथ का भी कहीं काम हुआ है।

एक बात और कही थी कि हम 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो प्रति दिन 822 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और एक महीने में 24,657 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। सवा साल हो गया, 3,69,858 लोगों को रोजगार मिल गया क्या? इस तरह की थोथी घोषणा। मुख्य मंत्रीजी ने कहा, नौकरियां नहीं मिलेंगी, आप ट्रेनिंग करो। कौशल विकास की बात हुई तो उसमें भी कोई ऐसे अच्छे रिजल्ट नहीं हैं। तो राजस्थान के युवाओं के साथ आपने वोट लेने के लिए असत्य बोला और युवाओं के साथ धोखा किया।

जिसकी बात करते हो कि कर्जा बढ़ गया, पूर्ववर्ती सरकार कर्जा छोड़ गयी। वो बढ़ गया तो मैं आपको आपकी छह माह की रिपोर्ट भी बता देता हूं कि आपकी भी आर्थिक सेहत अच्छी नहीं है और केन्द्र सरकार से भी आपको

(श्री रमेश)

जो पैसा मिलना चाहिए था, वो पूरा नहीं मिल पाया है। इस वित्तीय वर्ष में आपका राजकोषीय घाटा जी.एस.डी.पी. का 3.52 प्रतिशत रहा, जब कि वित्तीय जवाबदेही और बजट प्रबन्धन, घरेलू आय का जो होना चाहिए, तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। आपकी राजस्व प्राप्तियां घटीं, आपके योजना खर्च में कमी आयी और आपने हल्ला किया कि पिछली सरकार ने कर्ज को बढ़ा दिया। तो आपका भी बता दूं कि जो कर्ज था 1.21, उसको आपने 1.34 लाख करोड़ बढ़ाया।

अब आपके मंत्रियों की बात सुन लें। मुख्य सचेतकजी, मैंने आपकी सुनायी, थोडी-सी आपके मंत्रियों की भी बता दूं कि आपके मंत्री बयान देते हैं...

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री रमेश (सपोटरा) : बस दो मिनट का है।

प्रदेश में 44 हजार गांव और 70 हजार पुलिस है, कहां-कहां ध्यान रखूं। गृह कर माफ नहीं होगा तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, एक मंत्री यह कह रहा है। अस्पतालों की हालत देख कर शर्मिन्दा हूं, एक मंत्री उसी विभाग का कह रहा है। समाज कल्याण मंत्री-छात्रावासों की हालत देख कर मुझे शर्म आती है कि इस विभाग का मंत्री हूं। आई.आई.टी. में राजस्थान के छात्र टाप करते हैं लेकिन राजस्थान में पढ़ कर नहीं। ये मंत्रियों के बयान हैं।

(14.00 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचारियों को बचाने में भी अच्छे प्रयास किये हैं। जो ए.सी.बी. बड़ी मुश्किल से रिश्वतखोरों को पकड़ती है, उन 40 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति की मनाही कर दी। जो मुकदमे दर्ज हुए, वर्ष 2014 में मात्र 267 एफ.आई.आर. दर्ज हुईं जबकि 2013 में 362 थीं और अभी पैंडिंग हैं 300 से 392. 2014 की 266 कंसिडरेशन में हैं। टोटल 449 शिकायतें आयीं।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा काम नहीं किया। आप बात करें पीएचसी, सीएचसी की, उनमें तो दवाइयां नहीं ही मिल रही हैं। अगर बात आ जाए आपके एसएमएस की तो यहां पर भी जो घोषणा सरकार ने की थी कि हम पूरी दवाइयां देंगे, उसकी आधी दवाइयां भी नहीं मिल रही हैं। पेशेंट जाता है तो फटाफट डाक्टर पर्ची लिखता है और कहता है कि बाहर से ले आओ। पहले हमारे समय में यह डर

(श्री रमेश)

था कि पर्ची लिखूंगा तो मेरे खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी। अब कोई नहीं है, सीधा बहाना है कि दवाइयां नहीं हैं इसलिए मैं बाहर की दवाइयां लिख रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, स्वाइन फ्लू से मौतों का जो सिलसिला है, वह बढ़ रहा है। सरकार रोकने में विफल रही है। मैंने सरकार से कल भी मांग की थी कि जो व्यक्ति स्वाइन फ्लू से मरे हैं, उनको 5-5 लाख रुपये का मुआवजा दें। सरकार को चाहिए था कि ढाई सो लोग मर चुके इस बीमारी से तो सत्ता पक्ष का कोई विधायक, मंत्री संवेदना व्यक्त तो करता। ढाई सौ लोग मर गये और इस सदन में उनका कोई मतलब ही नहीं है। लोग मर रहे हैं और सरकार चुपचाप बैठी है। सरकार मस्त है। कम से कम 2 मिनट की शोक संवेदना तो व्यक्त कर लेते।

कल सरकार के चिकित्सा मंत्री ने जो जवाब दिया, वह बड़े हल्केपन का जवाब दिया। अपनी हिस्ट्री बतायी है उसमें। उनके लिए कोई मदद की बात करते। आज मैं स्वाइन फ्लू की बात करूं तो जितने लोग एसएमएस में वेंटिलेटर पर गये, उसमें से 100 परसेंट ही लोग मरे। 1 परसेंट भी वेंटिलेटर से वापस नहीं आया। जीवित नहीं बचा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : आपने तो कल भाषण सुना ही नहीं था। आप तो बायकाट कर गये थे।

श्री रमेश (सपोटरा) : सरकार के इस सवा साल में कोई प्रयास अच्छे नहीं हुए। अच्छे प्रयास जो कर रही है सरकार, वह शराब की बिक्री बढ़ाने, गली-गली में दुकान खोलने का हुआ। जिन प्रधानमंत्री मोदीजी के नाम से वोट मांग रही है सरकार, उन्होंने तो मुख्य मंत्री के अपने काल में वहां शराब की बंदी लगा दी थी। यहां सरकार शराब की दुकान खोल रही है। शराब की दुकानें खुलेंगी तो अपराध बढ़ेंगे। तो क्या यह जनता के लिए लाभदायक है? सरकार के हित में है क्या?

श्री कालूलाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : माननीय सदस्य, पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भैरोंसिंहजी ने नशाबंदी की थी...(व्यवधान) लेकिन आपकी सरकार ने ही वापस शुरू कर दी। शिवचरणजी माथुर जब मुख्य मंत्री थे, आते ही पहले उन्होंने शराब चालू की। आप किस मुंह से कह रहे हो, आपकी तो पार्टी ने खुद चालू की।

श्री रमेश (सपोटरा) : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, सरकार में आप हो, आपकी मंशा ठीक होनी चाहिए। आपकी जवाबदेही है। हम नहीं कर पाये तो इधर बैठे हैं न। अगर आपका भी मन है कि इधर आ जाएं, यह विचार है तो आपकी मर्जी जैसा कीजिए। जो करना है वह मनमर्जी कीजिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार के समय खाद्य पदार्थ शुद्ध मिलें, इसकी व्यवस्था सरकार ने की। 'शुद्ध का युद्ध' के माध्यम से मोबाइल टैस्टिंग और इंस्पैक्शन किये। वह इस सरकार ने आते ही बंद कर दिया। खाद्य मंत्री यहां विराजमान हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था करे सरकार की आम आदमी को शुद्ध खाद्य वस्तु मिले।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : नैक्स्ट।

श्री रमेश (सपोटरा) : बस थोडा-सा ही है, दो मिनट का। ज्यादा नहीं है। अब हो गया। राजस्थान में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सरकार नहीं कर पायी। आर.ओ. लगाने की सरकार ने घोषणा की उसमें भी उनके क्षेत्र में या जिले में आर.ओ. लग गये हों, कहीं दूसरे जिलों में तो हमें दिखाई नहीं दिये।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने सोलर एनर्जी हेतु 100 मेगावाट का जो 700 करोड़ का एमओयू किया है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी को खुश करने के लिए अडानी, अंबानी को बुलाया है। यहां के किसानों की जमीनों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। यदि इस प्रकार उद्योगपति राजस्थान में आ जाएंगे तो एक तरह से किसान तो नीचे चला जाएगा। जो एमओयू हुआ है वह मुझे ऐसा लग रहा है कि महंगी दर पर हुआ है। जब माननीय सदन की नेता इसमें जवाब दें तो एमओयू की दरें जो तय की हैं, वह स्पष्ट कर दें और अपने उत्तर में बता दें।

आप आरटीडीसी की होटलों का घाटे के नाम पर निजीकरण करना चाहते हैं और अपने चहेतों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। रिफाइनरी को समीक्षा के नाम पर ठंडे बस्ते में डाल दिया। यह राजस्थान की जनता के साथ में अन्याय है। जो 20 हजार करोड़ का राजस्व प्राप्त होता, वह पैंडिंग पड़ गया है।

माननीय सभापति महोदय, शहरों में बढ़ती बसावट को रोकने की दिशा में कोई प्रभावी पहल नहीं की। शिक्षकों का समानीकरण, एकीकरण सही तरीके से नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, आज रोडवेज में 52 डिपो हैं, जिनमें

(श्री रमेश)

21500 कर्मचारी हैं, 11500 पेंशनधारी हैं। आज 20 डिपो के कर्मचारी पेंशन के लिए भटक रहे हैं। उन्हें बरसों से पेंशन नहीं मिली है। जो पेंशन वाले हैं उनको ग्रेच्युटी आदि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। रोडवेज घाटे में आज से ही नहीं पहले से चल रहा है। 2364 करोड़ का घाटा और 900 करोड़ का कर्जा है। सरकार इसको पीपीपी माडल पर लाने का विचार कर रही थी, उसका क्या हुआ? सरकार इसमें भी फेल रही।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप कनक्लूड करें।

श्री रमेश (सपोटरा) : माननीय सभापति महोदय, एशिया पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के प्रति सरकार बिलकुल गम्भीर नहीं रही। वे आये तो उनके सम्मान की कोई बात नहीं हुई। उनको मिलने तक का मौका नहीं दिया।

माननीय सभापति महोदय, खनन के क्षेत्र में आरएसएमएम का निजीकरण कर दिया। लेकिन वहां पर एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो कम कीमत वाले खनिज हैं, कम लाभ देने वाले हैं। उनके लिए सरकार पर जिम्मेदारी आएगी। इस बारे में सरकार क्या करेगी? ईस्ट–वैस्ट कारिडोर का क्या हुआ? नदियों को जोड़ने के काम का क्या हुआ?

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री कैलाश चौधरी।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : सारा घाटा हमारी सरकार का ही है क्या?

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : माननीय सभापति महोदय, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का जो मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। कल से अभिभाषण पर बहस चल रही है, प्रतिपक्ष द्वारा कहा गया कि एक साल के अन्दर आपने क्या किया? माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक साल के अन्दर जो काम हुए, ऐसा लगता है, 2008 के अन्दर हमारी सरकार काम जहां छोड़कर गयी थी, वहीं से काम हमने वापस शुरू किये हैं। इन 5 साल के अन्दर आपने क्या किया? मेरा यह कहना है कि पिछले एक साल के अन्दर अधिकतर समय तो चुनाव में गया जिसमें से 165-170 दिन तो आचार संहिता में गये। उसके बावजूद हमने बहुत अच्छे काम करने का प्रयास किया। एक उदाहरण दूं,

(श्री कैलाश चौधरी)

विद्युत के क्षेत्र में हमारा 2008 में 15 हजार करोड़ का घाटा था, उसको आपने बढ़ाकर इन 5 सालों के अन्दर 75 हजार करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया है।

माननीय सभापति महोदय, कल जब बहस हो रही थी तो प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने क्या करवाया। हमने आते ही सबसे पहले तो पंचायतों का पुनर्गठन किया जिसकी लम्बे समय से मांग थी। जब हमारे पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी थे, उस समय उन्होंने पुनर्गठन करवाया था। जेसे बाड़मेर में मेरा क्षेत्र है वहां रेगिस्तान में बहुत-बहुत दूरी पर पंचायतें थीं। हमारे लोगों को बहुत तकलीफें होती थीं वहां जाने में। हमारी इसके लिए मांग थी तो पिछली सरकार ने कहा कि हम पंचायतों का पुनर्गठन करेंगे। उन्होंने पंचायतों के पुनर्गठन का खाका भी तैयार किया। लेकिन उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया क्योंकि आपकी काम करने की मंशा नहीं थी। अगर आपकी काम करने की मंशा होती तो आपकी जब सरकार थी उस समय आप पंचायतों का पुनर्गठन करवा देते। लेकिन आपने पंचातयों का पुनर्गठन नहीं करवाया। हमारी सत्ता आते ही जो दूरदराज लोग बैठे हैं, हमने उनके दर्द को समझा और पंचायतों का पुनर्गठन किया। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी को और तत्कालीन पंचायती राज मंत्री को कि उन्होंने किसानों और दूर बैठे लोगों के दर्द को समझा और पंचायतों का पुनर्गठन करवाया जिसमें बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा पंचायतों और पंचायत समितियों का पुनर्गठन हुआ। राजस्थान में 47 पंचायत समितियां बनीं और बाड़मेर में 9 पंचायत समितियां नयी बनीं और मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 2 पंचायत समितियां बनीं। यह हमारा काम है।

दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बाड़मेर में बायतू विधान सभा क्षेत्र के अन्दर काफी समय से मांग थी कि हमारे कालेज खुलना चाहिए। पूर्व में आपकी सरकार में भी कहा गया कि हम करेंगे लेकिन आपने नहीं करवाया। जब हमारी सरकार बनी तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्य मंत्रीजी को और शिक्षा मंत्रीजी को कि उन्होंने बायतू के अन्दर कालेज खुलवाया और वह घोषणा क्रियान्वित की। आज वह कालेज चल रहा है।

(श्री कैलाश चौधरी)

शिक्षा के बारे में आपने कभी नहीं सोचा कि हम शिक्षा को आगे बढाएं और शिक्षा का प्रभाव बढ़ाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक समय ऐसा था हमारे क्षेत्र के अन्दर, बाडमेर के अन्दर मैं कह सकता हूं, शायद दूसरे क्षेत्रों के अन्दर भी, उस समय हमारे गांव के अन्दर कोई भी विद्यालय नहीं हुआ करते थे। कोई विद्यालय होता था तो उस विद्यालय के अन्दर या तो किसी पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता या किसी झूंपे के नीचे पढ़ाया जाता था। मैं धन्यवाद दूंगा उस समय के मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी को कि उन्होंने पहली बार हमारे वहां पर विद्यालयों में पक्के भवनों के निर्माण की शुरुआत की जिसकी वजह से हमारे यहां शिक्षा को बढ़ावा मिला। ऐसी कुछ पंचायत समितियां थीं जहां पर आठवीं तक के विद्यालय हुआ करते थे, प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय, लेकिन एक ही आदेश जारी कर हर पंचायत के ऊपर आठवीं विद्यालय की घोषणा की। उसके बाद जब हमारी वसुन्धरा राजेजी पिछली बार मुख्य मंत्री बनीं तो बनने के बाद उन्होंने देखा कि दूर-दराज जो हमारे बहनें हैं या हमारे जो भाई हैं, उनको पढ़ने के लिए दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस किलोमीटर जाना पड़ता है। दसवीं के विद्यालय नहीं हैं, माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं। तब हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने तय किया कि यदि हमें शिक्षा को बढ़ावा देना है तो प्रत्येक पंचायत के ऊपर दसवीं स्कूल होनी चाहिए। उन्होंने यह नहीं सोचा, जैसे आपकी तो हमेशा एक मंशा रहती है। एक दसवीं का स्कूल लेने के लिए एमएलए हो चाहे एमपी हो, उनके पीछे घूमते थे और बड़ी मुश्किल से उनकी दसवीं स्कूल मिलती थी। लेकिन हमारी मुख्य मंत्रीजी ने एक निर्णय लिया और प्रत्येक पंचायत पर दसवीं स्कूल खोली। उसके बाद हम इस बार सत्ता में आये, तो पिछली बार तो सारी दसवीं स्कूलें हो गयीं थीं लेकिन इस बार तय किया कि जो हमारी बहने हैं उनको बहुत दूर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, तब इस बार तय किया कि हर पंचायत के ऊपर दसवीं से सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल होना चाहिए। उन्होंने आते ही एक आदेश जारी किया। कोई राजनीति नहीं की कि कांग्रेस का गांव है या बीजेपी का गांव है। उनकी एक ही मंशा रही कि प्रदेश के अन्दर शिक्षा का कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके तहत आते ही उन्होंने एक निर्णय लिया। मैं हमारे बायतू विधान सभा क्षेत्र का ही उदाहरण दूंगा, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। मेरे बायतू विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक ही आदेश के अन्दर एक साल के अन्दर 45 नई हायर सैकण्डरी स्कूलें खुलीं। पूरे राजस्थान के अन्दर 6000

(श्री कैलाश चौधरी)

हायर सैकण्डरी स्कूलें खोलीं। यह होता है शिक्षा के नाम पर काम। आप कहते हो, अभी कल प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतकजी बोल रहे थे कि आपने क्या करवाया। हमने पंचायतों का पुनर्गठन करवाया, हमने हायर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत करवाये। ये हमने काम करवाये।

चिकित्सा के क्षेत्र में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज स्वाइन फ्लू के नाम पर बात की जाती है। जब विधान सभा शुरू हुई तो मुंह पर बांध कर कइयों का उदाहरण दिया गया, नाक से भी नीचे तक। नाक से नीचे कौनसा उदाहरण देना चाहते थे, पता नहीं। लेकिन वे मीडिया के अन्दर कहना चाहते थे, कि मीडिया में आ जाए बात, बस और कुछ नहीं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे चिकित्सा मंत्रीजी को कि उन्होंने स्वाइन फ्लू को कण्ट्रोल किया पूरे राजस्थान में। दूसरे जो राज्य हैं उनमें किस तरह से स्वाइन फ्लू बढ़ा, उनसे हमारे यहां बहुत ही कम बढ़ा है। इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

दूसरा मैं चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं...(व्यवधान) हमारे क्षेत्र में नशा बढ़ता जा रहा था, डोडों का नशा। मैं डोडों की बात करूंगा कि पिछली सरकार ने आते ही नशा मुक्ति के नाम पर डोड़ों के पट्टे निरस्त कर दिये किसानों के। चित्तौड़ के अन्दर 6000 पट्टे निरस्त कर दिये। निरस्त करने की वजह से पिछली सरकार का जो शासन आया, उसमें डोडों की कमी हो गयी। जो किसान बंधानी थे नशे के, उचित मात्रा में वह नहीं मिल सका जिसकी वजह से उनको दर्द होने लगा। तब मैं धन्यवाद दूंगा हमारे चिकित्सा मंत्रीजी को कि उन्होंने 'नया सवेरा' के नाम से एक स्कीम शुरू की जिसके अन्दर नशा मुक्ति के लिए उन्होंने शिविर शुरू करवाये। आते ही सीधे एकदम 6000 अगर पट्टे निरस्त कर देंगे और अगर वह किसान बंधानी है, उसके पास में नहीं पहुंचेगा, वह नशा जो वह लेता है तो? मैं नशे का विरोधी हूं, मैं बिलकुल नहीं चाहता कि नशा हो, लेकिन जिसने भी अगर नशा शुरू कर दिया है कम से कम उसके लिए पहले यह तो सुविधा करो आप कि उसको किस तरह से नशा छुड़वाया जाए और छुड़वाने के बाद उसको बंद किया जाए। लेकिन आपने उस बंधानी का गला काटने का काम किया। आप कहते हो कि काम करो, लेकिन करने के लिए नाम किया है, वह बताइए।

(श्री कैलाश चौधरी)

विद्युत के क्षेत्र में भी में आपसे यही कहना चाहूंगा, आपने तो कह दिया था कि 100 की आबादी से ऊपर कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। लेकिन जब हमारी मुख्य मंत्रीजी आयीं, केन्द्रीय मंत्रीजी आये तो कहा कि 100 है या 200 हैं, जितनी भी आाबादी है सबका दो, हरेक को लाइट की आवश्यकता है। उन्होंने घोषणा भी की है कि आने वाले समय में चाहे बीपीएल हो चाहे एपीएल हो, सबको विद्युत के कनेक्शन दिए जाएंगे। आप किसानों की बात करते हो, किसानों के हित की बात करते हो कि हम किसान हितैषी पार्टी हैं। पिछली जब हमारी सरकार थी 2008 के अन्दर, किसानों को कृषि कनेक्शन दिये, उसके बाद में आपने पांच साल के अन्दर एक भी कनेक्शन दिया हो तो आप मुझे बता दीजिए। इन्होंने पाच साल में एक भी कनेक्शन नहीं दिया। जब हम सत्ता में आये तो आते ही 20000 कृषि कनेक्शन दिए और उसके बाद आज 2009 तक के जो आवेदन हैं उनके कनेक्शन कर दिये गये। यह हमने काम किया है। हमारी मंशा काम करने की है।

मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। आप हमेशा एससी एसटी के नाम पर कहते हैं कि एससी एसटी का अगर उत्थान करने वाले हैं तो हम ही हैं। मैं भैरोंसिंहजी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने एससी, एसटी को आगे लाने के लिए आरक्षण किया। पंचायती राज के अन्दर आज जिस तरह से उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है, वह भैरोंसिंहजी की ही देन है। उस सिंहासन पर पहली बार अगर एससी का कोई भाई बैठा है तो वह भारतीय जनता पार्टी के हमारे शासन में सिंहासन पर बैठा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी मंशा है काम करवाने की, हमारे को आगे बढ़ाना है इस राष्ट्र को, इस प्रदेश को, इस राजस्थान को आगे बढ़ाना है। आपकी तरह उलटा-पुलटा बात हम नहीं करते। कल आपके मुख से आप कह रहे थे तो बडा दर्द हुआ। जो सही कहना चाहिए उसको उलटी बात कहकर पूरा करना चाहते थे। उनके विचार ही उलटे हैं, किसी को दर्द देकर आगे बढ़ना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कल एक श्लोक था उस श्लोक को उन्होंने एकदम उलटा बोला। मैं सही उनको बता दूं। जो आपने पढ़ा वह नहीं है, सीधा चलने वाली हमारी सरकार है। कल वह कह रहे थे, उठ भीखा म्हारी बारी, वाह रे वाह। जनता अब सम्भल गयी है, अब कोई भीखा आपको बारी देने वाला नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनता ने पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर आपको जिस तरह से नकार दिया है, आप विपक्ष के नाम पर देख लो, कितने-से रह गये। राजस्थान

(श्री कैलाश चौधरी)

के अन्दर चाहे पंचायतों के चुनाव हों चाहे नगर निकाय के चुनाव हों, उसमें जनता ने जिस तरह से हमारे को जनादेश दिया है, निश्चित रूप से हम प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्रदेश को आने वाले समय के अन्दर हम आगे बढ़ाएंगे, यह हमारी सोच है।

मैं कहना चाहता हूं कि जो श्लोक उन्होंने उलटा पढ़ा वह सही इस प्रकार है :-

ओउम् सहना ववतु

सह नौ भुनक्तु

सह वीर्यं करवावहै

तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वषावहै।

इसको किस तरह से पढ़ा गया, इस श्लोक का अपमान किया गया, मुझे बड़ा दुख होता है। इसका वास्तविक अर्थ है, हे प्रभु, हमको एक-दूसरे की रक्षा करने की सामर्थ्य दे..; हम परस्पर मिलकर अपने समाज, भाषा व संस्कृति की रक्षा करें.. किसी भी शत्रु से भयभीत न हों... हमारी शिक्षा हमें एकता के सूत्र में बांधे, बुराइयों से मुक्त करे...हम एक-दूसरे पर विश्वास रखें। यही बात कहकर, सभापति महोदय, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति : श्री पब्बाराम।

श्री पब्बाराम (फलौदी) : माननीय विद्वान सभापति महोदय, आप जब सदन में बहस में भाग लेते हैं तो आपकी बहस का एक विशेष स्तर होता है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

प्रदेश की जनता प्रचण्ड बहुमत के साथ राज्य के शासन की बागडोर भारतीय जनता पार्टी और सदन की नेता यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजेजी के हाथों में सौंपकर चैन व सुकून महसूस कर रही है। पूर्व की सरकार ने तेजी से प्रगति कर रहे राज्य को, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार न जिस तरह से 2008 तक विकास के आयाम स्थापित किये थे उस राज्य को पुन: बीमारू स्थिति में लाकर जो पाप किया था, उसी का परिणाम है कि आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस दल सिकुड़कर 24 की स्थिति में आ गया है और अभी सदन में मात्र 3 बैठे हैं। असत्य घोषणा, वायदों के आत्म–प्रमोद

(श्री पब्बाराम)

में विचरण कर रही तत्कालीन सरकार पुन: सत्ता में आने का दिवास्वप्न देख रही थी, उसे जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पांच वर्षों तक जनसेवा करने का पुरुषार्थ करने की जो भावना उन लोगों में चाहिए थी, उस पुरुषार्थ का नितान्त अभाव था, इसी कारण से यह हश्र हुआ। राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जिस सुराज संकल्प पत्र को प्रचण्ड बहुमत दिया, उसे नीति-पत्र के रूप में स्वीकार करने एवं समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में लागू करने के लिए मैं यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को हार्दिक बधाई देता हूं। लगातार चार चुनाव में आचार-संहिता लगने के बाद भी बहुत अल्प समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम करने को मिला, उसके अन्दर सरकार ने जो विकास के नये सोपान स्थापित किये हैं, मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

पंचायती राज की स्थापना 1959 के बाद में पुनर्गठन के जितने भी कार्य किये, दो बार पुनर्गठन किया गया। गांवों के अन्दर विकास का पहिया तेज गति से केसे घूमे, यह प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दो बार किया गया। पंचायतों का पुनर्गठन लम्बे समय से अपेक्षित था। पिछली कांग्रेस सरकार ने भी एक असफल प्रयास किया था और राज्य के धन का अपव्यय भी किया था। अंत में जाकर उन्हें लगा, क्योंकि उनमें इच्छाशक्ति और आत्म-बल का अभाव था, उस प्रक्रिया को उन्होंने बीच में रोक दिया। मैं तत्कालीन पंचायती राज मंत्री माननीय गुलाबजी कटारिया को धन्यवाद देता हूं। यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने डेयरिंग स्टैप लेते हुए पुनर्गठन की प्रक्रिया को शुरू किया, शुरू से नहीं किया, एक फेज में जो भी पंचायत व पंचायत समितियां वंचित रह गयी थीं, दूसरा फेज शुरू करके सभी वंचित पंचायातों का पुनर्गठन कर पंचायत समितियां बनायी गयीं। मुझे इस चीज का आत्म-संतोष है कि मेरे ही जिले में छह नयी पंचायत समितियां बनी और दूसरे फेज में एक और बन गयी। इससे विकास का जो पहिया घूमेगा, विकास के लिए जो धन मिलेगा, वह अधिक मिलेगा। ग्रामीणों तक वह धन जाएगा और विकास के आयाम स्थापित होंगे। यह भी 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया। पूर्व का पुनर्गठन भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, माननीय भैरोंसिंहजी की सरकार ने किया था और अब भी इसी सरकार के द्वारा किया गया। इससे केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नये आयाम स्थापित होंगे।

(श्री पब्बाराम)

इसके साथ में शिक्षा की अनिवार्यता का क्लाज जोड़ा गया। विपक्ष के लोगों ने हल्ला किया। वे चाहते थे, क्योंकि उनको पता है कि अनपढ़ ही हमारा वोट बैंक है इसलिए अनपढ़ों के पास ही लीडरशिप रहे। परन्तु जब यह निर्णय लिया गया कि मिडिल और सैकण्डरी के लोग इसमें उम्मीदवारी के योग्य होंगे, तो बहुत हो-हल्ला मचा। यह कहा गया कि कई क्षेत्रों में पढ़े-लिखे लोग नहीं मिलेंगे। मुझे सुखद आश्चर्य होता है कि जनजातीय क्षेत्र, दूरस्थ रेगिस्तानी क्षेत्र में भी बहुत ही सुलझे हुए व बहुत पढ़े हुए जनप्रतिनिध आये। यही कारण है कि राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पंचायती राज चुनवों में प्रचण्ड बहुमत दिया। मुझे इसका आत्म-संतोष है कि मेरे जिले में, जहां का मैं जिलाध्यक्ष हूं, वहां पहली बार दो-तिहाई बहुमत से जिला परिषद और सारी पंचायत समितियों, सिर्फ एक पंचायत समिति को छोड़कर 15 पंचायत समितियों के प्रधान बन गये। पंचायती राज चुनाव में स्वच्छ भारत का स्वप्न माननीय नरेन्द्रजी मोदी ने देखा था, उसको चरितार्थ करते हुए शौचालय की जो अनिवार्यता की गयी तो लाखों शौचाललय बन गये। जब जन-प्रतिनिधियों के घर पर शौचालय देखेंगे, यह व्यवस्था देखेंगे तो और लोग भी अभिप्रेरित होंगे, इंस्पायर होंगे और वे भी बनाएंगे। पुनर्गठन के अन्तर्गत कुछ पंचायत समितियों का पुनर्गठन हुआ है और एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में कुछ पंचायतें आयी हैं जबकि रेवेन्यू सिस्टम में वो पंचायतें दूसरी पंचायत समिति की तहसील और उपखण्ड में हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि जिस पंचायत समिति क्षेत्र में उनका पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन हो गया है, उसी क्षेत्र में उनका उपखण्ड कार्यालय भी निर्धारित किया जाए और तहसील कार्यालय भी स्थापित किया जाए।

शिक्षा के क्षेत्र में अभी-अभी मेरे विद्वान प्रतिपक्षी बंधु ने कहा कि विद्यालय खाली हैं। यह आलम मैंने पूर्ववर्ती सरकार के समय में, कांग्रेस के शासन के समय देखा था जगह-जगह विद्यालयों में तालाबंदी हुआ करती थी। परन्तु अब वर्तमान शिक्षा मंत्रीजी ने द्वितीय श्रेणी के लगभग 20 हजार शिक्षक लिये हैं। उसके बाद वर्षों से प्रमोशन की बाट जोह रहे शिक्षक साथियों ने उल्लास के साथ में पर्व मनाया, उनको यह अवसर मिला कि उनका भी प्रमोशन हो। इस प्रकार से मेरे एक शिक्षक साथी को कहीं स्थान चाहिए था कि उस स्थान पर मैं जाऊं। मेरा क्षेत्र बहुत दूरस्थ और रेगिस्तानी क्षेत्र है, जैसलमेर और बीकानेर से लगा हुआ है। मैंने कोशिश की कि कोई स्थान

(श्री पब्बाराम)

रिक्त हो वहां पर तो उसका पदस्थापन करवा दूं। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि मेरे क्षेत्र बाप के अन्दर भी कोई ऐसा विद्यालय नहीं मिला जहां पर द्वितीय श्रेणी के अध्यापक का पद रिक्त हो। सब जगह पद भर दिये गये हैं। आपके वहां पर रह गया होगा, पर मैं मेरे वहां की कह रहा हूं कि वहां पर यह स्थिति है।

मेरे पास में कोई पद रिक्त नहीं मिला और आखिर उसको वहां पर जाना पड़ा।

शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बगैर किसी भेदभाव से सैकण्डरी स्कूल प्रत्येक पंचायत में क्रमोन्नत किये गये और इस बार भी। कांग्रेस सरकार में तो अंधा बांटे रेवड़ी मुड़-मुड़ घरवालों को ही दे, वो अपने-अपने लोगों को ही देते रहे। परन्तु माननीय वसुंधराजी ने, हमारी सरकार ने किसी प्रकार का अन्तर नहीं समझा और पक्ष और विपक्ष के अन्दर और सभी पंचायत मुख्यालयों अथवा पंचायत के अन्दर एक-एक सीनियर सैकण्डरी विद्यालय खोल दिये। बहुत अल्प समय में, 166-167 दिनों के अन्दर इतना क्रांतिकारी निर्णय लेना, यह भारतीय जनता पार्टी की तासीर में है, कांग्रेस के शासन में ऐसा सम्भव नहीं है और न कभी हुआ है। 4988 सीनियर सैकण्डरी विद्यालय एक झटके में खोल दिये गये जिसके लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को।

माडल विद्यालय, मुझे तो खुशी है। इंटीरियर क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय न होने के कारण हमारे वहां के जो सक्षम लोग थे, उन लोगों को बहुत दूर शहरों में जाना पड़ता था। जो लोग नहीं जा पाते थे, उनके लिए वहां पर माडल विद्यालय का निर्माण कराया गया। 186 ब्लाक्स में अंग्रेजी माध्यम के स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूलों की स्थापना की जा रही है तथा उनमें से 66 प्रारम्भ हो चुके हैं, मैं बधाई देता हूं शिक्षा मंत्रीजी को। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत लगभग 872 करोड़ 59 लाख रुपये भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के लिए खर्च कर दिये गये। इतना शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। लम्बे समय से लम्बित मांग, दो-दो परीक्षाओं के अन्दर से शिक्षक को गुजरना पड़ता था। पहले टैट के नाम का एक तूफान हमारे वहां पर आया था तो कुछ उस टैट के फेट में चले गये और उसके बाद में आर.पी.एस.सी. के द्वारा निकलना, ये दो-दो परीक्षाएं उनसे ली जाती थीं और

(श्री पब्बाराम)

इस प्रोसेस में पांच साल निकल जाते थे। वो इन्तजार करता रहता था, उसके मां-बाप इन्तजार करते थे। बड़े लाड़-प्यार से, बड़ी मेहनत से पैसा लगाकर उसको पढ़ाया गया था। परन्तु पिछले वर्षों में जितने शिक्षक रिटायर हुए उससे भी कम लिये गये और विद्यालय खोल दिये गये। हमारी सरकार ने यह तय किया कि विद्यालय खोले हैं तो अध्यापक भी लगेंगे। उस टैट को समाप्त कर, दोनों ही परीक्षाएं समाप्त कर एक रीट आयोजित की जा रही है और उसके बाद में अध्यापक लगने के लिए योग्य है। यह स्वागत योग्य कदम है।

यही नहीं, शिक्षा विभाग को भी छोड़ो, पहले तो क्या होता था कि जो भर्तियां होती थीं तो भर्तियों के समय में भर्ती के विज्ञापन निकाल दिये और अब प्रक्रिया शुरु होती थी तो अपने ही लोगों को जाकर सरकार के लोग कहते थे कि आप रिट याचिका लगा दो, रिट याचिका लगाने के बाद में उसकी पैरवी नहीं करना। पैरवी नहीं करने के कारण वो लगातार पांच साल तक अटकता रहता। उन कर्मचारियों की बची हुई तनख्वाह का पैसा, क्योंकि वित्तीय प्रबन्धन तो बिलकुल आता ही नहीं था न, ऐसी परिस्थिति में उसी पैसे का उपयोग ये इधर-उधर लगाने में करते थे।

मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी को हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने अभी-अभी उप खण्ड स्तर पर जहां महाविद्यालय नहीं हैं, वहां पर खोलने की आपने इच्छाशक्ति जतायी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस इच्छाशक्ति को आत्मबल प्रदान करे जिससे मेरे उपखण्ड में भी एक महाविद्यालय मिल जाए।

इसी प्रकार से अभी प्रतिपक्ष के मेरे साथी ने कहा कि एक किलोमीटर सड़क नहीं बनी, कुछ भी नहीं हुआ। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है क्योंकि हरियाली में अंधा हुआ है। मिथ्या संभाषण को जनता ने कई बार नकारा है और यह पवित्र मंदिर है, इसके अन्दर असत्य नहीं बोलना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि ग्रामीण गौरव पथ के टेण्डर हो गये और कार्य सुचारु रूप से चल रहे हैं। राज्य में तीन चरणों में यह सारा कार्य सम्पन्न होने वाला है और सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ बनेंगे। पहले गौरव पथ शहरों में देखा करते थे, सरपट मोटर साइकिल और वाहन चलते थे। एक स्वप्न देखा था गांव के लोगों ने, गांव के युवाओं ने, कि क्या हमारे गांव में भी ऐसी सड़कें बनेंगी। मैं सरकार को और यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने डेयरिंग स्टैप लेते हुए गांव के अन्दर भी गौरव पथ के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रथम चरण में 2154 ग्राम पंचायत

(श्री पब्बाराम)

मुख्यालयों पर 2119 किलोमीटर लम्बाई के गौरव पथ का निर्माण हो रहा है। इसके लिए 1113 करोड़ की स्वीकृति जारी हुई है। हाथ कंगन को आरसी क्या, मेरे यहां फलौदी में साढ़े दस किलोमीटर का कार्य अभी चल रहा है, कुछ कार्य हो चुका है। प्रतिपक्ष के लोगों ने उस कार्य को देखा नहीं है इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमारे वहां पर हुआ नहीं है। उसकी लागत 5 करोड़ 40 लाख रुपये है। इसी प्रकार से प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में 27 सड़क मार्गों के निर्माण का कार्य चल रहा है। लम्बाई उनकी 171 किलोमीटर है और लागत 36 करोड़ 83 लाख रुपये। अब आप कह रहे हो कि 20 हजार किलोमीटर सड़कें कैसे बनेंगी, ऐसे बनेंगी। जरा देखते रहियेगा कि किस प्रकार से इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप होगा और राजस्थान आगे की तरफ बढ़ेगा। मैं कह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र को तो बहुत बड़ी सौगात दी है। नेशनल हाइवे-15 पर बीकानेर से लेकर फलौदी, फलौदी से लेकर जैसलमेर तक और फिर फलौदी से नागौर तक तीन सड़कों के पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है, चार हजार करोड़ से अधिक की लागत से बन रही हैं। मैं हार्दिक बधाई देता हूं और माननीय वसुंधराजी और केन्द्र सरकार को धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

बिजली के क्षेत्र में हमारा जो बाप क्षेत्र है, वो सोलर हब के रूप में विकसित हो रहा है और 31 हजार मेगावाट का एम.ओ.यू. हुआ है। रात के समय में जब बाप में जाते हैं तो वो अभी इतनी एनर्जी उगल रहा है, रात के समय ऐसा लग रहा है कि मुम्बई के अन्दर आ गये, चारों तरफ लाइटें ही लाइटें हैं। इसी प्रकार से मेरे क्षेत्र में आम लोगों के उपभोग के लिए 220 के.वी. का एक, 132 के.वी. का एक जी.एस.एस. और 33 के.वी. के 22 जी.एस.एस. अभी बन रहे हैं। उनकी समय सीमा मार्च तक है। बहुत कम समय में यह सारा कुछ होने वाला है। इसी प्रकार से महिला सशक्तीकरण का पूर्व की सरकार वसुन्धराजी ने...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं सिर्फ दो मिनट के अन्दर अपनी बात को पूरा करूंगा। मैंने वह इसीलिए कहा था।

भामाशाह योजना के तहत महिला सशक्तीकरण का कार्य किया ताकि सारे के सारे परिलाभ जो भी मिलने वाले हैं। वे किसी कार्मिक के मार्फत उपभोक्ता तक न पहुंचकर उस कार्ड के द्वारा सीधे ही उसके खाते में जाएं और किसी प्रकार की छीजत न हो, करप्शन न हो। यह जो कार्य किया है, इसके

(श्री पब्बाराम)

लिए भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का।

इसी के साथ मैं राबर्ट फ्रास्ट की एक पंक्ति के साथ मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं कि काम करने के लिए जब व्यक्ति निकलता है या किसी यात्रा पर कोई व्यक्ति निकलता है, उसके बीच में नाना प्रकार के आकर्षण आते हैं, विभिन्न प्रकार के आ जाते हैं, वहां पर रुकने की आवश्यकता नहीं। पथिक अपनी गति से आगे बढ़े और लक्ष्य तक पहुंचे। यह सुनिश्चित करने का कार्य मौजूदा सरकार ने किया है। उन पंक्तियों को दोहराता हूं जिसमें राबर्ट फ्रास्ट कहते हैं, ''woods are lovely, dark and deep but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep." यानी कि घुड़सवार जब जंगल के मनोहारी दृश्य के अन्दर से गुजरता है, चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई है, उसका मन वहां पर विचलित हो जाता है। उस विचलन के अन्दर वह घंटों तक उस दृश्य को देखता-निहारता है। पर जब घोड़े ने अपने गले में लगी गुगरमाल को बजाया तो उसको याद आया कि मुझे सूर्यास्त से पहले अपने लक्ष्य तक पहुंचना है और पुन: वह अपनी दिशा की तरफ चला जाता है। परन्तु पूर्व की सरकार ने तो उस मनोहारी दृश्य के अन्दर, आत्मप्रमोद के अन्दर पूरा समय ही गुजार दिया और दिन अवसान हो गया। यह स्थिति आपने की। मैं माननीय सभापति महोदय को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये इस गरिमामयपूर्ण अभिभाषण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कोटिश: धन्यवाद देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं प्रदेश की माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धराजी का जिन्होंने देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्रजी मोदी को राजस्थान का दौरा करवाकर और खासकर मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में दौरे के साथ सोइल हैल्थ कार्ड की योजना को पूरे देश को समर्पित किया। इसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का पूरे क्षेत्र की तरफ से, सूरतगढ़-गंगानगर जिले और राजस्थान की जनता की तरफ से

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देश को एक ऐसी बड़ी राष्ट्रहित की योजना सूरतगढ़ जैसी जगह से समर्पित की।

माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जिस तरह की बाते हैं और जिस तरह की योजनाएं हैं, उनमें से कुछ योजनाएं चालू हैं और कुछ चालू होने वाली हैं या कुछ कार्य हो चुके हैं। निश्चित रूप से यह सरकार का एक आइना है कि सरकार प्रदेश की जनता के लिए क्या चाहती है। प्रदेश की मुख्य मंत्री को आज जिस तरह से राजस्थान की जनता देख रही है, उसमें राजस्थान की जनता को अपना भविष्य सुरक्षित महसूस हो रहा है। जिस तरह की लचर कानून-व्यवस्था पिछले पांच साल के अन्दर कांग्रेस की सरकार द्वारा दी गयी थी, उसको सुधारने के लिए हमारी सरकार को पूरा एक साल का समय लग गया। अभी भी स्थिति सही पटरी पर नहीं आ रही है, उसको ठीक करने में अभी समय लगेगा।

इसके साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। प्रत्येक पंचायत के अन्दर एक आदर्श विद्यालय खोलने की योजना है और कई जगह ऐसे ही विद्यालय खोले जा चुके हैं। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के लिए, खासकर हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा तोहफा राजस्थान की सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। यह वास्तव में अपने आप में एक अनूठी मिसाल है।

शिक्षकों की नियुक्ति पहले की सरकार ने जो बंद कर रखी थी, अब उसका मार्ग प्रशस्त करके शिक्षाकर्मियों को नियुक्ति दी जा रही है। इससे हमारे स्कूलों के अन्दर निश्चित रूप से शिक्षकों की कमी दूर होगी। हमारे जो पढ़ाई के अध्यापक हैं, वे पूरे होने से पढ़ाई का स्तर ऊंचा बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के प्रत्येक जिले में युवाओं को रोजगार देने के लिए जिस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिस तरह से प्रत्येक जिले के अन्दर राजस्थान की सरकार द्वारा बेरोजगारों को ट्रेनिंग देकर तैयार किया जा रहा है, वह इस बात को दर्शाता है कि माननीया मुख्य मंत्रीजी का 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो सपना है, उसे साकार करने में यह सही साबित होगा, एक अच्छा कदम होगा। आज मैं मेरे जिले की बात करूं तो गंगानगर में मेरे सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

अन्दर अनेकानेक ऐसी शाखाएं हैं जिनके अन्दर युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। उसके साथ-साथ युवाओं को यूनिफार्म, पढ़ने के लिए पुस्तक के अलावा नित्य प्रति 100 रुपये दिये जा रहे हैं ताकि वे रोजगार से वंचित न रहें। यह वास्तव में राजस्थान का बहुत ही अनूठा और ऐसा कदम है जिससे राजस्थान के अन्दर बेरोजगारी कम हो सकेगी।

खास बात यह है कि जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं, जिस जिले से मैं आता हूं, वहां राजस्व सम्बन्धी बहुत मामले पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा अटपटे कानून बनाने से बिगड़ी हुई स्थिति में थे। किसानों को किसी तरह से अपने अधिकार नहीं मिल रहे थे। किसानों को सीमा का ज्ञान नहीं था। किसानों को अपने खेत के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन हमारी इस सरकार ने, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं। पूरे जिले के अन्दर और पूरे कालोनाइजेशन डिपार्टमेंट के अन्दर जहां तक मैं मानता हूं, एक व्यवस्था शुरू की है कि किसानों के खेतों की दुबारा पैमाइश करायी जाए। जिन किसानों को टीसी पर जमीनें अलाट हो चुकी हैं, उनको खातेदारी अधिकार दिये जाएं। जिन किसानों को अपने खेत का पता नहीं है या जो खसरों में बैठे हैं, उनकी पैमाइश कराकर, उनके खेत का सही ज्ञान कराने से किसानों को इन सब बातों से बड़ी राहत मिलने वाली है।

माननीय सभापति महोदय, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिले के अन्दर, जैसलमेर जिले के अन्दर इन्दिरा गांधी नहर का पानी जाता है। इन्दिरा गांधी नहर की सिंचाई होने से हमारे क्षेत्र के अन्दर बहुत बडा अनाज का उत्पादन होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षो से इन्दिरा गांधी नहर की लाइनिंग ठीक नहीं होने से, जगह-जगह रिसाव होने से सेम की समस्या भी आयी और उसके साथ-साथ हमारी पानी की जरूरत थी, उसके मुताबिक पानी नहीं मिला। लेकिन हमारी मौजूदा सरकार ने, माननीया वसुन्धरा जी ने सेम की समस्या का हल कराने के लिए अलग से बजट पेश किया और उसके साथ-साथ प्रधान मंत्रीजी से और केन्द्र सरकार से भी मांग की। अपने संसाधनों से भी इन्दिरा गांधी नहर की पूरी की पूरी लाइनिंग ठीक कराने के काम की माननीया वसुन्धराजी ने घोषणा की है और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी यह बात अंकित है, निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य कदम है। इससे

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

हमारे पूरे जिले के सिंचित क्षेत्र के किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है।

इसके साथ-साथ पक्के खालों के निर्माण की बात है तो सी.ए.डी. द्वारा पक्के खालों के अलावा हमारी सरकार ने मनरेगा के माध्यम से पक्के खालों का निर्माण करवाने की योजना भी अपने हाथ में ली है। इससे भी हमारे किसानों को आने वाले समय के अन्दर बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसके अलावा पंचायती राज के जो चुनाव हुए हैं, निश्चित रूप से हमारी मुख्य मंत्री ने बहुत ही साहसिक कदम उठाते हुए एक ऐसा क्रांतिकारी निर्णय लिया है जिसके तहत पढ़े-लिखे लोगों को सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख बनने का मौका मिला है। पूर्ववर्ती सरकारों ने पिछले 62 सालों से लगातार, खासकर कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से लोगों को अनपढ़ रखा, भोले-भोले किसानों को अनपढ़ रखकर हुकूमत की, इस बात का यह प्रमाण था कि जब पढ़े-लिखे लोग आएंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस को लोग पसंद नहीं करेंगे। यह एक अति महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है जो पंचायती राज चुनाव के अन्दर हमेशा याद रखा जाएगा।

सभी क्षेत्रों में कुशल और अर्द्ध-कुशल कारीगरों की मजदूरी बढ़ायी है। उनकी न्यूनतम मजदूरी की दरें बढ़ाकर माननीया वसुंधराजी ने श्रमिकों को प्रोत्साहित किया है, यह उनका सराहनीय कदम है। अभी बता रहे थे कि हमने ढाणियों के अन्दर कनेक्शन देने की बात की, किसानों को राहत देने की बात की। लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछली सरकार में ढाणी के अन्दर एक भी कनेक्शन नहीं हुआ। किसी भी ढाणी के अन्दर इन्होंने कनेक्शन नहीं किया, केवल घोषणा करके छोड़ दी। पांच-पांच के समूह में जिन ढाणियों के अन्दर कनेक्शन होने थे, उनके डिमाण्ड नोट भी जमा नहीं करवाये। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय वसुंधराजी ने पिछले लगातार एक साल के प्रयास के बाद में सभी ढाणियों के जिनके डिमाण्ड नोट जमा थे, उनको कनेक्शन देना आज की तारीख में चालू हो गया है, और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत जल्दी ही सब ढाणियों को कनेक्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा कृषि में ट्यूबवैलों को कनेक्शन देने के लिए 31.3.2009 तक की जो समयावधि थी, उसके समाप्त होने से पहले ही 31.3.2009 तक करीब-करीब सभी ट्यूबवैलों के ऊपर कृषि कनेक्शन मिल चुके हैं। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की रीति-नीति है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है और माननीय

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

वसुंधराजी की सोच है। पूरे प्रदेश के अन्दर पीएचईडी की नयी योजनाएं बनायी जा रही हैं। जिस तरह से जलदाय विभाग के अन्दर नयी योजनाओं के साथ प्रत्येक गांव को स्वच्छ पानी देने की जो बात की जा रही है, हमारे क्षेत्र के अन्दर नहर में जो गंदा पानी आता है, फिल्टरों की सफाई का काम शुरू हो चुका है, जिस तरह से नई योजनाएं शुरू हो रही हैं, यह वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। मैं, माननीय सभापति महोदय, इस महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री देवेन्द्र कटारा (अनुपस्थित) । श्री घनश्याम महर (अनुपस्थित)। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) : परम सम्माननीय सभापति महोदय, कल से हम सुन रहे हैं कि सदन में सच बोलें और झूठ नहीं बोलें। बल्कि मेरी तरफ से एक माननीय सदस्य भी यही कह रहे थे कि वह देखिए। पर यह शायद सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के देखने के लिए है कि वो जो बोल रहे हैं, वे भी इस सच्चाई से वाकिफ हैं और मैं भी वाकिफ हूं। जनता ने सेवा के लिए ही आपको भी भेजा है, हमें भी भेजा है। आप और हम वहां जो वायदे करके आये थे, जनता की सेवा के लिए उन्हें पूरे करना है। वही सेवा होगी। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पेज नम्बर-2 पर ही जो त्रुटि पायी गयी...

श्री सभापति : मंत्रीगण को आपस में बात करने के लिए अपने-अपने चैम्बर दिए हुए हैं, अगर चैम्बर कम पड़ रहे हों तो उनका और इंतजाम कराया जा सकता है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) : वह इस सरकार के प्रशासन की इतनी बड़ी कमी है जिसकी जितनी निंदा की जाए, वह कम है। एक अक्षम्य गलती करते हैं, मुख्य मंत्रीजी के नाम में भी गलती कर दी, यह निंदनीय है। प्रशासन कितनी लापरवाही से काम कर रहा है, यह उसका उदाहरण है।

अभी पंचायती राज में शिक्षा के लिए सब लोगों ने बखान किया, मेरा मानना है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाली 70 परसेंट महिलाएं अशिक्षित हैं, अगर इस शिक्षा को लागू ही करना था, स्टेट और सेन्टर दोनों जगह एक ही सरकार है, तो कम से कम पहले संसद में करते, फिर विधान सभा में करते, फिर

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

नगर निकाय में करते, फिर ग्राम पंचायत का नम्बर आता है। (व्यवधान) हम तो जगे हुए हैं तभी यहां आ गयी। और आपके बहुत कद्दावर साथी को हराकर आयी हूं। तो राजस्थान की जो ग्रामीण महिलाएं हैं, वे अधिकतर अनपढ़ होने के नाते जन प्रतिनिधि बनने से रह गयी हैं। अगर यहीं तोला जाए तो इस सदन में ही कितने निकाले जाएंगे, अगर यहां पर भी आप इसको लागू कर दें। यह भी उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। पूरे देश में शिक्षा के नाम पर केरल शत प्रतिशत में आता है लेकिन वहां पर भी ग्रामीणों के साथ इस तरह का अन्याय नहीं हुआ है जैसा राजस्थान की सरकार ने किया है। करते, जरूर करते और वह सराहनीय होता लेकिन पहले शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देते। कई तरह की योजनाएं हैं, किसी भी माडल पर गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहले शिक्षा का प्रचार प्रसार करते। लेकिन इसका उलटा हुआ है।

समानीकरण के नाम पर ऐसे-ऐसे विद्यालय बंद किये गये जिनकी सूची मैंने भी मंत्रीजी को और प्रशासन को भी भिजवायी है। हजारों विद्यालय बंद कर दिये गये और ऐसे विद्यालय बंद कर दिये गये जहां गरीब तबका रहता है, एस.सी. और एस.टी. के लोग ज्यादा निवास करते हैं। नियम बनाये हैं कि 30 से कम की जनसंख्या वाले विद्यालय और कस्बा, बीच में बाइपास रोड नहीं हो, हाइवे पास नहीं हो, ऐसे विद्यालयों को बंद किया जाएगा। लेकिन मैं जानकारी के लिए आपको बताना चाहती हूं कि नारायणपुर में जो विद्यालय बास-बेरिसाल में है, उसमें 250 से ऊपर बच्चे हैं और पूरा कस्बा पार करके, रोड पार करके बच्चों को जाना पड़ता है, जिसमें 150 से ऊपर लड़कियां हैं। तो क्या इसके लिए धन्यवाद दें आपको? धन्यवाद के लायक कोई काम हो तो जरूर धन्यवाद देंगे।

पिछले एक वर्ष से कह रहे हैं, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां टीचरों की कमी हो। मैंने पिछले सत्र में सदन में स्थगन के माध्यम से उठाया था, मंत्रीजी को भी अवगत कराया, डीईओ को भी अवगत कराया कि बालिका विद्यालय में बानसूर, रामपुर, रायली, देवसण, खेड़ा खरकड़ी, चेचियों की ढाणी और खटीकान में एक-एक टीचर हैं। किस बात का धन्यवाद दें हम आपको? आपको अवगत कराने के बाद एक टीचर है उस विद्यालय में, इस बात का धन्यवाद दें हम सरकार को? सदस्य कह रहे थे कि विपक्ष सिर्फ आलोचना करना जानता है।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

(15.00 बजे)

हम धन्यवाद देंगे। मंत्रीजी ने इच्छा जाहिर की कि हर खण्ड पर महाविद्यालय खोला जाएगा। आप महाविद्यालय खोलें, हम आपको धन्यवाद देंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से बानसूर विधान सभा क्षेत्र बहुत बड़ा है और पिछड़ा हुआ भी है और गरीब जनता भी ज्यादा निवास करती है, बिलकुल बैकवर्ड है। आप वहां महाविद्यालय खोलें, हम आपको धन्यवाद देंगे। आप वहां नगरपालिका बनाएं, हम धन्यवाद देंगे। लेकिन किस बात का धन्यवाद दें? बल्कि एक रोज जब स्थगन के माध्यम से मैंने महाविद्यालय की मांग की तो माननीय सदस्य महोदय कह रहे थे कि आपके वहां तो महाविद्यालय खुला हुआ है। मैंने कहा कि इन सदस्य महोदय को कैसे जानकारी? क्योंकि वो वहां एनुअल फंक्शन में गये थे। वो महाविद्यालय प्राइवेट है और वो भी काफी दूरी पर है। तो वो कह तो रहे हैं लेकिन उनको यही पता नहीं है कि है या नहीं है सरकारी। कम से कम जानकारी तो ले लेते। आपकी तो सरकार है, आपको तो प्रशासन आंकड़े भी दे देता, जानकारी भी दे देता।

माडल विद्यालय की बात करते हैं ये तो पहले से ही बने हुए थे। उनको आप सुचारु रूप से चालू कर दें, वही काफी रहेगा और हम उसके लिए आपको धन्यवाद देंगे। रोजगार, रोजगार के नाम ट्रेनिंग सेन्टर, अक्षत कौशल योजना, कौशल मिशन, आजीविका कौशल योजना कृपा करके इन योजनाओं को आप क्रियान्वित करें, चालू करें तो हम आपको धन्यवाद देंगे। मुझे आज तक कोई ये चालू होती हुई नहीं दिखीं। नौकरी के लिए जो पन्द्रह लाख की घोषणा थी, उसमें किसी एक को भी नौकरी दी हो तो हम आपको धन्यवाद दें।

स्वास्थ्य और चिकित्सा की बात करें तो अभिभाषण में उल्लेखित है कि नई-नई सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी, डाक्टर्स की नई भर्ती की जाएगी लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि पिछले एक वर्ष से कोई नई भर्ती हुई हो। बल्कि जो...(व्यवधान) अभी चार साल पोस्टिंग ही चलाते रहना आप, जब पांचवा वर्ष पूरा हो जाए तब पोस्टिंग दे देना।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : माननीय सदस्या, मेरे विधान सभा क्षेत्र से एक चिकित्सक की अभी छह महीने पहले ही आपके विधान सभा क्षेत्र में पोस्टिंग हुई है तो आप कैसे कह रही हैं कि एक भी पोस्टिंग नहीं हुई?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) : यह पहले का है, अभी नयी भर्ती नहीं हुई है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : अभी नयी भर्ती हुई है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) : मेरे विधान सभा क्षेत्र से तो हटा और लिया है आपने। मेर यहां पर पीएचसी हरसौरा में एक भी डाक्टर नहीं है, बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए। बीमारी फैल रही है स्वाइन फ्लू की, पीएचसी मुण्डावरा से मेरे यहां से चिकित्सक हटा कर आपके सत्ता पक्ष के एमएलए ने लगा लिया, मंत्री महोदय ने लगा लिया। बड़ी शर्म की बात है यह आप सबके लिए। सभापति महोदय, मेरे बार-बार लिखने के बाद भी चिकित्सक वहां नहीं लगाया गया है, यह बड़ी शर्म की बात है। आपको बोलने का अधिकार ही नहीं है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : आपके नारायणपुर सीएचसी के अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगे हुए चिकित्सक की नियुक्ति हुई है। आपने अपने भाषण की शुरुआत इस बात से की थी कि मैं असत्य नहीं बोलूंगी, आप इस पटल के ऊपर असत्य बोल रही हैं।

श्री सभापति : आसन की बगैर इजाजत के अगर कोई सदस्य बोलेगा तो अंकित नहीं होगा। और, माननीय सदस्य, मैंने इसलिए इजाजत दे दी कि जो सो रहे थे वो जाग जाएं, आप यह अपने आपका अधिकार मत ले लेना।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) : सभापति महोदय, यह लापरवाही है, यह सरकार का सूनापन है। मेरे यहां अभी अणतपुरा में लेकड़ी में स्वाइन फ्लू का मरीज भी मिला है। चिकित्सा मंत्री महोदय आ गये, मैंने इनको लिखित में भी दिया था कि पीएचसी मुण्डावरा बिलकुल बैकवर्ड है, पीएचसी हरसौरा पर चिकित्सक नहीं है। मुण्डावरा का हटा कर थानागाजी में लगा लिया, यह क्या धन्यवाद का पात्र हैं? और आप कह रहे हैं कि आपके विधान सभा क्षेत्र में लगा दिया। आप तो हटाने का काम कर रहे हो, लगाने काम नहीं कर रहे हो। कल गृह मंत्रीजी ने कहा कि आप सुझाव दें, हम मानेंगे। हम सुझाव दें कि एक-एक चिकित्सक जहां लग रहे हैं, हर पीएचसी, सीएचसी पर बीसीएमएचओ बैठे रहते हैं और एक डाक्टर चार सौ-पांच सौ का आउटाडोर रोज देखता है। क्या बीसीएमएचओ डाक्टर नहीं है, क्या वो मरीजों को विशेष परिस्थिति में नहीं देख सकता? आप उनकी ड्यूटी लगाएं। एक-एक पीएचसी पर कम से कम एक-एक डाक्टर लगाएं तो हम आपको धन्यवाद देंगे। वो छह-

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

छह महीने से खाली पड़ी हैं, क्या यह धन्यवाद के लिए है? (व्यवधान) क्या कह रहे हैं?

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : ×××

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) : लगाओ तो सही। मुण्डावरा से हटा कर आप क्यों ले गये, मंत्री महोदय? मुण्डवरा पीएचसी आपने खाली कर दी। वो तो रहना चाहता था, आपकी राजनीति है। यह दुर्व्यवहार है। यह बीजेपी का शासन है। जिस तरीके से पल्स पोलिया और दूसरी दवाइयां पिलायी जाती हैं, उस तरीके से आप घर-घर, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में स्वाइन फ्लू की ड्राप्स हो चाहे गोली हो चाहे वैक्सीन हो, वो बंटवाएं। आप बार-बार यही कह देते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो पैसा चाहे मरीज से ले लें लेकिन दवाई तो बंटवाने का कष्ट करें।

भामाशाह योजना, जनधन योजना मात्र दिखावा हैं। शून्य बैलेंस पर पहले भी खाते खुल रहे थे। अगर आप इसको चलाना ही चाहते थे तो 2011 की जनगणना के आधार पर चलाते तो जो परिवार 14-15 साल में बंट चुके हैं, उन सभी परिवारों को लाभ मिलता और तभी यह सराहनीय होता। यह मात्र छलावा है, किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आ रहा है। यह सोची समझी एक जनता को भ्रमित करने वाली योजना है।

सड़कों के विकास के लिए अभी माननीय सदस्य महोदय कह रहे थे कि चार साल बाद जाओगे तो आपको यह पता नहीं लगेगा कि रोड पर चल रहे हो या गडढों में चल रहे हो, और ज्यादा गड्ढे करवा दोगे आप। आरआरआईएसएमपी योजना जिसमें ढाई सौ और पांच सौ की आबादी वाले गांवों को जोड़ने की बात कही गयी है, एक वर्ष में कोई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या रेवेन्यू विलेजेज की या ढाई सौ। पांच सौ की आबादी को जोड़ने की या गौरवपथ जिसका बहुत शोर किया था, एक भी काम अभी मुझे तो चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नीतिगत संकल्प में मुख्य जिला सड़कों को राज्य राज मार्गों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गयी है, यह सब मुझे लग रहा है कि सिर्फ घोषणा ही है।

पानी के लिए जो योजनाएं बनायी गयी हैं, वृत परियोजना प्रगति पर बता रहे हैं कि गांव-गांव ढाणी-ढाणी में चल रही हैं। लेकिन मुझे कहीं पर चलती हुई दिखाई नहीं दी। किसी गांव और ढाणी में कोई योजना अभी तक

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

पहुंची नहीं है। आरओ प्लांट सिर्फ कागजों में चल रहे होंगे। पिछले छह महीने से जो प्रपोजल हैंडपंप्स के बोरिंग के भिजवाये, वो भी अभी तक स्वीकृत होकर नहीं आये। और सबसे बड़ी बात, जो तीस-तीस हैंडपंप्स विधायकों को दिये गये थे, अब यह सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है तो क्या धन्यवाद की बात है या बधाई की बात है? गर्मी में लोगबाग धर्म के नाम पर पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगाते हैं, यह देखिये, मेरे पास कापी है, सत्ता पक्ष के विधायकों की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है और मैंने जो लिस्ट भिजवायी, उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है। तो क्या धन्यवाद के पात्र हैं ये? ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा हमारी सरकार ने कभी नहीं किया। (व्यवधान) यह तो प्रशासन की है, क्या आपके प्रशासन ने भेजी है लेट? आप तो कम से कम भेज देते टाइम पर। मैंने तो लिस्ट भेज दी समय पर यह देखिये। तो यह बड़ी शर्म की बात है। आप ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करते तो हम भी आपको धन्यवाद देते।

महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण, प्रोत्साहन संस्थान, कितनी सारी योजनाएं बना दी गयी हैं। कारपोरेशन किशोरियों/बालिकाओं के नि:शुल्क प्रशिक्षण के लिए, लेकिन मुझे कहीं चलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। ये सारी योजनाएं सिर्फ कागजों में चल रही हैं। देवनारायण योजना में करोड़ों का प्रावधान बताया गया है। अभिभाषण में, कि कार्य चल रहे हैं, प्रारम्भ हैं, हो रहे हैं। लेकिन हमें कहीं होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सरकार आपके द्वार जरुर गयी, बहुत बड़ा एक दिखावा हुआ लेकिन किसी ने भी प्रत्युत्तर में यह कहा हो कि यह काम हुआ है, सरकार यहां पर आयी और ये काम करके गयी तो भी हम बधाई दें। अभिभाषण में सरिस्का का जिक्र किया गया कि विस्थापित परिवारों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन जो परिवार विस्थापित हुए थे उन्हें आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गयी हैं। यह सिर्फ अभिभाषण में ही है। आपराधिक गतिविधियां 2013-14 से 2015 तक के अगर हम आंकड़े उठाकर देखें, चाहे राज्य में डकैती की घटना हो, चोरी की हो, अपहरण की हो, हत्याएं हों, बलात्कार हों, हफ्ते दस दिन में दो-दो हत्याएं अलवर जिले में हुई हैं। दहेज के लिये हत्याएं हो रही हैं। उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। यहां तक कि जेलों में भी हत्याएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर बिलकुल चौपट है।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

श्री योजना का अभिभाषण में जिक्र है। श्री योजना के पांच घटक दे दिये गये हैं जिसमें सारी ही मूलभूत आवश्यकताएं हैं- चिकित्सा है, स्वच्छ पेयजल है, ग्रामीण आंतरिक सम्पर्क सड़क, शिक्षा, रोशनी, सारी चीजें आ गयी हैं। इसमें दिया है पांच हजार की आबादी वाले ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर, लेकिन अभी किसी भी पंचायत में यह श्री योजना नहीं पहुंची है। मैं मानती हूं कि यह इतिश्री योजना है।

स्वच्छ भारत-पिछली कांग्रेस सरकार ने निर्मल भारत के भारत से घोषणा की थी उसी का पर्याय है स्वच्छ भारत, जिसमें सुविधाओं के नाम पर मुझे लग नहीं रहा कि कोई इस तरीके का दिख रहा है कि बहुत ज्यादा स्वच्छता है। सिर्फ नाम परिवर्तन किया गया है। वर्तमान सरकार जब पिछली बार थी तो कई जगह की संस्थाओं के नाम बदले गये और अभी भी सभी जगह के नाम बदले हैं। चाहे राजीव गांधी केन्द्र के नाम हों, आप बदलते, हम आपको धन्यवाद देते। कोई सामुदायिक भवन बनाते, कोई बालिकाओं के लिये विशेष योजना लाते तो हम आपको धन्यवाद देते। गांव वालों को भी कोई फायदा मिलता। सिर्फ नाम परिवर्तन करना, उसमें तो त्वरित कार्यवाही हुई है, तुरन्त चेंज कर दिया गया है। अलवर जिले की यूनिवर्सिटी, अभिभाषण में सभी का जिक्र है, उस यूनिवर्सिटी का नाम तो बदल दिया लेकिन उसका कार्य चालू करने के लिये इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

पशुओं की योजना के लिये अभी सुबह ही मंत्रीजी बता रहे थे, अभिभाषण में भी इसका जिक्र है। सभापति महोदय, कहीं कोई टीकाकरण नहीं हो रहा। चाहे खुरपका हो, गलघोंटू हो, रोजाना 5 से 10 मौतें हो रही हैं। मैंने खुद प्रशासन को सूचना दी है, टीकाकरण के लिये भी सूचित किया है, लिखित में भी भिजवाया है। हर गांव में, मैं गांव का भी जिक्र कर सकती हूं- शाहपुरा, फतेहपुर, शामपुरा, मोटूका, अनेक गांवों में जगह-जगह पर मौतें हो रही हैं, हर दिन इन मौतों में वृद्धि हो रही है। किसान का तो पशु ही धन है, इसकी कोई योजना बनायी जाए जिससे गांवों में टीकाकरण हो।

सभापति महोदय, कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिये इसमें परिभाषित किया गया है कि मिशन बनाये गये हैं- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय तिलहन आयल पाम मिशन, नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चर मिशन, एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलोजी नेशनल मिशन। इतने सारे ये बना दिये गये हैं

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

लेकिन किसानों को इससे कौनसा फायदा मिल रहा है, मुझे नजर नहीं आ रहा। पहले घोषणा की गयी थी कि किसानों को आठ घंटे बिजली दी जाएगी, 3-4 घंटे बिजली मिल रही है। 20-20 दिन में ट्रासफारमर मिल रहे हैं। बिना रीडिंग लिये बिल थमा देते हैं, 20-30 हजार के बिल आ रहे हैं। किसान उन बिलों को लेकर मारा-मारा फिरता है। बिजली विभाग के छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट के लिये मारामारी मची रहती है। कई-कई महीनों तक लाइन जोड़ने के लिये नहीं आते हैं। और यह जो कह रहे हैं सबसे सराहनीय कि बिजली की दरें बढ़ायी हैं। किसान का भला करते, इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, कोई-सी भी हो, इनमें से एक योजना चलाते और किसान का बिल नहीं बढ़ाते तो अच्छा होता, किसानों को लाभ मिल जाता।

राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है उसमें उल्लिखित जो सारे मैटर्स हैं, उनको मैं मिथ्या मानती हूं। जो आंकडे कई देर से आप गिना रहे थे, आपस में कहते हैं कि इतनी सीटें जीतीं। ये सीटें तो आती-जाती रहती हैं। माननीय सदस्य कल गिनवा रहे थे कि लोक सभा में 25 सीटें जीतीं, मानते हैं। आप इसको नाप लेना कि अब कहां हो और उस समय कहां थे। उस समय 36 लाख वोटों की बढ़त थी, वर्तमान में पंचायत चुनाव में सिर्फ 6 लाख की है। यह ध्यान रहे कि वोट आपका घटा है, जैसे वोट घटने-बढ़ने की आप बात कर रहे थे। यह सत्य है या असत्य है, आप नाप लेना, आपके ज्ञान के लिये मैं बता रही हूं। आप बहुत सारे बता रहे थे न कल से, इसलिए। यानी अभी 43 और 41 लगभग 2 परसेंटेज का ही फर्क है। तराजू में तोल कर तो मैं लायी नहीं हूं। आपके 160 हैं, हम 25 ही हैं तो इसमें से 115 कांग्रेस के प्रधान बने और 15 समर्थित बने हैं। सभापति महोदय, सिर्फ 30 का फर्क है, ज्यादा नहीं है। और आज से 4 साल बाद देख लेना, कितना फर्क होगा, हम वहां होंगे और आप यहां होंगे। (व्यवधान) नहीं, नहीं, यह लालीपाप नहीं है। यह तो आप देख लेना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मेरा मानना यह है कि आपने इतनी सारी योजनाएं चलायीं, राज्यपालजी के अभिभाषण में मिथ्या घोषणाएं हैं, सिर्फ घोषणाएं हैं, मुझे किसी भी कार्य की क्रियान्विति होती हुई नजर नहीं आ रही है। सभापति महोदय, मैं इतना ही कहूंगी कि राजस्थान के किसानों को बिजली मिली न खाद, भूमि अर्जन विधेयक ने कर दिया किसान को बर्बाद।

श्री सभापति : श्री भागीरथ चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है, उस पर बोलने के लिये आपने मुझे समय दिया है उसके लिये बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, अभी बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि यह पवित्र सदन है, इसमें सच बोलना चाहिये। परन्तु बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है, इस देश को आजाद हुए 68 वर्ष हो गये और केन्द्र में हो चाहे राज्य में हो, अधिकांश समय एक ही पार्टी की सरकार रही है फिर भी भुखमरी, बेकारी और बेरोजगारी ज्यों की त्यों है। इसका उत्तरदायी कौन है? आप हो या हम, अपने गिरहबान में झांकने की जरूरत है। मुझे गर्व है कि इस पार्टी से मैं सदस्य बनकर आया हूं, चाहे केन्द्र में सरकार रही हो, चाहे राज्य में रही हो, आदरणीय अटल बिहारीजी वाजपेयी को इस देश का एक बार प्रधान मंत्री बनने का मौका मिला, इस देश के विकास को आगे बढ़ाने का मौका मिला। आदरणीय अटल बिहारीजी वाजपेयी ने एक सपना संजोया था कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, गांवों से बना हुआ हमारा यह देश है जब तक गांव का विकास नहीं होगा, किसान का विकास नहीं होगा, यह देश प्रगति नहीं करेगा। उन्होंने दो-तीन बहुत बड़े सपने संजोये, दो-तीन बहुत बड़ी योजनाएं चालू कीं1 एक तो प्रधानमंत्री सड़क योजना। आज पूरे देश में, गांव-ढाणी में सड़कों का जाल बिछा है, वह आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। दूसरा उनका सपना था सर्व शिक्षा सबको शिक्षा मिले। हमारे प्रतिपक्ष की तो एक ही नीति रही है जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो और राज करो। विकास में विश्वास नहीं करते हैं। विकास में विश्वास करते तो 68 साल बाद इस देश की दशा यह होती? आज गांवों में देखिये, मूलभूत समस्याओं का अभाव है। परन्तु आदरणीय अटल बिहारीजी वाजपेयीजी और उस समय के केन्द्र में शिक्षा मंत्री आदरणीय मुरली मनोहर जोशीजी ने सर्व शिक्षा अभियान चालू किया और उसी की देन है ताकि आज हर गांव-ढाणी में स्कूलें खुली हैं, हर गांव-ढाणी में सड़कें बनी हैं। परन्तु उनका एक बहुत बड़ा सपना और था, अगर वह सपना पूरा हो जाता तो आज इस देश का नक्शा कुछ और होता। आज इस देश का किसान समृद्ध होता। आज हमारे देश का गांव खुशहाल होता। किसानों का दम भरने वाली, कांग्रेस की नीति रही है कि गरीब गरीब रहे, अशिक्षित अशिक्षित रहे। यदि वह शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो हमारे चंगुल से दूर चला जाएगा। नदियां जोड़ने की योजना

(श्री भागीरथ चौधरी)

थी अटल बिहारी वाजपेयीजी की, दुर्भाग्य से एक वोट से रह गये और वह सरकार नहीं बना सके। यह देश सोने की चिड़िया था, यहां दूध की नदियां बहती थीं। वापस उस परम वैभव पर आने की स्थिति थी, परन्तु एक वोट से रहने से अटल बिहारी वाजपेयीजी की वह योजना ठण्डे बस्ते में कांग्रेसियों ने डाल दी। आज हमें गर्व है, मैं इसलिए यह कह रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास में विश्वास करती है। एक दफा पहले अटल बिहारी वाजपेयीजी को मौका मिला, दुबारा नदियों को जोड़ने का जिम्मा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी पूरा करेंगे।

सभापति महोदय, लाल किले पर जब तिरंगा फहराया जाता है, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, बहुत बड़ी राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय बातें की जाती हैं। परन्तु, नरेन्द्र भाई मोदी ने गरीब घर में जन्म लिया है, वहां से उन्होंने एक संदेश दिया। आज देश को आजाद हुए 68 साल हो गये, फिर भी गरीब और गांव में रहने वाले और किसान की महिलाएं अंधेरे का इंतजार करती हैं। कितनी बड़ी मार्मिक बात उन्होंने कही। देश की वस्तुस्थिति उन्होंने बतायी। सभापति महोदय, मैं इसलिए यह बात कहना चाह रहा हूं, आखिर आपको किसने रोका? आज देश की क्या स्थिति है? भूखमरी, बेकारी और बेरोजगारी। आज नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, यह किसकी देन है? यह कांग्रेसियों की देन है। कांग्रेस चाहती है कि इस देश का विकास नहीं होना चाहिए ताकि वे हमारी मुट्ठी में रहें, हमें वोट देते रहें। परन्तु अब यह देश जाग चुका है। हमारे देश का युवा जग चुका है। आज क्या स्थिति कर दी इसकी? जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी, वर्षों तक इस देश में राज किया, नाम लेवा नहीं है। कई प्रदेशों से सफाया हो गया है। पहले दिल्ली की बात कर रहे थे, 15 साल तक आपने दिल्ली में राज किया, एक तो आ जाते। क्या स्थिति हो गयी है आपकी। इसलिए आप अपने गिरहबान में झांकिये, चार साल बाद की चिंता मत कीजिये। आपने क्या किया? आज आपने पंचायती राज की बात की, मैं आपको बता दूं, इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इतना बड़ा फायदा होगा कि अब हर गांव का व्यक्ति चाहे किसान हो या मजदूर हो, अपने बच्चों को पढ़ाएगा। उनको पता है, शिक्षा के बिना कहते हैं, जीवन अधूरा है। मेरा मानना है कि शिक्षा के बिना जीवन शून्य है। अब वे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आपकी जगह वे बैठेंगे। इसलिए आप भी चाह रहे थे। पंचाचती राज का चुनाव, अब की बार आदरणीय गुलाबजी भाई साइब को मैं बहुत-बहुत बधाई देना

(श्री भागीरथ चौधरी)

चाहूंगा कि उन्होंने शिक्षा की बात कही है। कहां नहीं मिले? परन्तु आपको बहुत तकलीफ हुई। मैं कह रहा हूं आम जनता आज भी खुश है कि शिक्षा से इसको जोड़ा गया।

स्वच्छता की बात है, कितने शौचालय बने आज। इसलिए मेरा यह कहना है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो पहले भारत माता की चिंता करती है, फिर अपनी पार्टी की चिंता करती है। हमारी सरकार चाहे केन्द्र में रही हो या राज्य में रही हो। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री 2003-08 में जब मुख्य मंत्री बनीं तो राजस्थान का कायापलट हो गया। मेरे क्षेत्र की बात करता हूं, एक छोटी-सी ढाणी भी नहीं बची जो पक्की सड़क से नहीं जुडी हो। एक भी ऐसा गांव नहीं बचा जहां बीसलपुर का पानी नहीं पहुंचा हो। एक ऐसी ढाणी नहीं 15-20 घरों की जहां स्कूल नहीं खुली हो। कांग्रेस ने 15-20 स्कूलें बंद कर दी थीं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास में विश्वास करती है। कांग्रेस का हमेशा यह रहा कि विकास नहीं होना चाहिए। उसी का परिणाम है कि आज इस स्थिति में ये बैठे हुए हैं। आप मुंगेरीलाल के हसीन सपने नहीं देखें। मैं आपको बता दूं, आप 2013 में क्या स्थिति छोड़कर गये थे। आप तो बुरी दशा करके गये। सभापति महोदय, 2013 में आखिरी 6 महीनों में इन्होंने देखा कि जनता तो समझती नहीं है। मेरा यह मानना है कि नेता से ज्यादा जनता समझदार है, बुद्धिमान है। अन्तिम 6 महीने में आपने कई प्रलोभन दिये, आखिर क्या हुआ, क्या परिणाम निकला? आप 21 तक सिमट कर रह गये। आखिर यह क्या भयावह स्थिति है? आज राजस्थान में सही आंकड़े उठाकर देख लीजिए, 40 साल से नीचे महिला और पुरुष जो 55 साल 58 साल के पेंशन के हकदार हैं, इन्होंने 40 साल से नीचे कम से कम एक करोड़ पुरुष और महिलाओं की पेंशन चालू कर दी। आज 75 साल के, 80 साल के वृद्ध पेंशन के लिए तरस रहे हैं और 30-30, 35-35 साल वालों की इन्होंने वोट के लिए पेंशन लागू कर दी। इन्होंने देखा, वोट चाहिए। अब जनता समझ चुकी है इसलिए आपके बहकावे में नहीं आएगी। जनता नीतिगत न्याय चाहती है। इसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश में फैल रहा है। आदरणीय नरेन्द्र भाईजी ने जो सपने संजोये हैं कि हमारे देश का परम वैभव वापस लौटे, उसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। यही स्थिति है कि आज पूरे देश के अन्दर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा

(श्री भागीरथ चौधरी)

रहा है। स्वच्छता लो या किसी भी रूप में लो, रात-दिन मेहनत करके वह चाह रहे हैं कि इस देश का विकास हो।

आज शिक्षा की बात चल रही है, एक किसान का बेटा हूं, एक छोटी-सी ढाणी में मैंने जन्म लिया, मुझे पता है कि एक साल जब अकाल पड़ जाता हे तो वह तीन साल तक तकलीफ देता है। पांच साल पूर्ववर्ती सरकार ने एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती नहीं की। कह रहे हैं, स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डाक्टर नहीं है। पांच साल में इन्होंने एक सड़क की सुध नहीं ली। सारी सड़कें टूटी हुई थीं पांच साल में। हां, मैं मानता हूं, एक साल में जितना काम होना चाहिए था, वास्तव में उसमें थोड़ी कमी रह गयी है। परन्तु एक घर बसाने में भी समय लगता है। ध्यान रखिये, हम लास्ट 9 महीने में कुछ करने वाले नहीं हैं। अभी 2015 में आप देख लेंगे, विकास की गंगा बहेगी। आपने क्या कर दिया? राजस्थान को विकास की दृष्टि से पूरे देश में पीछे धकेल दिया। 2008 के अन्दर आदरणीय वसुंधराजी के नेतृत्व मे प्रदेश ने जो विकास किया, आगे बढ़ा, उसको आपने नीचे खड्डे में धकेल दिया। फिर वापस मौका आया है इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का। चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सड़क हो, पानी हो, हर क्षेत्र में विकास होगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि अब इनको तकलीफ पाने की जरूरत नहीं है। हर स्कूल में मास्टर लगेगा, भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। इन्होंने पांच साल में जो एक बहुत बड़ा अकाल पटका था, अब उसकी भरपाई होने में समय लगेगा। अब चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे पानी हो, चाहे कुछ हो, हर क्षेत्र में विकास के कार्य होंगे, कोई किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। आज जो स्थिति है, यहां हम ईमानदारी के साथ सत्ताधारी दल के सदस्य होने के नाते यह कहना चाहेंगे कि आने वाला समय राजस्थान का है। हम सब मिलकर राजस्थान के विकास की चिंता करें। तभी हम जो यहां सदन में चाहे पक्ष के रूप में चाहे विपक्ष के रूप में आये हैं, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाएंगे। इस तरह की बातें करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने दिल पर हाथ रखकर कहिये कि आपने इतने वर्षों तक राज किया, आपने कुछ भी नहीं किया। आज देश और प्रदेश की स्थिति भयावह हो रखी है और उसका केवल कोई कारण है तो प्रतिपक्ष है।

सभापति महोदय, आज हमारी मुख्य मंत्रीजी, आपको पता है कि कभी नहीं आयीं। जयपुर में बैठकर इन्होंने कार्य किया है। कभी बाहर जाकर, आम

(श्री भागीरथ चौधरी)

जनता के बीच में इन्होंने कभी मेहनत नहीं की कि हम वहां जाकर कुछ करें। चाहे किसी भी रूप में हो। आज हालत यह है कि हमारी सरकार सम्भागवार हर क्षेत्र में हर गांव में जा रही है और वहां वास्तव में क्या तकलीफ है, उस तकलीफ का निराकरण करने की कोशिश कर रही है। इसलिये मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और इस सरकार को बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा। वास्तव में चाहे भरतपुर हो, बीकानेर हो, हर सम्भाग में जाकर आपने वास्तव में जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है, उसकी पीड़ा को समझ कर उसके निराकरण के जो प्रयास किये हैं, वे बहुत सराहनीय हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमारी यह सरकार विकास के कार्य करने जा रही है। मुझे विश्वास है कि हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा। पिछले पांच साल के अन्दर जो पूर्ववती सरकार ने इस प्रदेश का भट्टा बिठा दिया था, विकास की दृष्टि से इस देश में अग्रणी स्थान पर हमारा प्रदेश आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और आपने मुझे समय दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शंकर सिंहजी राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : माननीय सभापति महोदय, सोच यह रहा था कि प्रारम्भ कहां से करें। लेकिन माननीय सदस्य ने प्रारम्भ करने की जगह दे दी हमको। इतना सारा विषय पक्ष ने दिया, विपक्ष ने उसकी कटाक्ष की। कोई सत्य कह रहा है, कोई असत्य कहला रहा है। कोई सत्य को असत्य कह रहा है, कोई असत्य को सत्य कहला रहा है। सभापति महोदय, जो हो रहा है, वह दिख रहा है। मैं महमहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में बोलने खड़ा हूं। सभापति महोदय, आपने और हमने किताबों में पढ़ा है कि यह देश सोने की चिड़िया था। इस देश के महापुरुषों की कई गाथाएं हैं। इस देश में मनुष्य तो छोड़ो, जीवों की भी रक्षा करने का एक संकल्प है। कहते हैं न कि प्रभु श्रीदत्त भगवान जो हैं, श्वान के पीछे घी का, श्वान जब रोटी लेकर जाता है तो घी की गिलौरी लेकर जाते हैं कि हे मेरे श्वान देवता, घी तो लगाकर खाते जाओ, कोरी रोटी मत ले जाओ। इस देश का यह इतिहास है। इस देश के गौरवशाली इतिहास में आजादी के बाद कांग्रेस का साम्राज्य हुआ, जनता ने कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन दुर्भाग्य है कि

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

आजाद हिन्दुस्तान में एक-एक करके कांग्रेस ने लोगों की कमर तोड़ने का काम किया। इस भारत माता के चीरहरण का काम किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : विषय पर आएं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : बिलकुल, विषय पर आ रहा हूं, चिंता मत किरये। ये दुर्गतियां प्रारम्भ कहां से हुई? आज यह कश्मीर का विषय किसने पैदा किया? यह कांग्रेस, वंशवाद, परिवारवाद के चंगुल में फंस गयी। अब्दुल्लाजी के परिवार और मोतीलालजी नेहरू के परिवार का क्या सम्बन्ध था, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। उस परिवारवाद के मोह के अन्दर कश्मीर की समस्या का जन्म हुआ। आज इस देश का मुकुट कश्मीर दु:खी है। उसके बाद में एक से एक...(व्यवधान) मैं कहता जा रहा हूं, यह धारा राजस्थान में आयी है। आप लोगों ने यह दुर्गति राजस्थान की भी की, मैं इसीलिये कह रहा हूं। यह बात इसलिये कह रहा हूं मैं सुन लीजिये।

श्री सभापति : आपने दुर्गति की बहुत लम्बी परिभाष दे दी। (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस ने इस देश में जातिवाद का जहर घोला जिसका अभिशाप आज राजस्थान में भुगतना पड़ रहा है। अब ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकरजी की बात करते हैं, मैं आज इस बात को यहां सदन में रखना चाह रहा हूं, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अम्बेडकरजी जैसे विद्वान व्यक्ति जिसने देश का संविधान बनाया, संविधान के रचयिता ऐसे व्यक्तित्व को राजनीतिक पद पर नहीं आने देने के लिये स्वयं नेहरूजी ने चुनाव में हराने का काम किया। यह बहुत बड़ी हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है। (व्यवधान) हकीकत है यह। नेहरू परिवार ने बाबा साहेब अम्बेडकर को हराया, नहीं तो वे प्रधान मंत्री बन जाते। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा) : एस.सी. के कितने मंत्री रह गये, यह तो बताएं। (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : एस.सी. के हैं। मैं यह और कह रहा हूं, अम्बेडकरजी की शिक्षा-दीक्षा कराने में हमने जातिवाद नहीं किया। अम्बेडकरजी की शिक्षा-दीक्षा कराने में सबसे बड़ा हाथ बड़ौदा घराने का है, बड़ौदा राजघराने ने उस हीरे को लिया और विदेश में पढ़ने भेजा। उसके बाद

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

हिन्दुस्तान में भारतीय जनता पार्टी, इस पार्टी का जन्म कैसे हुआ? नेहरूजी के साथी, मंत्रिमण्डल में खास सहयोगी डाक्टर श्यामप्रसाद मुखर्जी ने उस दुःख को पहचाना और इस पार्टी का जन्म हुआ। देखिये, यह देश ईश्वरीय देश है। कोई न कोई भगवान की ताकत है। उसके बाद में आगे जैसे गये, आप घोटाले करते गये, देश की कमर तोड़ते गये। कितना घोटाला। खाली परिवारवाद के बीच आप इतने संकुचित हो गये कि कोई भी घोटाला करना है। चाहे हिन्दुस्तान में घोटाले करने हैं, चाहे राजस्थान में घोटाले हो रहे हैं। बिजली घोटाला, दवाई की खरीद में घोटाला, क्या-क्या घोटाला नहीं। कोयला घोटाला तो हुआ ही हुआ। इस देश की ऐसी हालत हो गयी कि देश की सत्ता में बैठा दिया मौनी बाबा। हम यह कभी नहीं कहेंगे। परिवारवाद, वंशवाद के बीच में जो पार्टी फंस गयी, उसमें इन्दिरा गांधी के बाद में उनके सुपुत्र राजीव गांधीजी प्रधान मंत्री बने। अब राजीव गांधीजी के बाद हुआ क्या, हम यह कभी नहीं कहेंगे कि सोनियाजी विदेशी हैं। हम यह कभी नहीं कहेंगे कि राजीव गांधीजी की शादी इटली में हुई। लेकिन यह दुर्भाग्य है इस देश का कि पिछले समय में इटली से चली है सरकार। यही दुर्भाग्य हुआ। यही दुर्भाग्य हमारा हुआ कि उसकी धार राजस्थान में आयी और राजस्थान में ऐसे मौनी बाबा आ गये कि बिजली घोटाला, दवाई खरीद में घोटाला। आपने मुफ्त दवाई...

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा) : महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कोई एक शब्द है क्या कहीं पर यह?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : बिलकुल है। बिलकुल है।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा) : कहां है?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : बता रहा हूं, बता रहा हूं। उसको मैं आगे जोड़ रहा हूं, अपने ...(व्यवधान)

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) : सुनना भी सीखो। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा) : अभिभाषण में लिखी हुई बात कहें, इससे ज्यादा बात करना शोभा नहीं देता सदन को। (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि इस बात को इसलिए जोड़ना जरूरी है कि..(व्यवधान)

(अध्यक्षपीठ द्वारा अंकित नहीं करने के निर्देश)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : ×××

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा) : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, ज्यादा उत्तेजित होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, विराज जाओ।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा) : ×××

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : ×××

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : ×××

श्री सभापति : सम्माननीय सदस्यगण, मैं पहले भी इस सदन को यह निवेदन कर चुका हूं...(व्यवधान) माननीय सदस्यगण, अपने-अपने स्थानों पर विराजें।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा) : ×××

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : ×××

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : ×××

श्री सभापति : कृपया आप भी अपने स्थान पर विराजें। माननीय सदस्यगण।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा) : ×××

श्री सभापति : एक मिनट आप विराजें। आदरणीय सदस्य, आप एक मिनट विराजें। आसन पांवों पर है, कृपा करके विराजें।

आसन की बगैर अनुमति के जो कुछ भी कहा गया है, वह अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अब राजस्थान पधार आओ। (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पर आने से पहले मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार से प्रतिपक्ष के नेता उत्तेजित हुए, प्रतिपक्ष के माननीय बंधुओं, अगर आप सही चलते तो आपका मेवाड़ आपके हाथ से नहीं जाता। आप खाली एक ही बचे पूरे मेवाड में। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा) : फिर वही बात कह रहे हो। मेवाड़ इतना कमजोर नहीं है। (व्यवधान)

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) : विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं महेन्द्रजी भाई साहब, गुस्सा नहीं करें। वे विद्यार्थी परिषद से आये हुए हैं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : उनका पुराना संस्कार अन्दर से बोला है कि हमने जो भी गलत कर लिया, हमने भुगत लिया है।

माननीय सभापति महोदय, जो व्यवस्थाएं बनी हैं, देश में, उसी तरह का माहौल राजस्थान में सब ही जगह पर हो गया। विधान सभा चुनावों से पहले मुख्य मंत्री महोदया ने 'सुराज संकल्प यात्रा' के माध्यम से पूरे प्रदेश का दौरा किया, अच्छे बहुमत के साथ में आ गये। अब आने के पीछे यही रीजन था, इनका कुप्रबंधन था। इस राज्य को हम बीमारू प्रदेश में से बहुत अच्छी स्थिति में लाये। आपने क्या किया? वापस बीमारू प्रदेश में ले आये। ऊपर भी मौनी बाबा और प्रदेश में भी मौनी बाबा बैठा दिये। मतलब, प्रदेश से लगाकर पूरे देश का बंटाधार हो गया। उसका नतीजा यह हुआ कि विधान सभा चुनावों के बाद 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलीं। देश भर के अन्दर ऐसा आगाज हुआ था कि इस देश में कोई न कोई ईश्वरीय ताकत है कि एक चाय बनाने वाले को देश का प्रधान मंत्री बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। यह है मौलिकता। यह है वास्तविकता। न कि हम परिवारवाद और वंशवाद में झूमते हैं। माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं बड़ी दावे के साथ कहता हूं कि इनको तो सिर्फ और सिर्फ यह चिंता है कि अपने + + + कहां चले गये? कहीं लापता तो नहीं हो गये।

श्री सभापति : आदरणीय सदस्य, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जो व्यक्ति इस सदन के सदस्य नहीं हैं, या तो आप उनके पद नाम से उनको सम्बोधित कर सकते हैं या कृपा करके उनके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख न करें। और किया हुआ है तो उसको आप, ...(व्यवधान)

(अध्यक्षपीठ द्वारा नाम अपलोपित करने का निर्देश)

अंकित नहीं होगा।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : ठीक है। क्षमा करना, माननीय सभापति महोदय। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, परिवारवाद में ये इसलिए उलझे कि 45 हजार करोड़ रुपये का राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट के अन्दर पैसा है। उसकी चाबी के लिए ये घूमते हैं और कोई देश की चिंता नहीं है। देश का बंटाधार हुआ और उसके बाद प्रदेश का भी हुआ।

अब बिजली वगैरह जो चर्चाएं हुईं, आकड़ों में आएं। कितना घाटा, कितना घोटाला? खाली एक बिजली जैसे के अन्दर 77 हजार करोड़ रुपये का हमको घाटा दे दिया। यह क्यों हुआ? बिजली के बिलों के साथ-साथ टयूब-

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)
लाइट खरीद में आप तो डूब गये। मुख्य मंत्रीजी के रिश्तेदारों की कम्पनी से वह खरीदी हुई। अब यह घोटाला कहां गया, भाई? यह मुफ्त दवा के मामले में मुख्य मंत्रीजी के, पूर्व मुख्य मंत्रीजी के जो हैं, रिश्तेदारों के, कम्पनी के द्वारा खरीदी गयी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं। इस प्रकार के...(व्यवधान) एक मिनट रुक जाइए।

श्री सभापति : वैसे आप बहुत वरिष्ठ हैं, अगर कोई बात अभिव्यक्त करनी है तो आप अपने स्थान पर पधार कर वहां से कर लें।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री) : अपने स्थान पर आओ।

श्री सभापति : आदरणीय सदस्य, आप विराज जाएं। दो मिनट, आप कुछ फर्माना चाहते हैं।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री) : गुस्से में नहीं, प्रेम से।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, कृपया यह बताइये, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्य मंत्री के रिश्तेदारों की फर्मों से दवाएं खरीदी गयीं। कौनसी, फर्म का नाम लेकर बताएं। स्वीपिंग एलिगेशन लगाने से तो काम चलेगा नहीं। मुख्य मंत्रीजी के रिश्तेदारों की कम्पनियों से ये बल्ब खरीदे गये तो मेरा निवेदन यह है कि आप उनके नाम बताएं। क्या रिश्तेदारी है? खाली स्वीपिंग एलिगेशन आप लगा दें मर्जी आए जिसके ऊपर, मैं इसको अनुचित मानता हूं, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : बोथरा फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज से दवाइयों की सप्लाई हुई और बोथरा पूर्व मुख्य मंत्रीजी का ब्याई है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : उनका कोई जवांई बोथरा नहीं है फोर योअर इन्फार्मेशन। (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : चलो। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : मैं इसको चैलेंज करता हूं यहां पर। मैं इसको चैलेंज करता हूं कि कोई मुख्य मंत्रीजी का जवांई बोथरा नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : सम्माननीय सदस्य, मेरा आपसे यह निवेदन है कि किसी भी संस्था या किसी फर्म का कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं होता, वह अपने आप में एक इकाई होती है। इसलिए अगर आपको आलोचनात्मक व्यक्तित्व का अभिलेख करना है तो सीधे तथ्यात्मक रास्ते पर आप आ जाओ।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : चलो, मिलने वाले होंगे, और तो क्या?

माननीय सभापति महोदय, हुआ यह कि पूर्ववर्ती सरकार में जब इनके अधिकारियों ने कह दिया कि अब आपकी सरकार नहीं आने वाली है तो नाना प्रकार की घोषणाएं कर दीं। बजट का प्रावधान किए बिना अनेकों प्रकार की घोषणाएं कर दीं। उन घोषणाओं में अगर आप बारीकी से जाएं तो हर घोषणा के अन्दर भ्रष्टाचार छुपा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के बंधुओं, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, हम इनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन इनको भी कहो कि दिल पर हाथ रखकर ये कहें कि पिछले समय में जो घोषणाएं हुईं, जो सप्लाई हुई, उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, यह कह दें। हुआ है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : एप्रूवल लिया है। सितम्बर में, माननीय सभापति महोदय, आपकी जानकारी में भी है कि थ्रू सप्लीमेंट्री ग्रांट सारे एप्रूवल लिये गये हैं सदन से। घोषणाओं में भ्रष्टाचार किस तरह से होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : सप्लाई में, घोषणाओं की सप्लाई में।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : और किसी सदस्य के समझ में आ रहा है भ्रष्टाचार? घोषणाओं में भ्रष्टाचार कैसे? आप यह कह सकते हैं कि थोथी घोषणाएं हुईं, वहां तक तो समझ में आता है। जिनकी क्रियान्विति नहीं हुई, वह समझ में आता है। घोषणाओं में भ्रष्टाचार किस प्रकार से होता है, यह किस डिक्शनरी में है, यह मेरी समझ में आज दिन तक आया नहीं है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : माननीय सभापति महोदय, मैंने यह कहा कि घोषणाओं की सप्लाई के अन्दर...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : माननीय प्रद्युम्न सिंहजी, हर उम्र सीखने की होती है। इतनी उम्र में आप यह नहीं सीख पाये तो अब सीख लो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : माननीय सभापतिजी, मैं पूर्व वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : आदरणीय सदस्य, यह कहां से? आप कहां से प्रकट हो जाते हैं? अब आप विराजें तो सही कम से कम।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : आपसे पूछ रहा हूं मैं, मुझे तो एक क्वैरी करनी थी।

एक माननीय सदस्य : जन्म तो जगतपुरा में हुआ है और आते विराट नगर से हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : पूर्व वित्त मंत्री से इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि पांच साल में इतनी तेज गति से, विश्व की सबसे बड़ी तेज गति से 15 हजार करोड़ से 55 हजार करोड़ रुपये एक्स्ट्रा घाटा हो गया बिजली में, उसके बारे में आप सोचें तो मैं मान जाऊंगा कि बहुत बढ़िया काम करते हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : बिजली के ऊपर जो अध्यक्षजी ने कहा है, मैं सिर्फ आपसे यह कहता हूं, ठीक है, सब्सिडी दी सरकार ने, घाटा हुआ, छीजत थी, सब कुछ है, आपके टाइम में कितनी छीजत कम हुई? आपके इस एक साल के कार्यकाल के अन्दर, छाती पर रखकर पूछ लीजिए कि जितना घाटा पूर्ववर्ती सरकार छोड़कर गयी थी, उसमें कितना इजाफा हुआ है, परसेंटेजवाइज, वह निकाल लीजियेगा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : छीजत 22 परसेंट पर ले आये थे हम दिसम्बर, 2008 में। उसके बाद बढ़ी है वह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : छोड़ो आप, फालतू बात करते हो।

श्री सभापति : आसन किसी भी वाद-विवाद की इजाजत नहीं देगा। माननीय वरिष्ठ सदस्य ने कहा है, छाती पर हाथ रखकर सोचिये, यह छाती ठोककर मत सोचिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : किसकी छाती पर हाथ रखना है?

श्री सभापति : वह आप अपने मनोयोग से सोचिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान को जिस स्थिति में लाकर खड़ा किया, उस स्थिति का दुर्भाग्य

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

राजस्थान की जनता ने सहन किया। अब सौभाग्य के दिन आये हैं, निश्चित रूप से हम विकास की दरों में जाएंगे, विकास की राह पर जाएंगे।

शिक्षा के मामले में जो विषय नहीं आया, मैं खाली वह कहूंगा। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर आठवीं तक बच्चों को फेल नहीं करने का निर्णय कर इस देश की और इस राज्य के बच्चों की नींव को तोड़ने का काम किया है। आज अमेरिका के अन्दर हर तीसरा, चौथा वैज्ञानिक या डाक्टर हिन्दुस्तान का है। विदेशियों की सोची-समझी चाल में कांग्रेस आ गयी और केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने उसको लागू कर दिया कि आठवीं तक फेल नहीं करना। हुआ क्या? आज जो नस्ल आयी है, बडी चिन्ता का विषय है कि पांचवीं का बालक अपना नाम नहीं लिख सकता है। यह स्थिति आ गयी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आते ही पहले यह कहा कि आठवीं का बोर्ड होगा और बोर्ड के माध्यम से एग्जाम होंगे। मतलब, वापस हमारी नींव को मजबूत करने का जो काम शिक्षा विभाग ने किया है, उसके लिये मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

दूसरा मुख्य काम, एक बात बताओ, आज से पहले बैंक में खाता खुलवाने के लिये चार गवाह लेने जाने पड़ते हैं या किसी का बैंक में अकाउंट है उसकी गवाही लेने के लिये गांव का व्यक्ति ढूंढता है। यह हिन्दुस्तान और राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ, वसुन्धरा राजे सिंधियाजी ने कहा, कि ग्रामीण महिला बैंक में खाता खुलवाना चाहती है, भामाशाह कार्ड के माध्यम से वसुन्धरा राजे सिंधिया उसकी गवाह होगी। एक मुख्य मंत्री ने गांव की महिला की गवाही दी, हजारों-हजारों, लाखों अकाउंट खुल गये। यह हमारा बहुत गौरवशाली इतिहास है। आप भी तो कर लेते...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बहुत बड़ा विज्ञापन आया स्टेट बैंक का कि खाते बंद होने जा रहे हैं, पांच हजार रुपये उसमें बैलेंस रखो।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : आप लोगों का काम हमेशा यही रहता है। आप लोगों का काम यही रहता है। किसी भी बात को निगेटिव सोचना है।

श्री सभापति : आदरणीय सदस्य, आप इधर देखो। आसन ज्यादा फोटोजेनिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी बाध्यता है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : फोटोजेनिक नहीं है, लेकिन आपकी विद्वता के हम कायल हैं।

सभापति महोदय, पंचायतों का पुनर्गठन वाला विषय हुआ, अब आज ये सोच रहे हैं कि हम भी कर लेते। यह इतिहास बना है तीन महीने के अन्दर, पंचायती राज मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। वसुन्धराजी को इससे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा पंचायती राज के चुनावों में शिक्षा के मामले में। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि यह पहले कर देते या बाद में करते। यह क्या मतलब हो गया? यह शुरूआत की है। यह पहली बार किसी मुख्य मंत्री ने हिम्मत करके कहा कि हमारी गांव की महिला या गांव का पुरुष पढ़ा-लिखा सरपंच होगा। पंचायत समिति का प्रधान पढ़ा-लिखा होगा। यह चुनौती दी है। यही कारण हुआ, कांग्रेस के लोग पंचायती राज और गांव की सरकारों में कहते थे कि यह तो हमारा कब्जा है। बरसों से जमकर बैठे थे। इस बार पढ़ा-लिखा जवान बाहर आया, उसने कल्पना बतायी गांव की सरकार बनाने की, तो साथ दिया। यह बहुत बड़ा निर्णय मुख्य मंत्रीजी का रहा और मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों का विषय, ये कहते हैं कि सड़क एक भी नहीं हुई। गौरव पथ के अन्दर 10-10 करोड़ के काम हर विधान सभा में हो गये हैं। माननीय सदस्य कहते हैं, इतना तो असत्य मत बोलो। हर जगह हो रहे हैं। हो रहे हैं, चालू हो गये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपये के काम चल रहे हैं। चल रहे हैं, आप स्वीकार नहीं करो तो मत करो।

माननीय सभापति महोदय, आज मुख्य मंत्रीजी का जो विजन है, मतलब एक डायनेमिक मुख्य मंत्री 2003 से 2008 में साबित हुई, उसी का कारण हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में बहुमत से हम वापस जीतकर आये हैं। बीच में कोई राजनीतिक कारण रहा होगा। नहीं आ पाये, लेकिन इस बार वापस आये। अब आपने बजट खोखला कर दिया है। इस प्रदेश को खोखला कर दिया है। आप तो एक साल में ही जैसे जादू का डंडा है, क्योंकि आपके नेता जादूगर कहलाते थे कि जादू का डंडा घुमाया और हो गया। ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन पूरे साल भर के चुनावों के बाद अब विकास की राह इस

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

राजस्थान का इन्तजार कर रही है। आज विदेशों से डैलीगेशन, चाहे वे जापान के हों, चाहे सिंगापुर के हों, राजस्थान की धरती पर आ रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बहुत बड़ा विषय है। मतलब राजस्थान में कुछ है। राजस्थान की धरती वीरों की धरती है। आप भामाशाह कार्ड मजाक में लेते हो। वह भामाशाह, जो महाराणा प्रताप के समय एक रचयिता थे। उस नाम पर हमें आनन्दित होना चाहिये। मैं अन्त में, माननीय सभापति महोदय, यह कहूंगा कि प्रधान मंत्रीजी ने नीति आयोग बनाकर और मुख्य मंत्रीजी ने एक सलाहकार बोर्ड का गठन करके राजस्थान के चहुंमुखी विकास को आगे ले जाने का काम किया है। एक बात है, आज 25 की 25 सीटें आयीं तो इनको बहुत बड़ा दर्द होता है कि क्या किया। इस देश का स्वाभिमान लौटा है। 60 साल में यह पहला प्रधान मंत्री निकला। कोई बात दीजिए। आपके प्रधान मंत्रीजी गये हों तो दूसरे देश के प्रधान मंत्री को या तो ताजमहल भेंट किया होगा या शाल भेंट की होगी या और कुछ भेंट किया होगा। यह पहली बार हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री है जिसने जापान में जाकर प्रधान मंत्री को गीता भेंट करके इस देश का गौरव बढ़ाया, देश का स्वाभिमान बढ़ाया है। यह है हमारे देश का प्रधान मंत्री। आज निश्चित रूप से यह गौरव का इतिहास राजस्थान की धरती पर आया है, राजस्थान का भी चहुंमुखी विकास होगा। राजस्थान के इतिहास का विकास होगा और इसी विकास को लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे।

(16.00 बजे)

प्रतिपक्ष के हमारे एक नेता बंधु ने जो श्लोक वाली बात कही थी, हमारे सदस्य ने भी उस बात का कटाक्ष किया। हकीकत में आप अच्छी चीजों को स्वीकार करो, कटाक्ष मत करो, कि यह-यह चीज अच्छी है। हम आपकी भी सलाह मानेंगे अगर कोई अच्छी सलाह है। अभी बंधु उत्तेजित हुए, वास्तव में यथार्थ को स्वीकार करना पड़ेगा कि आपने पांच वर्ष में भ्रष्टाचारों की नदियां बहा दीं और इसीलिए जनता ने दु:खी होकर आप पर झाड़ू मार दी, आपका नामोनिशान मिटा दिया।

अंत में मैं सबके लिए अच्छी कल्पना के साथ जो लाइन कहता हुआ मेरे शब्दों को समाप्त करूंगा। श्लोक है, हालांकि संस्कृत के विद्वान विराजे हैं:

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

'रतना धरात द्योतपदाम्
हिमालय गिरीटिनम्,
ब्रह्मराज ऋषि रत्नाध्याम,
वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम्।' जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री हरिसिंहजी रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण प्रस्तुत किया गया, मैं उनका समर्थन करते हुए आपके समक्ष कुछ अपने प्रस्ताव और कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, हमारा देश आजाद हुआ सन 1947 में, उसके बाद एक स्वतंत्र भारत के रूप में हमारा देश बना। संविधान लागू हुआ और संविधान में एक जनतंत्र प्रणाली द्वारा हमारे देश की रचना हुई।

श्री सभापति : सदस्य महोदय, सदस्य महोदय, you are not allowed to come in the well of the House. You belong to the Treasury Benches.

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : कि जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया प्रतिनिधि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को देखेगा, उसी के अनुरूप हमारे भारतवर्ष का संविधान बना। प्रथम बार कांग्रेस को शासन करने का मौका मिला। 1947 से लेकर 68 साल में से मैं समझता हूं कि करीब 60 साल कांग्रेस ने राज किया। इसमें से कुछ समय भारतीय जनता पार्टी को भी सेवा करने का मौका मिला। सभापति महोदय, हमें बड़ा अफसोस होता है कि 60 साल के कांग्रेस के काल में हमारे देश के साथ कितना बड़ा कुठाराघात किया गया और राजनीति के अन्तर्गत हमारे देश को बर्बादी के कगार पर लाकर खडा कर दिया। इससे पूर्व, कहा करते थे कि भारतवर्ष एक सोने की चिड़िया थी, भारत एक विश्व गुरु था। था को था में ही रहने दिया। किन्तु प्रथम बार जब हमारें हमारी सरकार बनाने का और सेवा करने का मौका मिला तो हमने कई आयाम कायम किये। कांग्रेस सरकार केवल एक परिवार की बनकर रह गयी, गांधी परिवार। गांधी परिवार के बाद फिर एक सोनिया मैडम आयीं और सोनिया मैडम ने इस देश में ऐसा कुचक्र चलाया कि एक मौनी बाबा मनमोहन सिंहजी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया जिसने पूरे विश्व में हमारा नाम डुबो दिया।

(श्री हरिसिंह रावत)

आपको यह जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी, जब भारतवर्ष के नागरिकों ने देख लिया कि इस देश की नया डूबने वाली है तो मोदी का नाम सब की जुबान पर आया। 30 साल बाद प्रथम बार स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया और मोदीजी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सपना संजोया कि मैं मेरे इस डूबते हुए भारत को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करूं, विश्व में इसका नाम करूं। आपको ध्यान होना चाहिए, जब नरेन्द्र भाई मोदी गुजरात के मुख्य मंत्री थे तब उनको अमेरिका जाने का विचार आया तो अमेरिका ने बोला, नहीं, हम नरेन्द्र भाई मोदी को परमिशन नहीं देते। लेकिन देखिये, समय की विडम्बना कैसी होती है, जेसे ही नरेन्द्र भाई मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, पूरा विश्व एकदम खड़ा हो गया। सब पलक-पांवड़े बिछा कर खड़े हो गये कि, मोदी जी हमारे देश में आइये, मोदी जी हमारे देश में आइये।

एक समय वो था जब कांग्रेस में मौनी बाबा का नाम प्रचलित था। कई बड़े शगूफे होते थे कि टेलीफोन को मनमोहन मोड पर रख दो, मतलब साइलेंट मोड का एक सीधा उदाहरण दिया मनमोहन मोड। इसी प्रकार कई किंवदंतिया चालू हुईं। लेकिन जैसे ही नरेन्द्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने, विश्व में हमारा नाम एक अग्रिम पंक्ति में आकर खड़ा हो गया। हमारे देश की सोच और हमारे देश के विकास की दृष्टि पर हम नजर डालें तो उन्होंने सपना साकार करने का एक प्रयत्न किया है कि मैं देश को स्वच्छ भारत बनाऊं, ऐसा विकसित राष्ट्र करूं कि दुनिया इसकी वाहवाही करने लगे1 उसी के अनुरूप कई योजनाएं चलीं और योजनाओं को क्रियान्विति दी जा रही है। उसी अनुरूप हमारे राजस्थान की स्थिति भी वो ही देखिये कि कांग्रेस के कुशासन से परेशान होकर 200 में से 163 सीटों को लाकर भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का जनता ने मौका दिया। हमारे प्रतिपक्ष के भाई लोग बोलते हैं कि आपने सवा साल में क्या किया। मैं बताना चाहता हूं कि एक साल तो आप लोगों ने जो कर्जा, भय, भूख और भ्रष्टाचार किया, उससे उबारने में लग गया। पर मैं आपको, प्रतिपक्ष के भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले अप्रैल से आप गिनती शुरू करना शुरू कर दीजिएगा, विकास का ऐसा आयाम कायम करेंगी हमारी मुख्य मंत्रीजी की आप खुद सोचते रह जाएंगे। हमारी कई योजनाएं इसी बजट के अन्दर अभी होने वाली हैं और आने वाले अप्रैल में उनका श्रीगणेश हो जाएगा।

(श्री हरिसिंह रावत)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के भाइयों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सेवा करना चाहती है और कांग्रेस राज करनी चाहती है।

(16.07 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

पूर्व में जब 2003 से 2008 तक हमारा कार्यकाल था, तब विकास के कई आयाम कायम हुए थे। एक मौलिक अधिकार होता है कि हर गांव में सड़क हो, शिक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने काम किये। हमारा कार्यकाल पूरा हुआ, 2008 से 2013 तक आपने देखा होगा, विकास कहां गया। विकास नदारत हो गया। विकास का कोई एक भी काम नहीं हुआ। थोड़ा बहुत भी हुआ है तो उसमें केवल भाईभतीजा वाद या कांग्रेस वाद हुआ। जो कांग्रेस के थे उनका काम होता, उनकी स्कूलें खुलतीं, उनके रोड बनती, हम लोग टुकुर-टुकुर सामने बैठे देखते रह जाते थे।

सभापति महोदय, अभी हमारी सरकार आयी है, सुराज संकल्प यात्रा में हमारी वसुन्धराजी ने सपना संजोया था और जनता से आह्वान किया था कि मुझे मौका दीजिए, मैं आपका विकास करूंगी। उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने योजना लागू की है, उस योजना को पूरा करने के लिए एक अप्रैल से हमारी कार्यप्रणाली प्रारम्भ हो जाएगी।

हमारे प्रधान मंत्रीजी ने स्वच्छ राष्ट्र की परिकल्पना की थी उसी के अनुरूप गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में स्वच्छता अभियान चला जिसमें सबने सहभागी होकर इसकी क्रियान्विति की। दूसरा इसी योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय बनाने का जो संकल्प लिया, उसे 2019 तक पूर्ण करने का हमारा लक्ष्य है, वो भी हम बहुत जल्दी पूर्ण करेंगे।

राज्य की वार्षिक योजना वर्ष 2013-14 में 40500 करोड़ रुपये थी, वर्ष 2014-15 में 69,820 करोड़ का बजट बना। यह हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री की एक सोच है।

पिछले कार्यकाल में हमने भामाशाह योजना लागू की थी लेकिन प्रारम्भ करने से पहले हमारी सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया और पूर्ववर्ती सरकार ने इसको बंद कर दिया। उसी योजना को वापस हमारी इस सरकार ने,

(श्री हरिसिंह रावत)

हमारी मुख्य मंत्रीजी ने उदयपुर जिले से 15 अगस्त, 2014 को प्रारम्भ किया। प्रति दिन 70 लाख से अधिक परिवार इससे लाभान्वित हो चुके हैं।

सभापति महोदय, राज्य में विश्वस्तरीय सड़कें बनाने के लिए करीब 20 हजार किलोमीटर का प्रावधान था, उसके अनुरूप गौरव पथ के रूप में हमारी सरकार ने हर पंचायत हैडक्वार्टर पर आधा किलोमीटर से एक किलोमीटर का प्रावधान रखा है। हर गांव, ढाणी को आप जाकर देखिए, वहां कार्य प्रारम्भ हो चुका है। हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं पंचायत राज की बात करूं, पूर्ववर्ती सरकार ने नरेगा कार्यक्रम चालू किया था। वह कार्यक्रम यह था कि यह देश नहीं रहेगा। नरेगा के अन्तर्गत कैसे भ्रष्टाचार हो, उसमें इन्होंने बड़े आयाम कायम किए। इन्होंने नरेगा में मिट्टी खोदने का काम प्रारम्भ किया ताकि इस महीने मिट्टी खोदें और अगली महीने मिट्टी को उधर डाले, तब तक बारिश हो जाए। खाएं भी और पत्तल फाड़े वाला काम भी हो जाए। भ्रष्टाचार भी हो जाए, उसकी इतिश्री भी हो जाए और प्रूफ भी न हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : राज है आपका, बंद कर दो न नरेगा को। जब किसानों के लिए जो कानून बना उसको संशोधित कर सकते हो, उसमें अध्यादेश ला सकते हो तो नरेगा वाले को खतम क्यों नहीं करते?

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : डोटासराजी, मैं उसी पर आ रहा हूं। बंद नहीं कर रहे हैं उसको। डोटासराजी, आप एक मिनट विराजें, मैं उसी पर आना चाह रहा हूं।

लेकिन हमारी संवेदनशील मुख्य मंत्रीजी और हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी ने एक सपना संजोया कि नरेगा को हम बंद नहीं करेंगे। हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम उसको अच्छे ढंग से क्रियान्वित करेंगे। उसी के अनुरूप नरेगा के अन्तर्गत योजना बनी कि जो छोटे कृषक हैं, लघु कृषक हैं उनका विकास हो। उसी को हमने नरेगा में जोड़ा है। नरेगा के अन्तर्गत अब हम मिट्टी खोदने का काम नहीं करेंगे। हां, मिट्टी के काम करेंगे जरूर लेकिन वह कैसे करेंगे? जैसे कि लघु कृषक के जमीन अच्छी नहीं है, उपजाऊ नहीं है, तो नदियों में से मिट्टी लाकर उन खेतों में डालने का काम करेंगे। छोटे-छोटे टांके उन खेतों में बनाएंगे ताकि बूंद-बूंद सिंचाई और फव्वारा खेती के माध्यम से

(श्री हरिसिंह रावत)

छोटे कृषकों को भी कैसे ज्यादा लाभ मिल सके उसको भी हम इससे जोड़ने वाले हैं, डोटासराजी, यह भी ध्यान रखना आप।

माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ हमारी दूसरी योजना और है। पूर्व बजट में भी हमने यह मुद्दा उठाया था और सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भेजा था कि रोजड़ों की हमारे यहां बहुत ही बहुतायत है जिसकी वजह से हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। हर खेत की तो हम बाड़बंदी नहीं करा सकते, लेकिन इस योजना के अन्तर्गत जो गांव की पूरी जमीन होती है, उसकी अगर सामूहिक रूप से बाड़बंदी करा देंगे तो मैं समझता हूं कि रोजड़ों से हमें निजात मिलेगी और किसानों को राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सोच हमेशा पाजिटिव होती है, कांग्रेस की नैगेटिव होती है। उनको तो कैसे भी हो, बस राज करना है। उसी के अनुरूप में शिक्षा की बात करूंगा। हमारा देश कहा करते हैं कि किसी जमाने में विश्व गुरु था। जो 'था', उसी में रहने देने का इनका प्रयास था, राइट टू एजुकेशन लगाया। राइट टू एजुकेशन में क्या बोला? कि बच्चा पढ़े न पढ़े, शिक्षक उसे आठवीं तक पास कर दें। ऐसा क्यों हुआ? आपको विदित होना चाहिए, पूर्वकाल में, इनकी जो मैडम हैं, जिनका नाम सोनिया गांधीजी है, आपको मैं विदित कराना चाहता हूं कि अपने घर में अगर कोई बीमार हो जाए, उसका इलाज कराना हो कि इसका इलाज तो बाम्बे होगा या दिल्ली होगा, तो अपने परिवार के सदस्य कोई साथ जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं न। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी सोनिया मैडम बीमार हुईं अमेरिका इलाज कराने के लिए गयीं...

श्री सभापति : इन बातों को नहीं लें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : सभापति महोदय, जो इस सदन का मैम्बर नहीं है, उसका यहां नाम नहीं ले सकते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राहुल गांधीजी का भी पता नहीं है कि कहां हैं वो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर) : आप तो यह कहो, बाल्को नहीं बेचेंगे। हिन्दुस्तान जिंक बेचेंगे। भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। यह बात बताओ।

श्री सभापति : दूसरे किसी सदन के माननीय सदस्य के बारे में कोशिश करें कि हम अकारण उनकी चर्चा न करें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : सभापति महोदय, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं कि अपने परिवार में अगर कोई बीमार हो जाए तो इलाज के लिए उनके साथ परिवार के सदस्य जाते हैं कि नहीं जाते हैं?

श्री सभापति : आप दूसरे के परिवार में पड़ते ही क्यों हो?

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : माननीय सभापति महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि सोनिया गांधीजी जो अमेरिका गयीं....(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) : आपको बोलने का कोई और पाइंट नहीं मिल रहा है क्या? योजनाओं से सम्बन्धित बात करो न। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : तैयारी नहीं है तो कल बोल लेना।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) : कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। आप जाओगे क्या साथ में?

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : वह वहां से यह शिक्षा लेकर आयी थी कि इस देश को कैसे बरबाद करें शिक्षा की दृष्टि से। उन्होंने अमेरिका से आने के बाद यह राइट टू एजुकेशन लगाया। यह मेरा अभिप्राय था, इसको मैं प्रकट करना चाह रहा था। यह मेरा कहने का तात्पर्य था। यह देश हमारा कैसे अनपढ़ हो और कैसे यह कंगाली के कगार पर आए, कैसे हमारे देश के प्रजातंत्र का सर्वनाश हो जाए, इसके लिए यह शिक्षा प्रणाली इन्होंने लागू की। माननीय सभापति महोदय, लेकिन मुझे खुशी है कि जैसे ही हमारा राज आया, शिक्षा नीति में आपने वापस परिवर्तन किया। आठवीं कक्षा में बोर्ड लागू किया, यह हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि सरकारें आती हैं, जाती हैं लेकिन कौन ऐसा काम कर जाती हैं, उसका एक अलग ही परिचय होता है। हमारी सरकार ने राइट टू एजुकेशन के साथ ही शिक्षा नीति बदली। उच्च शिक्षा के लिए हमारी सरकार ने गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में स्कूल खोले। पूर्ववर्ती सरकार ने केवल घोषणाएं की थीं, लेकिन हमारी

(श्री हरिसिंह रावत)

सरकार ने आने के बाद हर उपखण्ड कार्यालय पर एक कालेज खोलने की घोषणा की जिसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आज उसी का नतीजा है कि मेरे क्षेत्र में ही दो-दो कालेज खुले हैं। वे कालेज खुलने के बाद जैसी कि हम बात करते हैं, इससे नारी शिक्षा को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। आज हमारे क्षेत्र में कालेज खुल गया उपखण्ड स्तर पर तो मैं समझता हूं और कहावत भी है कि अगर एक घर में बेटी पढ़ गयी तो वह दो घर का उद्धार करती है। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने जो योजना बनायी है वह वास्तव में बहुत ही अच्छी योजना है। हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य बोल रहे थे कि इन्होंने क्या किया। नारी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में साइकिलें वितरित कीं, लैपटाप दे रहे हैं। कोई बच्ची अच्छी पढ़ गयी तो उसको स्कूटी भी दे रहे हैं, वजीफा दे रहे हैं। साथ ही साथ कोई होनहार बच्चे, बच्ची अगर अच्छे पढ़ रहे हैं तो उनको फारेन भी हम भेज रहे हैं। हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं चिकित्सा की बात करूं, चिकित्सा की दृष्टि से भी देखा जाए तो हमारे यहां पर अगर पूर्ववर्ती सरकार ने डाक्टर्स की भर्ती की होती तो शायद यह समस्या नहीं आती। पूर्ववर्ती सरकार ने एक भी डाक्टर की भर्ती नहीं की। लेकिन हमारी सरकार ने जब देखा कि वास्तव में चिकित्सा के सम्बन्ध में हम काफी पिछड़े हुए हैं तो हमारे राज्य में 7 कालेजों की घोषणा की है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : यह कांग्रेस का अभिभाषण पढ़कर आ गये आप।

एक माननीय सदस्य : तैयारी करके आये हैं, सुनो आप।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : 7-7 कालेजों की घोषणा। आपने केवल थोथी घोषणा की होगी। डोटासरा साहब, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आन वाले 2-3 साल में ये कालेज प्रारम्भ हो जाएंगे और आने वाले सालों में मैं समझता हूं कि डाक्टरों की समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि अभी जहां-जहां भी डाक्टरों की कमी है, उसे पूरा करें ताकि प्रतिपक्ष के सदस्यों के मुंह पर ताला लग सके।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : सुना नहीं। राठौड़ साहब ने सुना नहीं।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : माननीय सभापति महोदय, मेरा राजसमंद जिला भी पिछड़ा क्षेत्र है, चिकित्सा मंत्रीजी विराजमान हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 7 जो मेडिकल कालेजों की घोषणा की है, अगर राजसमंद में भी एक कालेज की घोषणा हो जाए तो हमारे क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा।

दूसरा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में भी बात करना चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य मोहन लालजी, आपको इतनी बार बताया है कि कृपया वक्ता के और आसन के बीच में से नहीं जाना चाहिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : मैं कहां गया?

श्री सभापति : आप गये न। विराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, शांत रहें...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : बिना बात ही।

श्री सभापति : हां, आप बिना बात शांत रहें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और सुझाव रखना चाहता हूं, हमारी सरकार रोड्स की घोषणा करती है लेकिन घोषणा होने के बाद भी उसकी क्रियान्विति में कई बार वन विभाग द्वारा रोड़े अटका दिये जाते हैं। वन विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग की नूरा कुश्ती के चक्कर में हमारी सड़कों की समस्या यथावत् रह जाती है। जब भी हमारे कोई सैंक्शन होती है तो हमारी रोड अटका देते हैं कि यह हमारे वन विभाग में आता है, यहां पर रोड नहीं बन सकता है। सभापति महोदय, आज नेशनल हाइवे नम्बर 8-ब्यावर से लेकर उदयपुर तक आलरेडी मेगा हाइवे है लेकिन वन विभाग के आब्जेक्शन की वजह से 50 किलोमीटर का रोड हो नहीं पा रहा है जबकि यह रोड आलरेडी मेगा हाइवे है। क्या ऐसी स्थिति आ गई कि फोर लेन बनाने में दिक्कत आ रही है? खाली पांच-पांच मीटर एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए भी वन विभाग परमीशन नहीं दे रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में वन विभाग से बात करके जितनी भी इस तरह की समस्याएं हैं, उनका समाधान करे। दूसरा हमारा रोड है नागौर से लेकर विजयनगर वाया भीम-आसीन्द, उसका हिस्सा 48 डी, उसमें भी यही समस्या है। हरिपुरा से लेकर जस्साकलां तक वन विभाग पड़ता है, वहां पर आलरेडी रोड है लेकिन उसको एक्सपांशन

(श्री हरिसिंह रावत)

करने की कमीशन नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वन विभाग में भी इसको पुट अप करके इसका भी निस्तारण कराएं ताकि हमारी रोड सही हो सके।

जहां मैं यातायात की बात करूं, यातायात में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सपना संजोया था कि हर ग्रामीण ढाणी को मैं पीएमजीएसवाई सड़क से जोडूंगा। आज पूरे देश में रोडों का जाल है। सभापति महोदय, रोड तो बन गये लेकिन रोड़ों का सही ढंग से संधारण नहीं हो रहा है। सिक्स लेन रोड होते हुए भी तीनों ट्रैक पर ट्रकें चलती हैं। मैं आपके माध्यम से यातायात मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आरटीओज होते हैं उनको थोड़ा सजग करें कि वे हफ्ता वसूली को कम करे और यातायात सुविधा सही करें। तो मैं समझता हूं कि एक्सीडेंट्स में कमी आएगी।

नेशनल हाइवेज पर जो शराब की दुकानें है, उन शराब की दुकानों को हटाया जाए, हाइवे पर शराब की दुकानें होने से ड्राइवर शराब पीते हैं और उसके बाद में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। यह भी एक विचारणीय बिन्दु है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हाइवेज पर शराब की दुकानें हटाएंगे तो एक अच्छा संदेश जाएगा।

मैं खनिज विभाग के बारे में बात करना चाहता हूं। खनिज विभाग की दृष्टि से मेवाड़ एक सम्पदा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत फेल्सपार, क्वार्टज, माइका और ग्रेनाइट का प्रचुर भण्डार है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि रीको के माध्यम से मेरे बग्गड़ में जगह भी 1750 बीघा अलाट हो चुकी है लेकिन वन विभाग की परमीशन की वजह से काम अटका हुआ है। मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसका तत्काल निस्तारण करें। रीको इण्डस्ट्रियल एरिया का डवलपमेंट होगा और इससे हमारे क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए।

श्री सभापति : विराजिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : माननीय सभापति महोदय, पर्यटन की दृष्टि से मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। मेवाड़ सर्किट हमारे क्षेत्र में बना हुआ है। आपको ध्यान होना चाहिए कि हलदीघाटी में युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप का लेकिन वहां विजय नहीं हुई थी। मेरा क्षेत्र दिवेर है जहां पर युद्ध हुआ और

(श्री हरिसिंह रावत)

महाराणा प्रताप की वहां विजय हुई थी और अकबर वहां हारा था। उस स्थल के लिए पूर्व हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पूर्व के काल में 2003-08 में करीब 6 करोड़ रुपये सैंक्शन किये थे। वहां पर बहुत बडा स्टेच्यू बना है, मेवा का मता के नाम से वह स्टेच्यू बना है। वहां पर जो बैटल फील्ड बना है, वहां तक रोप वे बने और साथ-साथ ही कैमल और होर्स राइडिंग की व्यवस्था भी वहां की जाए ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। साथ ही वहां एक बांध बना हुआ है, उस बांध को अगर सौ मीटर तक ऊंचा लिया जाए तो वहां पानी समस्या का समाधान होगा और पर्यटकों को बोट का साधन उपलब्ध रहेगा। यह भी व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।

वन विभाग की बात करना चाहता हूं, मेरा क्षेत्र वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अन्तर्गत आया हुआ है। करीब 11 गांव ऐसे हैं जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अन्तर्गत आते हैं। वे पांच सौ, छह सौ साल पुराने गांव बसे हुए हैं, अगर उसमें बेचने खरीदने और अपना कन्स्ट्रक्शन करने की परमीशन दी जाए तो मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र में रहने वाले वासियों को एक सुविधा मुहैया हो जाएगी। तो यह भी एक विचारणीय बिन्दु है इसलिए इस पर थोड़ा विचार किया जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : यह कोई समस्या समाधान शिविर थोड़े ही है, सरकार की उपलब्धियां बताओ।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : उपलब्धियां बताई थीं न अभी आपको। अभी आप और सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल (सरदारशहर) : उपलब्धियां हों तो बताएं, ऐसे क्या बताएं।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : पेयजल योजना भी हमारी सरकार प्रारम्भ करने जा रही है। हमारे माही प्रोजैक्ट की योजना 5000 करोड़ की है, उस माही योजना को करीब दस-बीस साल लगेंगे। लेकिन बीसलपुर और चम्बल योजना जो मेरे क्षेत्र से गुजर रही है, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उसी योजना के अन्तर्गत मेरे क्षेत्र को जोड़ते हैं तो मेरी पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत, जय-जय राजस्थान।

श्री सभापति : श्री धर्मपाल चौधरी। (व्यवधान) श्री धर्मपाल चौधरी। (अनुपस्थित)

श्री रामलाल शर्मा : (व्यवधान) श्री रामलाल शर्मा (अनुपस्थित)

श्री कैलाश भंसाली।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : मान्यवर सभापतिजी, महामहिम के अभिभाषण का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। जिस विजन के साथ में राज्य सरकार ने 2013 में चुनाव लड़े, 163 सीटें जनता ने भाजपा की झोली में डालीं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : अब कम हो गईं।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : कोई बात नहीं, यह तो घट-बढ़ होती रहती है। (व्यवधान) उसमें आपको कुछ आनन्द आने जैसी बात नहीं हुई है। ठीक है, दो-तीन सीटें कम हो जाएं, ज्यादा हो जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परन्तु जनता ने जिस विजन के साथ वोट दिया, जिस विकास के लिए वोट दिया, उसके लिए मैं राजस्थान की छह करोड़ जनता का बहुत-बहुत आभार मानता हूं। यह भी मानता हूं कि इस देश में नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में विकास के जिस गुजरात माडल के ऊपर सारा देश चल रहा है, वह निश्चित रूप से सफल होगा। मैं अभी-अभी पार्लियामेंट से उनका भाषण सुनकर आया हूं, उन्होंने कहा कि हम जो कर रहे हैं, वह कोई पहले कर देता तो आज आवश्यकता नहीं थी। 60 साल तक देश की जनता ने उनको भोगा है और इस कारण से देश की इकोनोमिक कण्डीशन खराब हुई है। इतनी खराब कण्डीशन में भी जब कुछ कानून लाया जाता है, आमूलचूल परिवर्तन तभी होगा, तभी देश आगे बढ़ सकेगा। मान्यवर, विधान सभा चुनाव के बाद में लोक सभा चुनाव में 25 में से 25 सीटें राजस्थान से देकर एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास राजस्थान की जनता ने बनाया है, उसके लिए जनता का पुन: आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह से निकाय चुनावों में जोधपुर में 15 वर्ष से कांग्रेस का बोर्ड था परन्तु इस बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना और वह भी 65 में से 39 सीटें लेकर। और मेरे शहर में 21 में से 17 सीटें देकर हमने राजस्थान में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अशोक गहलोत जी गृह नगरी में उनको इस तरह से मुंह की खानी पड़ी, वह स्वयं नहीं सोच पा रहे थे, ऐसी बुरी गत जोधपुर में हुई है। अशोक गहलोत साहब ने बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की थी, एक भी घोषणा का

(श्री कैलाश भंसाली)

परिपालन नहीं हुआ, एक का भी काम प्रारम्भ नहीं हुआ। उन्होंने मात्र घोषणाएं कीं, फीता काटो, कैलाशजी आप भी जाओ, आपका भी नाम लिखा है। नाम लिखने से क्या होगा? काम कब चालू कर रहे हैं, यह बताओ। आज वे योजनाएं वैसी की वैसी पड़ी हैं, दोनों आर ओ बी भी वैसे के वैसे पड़े हैं। फ्लाईओवर बनाने की बात थी वह भी बहुत धीमी गति से काम चल रहा है, राजस्थान में वसुन्धराजी की सरकार आने के बाद में काम शुरु हुआ है।

पंचायत चुनावों में शिक्षित लोगों को पंच, सरपंच और अन्य पदाधिकारी बनाने का जो निर्णय राज्य सरकार ने लिया, मुझे याद है, 1962 में नागौर में जब जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज का शुभारम्भ किया था, उस समय कहा था माननीय डे साहब ने कि लोकतंत्र में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के लिए आज यहां से शुरू हुए हैं, यह देश आगे बढ़ेगा। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने, वसुन्धराजी ने शिक्षित लोगों को पंच, सरपंच और पदाधिकारी बनाया है, जिला प्रमुख बनाया है, उससे बहुत फायदा होगा। आम आदमी को हर चीज मिलेगी और उसका आडिट होगा, आडिट के साथ में व्यय पर कंट्रोल होगा, अच्छी मानिटरिंग होगी।

15 अगस्त को हमारी मुख्य मंत्रीजी ने भामाशाह योजना का शुभारम्भ वापस किया। 2008 में वह योजना, मुझे मालूम है, मैं पंजाब नेशनल बैंक का आडिटर था, उन्होंने इतने रुपये का प्रोविजन कर रखा था, उसको ले नहीं सके। माननीय अशोक गहलोत साहब की जब सरकार आयी तो कहा कि हम इसके लिए कमेटी बनाएंगे। वह कमेटी 2012, 2013 तक कुछ काम नहीं करवा सकी और कोई रिपोर्ट भी नहीं दे सकी। इस कारण से यह योजना अब वापस शुरू हुई है, जन-धन योजना के साथ में स्वास्थ्य बीमा को जोडा गया है, इसके लिए नरेन्द्र भाई मोदी को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं।

जोधपुर में भूजल अपने आप में एक समस्या है। सारा जोधपुर पानी पर तैर रहा है, किसी भी समय में कोई हादसा हो सकता है, जोधपुर नीचे डूब सकता है। मेरा फिर एक बार राज्य सरकार व हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि इस परिस्थिति को संभालें, एक नया बांध बनाएं और एक नया फिल्टर हाउस बनाएं ताकि जोधपुर की पानी की समस्या का समाधान हो सके।

(श्री कैलाश भंसाली)

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा, जोधपुर में एकांतरे पानी की सप्लाई होती है जो मैंने आज 295 में भी बात कही थी। पानी खूब है, परन्तु पानी दे नहीं पा रहे हैं, मानिटरिंग ठीक नहीं है। जलदाय विभाग से निवेदन करूंगा कि इस समस्या को देखें।

20 हजार किलोमीटर लम्बाई की सड़कें सरकार ने अपने विजन में लिया है कि काम करेगी। मैं बड़े दु:ख के साथ कह रहा हूं कि जोधपुर में पिछले 12 महीने से सड़कें खुदी पड़ी हैं, गटर लाइन का काम हुआ, एक-एक फीट के खड्डे हैं, लोग चल नहीं सकते हैं। नगर निगम के पास पैसा नहीं है, जेडीए के पास पैसा नहीं है, 3 करोड़ रुपया फैंसिंग के लिए चाहिए, मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि तीन करोड़ रुपया तुरन्त दिलाएं और इस काम को कराएं ताकि जनता को राहत मिल सके।

आर.ओ.बी. के निर्माण में भी बहुत मंद गति से काम चल रहा है, उनको तुरन्त किया जाए। दो मुख्य सड़कें हैं जहां हमेशा एक्सीडेंट होते हैं। बरसात ऋतु आने वाली है, उसमें नालियों की व्यवस्था नहीं हुई तो लोगों का आना-जाना प्रभावित होगा, आधा-आधा घंटा लोगों को वेट करना पड़ेगा, पानी दो-दो, तीन-तीन फीट चलता है।

हमारी सरकार ने शिक्षा में वापस से वैकल्पिक आठवीं बोर्ड की परीक्षा का निर्णय लिया है, वह बहुत ही सराहनीय है। उसके कारण बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा। सुदृढ़ शिक्षा नीति के कारण ही ऐसा हो पाएगा, उसके लिए शिक्षा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरा उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जोधपुर के झालामंड क्षेत्र में सरकार का एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जो उच्च माध्यमिक हो और जिसमें तीनों ऐच्छिक सब्जैक्ट हों। मेरा निवेदन है कि एक स्कूल को क्रमोन्नत जरूर किया जाए क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, 3 लाख की पापुलेशन है और उसमें 68 गांव भी आते हैं। यह आवश्यक बात है जिसको मैं यहां कहना चाहूंगा।

सरदारपुरा उच्च माध्यमिक विद्यालय को विवेकानन्द माडल स्कूल के रूप में डवलप किया जाए क्योंकि इसके आसपास भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, दो लाख की पापुलेशन है।

(श्री कैलाश भंसाली)

बालिकाओं के लिए साइकिल देने का जो निर्णय सरकार ने लिया है, उसके लिए मैं सरकार का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। झालामंड एरिया में कामर्स कालेज की आवश्यकता है, वह अवश्य प्रारम्भ किया जाए क्योंकि इस एरिया में कोई कालेज नहीं है।

इसी तरह से स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि झालामंड में एक डिस्पेंसरी को 30 बैड का हास्पिटल बनाया जाए और प्रसूताओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। इसी तरह से नौचोकिया डिस्पेंसरी को भी प्रसूताओं के लिए 30 बैड का हास्पिटल बनाया जाय। (व्यवधान) यह मांग नहीं है, यह मेरा निवेदन है। अशोक गहलोत साहब ने हां भरकर नहीं किया, यह मैं आपको कह रहा हूं, वे उद्घाटन में आ गये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : ये भी नहीं करेंगे।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : नहीं करेंगे, मेरा निवेदन है, उसमें क्या बात है?

श्री सभापति : आप आग्रह जरूर कीजिए। आप बोलिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में चाइल्ड एण्ड मदर हास्पिटल का वार्ड तैयार है, शीघ्र ही उसको प्रारम्भ किया जाए, ऐसा मेरा स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन है। इसी तरह से एमजीएच में आउटडोर का नया भवन बनाने का कार्य बंद पड़ा है, उसको शीघ्र प्रारम्भ किया जाए। उम्मेद अस्पताल में प्रसूता वार्ड में एक नये वार्ड की और आवश्यकता है। रोज अखबारों में खबर आती है कि दो-दो, तीन-तीन प्रसूताएं एक साथ एक बैड पर सोती हैं, जमीन पर सोती हैं और जब वे लेबर रूम के बाहर आती हैं तो बैठने के लिए जगह नहीं है। इसकी व्यवस्था करने के लिए पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं। (व्यवधान) वह सब अशोक गहलोत साहब की सरकार के समय हुआ था, 39 डैथ हुई थीं और उसका सबसे पहले मामला इस सदन में मैंने उठाया था। (व्यवधान) ओमप्रकाश माथुर साहब का भाई साहब ने कहा कि नाम नहीं लें। स्वाइन फ्लू के लिए सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, राजेन्द्रजी ने बहुत अच्छी मानिटरिंग की और सारा जोधपुर इसके लिए उनको धन्यवाद देता है, व्यवस्था अच्छी की।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : सूर्यकान्ताजी के तो खुद के स्वाइन फ्लू हो गया।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : देखिए, मैं भी डेली जाता हूं हास्पिटल, जब भी जोधपुर होता हूं। एमजीएच हास्पिटल वे भी जाती थीं, यह तो अब महामारी है, किसी के भी लग सकती है। वे काफी एजेड हैं, उनके हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वे ठीक हैं, परसों ही मिलकर आया हूं, बिलकुल स्वस्थ हैं।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां) : आप सभी एक दिन स्वाइन फ्लू का मास्क बांधकर आये, आप सबको ठीक हो गया। यह सब हमारे चिकित्सा मंत्रीजी का ही एहसान है। जिस दिन प्रथम दिन आये थे उस दिन आपके मास्क लगे थे, आज सबके हट गये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ये हमें ही नहीं, आपको भी ठीक कर देंगे साढ़े तीन-चार साल में।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : मैं महामहिम के अभिभाषण का बहुत-बहुत आभार मानते हुए उसका अनुमोदन करता हूं धन्यवाद।

श्री सभापति : बहुत धन्यवाद। डा. मंजू बाघमार।

डा. मंजू बाघमार (जायल) : माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करती हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर गहरी आस्था व्यक्त करते हुए मैं निवेदन करना चाहती हूं, जैसा कि राज्यपाल महोदय ने फर्माया, राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर हर सम्भव प्रयास कर रही है। सरकार संवेदनशील, पारदर्शी व उत्तरदायी प्रशासन के प्रति प्रतिबद्ध है। विभिन्न क्षेत्रों में हो रही आशातीत प्रगति से पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही राजस्थान विकास की दृष्टि से बीमारू प्रदेश की श्रेणी से बाहर निकलकर देश के अग्रणी प्रदेशों की श्रेणी में आ जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता ने माननीय मुख्य मंत्री महोदया वसुन्धराजी के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है उसी का प्रतिफल है कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, उनमें अप्रत्याशित सफलता भारतीय जनता पार्टी को ही प्राप्त हुई है।

माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि विकास के लिए जनता ने माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी को राजस्थान के इतिहास में पहली बार 163 सीटें देकर दुबारा राजस्थान की बागडोर सौंपी, माननीय मुख्य मंत्री महोदया

(डा. मंजू बाघमार)

वसुन्धराजी को एक बार फिर ऐसा राजस्थान मिला जिसके विकास की इमारत जो वसुन्धराजी ने अपने पिछले कार्यकाल में खड़ी की थी, वह ध्वस्त मिली। माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी राजस्थान को बुलन्दियों पर ले जाना चाहती हैं, लेकिन नई बुलन्दियों को छूने में वक्त लगता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले एक साल के अन्दर प्रदेश के अन्दर 5-5 चुनाव हुए हैं, यदि आचार संहिता का समय निकाल दिया जाए तो सरकार के पास काम करने के लिए 160-170 दिन मिले हैं, फिर भी सरकार प्रदेश का पूरा संतुलित विकास करने के लिए प्रयत्नशील है और पूरा विकास कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, ज्यादातर भर्तियों के मामले पिछली सरकार की लापरवाही के चलते अदालत में अटक गये, जिनसे निपटना नई सरकार के लिए चुनौती है। इसे देखते हुए सरकार ने राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा बोर्ड का गठन तुरन्त कर दिया। टेट की समीक्षा कर अध्यापक भर्ती के लिए एक ही परीक्षा रीट आयोजित किये जाने का निर्णय लिया। बेरोजगारी दूर करने और युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए आरमाल का गठन किया गया। बिना सोचे-समझे चुनाव में पिछली सरकार द्वारा शुरू की गयी मुफ्त योजनाएं सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं हैं। पिछली सरकार पूरा खजाना खाली कर गयी और भारी कर्जा लेकर वित्तीय हालत दयनीय कर गयी। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री राजे ने पद सम्भालने के बाद तमाम ऐसी घोषणओं की समीक्षा कर साफ कर दिया कि योजनाएं बन्द नहीं होंगी लेकिन उनमें जरूरी सुधार कर जरूरतमन्दों को इनका लाभ पहुंचाया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, यदि बिजली की बात करें तो बिजली कम्पनियां कर्ज में डूबी हुई हैं लेकिन फिर भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में घरेलू बिजली 23 से 24 घंटे मिलने लगी है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार बनने के बाद माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना, सुरक्षाकर्मी आधे करना, मुख्य मंत्री आवास में न जाकर मंत्रियों को मिलने वाले छोटे आवास में रहना, गाड़ियों का काफिला छोटा करना आदि कई सादगीपूर्ण फैसले किये गये क्योंकि वो अपनी पब्लिसिटी से हमेशा दूर रही हैं। सरकार के अन्य कई फैसले भी बहुत अच्छे साबित हुए हैं- नदियों को जोड़ने की योजना, आठवीं बोर्ड में ऐच्छिक परीक्षा,

(डा. मंजू बाघमार)

वी.सी.आर. में गलत वसूल की गयी राशि की वापसी, 72 घंटे के अन्दर ट्रांसफार्मर बदलने, कृषि मण्डियों में 5 रुपये में खाना, सड़कों की मरम्मत, ईस्ट-वैस्ट कारीडोर, स्टेट मेगा हाइवे का विकास, ग्रामीण गौरव पथ योजना, भामाशाह और जन धन योजना शुरू करना, टी.एस.पी. क्षेत्र के रिक्त पदों की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए अलग से सेवा नियम बनाना, समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद और किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाना। सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायतों का पुनर्गठन किया गया। पंचायती राज में जो शिक्षा की अनिवार्यता की गयी, वो वास्तव में एक मील का पत्थर साबित होगी।

माननीय सभापति महोदय, यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के अन्दर एक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया और प्रदेश में 4988 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। सन् 2014-15 में राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली सभी बालिकाओं को साइकिल प्रदान करने का एक नीतिगत निर्णय लिया गया।

यदि हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो राजकीय महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में आनलाइन एडमिशन प्रोसेस चालू किया गया। उदयपुर में इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट (आई.आई.एम.) के भवन का शिलान्यास किया गया और 350 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है।

माननीय सभापति महोदय, यदि हम औद्योगिक क्षेत्र के विकास के बारे में बात करें तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 जारी की गयी। श्रमिकों के हित के लिए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की गयी और पेंशन की योजना आनलाइन की गयी। पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को जुलाई, 2014 से प्रारम्भ किया गया।

माननीय सभापति महोदय, यदि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो 7 नये मेडिकल कालेज स्वीकृत कराये गये जो अपने आप में स्वास्थ्य सेवाओं में अच्छा कदम है। इसी तरह अभी दो दिन पहले अखबार में आया था कि सवाई मानसिंह हास्पिटल, जयपुर में कैडेवर किडनी का सफल प्रत्यारोपण

(डा. मंजू बाघमार)

किया गया। वर्षों से जो हमारा एक सपना चला आ रहा था, वो सपना पूरा हुआ। निश्चित रूप से इसके लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी और मुख्य मंत्री महोदय दोनों बधाई के पात्र हैं कि उनकी वर्षों की मेहनत रंग लायी है। इसी तरह लिवर और अन्य अंगों के प्रत्यारोपण का लक्ष्य भी है, जिसे भी निश्चित रूप से जल्दी ही पूरा किया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में गौपालन मंत्रालय की पृथक् से स्थापना की गयी। आदिवासी क्षेत्रों में जो पिछले 8-9 वर्षों से खनिज लीज देने पर रोक लगी हुई थी, उस रोक को हटाया गया। 15 अक्टूबर, 2014 से ई-शुभलक्ष्मी योजना प्रारम्भ की गयी। एस.सी., एस.टी. और बी.पी.एल. महिलाओं के विक्रय पत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत लेने की छूट दी गयी। छात्राओं और महिलाओं के विकास के लिए छात्रा आत्मरक्षा कौशल योजना 15 अगस्त, 2014 से प्रारम्भ की गयी जो एक महिला मुख्य मंत्री की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

माननीय सभापति महोदय, अब वो समय गया जब जनता को विकास के छूठे सपने दिखाकर दिग्भ्रमित किया जाता था। अब जनता समझदार हो गयी है, संवेदनशील है और जागरूक हो गयी है। माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र के अन्दर काम करो और राज करो। लोकतंत्र में जनता की जागरूकता एक सशक्त उदाहरण है और जनता ने अपनी जागरूकता का परिचय दिया है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता ने भाजपा को लोक सभा, नगर निकाय और पंचायती राज में एकतरफा जनादेश देकर संवेदनशील, पारदर्शी और उत्तरदायी सरकार के प्रति अटूट विश्वास व्यक्त किया है और विपक्ष की भूमिका को पूरी तरह नकार दिया है।

माननीय सभापति महोदय, एक बार पुन: मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री विद्याशंकर नन्दवाना।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, 1947 की आजादी के बाद राजस्थान के गठन से लेकर अब तक 13 बार इसी प्रकार सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

सदन का गठन हुआ और यह 14वीं राजस्थान की विधान सभा राजस्थान के विकास के लिए कृत संकल्प है। माननीय सभापति महोदय, 13 बार के गठन में हर बार इस सदन में राजस्थान के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये और उनकी क्रियान्विति के लिए भी निर्णय किये गये। आज भी जब हम 'गरीबी हटाओ' नारे की बात करते हैं तो न गरीबी हटी, न गरीबों का उद्धार हुआ। 'गरीबी हटाओ' को नारा गरीबी को नहीं हटाकर अमीरों की जेब भरता रहा। इसी प्रकार हम अन्त्योदय की बात करें तो अन्त्योदय में भी अंतिम लाइन पर खड़ा व्यक्ति विकास का इंतजार करता रहा और अमीर व्यक्ति योजना की क्रियान्विति से अपनी जेब भरता रहा। वहीं आज हम बी.पी.एल. की बात करें तो गरीब को बी.पी.एल. का लाभ मिलना चाहिए था, पर गरीब आज भी उस लाभ से वंचित है और बड़ा व्यक्ति, अमीर व्यक्ति बी.पी.एल. का लाभ अर्जित कर रहा है। मैं यह बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि लम्बे इंतजार के बाद भी हम गरीबों के उत्थान के लिए योजनाएं नहीं बना पाये। यदि हमने योजना बनायी भी तो उसकी सही क्रियान्विति नहीं कर पाये। जिसका ही परिणाम है कि फुटपाथ पर भीख मांगने वाला व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा से वंचित है और उसके नाम से बने हुए विद्यालयों में चहेते शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गरीब गाड़िया लुहार के लिए काफी बड़ी योजनाएं हमने तैयार कीं लेकिन आज भी वो रोड पर गाडी खड़ी करके लोहा कूट रहा है। थड़ी पर दुकान लगाने वाला व्यक्ति पीढ़ी-दर-पीढ़ी थड़ी पर ही दुकान लगा रहा है लेकिन उसके सार्थक विकास के लिए, कोई रोजगार के लिए अन्य योजनाएं हम नहीं दे पाये। यह सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष के नाम पर कमी निकालने में ही समय व्यतीत करता रहा है। अच्छा यह हो कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कोई सार्थक निर्णय लें, जो कठिनाइयां हमारे सामने आ रही हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, 25 फरवरी को माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा इस सदन में अपने अभिभाषण में वर्तमान सरकार के विजन डाक्यूमेंट को प्रस्तुत किया गया। राजस्थान की सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं ग्रामीण विकास के लिए, गंदगी दूर करने के लिए एक अभूतपूर्व योजना की पहल की है। गांव के मुख्य मार्ग तक आधा किलोमीटर से लेकर दो किलोमीटर तक की

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

लम्बाई की सड़कों को आर.सी.सी. मय नालियों के निर्माण कर गौरव पथ के रूप में विकसित किया गया। यह योजना प्रारम्भ हो चुकी है और इसके तहत 1113 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी करना एक अभूतपूर्व प्रयास है। यहां हम राजस्थान की जनता को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की बात करें तो वर्तमान सरकार द्वारा पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लिए 25976 करोड़ रुपये की...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : मंत्रीजी सो रहे हैं।

श्री सभापति : सो सकते हैं, खर्राटे नहीं ले सकते हैं। सोने में डिस्टर्ब थोड़े ही होता है। सोने में डिस्टर्ब थोड़े ही होता है, डिस्टर्ब करना मना है न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : यह आसन से व्यवस्था है कि सो सकते हैं?

श्री सभापति : आसन की व्यवस्था यह है कि माननीय सदस्य बोलें तो उनको डिस्टर्ब नहीं करें। सोने से डिस्टर्ब नहीं होता है, खर्राटे लेने से होता है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, इस तरह टोकने से तो डिस्टर्ब होता ही है न। किसी सोये हुए को यह कहना कि आप सो रहे हो तो यह तो उसके लिए डिस्टर्ब है न।

श्री सभापति : कई लोग टोकने से डिस्टर्ब होते हैं, कई लोग बिना टोकने से डिस्टर्ब होते हैं। आप समय बढ़वा लो छह बजे का।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय छह बजे तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय छह बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया। बोलिये, नन्दवाना साहब।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : यहां हम राजस्थान की जनता के लिए शुद्ध पेयजल आपूर्ति की बात करें तो वर्तमान में सरकार द्वारा पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लिए 25976 करोड़ रुपये की लागत से कुल 67 वृहत् परियोजनाएं प्रगतिरत हैं जिससे 208 गांव और 891 ढाणियां लाभान्वित होंगी। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हमारी सरकार की प्रथम वरीयता है और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नवम्बर, 2014 तक कुल 4,341 गांवों और ढाणियों तथा 923 एससी-एसटी बस्तियों को प्राथमिकता से पेयजल उपलब्ध कराया गया। फ्लोराइड और सारे क्षेत्र में 1,523 गुणवत्ता प्रभावित हैबिटेशन भी शामिल हैं।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें तो सभी ग्राम पंचायतों में 4,988 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना माननीया मुख्य मंत्रीजी का एक साहसिक कदम है। यहां यह देखा गया है कि शाला भवन में कक्षा कक्षों की कमी है। जहां यह देखा गया है कि शाला भवन में कक्षा कक्षों की कमी है- वहां पर हमने रमसा के तहत कक्षा कक्ष की कमियों को दूर करते हुए 10,101 कक्षा कक्ष, 661 शौचालय, 116 पेयजल सुविधाओं के लिए 872 करोड़ रुपये की राशि जारी की है जो राजस्थान के शिक्षा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय सभापति महोदय...

श्री भंवरलाल (सरदारशहर) : पूर्व की सरकार द्वारा भेजा गया था, उसकी मंजूरी आयी है। इस सरकार की भेजी हुई एक मंजूरी नहीं आयी है आज तक रमसा में। आप यह बात संशोधन कर लें। इस सरकार की भेजी हुई एक मंजूरी नहीं आयी है। पिछली सरकार की भेजी हुई है यह।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : चलो, आपकी बात मान लेते हैं।

श्री सभापति : मंजूरी तो आयी है न। मंजूरी तो आयी है। आयी ही तो है, गयी थोड़े ही है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : आपके टाइम में तो वह भी नहीं आयी थी, हमारे टाइम में आयी तो है। आयी तो है मंजूरी, गयी नहीं।

श्री सभापति : हां, समाप्त करो। समाप्त करो।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : माननीय सभापति महोदय, सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के नाम पर राजस्थान में शौचालय बनाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिये थे, लेकिन हमें शौचालय नहीं मिले और कार्यक्रम की क्रियान्विति भी आगे नहीं बढ़ पायी। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आभार व्यक्ति करना चाहूंगा कि उन्होंने देश में शौचालयों और स्वच्छता की बात कर ऐसा वातावरण निर्मित किया है जिसका सभी वर्गों ने समर्थन किया है। माननीया मुख्य मंत्री महोदया द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के चुनावों में शौचालयों और शिक्षा को जोड़ा जाना एक महत्वपूर्ण और साहसिक कार्य है। किसानों को कृषि उत्पादकता के लिए सहकारिता के तहत शून्य ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण देने की नीति जारी कर रखी है जिसके तहत वर्ष 2014-15 में 16,000 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण वितरित किये गये जिसमें किसानों को समय पर पैसा मिल पाया और वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाये। इसी अवधि में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से 339 करोड़ 71 लाख रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरण करने के लक्ष्य के विरुद्ध 2014 में 166 करोड़ 75 लाख रुपये के ऋण वितरित किये जा चुके हैं।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर) : वह पढ़कर बोल रहे हैं। पढ़कर नहीं बोल सकते सदन में। ये महामहिम का भाषण पढ़कर बोल रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आम तौर पर जब हम भाषण देते हैं तो पढ़ते नहीं हैं। कभी-कभी अगर कोट करना होता है तो पढ़ते हैं। इसलिए आप बोलिए। पढ़िये मत, बोलिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : आप तो एक बार बोले ही नहीं, ये पढ़कर तो बोल रहे हैं।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर) : मैं बहुत बोल चुका। पटेल साहब, मैं पहले यहां बहुत बोल चुका। आप तो पैदा ही नहीं हुए थे उस समय। (व्यवधान)

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में आम आदमी के पुरुषार्थ की आवश्यकता है और माननीय राज्यपाल महोदय ने जो सदन में हमारी सरकार का विजन रखा है, मैं उसके समर्थन में अपनी बात रखता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति : धन्यवाद, विराजें। श्री मान सिंहजी गुर्जर बोलेंगे। उसके बाद जो अनुपस्थित सदस्य रहे हैं, उनको पुकारूंगा मैं। श्री मान सिंहजी गुर्जर।

श्री मान सिंह (गंगापुर) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। कल से माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस हो रही है, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिस प्रकार से राजस्थान के समग्र विकास की एक सोच दर्शायी गयी है, मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे विपक्षी साथियों को यह पच नहीं रहा है। जिस प्रकार की टोकाटोकी दो दिन से ये कर रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि राजस्थान की जनता आपको देख रही है, इसके लिए आपको निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा। एक साल के अन्दर जिस विश्वास के साथ में, जिस विचार के साथ में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान को एक दिशा देने का काम किया है, वह सराहनीय है।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस ने राजस्थान को कंगाली की हालत में पहुंचाने का काम किया था, राजस्थान को नीचे पायदन पर ले जाने का काम किया था, माननीया वसुन्धराजी ने जब से सत्ता सम्भाली है अपनी सोच के साथ में राजस्थान को एक नयी दिशा देने का काम किया है और राजस्थान की जनता ने उनके अन्दर विश्वास व्यक्त किया है। मैं दोहराना नहीं चाहता चुनावों की बातों को क्योंकि हमारे बहुत साथियों ने उन सब बातों को कह दिया-चाहे वह विधान सभा का चुनाव हो, चाहे वह लोक सभा का हो, चाहे पंचायती राज और नगरपालिकाओं का हो, एक ही बात है कि राजस्थान की जनता को माननीया मुख्य मंत्रीजी में इस बात का विश्वास है कि माननीया मुख्य मंत्रीजी जिस बात को कहती हैं, जिस विजन को लेकर चलती हैं, उन्होंने पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार के कीर्तिमान स्थापित किये, इस कार्यकाल में भी वे कीर्तिमान स्थापित होंगे। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, माध्यमिक स्कूलों को क्रमोन्नत करने का काम किया है और शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित कर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की जनता को तोहफा दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में आठवीं के बोर्ड का मामला हो, चाहे माडल स्कूल का मामला हो, निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार से राजस्थान अग्रणी पायदान पर बढ़ेगा, इस बात को विपक्ष को भी मानना चाहिए। राजस्थान के इस विजन में और माननीय राज्यपाल महोदय

(श्री मान सिंह)

के अभिभाषण में जो दिशा दी गयी है, उसे नकारा नहीं जा सकता। यह राजस्थान की सरकार का विजन है, माननीया मुख्य मंत्रीजी का विजन है।

इसी के साथ-साथ जो अध्यापकों की कमी थी, उस कमी के बारे में भी मैं कह सकता हूं कि काफी हद तक उसको पूरा कर दिया गया है और स्कूलों के अन्दर विषय अध्यापकों की पूर्ति हुई है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं समझता हूं, 95 प्रतिशत काम आपका पूरा हो गया है और थोड़ी-बहुत जो कमी है, वह भी पूरी होगी। इस बात को मानना पड़ेगा। कई साथी कह रहे थे कि हमारे यहां तो अध्यापक ही नहीं हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिये। इस बात को सही तरीके से कहना चाहिये कि राजस्थान के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुआ है। चुनावों के अन्दर राजस्थान की जनता ने सरकार में विश्वास व्यक्त किया है, यह लोकतंत्र का मूलमंत्र है, इस बात को प्रतिपक्ष को मानना चाहिये। यह मैं आप सब के माध्यम से, माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। आज...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : उप चुनावों वाली बात कह दो।

श्री मान सिंह (गंगापुर) : डोटासराजी जिस बात को कर रहे हैं, अगर आप उन फुलझडियों से खुश होना चाहते हो तो ये पटाखे यहीं छूटेंगे, आपको फुलझड़ियां मिलती रहेंगी, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है।

श्री सभापति : ये तो फुलझड़ी के नाम से ही चुप हो गये हैं।

श्री मान सिंह (गंगापुर) : देश में पहली बार पंचाचती राज के अन्दर शिक्षा का प्रावधान किया गया है लेकिन उस शिक्षा के प्रावधान को हमारे प्रतिपक्ष ने शुरू से नकारने का काम किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा यह राजस्थान के हित में है। मैं समझता हूं, दुनिया के किसी भी विकास के पायदान पर अगर हमको आगे बढ़ना है। तो शिक्षा का हमारे गांव और ढाणी के अन्दर विकास हो, उसकी अलख जगे, इस विचार को मजबूती मिले, इसको स्वीकार करना चाहिये। पंचायती राज के अन्दर जो शिक्षा का प्रावधान किया गया, उससे निश्चित रूप से आज गांवों की बहू-बेटी और गांव का छोटे से छोटा आदमी यह सोचने को मजबूर हुआ है कि हमको यह मिनिमम शिक्षा लेनी पडेगी, तब जाकर हम इस सरकार के भागीदार होंगे। इसके दूसरे दृश्य को मैं समझता हूं, प्रतिपक्ष मन में रखेगा कि इस मायने से हमारे राजस्थान

(श्री मान सिंह)

के पंचायती राज को, स्थानीय निकाय को मजबूत मिलेगी। इस प्रावधान को समझ कर एक पंचायती राज में बैठा हुआ व्यक्ति अच्छी तरह काम करेगा। इसको सही दिशा में सोचने के लिए हमारा प्रतिपक्ष काम करेगा, ऐसा मैं सोचता हूं, माननीय सभापतिजी। (व्यवधान) ऐसा है, सुखराम जी, ये रमेश जी आपके पास बैठे हैं, इनका और हमारा तकनीकी गणित है, उसका हिसाब करना हम जानते हैं। वहां का दो-तीन जिलों का जो तकनीकी हिसाब है न, उसका जवाब हम ही देंगे और उसका जवाब हमारे पास है भी, उसकी चिंता नहीं करें आप।

(17.00 बजे)

श्री सभापति : आप अपनी बात करें, आप बोलें।

श्री मान सिंह (गंगापुर) : मैं समझता हूं, संसदीय भाषा में उसका मैं उपयोग नहीं करना चाहता, जातीय शब्द का, इसलिए मैंने उसके लिए तकनीकी शब्द बोला है।

श्री सभापति : आप बोलिए, तकनीकी ही ठीक है।

श्री मान सिंह (गंगापुर) : माननीय सभापति जी, एस.बी.सी. वर्ग के उत्थान के लिए देव नारायण योजना शुरू की गयी, लेकिन हमारे क्षेत्र के अन्दर पूर्ववर्ती सरकार में जितने भी स्कूल-कालेज खुले, उन सबकी जमीनों के मामले को इस प्रकार से उलझाने का, लिटिगेशन का काम किया कि वो सारे के सारे स्कूल खुल ही नहीं पाये। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र के अन्दर 16 करोड़ रुपये का जो देवनारायण योजना का स्कूल था, बयाना के अन्दर 13 करोड़ रुपये का जो स्कूल था, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उन जमीनों के विवाद को सुलटा करके उन स्कूलों को खोलने का काम किया जिससे हमारे वर्गों को लाभ मिला, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने उनको आपस में लड़ा कर रोकने का काम किया था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है कि इसने एस.बी.सी. वर्ग के विकास के लिए, बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने का काम किया है, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापतिजी, सरकार में माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूर्वी राजस्थान के पांच जिलों की

(श्री मान सिंह)

पेयजल योजना चम्बल योजना, उस चम्बल योजना को पांच साल तक पूर्ववर्ती सरकार ने अटकाये रखा, आज उस योजना के ऊपर पुन: कार्य शुरू हुआ है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार से घोषणा की है, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि 2015 के अंतिम माह तक हमारे क्षेत्र के नादौती, गंगापुर, सवाई माधोपुर को पानी मिल सकेगा। इस बात के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा और प्रतिपक्ष से कहना चाहूंगा कि सही इच्छाशक्ति से इसको देखने का काम करें। आपकी सरकार ने उस योजना को बंद करने का काम किया था और एक कम्पनी के साथ में ठेका करके उसके साथ में भ्रष्टाचार करने का काम किया था। उसी कारण से उस कंपनी ने वह काम पूरा नहीं किया और 70 परसेंट पैसा उसका उठा लिया गया। लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद है कि उन्होंने उसकी जांच करवायी है। कमेटी बिठा दी है और अलग से उस काम को शुरू कराने का काम किया है। यह सरकार के विजन का काम है इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

राजस्थान के विकास के लिए पेयजल योजनाओं और शिक्षा के बाद से हमारा धौलपुर एन.एच. है, लालसोट से धौलपुर वाया गंगापुर का जो एन.एच. है उसका काम भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शुरू किया है। पांच साल से जो काम अटका हुआ था, उसको माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शुरू करने का काम किया है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पूर्वी राजस्थान के छह जिले उस एन.एच. से लाभान्वित होंगे, उसके लिए यह सरकार धन्यवाद की पात्र है।

माननीय सभापतिजी, इसी के साथ राजस्थान की सरकार ने 18 शहरों को स्मार्ट सिटीज में शामिल किया है। केन्द्र ने अजमेर को किया है, राजस्थान सरकार ने उससे एक कदम और आगे बढ़कर 18 शहरों को स्मार्ट सिटी में शामिल किया है, यह निश्चित रूप से सरकार की इच्छाशक्ति को दर्शाता है। मेरा गंगापुर सिटी भी इन 18 स्मार्ट सिटी में शामिल है। निश्चित रूप से इन शहरों के विकास को चरणबद्ध तरीके से लाभ मिलेगा और यह सरकार की इच्छाशक्ति को दर्शाने का काम करता है।

माननीय सभापतिजी, पिछली सरकार में जब ये लोग आखिरी के छह महीने में जब रेवड़ियां बांट रहे थे, उस समय किसानों को फार्म पोण्ड खोदने

(श्री मान सिंह)

के लिए भ्रमित करने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया। आज 900 करोड़ रुपया वह किसान ढूंढ रहा है कि वह कांग्रेस पार्टी कहां है, हमारा फार्म पाण्ड का पैसा हमको मिले। आप नरेगा की बात कर रहे थे, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नरेगा को फार्म पाेण्ड से जोड़ने की बात की है। इसी के साथ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक नया विचार केन्द्र को दिया है कि नरेगा को वन नरेगा के साथ में जोड़ा जाए। हमारे क्षेत्र में जो वन हैं चाहे वह रणथम्भौर का क्षेत्र हो, चाहे कैला देवी का क्षेत्र हो, उन वनों के विकास के लिए भी इस प्रकार की योजना हो। इस सरकार का जो इस प्रकार का विचार है, निश्चित रूप से उस क्षेत्र के विकास का काम है। डोटासराजी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस रणथम्भौर के बारे में आपने सवाल लगाया है, वहां अवैध खनन होता है। वहां पीढ़ियों से रहने वाले लोग अपना जीवनयापन करते हैं। पहले आप उन विस्थापित लोगों को देखने का काम करें, पांच साल से वे लोग बेघर हो गये। उनको आपने कोई मुआवजा नहीं दिया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि अगर हम उनको विस्थापित करेंगे तो मुआवजा देंगे। यह सरकार के विजन का सवाल है। सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से सरकार को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार ने इस प्रकार का विजन रखा है। मैं प्रतिपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि राजस्थान की माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार का विजन दिया है, उसकी झलक माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मिली है, वह राजस्थान के विकास को आगे ले जाने का कदम है। इस सदन में हम राजस्थान के विकास के बारे में सोचें और जो सही बाते हैं, उनको मानने का काम करें, यही मेरा अनुरोध है। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापित : धन्यवाद। जो सूची दी थी वह समाप्त हो गयी है। जो अनुपस्थित थे उनका मैं नाम पुकार रहा हूं। श्री घनश्याम मेहर।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति जब मुझे प्राप्त हुई और जब मैंने उसका अध्ययन किया, साफ जाहिर होता हे कि यह कोई अभिभाषण नहीं है बल्कि एक झूठ का पुलिंदा है। पिछली बार जब हमारी सरकार थी तो राजस्थान का चहुंमुखी

(श्री घनश्याम)

विकास हुआ। चौदह महीने के अन्दर आपने राजस्थान के जो हालात पैदा किये, उनको सारी राजस्थान की जनता जानती है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री सभापति : इनको बोल लेने दो, इनके बाद में बताना।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो चौमूं का विकास हुआ, चौमूं का तो हुआ ही नहीं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : चौमूं नहीं, चहुंमुखी विकास हुआ, पूरे राजस्थान का विकास हुआ।

श्री सभापति : चहुंमुखी विकास को चौमूं के लोग चौमूं का ही समझते हैं, क्योंकि मैं भी चौमूं का ही रहा हूं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : चलिए, मान लेते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज राज्य में जल संसाधन की बात करते हैं तो सिंचाई में कृषि की भागीदारी सुनिश्चित करने का कोई भी सकारात्मक काम नहीं किया गया है जिससे साफ जाहिर होता है कि यह सरकार किसान विरोधी है। अभी भाई मान सिंहजी कह रहे थे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 400 फार्म पोण्ड खोदे, लेकिन उन फार्म पोण्डों का जब तक हमारी सरकार थी, हमने पेमेंट किया है। 268 फार्म पाण्डों के पेमेंट के लिए फाइलें ट्रैजरी में पड़ी हुई हैं। आज किसान दर-दर की ठोकरें खा रहा है, उन किसानों को पेमेंट नहीं किया जा रहा है। वो पास हो गयीं, पास होने के बावजूद भी उनको भुगतान नहीं हो रहा है। 200 फाइलें ऐसी पड़ी हैं जिनको बिना वजह से लटकाया जा रहा है। पूरे विधान सभा क्षेत्र में जमीनी सतह पर पानी नहीं है और सिर्फ फार्म पोण्डों के माध्यम से ही फसल पैदा की जाती है। जब वो फार्म पाोण्ड खुदते हैं तो तलाई भी होती है और पीने का पानी भी उन्हीं से लिया जाता है। जब से यह सरकार आयी है, पूरी तरह से उनके पेमेंट पर रोक लगा दी गयी है। कृषि मंत्रीजी से भी हमने बजट सैशन में निवेदन किया था कि इन फार्म पाण्डों का टार्गेट और इनकी अनुदान की राशि भी बढ़ाई जाए। परन्तु आज तक न तो टार्गेट बढ़ाये गये हैं और सारी फाइलें पैंडिंग पड़ी हुई हैं। किसानों से आप क्या चाहते हो? किसान तो बेचारा वह है

(श्री घनश्याम)

जो आपको फसल पैदा करके देता है। जो भाव में आप खरीदना चाहते हो, उसी भाव में किसान बेच देता है। न आपने किसानों की फसल के भाव बढ़ाये और न कोई खरीद केन्द्र पिछली बार स्थापित किये थे। खरीद केन्द्रों की वजह से किसान दर-दर की ठोकरें खाता रहा, उसका माल मण्डियों में सड़ता रहा, सरकार ने इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार बिजली के क्षेत्र में भी आप भली-भांति परिचित हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में परसों के दिन ही एक आदमी नीचे ट्रांसफार्मर रख रहा था। बिजली मंत्रीजी को मैंने पिछले सत्र में कहा था कि ट्रांसफार्मर जमीन पर रखे हुए हैं, उनको तो आप ऊपर खड़ा करवाएं। ट्रांसफार्मरों को ऊपर नहीं रखा गया, तार झूल रहे हैं। आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उनका कोई उपाय नहीं किया गया है। इससे कई दुर्घटनाएं होती हैं और कई आदमियों की भैंस मर जाती है। आज भैंस की कीमत 50-60 हजार रुपये है। सभापति महोदय, यह सरकार जो कर रही है, पिछले चौदह महीनों में एक रुपये का भी काम इन्होंने न सड़क का किया है न पानी का किया है न बिजली का किया है। जहां तक पानी का सवाल है, किसान और ग्रामीण लोग खारा और गन्दा पानी पीने का मजबूर हो रहे हैं। सरकार की आंखों में पानी होगा तो जनता को पानी पिलाएगी। माननीय सभापति महोदय, राज्य की जनविरोधी सरकार पता नहीं प्रदेश में क्या हालात बनाना चाहती है। आज आम जनता में चर्चा बनी हुई है कि प्रदेश में अच्छे दिन लाने वाली सरकार प्रदेश को डुबोने का काम कर रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार को टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज भी मेरा पर्ची के माध्यम से एक प्रश्न लगा था, मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं कि जो राज्य स्तरीय मार्ग है 25 नंबर, वह दो साल से खराब पड़ा है। चौदह महीनों से हमने उसका पैचवर्क कराया, आज वह पैचवर्क के काबिल भी नहीं है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि हम बीस हजार किलोमीटर सड़क बनाएंगे, सरकार कहती है कि बीस हजार किलोमीटर सड़क बनाएंगे, अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि हमने गौरवपथ के नाम से सड़क बनाने का काम किया है...

श्री सभापति : यहां कोई भाई साहब नहीं होता है, माननीय सदस्य होते हैं सिर्फ।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : माननीय सदस्य कह रहे थे कि गौरवपथ के नाम से हम सड़क बना रहे हैं। गौरवपथ के नाम से सड़क बना रहे हो तो आपने पूर्वी राजस्थान में कौन-कौन-सी सड़क बनायी है, उसका आप ब्यौरा दें। एक भी किलोमीटर, एक भी इंच सड़क पूर्वी राजस्थान में अभी तक नहीं बनायी है। कागजों में स्वीकृत की होगी या आपके खुद के विधान सभा क्षेत्रों में की होगी। कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं, उनसे भेदभाव किया जा रहा है। न उनको हैंडपम्प दिये जा रहे हैं न कोई सड़क का काम किया जा रहा है और न किसी प्रकार का कोई ध्यान दिया जा रहा है।

जहां तक गृह मंत्रालय का मामला है, आये दिन घटनाएं होती रहती हैं। आये दिन चोरियां-डकैतियां हो रही हैं। आम आदमी की मोटरसाइकिल को रोक-रोक कर तंग किया जाता है कि कागजात कहां हैं, लेकिन चारों को नहीं पकड़ रहे हैं, बदमाशों को नहीं पकड़ रहे हैं। जनता को परेशान किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरह के हालात रहे तो उप चुनाव में कड़कोल्या पड़ेगा। अब खतम हो गया है, 'राम रमा पत कर धन लेऊं खेंचत चाप मिटत संदेहू,' अब संदेह भी खतम हो गया। जनता को भी पता लग गया है कि ये लोग कोई काम करने वाले नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शिक्षा के बारे में बात की गयी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सत्रह हजार स्कूल इन्होंने तोड़े, एकीकरण के नाम से तोड़े। कुछ स्कूल दुबारा खोले हैं पर दो-दो अध्यापक स्कूलों में बैठे हैं, कैसे स्कूल चल सकते हैं? कहते हैं, सारे स्कूलों में मास्टर लगा दिये हैं। मेरे यहां दो-दो अध्यापक लगा रखे हैं, आठवीं के स्कूल हैं। सैकण्डरी स्कूल चार अध्यापक से चल रहे हैं। कई बार चिट्‌टी-पत्री लिख दी, कई बार शिक्षा मंत्रीजी को सदन में कह दिया पर आज तक उस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ये लोग गांव के आदमियों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। शहरों में बड़े लोग रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं, पर ग्रामीण लोगों को ज्यादातर इस मामले में तंग किया गया है कि ये लोग शिक्षा से दूर रहें। शिक्षा अगर ये लेंगे तो अधिकार की मांग करेंगे, हमसे अधिकार मांगेंगे। जब शिक्षा से ही वंचित हो जाएंगे तो न कोई पूछने वाला है न ताछने वाला है। न ज्ञान होगा उनको। तो यह सरकार की मंशा है कि ग्रामीण लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए और

(श्री घनश्याम)

उनको पूरी तरह से नुकसान होता रहे। सीनियर स्कूल भी खोले हैं वो हमारे विधान सभा क्षेत्र में नहीं खोले हैं। आपने वो भी वहीं खोले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जीते हैं।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री) : नहीं। नहीं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या बात करते हो। आप रिपोर्ट दें, नहीं खोले गये। आप सूची दें।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री) : हर ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर जहां स्कूल नहीं हैं, वहां सब जगह खोले हैं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : मेरे गांव में ही नहीं खोले हैं, आप क्या बात करते हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : आप तो उच्च शिक्षा मंत्री बन गये, कालेज की बात करो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : मेरे यहां नहीं खोले, कालीचरणजी, आपने चला कर।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री) : खोले हैं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : हायर सैकण्डरी स्कूल भी आपने पूरी तरह से नहीं खोले हैं। जहां आप लोगों की मंशा है, वहीं खोले हैं।

श्री भजन लाल (वैर) : जहां कांग्रेस जीती वहां कालेज बंद कर दिये। वैर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक भी सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला गया है।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री) : वैर में कोई ग्राम पंचायत होगी नहीं।

श्री भजन लाल (वैर) : कैसे नहीं है? आप जब पंचायत चुनाव में वैर में गये तो आप यह...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलने दीजिये।

श्री भजन लाल (वैर) : वैर उप चुनाव में जब आप गये तो वहां दीवली गांव में घोषणा करके आये थे। हम भी वहां प्रचार करने गये थे कांग्रेस का, आप भी गये थे। आप घोषणा करके आये कि चुनाव के तुरन्त बाद में हायर सैकण्डरी का स्कूल खोलूंगा, आज तक वहां स्कूल नहीं खोला क्योंकि वहां वोट ही नहीं मिले भारतीय जनता पार्टी को। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप आपस में विचार नहीं करें। आप बोलें, घनश्यामजी। समय जा रहा है आपका।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को कोसों दूर पैदल चल कर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। जो वंचित स्कूल आपने तोड़े हैं, उन स्कूलों को जो दो किलोमीटर या तीन किलोमीटर की दूरी पर हैं, उनकी सूची हमने डिपार्टमेंट को दे दी है, उन स्कूलों को वापस चालू कराया जाए। ऐसी कई ढाणियां हैं जहां नदी-नाले भी पड़ते हैं, तालाब पड़ते हैं, वहां बच्चे जा नहीं सकते। वो शिक्षा से वंचित हो गये, घर बैठे रहते हैं। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको दुबारा से शिक्षा से जोड़ा जाए, स्कूलों से जोड़ा जाए। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि आज हमारे देश के नये प्रधान मंत्री जी ने नाराया दिया, स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत आप देखेंगे, राज्य की स्थिति कितनी दयनीय हो गयी है। सफाई के नाम पर हर जगह गंदगी का अम्बार लगा हुआ है। सत्ताधारी पार्टी के नेता जिनको अपना फोटो खिंचवाने और मीडिया में आकर थोथी वाहवाही लेने का शौक है, रात के अंधेरे में कचरे के भरे ट्रकों को लाकर, शहर के बीच डलवा कर सुबह-शाम जनता के सामने झाड़ू लेकर सफाई अभियान से जुड जाते हैं। यह काम सत्ताधाधरी पार्टी कर रही है।

श्री सभापति : समाप्त करें अब आप।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, इनके कृत्यों से गंदगी के कारण स्वाइन फ्लू फैल रहा है। स्वाइन फ्लू जैसी भयानक बीमारी राज्य में अपने पैर फैला चुकी है जिससे राज्य में सैकड़ों लोगों की जान चली गयी है1 इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां-वहां स्वाइन फ्लू को प्रकोप ज्यादा है। दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में रोग अपने पांव पसार चुका है लेकिन सरकार इसकी रोकथाम में पूर्ण रूप से नाकारा रही है।

श्री सभापति : विराजिये, माननीय सदस्य। बैठिये, बैठिये। अब समाप्त करें। श्री रामलालजी।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

सूचना

नरेगा कर्मियों का प्रदर्शन

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ इन्फार्मेशन है।

श्री सभापति : क्या है?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के कोने-कोने से गरीब मासूम बच्चे नरेगा जो दैनिक कर्मचारी हैं और डाक्टर लोग यहां बैठे हैं भूख हड़ताल पर, कोई देखने वाला ही नहीं है, उनकी बात सुनने वाला ही नहीं है। सरकार जा ही नहीं रही है।

श्री सभापति : मंत्रीजी ने सुन लिया है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : कब सुन लिया? पंचायती राज मंत्री कहां हैं? सुन लिया क्या?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : सभापति महोदय, हमारा भी इसी मामले में एक-एक मिनट का निवेदन है। सभापति महोदय, कम से कम दस हजार लड़के जो नरेगा के संविदाकर्मी हैं, टी पाइंट पर धरना देकर बैठे हुए हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : आप जाकर देखो तो सही। सात हजार कर्मचारी बैठे हैं वहां। डाक्टर बैठे हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : ...(व्यवधान) सरकार का कोई भी... (व्यवधान) हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी, कोई भी आदमी वहां नहीं जा रहा उनका।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : सरकार से उन्होंने मिलने का प्रयास किया लेकिन राजस्थान सरकार के मंत्री और मुख्य मंत्री ने उनसे मिलने का टाइम भी नहीं दिया।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : न तो उनको टाइम दे रहे हैं और वो विधान सभा के बाहर बैठे हुए हैं। सरकार का कोई भी मंत्री उनकी बात को नहीं सुन रहा है। (व्यवधान) हजारों की संख्या में वो लड़के वहां पर धरना देकर बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चौदह हजार नरेगा संविदाकर्मियों को लिया था, उनको नियमित करने की बात, सभापति महोदय, चल रही है।

श्री सभापति : विराजें।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय सदस्य, ऐसा है कि महानरेगा के जितने भी कर्मचारी हैं उनका डैलीगेशन मेरे पास आ गया, मेरे से मिल लिया, मैंने उनको संतुष्ट कर दिया जो भी बात है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्य संतुष्ट किया, बताओ? सदन से छुपा हुआ रखते हो क्या? छुपाने की क्या बात है? (व्यवधान) नियमित कर रहे हो तो बता दो, मंत्रीजी। (व्यवधान) सभापति महोदय, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं कि मैंने उनको संतुष्ट कर दिया, तो कैसे संतुष्ट किया, सदन को तो बताओ आप।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, वो संतुष्ट हो गये माननीय मंत्रीजी से लेकिन ये प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य उनको संतुष्ट नहीं होने दे रहे हैं।

श्री सभापति : अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : ×××

श्री सभापति : श्री रामलालजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : ×××

श्री सभापति : विराजो। अब ये संतुष्ट होने वालों से पूछो। वो तो संतुष्ट हो गये न।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री सभापति : माननीय रामलालजी।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सभापति महोदय, दो दिन से पक्ष और विपक्ष के द्वारा इस दस्तावेज के बारे में जो विचार व्यक्त किये गये, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यह पवित्र सदन है, पवित्र सदन के अन्दर कोई असत्य वाचन नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी, सभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इस सदन के अन्दर तो हमारी मजबूरी है

(श्री रामलाल शर्मा)

असत्य वाचन करने की, बाहर जाकर अगर आप हमसे पूछोगे तो हम यही कहेंगे कि सरकार ने एक साल के अन्दर काम किया है। सभापति महोदय, अगर मैं बात करूं प्रतिपक्ष की, राजस्थान की संस्कृति रही है कि हम पक्षियों को भी पानी पिलाने के लिये परींडा डालने का काम करते हैं। सभापति महोदय, मैं एक शब्द काम में ले रहा हूं, पूर्ववर्ती सरकार ने एक बहुत बड़ा पाप राजस्थान की सात नगर पालिकाओं की जनता के साथ किया था, आज उन सात नगरपालिकाओं में पूर्ववर्ती सरकार के निर्णय की वजह से पानी मिलना भी मुश्किल हो रहा है। सभापति महोदय, 74वें संविधान संशोधन की दुहाई लेकर पूर्ववर्ती सरकार ने 2012 में एक आदेश जारी किया कि पेयजल की व्यवस्था जो पीएचईडी किया करती थी, इस आदेश के बाद में ये सात नगरपालिकाएं खुद की व्यवस्था करें, खुद के संसाधन डवलप करें। पीएचईडी के द्वारा किसी प्रकार की पेयजल की व्यवस्था नहीं की जाएगी। सभापति महोदय, आज भी स्थिति यही है कि पीएचईडी के द्वारा उन नगरपालिकाओं में कोई व्यवस्था नहीं की जाती। आज भी उन नगरपालिकाओं का जो सीमित बजट रहता है, उस सीमित बजट से ही पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने अगर कोई काम किया है तो जिसको मैं पाप के काम की संज्ञा दे रहा हूं, यह काम किया है।

सभापति महोदय, 2010 में इन्होंने एक काम और किया। यहां जितने भी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य हैं, वे अपने आपको किसानों के मसीहा के रूप में पेश कर रहे हैं। अपनी पूर्ववर्ती सरकार को भी किसानों की मसीहा सरकार कहने का काम कर रहे हैं। 2010 में किसानों की मण्डी शुल्क का जो पैसा इकट्ठा होता था, उस मण्डी शुल्क से सड़कें बनाने का काम होता था। सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में आज भी किसान जिन रास्तों से गुजर कर आता है, उन रास्तों की स्थिति यह है कि वह अपनी फसल को सुरक्षित ढंग से मण्डी तक नहीं पहुंचा सकता। अगर दूसरा कोई पाप पूर्ववर्ती सरकार ने किया तो वह यह किया कि मण्डी शुल्क से बनने वाली सड़कों के ऊपर रोक लगाने का काम किया। मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के निर्णय को बदलते हुए मण्डी शुल्क से बनने वाली कृषि विपणन बोर्ड की सड़कों की अनुमति जारी की। मुझे खुशी है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 42 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति कृषि मंत्रीजी ने जारी की है, साढ़े 14 करोड़ रुपये की लागत उसमें आएगी। सबसे पहला काम हमारी

(श्री रामलाल शर्मा)

सरकार ने कोई किया है तो पूर्ववर्ती सरकार के पाप धोने का काम, किसानों के हित में यह पहला काम किया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम का ये ढिंढोरा पीट रहे हैं। सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इन्होंने गलत सूचियां बनायी हैं। आज भी राजस्थान विधान सभा के पटल पर आया, मंत्रीजी ने अपने उत्तर में दिया, कि लगभग 80 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिनका दो जगह चयन हुआ है। वे बी पी एल में भी हैं और गारंटी अधिनियम के तहत भी उनका चयन हुआ है। मैं कह सकता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार की जो जवाबदेही थी, उस जवाबदेही से बाहर जाते हुए एक ऐसा काम करके गयी है, जिसका खामियाजा अब तक जनता को भुगतना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, मैं एक और आरोप पूर्ववर्ती सरकार पर लगाना चाहूंगा कि अपनी अकर्मण्यता को छिपाने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया है। गोपालगढ़ की घटना हो चाहे फूल मोहम्मद वाली घटना हो, दोनों घटनाओं में सरकार की अकर्मण्यता थी, लेकिन उसका खामियाजा उन अधिकारियों को भुगतना पड़ा जो निडरता के साथ अपनी ड्यूटी को निर्वहन करने का काम कर रहे थे। (व्यवधान) सभापति महोदय, उन अधिकारियों की बलि लेने का काम किया है जिन्होंने ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाने का काम किया था। सभापति महोदय, इस दस्तावेज में महामहिम ने जो बातें कही हैं, वे सारी की सारी बातें सत्य हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र में अगर विकास की बात करें, इनके पांच साल का कार्यकाल आपने भी देखा है, किस तरीके से नगर निगम में नूरा कुश्ती का खेल पिछले पांच साल चला। कितने ईओ को चेंज किया गया। आपसी झगड़े की वजह से जयपुर शहर का पूरा का पूरा विकास रोकने का काम आपने किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, आपकी भी आस्था का केन्द्र है वीर हनुमानजी का मंदिर, सभापति महोदय, मेरा यह सीधा-सीधा आरोप है, 2003 से 08 तक वसुंधराजी के कार्यकाल में वीर हनुमानजी का विकास हुआ था, 2008 से लेकर 13 तक कांग्रेस की सरकार रही, एक पत्थर लगाने का काम भी आपने नहीं किया। आज आपके माननीय सदस्य धार्मिक स्थानों के विकास की बात कर रहे थे, सभापति महोदय, इनसे पूछिए कि वीर हनुमानजी के मंदिर पर एक पत्थर लगाने का काम भी आपने किया हो। उस पत्थर को आप टेबल करने का कष्ट करें। एक रुपया इन्होंने खर्च नहीं किया। आज मुझे खुशी इस बात

(श्री रामलाल शर्मा)

की है कि वसुंधराजी की सरकार के आने के बाद वीर हनुमानजी की जो 12 किलोमीटर की सड़क है, उस सड़क का काम पूरा हो चुका है। आंतरिक विकास का काम अगले माह शुरू होने वाला है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि इन्होंने पहले बजट भाषण में उस काम को शामिल किया। जिस तरीके से खोले के हनुमानजी का विकास हमने किया था, उसी तर्ज पर सामोद के वीर हनुमान जी का विकास हम करेंगे। सभापति महोदय, सिर्फ जयपुर जिले का ही नहीं, आसपास के जिलों का वह आस्था का केन्द्र है, वह आज विकसित हो रहा है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कानून व्यवस्था की बात का जिक्र माननीय सदस्यों ने अभी किया कि आपके एक साल के राज में कानून व्यवस्था चौपट रही। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि हमारे शासन में माननीय सदस्यों के साथ ऐसी घटनाएं नहीं घटीं लेकिन आपके शासन में तो आपके माननीय विधायक को अपनी बात मनवाने के लिए टावर के ऊपर चढ़ना पड़ा। एक माननीय सदस्य के पुत्र की सरेआम हत्या की गयी। एक माननीय सदस्य को धक्का देकर उनकी गाड़ी को छीन कर ले गये। ऐसी घटनाएं हमारे एक साल के शासन काल में तो नहीं हुईं। चेचट थाने की घटना...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : खण्डार के विधायक की गाड़ी जला दी गयी, उसके बारे में तो बोलो।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : सभापति महोदय, मैं इनके माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार में किस तरह की कानून व्यवस्था थी? यादगार के सामने नरमुण्ड काट कर डाल गये, उसका पता नहीं। चेचट थाने में जिस तरह से घटना हुई, उसकी तो जितनी निंदा की जाए, उतना कम है। आपके राज में कानून व्यवस्था कहां थीं? आज वर्तमान समय में योग्यता के आधार पर, न कि किसी भेदभाव के आधार पर, योग्यता के आधार पर अधिकारियों की प्रशासनिक तंत्र पर जो पकड़ बनी है, उस कारण आज प्रदेश में इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी जिस घटना का जिक्र किया जा सके।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जब आप शिक्षा मंत्री थे, जिस तरीके की नियुक्तियां आपने दीं, उन नियुक्तियों में एक भी व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता, बिलकुल निष्पक्षता के साथ में शिक्षा के क्षेत्र में थर्ड ग्रेड टीचरों की आपने भर्ती की। इनकी पूर्ववर्ती सरकार ने

(श्री रामलाल शर्मा)

लोगों को सिर्फ उलझाने का काम किया ताकि कानून में जाकर सारी की सारी भर्तियां अटकी रहें। एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम नहीं किया। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा) : 41 हजार भर्तियां की हैं हमने। हमने परीक्षा ली उसका रिजल्ट अब निकाला आपने, 61 हजार होती हैं, मेरे खाते में।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : इतना लेट क्यों निकला? उसमें दोष किसका था? आपकी नीयत ठीक नहीं थी। अगर आपकी नीयत ठीक होती... (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा) : सभापति महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारी गलती थी तो डेढ़ साल तक आपने क्या किया?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : बता रहा हूं, आपकी गलतियों को दुरुस्त करने का काम किया। (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा) : डेढ़ साल लग गया?

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां) : आपके जितने पाप थे उनको धोने में समय लग रहा था। अब तक आपके सारे पाप धो रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : पाप धोने के लिये ही कालीचरणजी साहब को हटाया है क्या?

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां) : नहीं, वह तो आपकी सोच है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : सभापति महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में स्वाइन फ्लू के बारे में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने काफी तेज आवाज में, काफी आक्रामक होकर बात रखी। सभापति महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को मैंने बाहर पूछा कि आपकी स्पीड इतनी तेज क्यों है, तो इन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, आपका तो बहाना है, मुझे तो आगे आना है। इस तरह की भावनाओं के साथ लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बोले। मैंने कहा कि जयपुर का रास्ता इधर दक्षिण दिशा में आता है, आप उलटे उत्तर दिशा में जाने का काम क्यों कर रहे हो...(व्यवधान) मैं चाहे बीकानेर का चक्कर लगाकर आ जाऊंगा लेकिन मेरा मकसद तो आगे आने का है। कई बार सड़कों के ऊपर संकेतक लगे हुए रहते हैं, तीव्र गति दुर्घटना को आमंत्रित करती है। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य थोड़ा स्पीड कर रखें, हमारे प्रतिपक्ष के नेता सीधे-सादे माननीय सदस्य हैं...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : आप सभापति महोदय की बड़ाई करके पीछे क्यों जाना चाहते हैं, माननीय सदस्य? आप तो कम से कम वसुंधरा चालीसा पढ़ो जिससे कोई न कोई लाभ मिल जाए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : जैसा आप पढ़ रहे हैं?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : हर बार आपके बोलने से आपका नेता प्रतिपक्ष में नंबर नहीं आएगा। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरतगढ़) : आपको मुंशीजी का काम दे दिया?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : मुझे कोई नहीं हटाया, मैं मंत्री हूं अभी भी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : मंत्री नहीं हो आप।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक) : मंत्री से भी ऊपर हूं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : सभापति महोदय, बीमारियां किसी को निमंत्रण देकर नहीं आतीं, बीमार कोई भी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन कोई बीमारी आने के बाद में सरकार उसके प्रति संवेदनशील रहे। सभापति महोदय, सरकार ने स्वाइन फ्लू के ऊपर अंकुश लगाने के जो प्रयास किये हैं, वे सार्थक प्रयास हैं। सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी भूमिका निभाने के लिये तो अखबारों में और सदन में बात रख दी, क्या आपने भी कोई ऐसा काम किया है जो जन जाग्रति का काम हो, चाहे स्वाइन फ्लू पर अंकुश लगाने का काम हो? सामाजिक काम करने का आपने जो दायित्व निभाया है, वह आप बताने का कम करें।

चिकित्सा के क्षेत्र में बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि एक भी चिकित्सक की नियुक्ति की हो तो आप बताएं। सभापति महोदय, मैंने इनसे निवेदन किया, मेरी विधान सभा का रहने वाला एक चिकित्सक आपके नारायणपुर की सीएचसी के अन्दर पोस्टेड। यह भी इस बात को स्वीकार कर रही हैं। बाद में मेरी बात हुई तो इन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि एक मेडिकल आफिसर और लगा है। यदि चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो पिछले एक साल के अन्दर 677 स्थाई नियुक्तियां देने का काम सरकार ने किया है। 438 स्थाई एक और दूसरे पेज के अन्दर मेडिकल आफिसर लगाने का काम किया है। सभापति महोदय, संविदा के ऊपर 365 मेडिकल आफिसर लगाने का काम किया है। इन्होंने पिछले पांच साल के अन्दर कोई काम नहीं किया था, एक साल के अन्दर चिकित्सा के क्षेत्र में एक हजार से अधिक मेडिकल आफिसर लगाकर ग्रामीण क्षेत्र को सेवाएं देने का काम इस सरकार ने किया है।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, हमारे चौमूं की सीएचसी की बात करूं, पांच साल के अन्दर इस अस्पताल का आउटडोर 500 से अधिक कभी नहीं बढ़ा। लेकिन एक साल के अन्दर उस सीएचसी के अन्दर जिस तरीके से सोनोग्राफी की सुविधाएं, ईसीजी की 24 घंटे की सुविधाएं शुरू हुई, डेंटल सेवाएं शुरू हुई, उस अस्पताल में आज आउटडोर देखें तो औसतन एक हजार से ऊपर रहता है। एक निवेदन और करना चाहूंगा, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने गोविन्दगढ़ की सीएचसी का अवलोकन किया था और अवलोकन करने के बाद इन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि पूरे राजस्थान के अन्दर पहली सी एच सी मैंने ऐसी देखी है जिसके अन्दर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर चिकित्सा के क्षेत्र में इतना काम किया है तो प्रतिपक्ष के नेताओं को कम से कम इस बात को स्वीकार करना चाहिए। सभापति महोदय, इतना ही नहीं... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : दोनों लाइन में मत चलो, एक लाइन में ही चलो। दोनों लाइन में चल रहे हो। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : पिछले एक साल के अन्दर अगर जयपुर विकास प्राधिकरण का काम देखें, मैं मेरी विधान सभा का जिक्र करूं, एक साल के अन्दर जयपुर विकास प्राधिकरण ने लगभग 50 करोड़ से अधिक की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की हैं जिनमें से 20 करोड़ के काम तो अभी चल भी रहे हैं। हमारे क्षेत्र के अन्दर कई हादसे, अभी माननीय सदस्य घनश्यामजी कह रहे थे, तारों से हादसा, चौमूं के अन्दर भी कई हदासे हो चुके थे। विगत सरकारों से भी कई बार निवेदन किया गया लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण ने साढ़े सोलह करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की और 33 हजार और 11 हजार की लाइनें दुर्घटनाग्रस्त होने की सम्भावना बनी रहती थी, उन सब लाइनों को भूमिगत करने का काम किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पांच साल के अन्दर जयपुर विकास प्राधिकरण का जितना पैसा नहीं लगा होगा, उतना पैसा तो एक साल के अन्दर...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) : आपकी विधान सभा के अलावा और जगह भी करवा देना, वह भी लिखित में यहां पर एंट्री है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : आप लिखकर दे देना।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) : बिलकुल, मैं बता देती हूं। नारायणपुर में पूरी बस्ती के ऊपर से जा रही है, एससी बस्ती के ऊपर से,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

जगतपुरा मोहल्ला से, वह भी हटवाने का कष्ट करें। वह सिर्फ एक बिलांद की दूरी पर ही है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की जो भूमिका है, वह इस प्रकार की है कि हम लिखकर नहीं देंगे, हम काम नहीं कराएंगे। यदि काम हो गया तो वहां हमारा मुद्दा समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये यहां सिर्फ बोलने का काम करते हैं। प्रयास नहीं करते कि हमारे क्षेत्र की...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) : आपको कापी दे देंगे, साहब। लिखित में दिए हुए की कापी भिजवा देंगे माननीय सदस्य महोदय को।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : ये इस प्रकार कोई प्रयास नहीं करते कि समस्याओं का समाधान हो। इनको मुद्दा जीवित रखने का काम करना है और वह काम ये बखूबी कर रहे हैं। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन और है...(व्यवधान) मैं जो तथ्य पेश कर रहा हूं, एक भी असत्य तथ्य नहीं है, आप किसी भी एजेंसी से या स्वयं जाकर जांच कर लेना। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक साल के अन्दर फंड का जो पैसा है, बारिश की वजह से सड़कें टूटी थीं, आज ही मुझे सूची मिली है जिसमें चौमूं विधान सभा क्षेत्र की 37 सड़कों के लिए 98 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं, जिनका पैचवर्क का काम चलेगा। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं के अन्दर भी पूरे राजस्थान के अन्दर काम चल रहा है। अब आपको तो याद वही रहता है जो आप करते हो। पिछले पांच साल के कार्यकाल में आपने भेदभावपूर्ण तरीके से ही काम किया है। लेकिन वसुन्धराजी की सरकार ने, माननीय मंत्री महोदय ने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गौरव पथ पूरी विधान सभाओं में...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : हमने सड़कें दी थीं सब विधायकों की अभिशंसा से। आपने सड़कें नहीं दीं। गौरव पथ में अभिशंसा कांग्रेस की नहीं। हैण्डपम्प कांग्रेस के सदस्यों को, विपक्षी सदस्यों को नहीं दिया। क्या बोल रहे हो, कितना असत्य बोलेंगे? गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है यहां।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं, राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार वसुन्धराजी की थी 2003 से 2008 तक, उन्होंने घोषणा की थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के ऊपर सैकण्डरी स्कूल होगा, एक भी ग्राम पंचायत ऐसी है क्या जहां पर सैकण्डरी स्कूल नहीं है? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : जाटान पंचायत ऐसी है सैकण्डरी की...(व्यवधान) एकीकरण में बंद कर दी, आज प्राइमरी स्कूल भी नहीं है उस पंचायत में। प्राइमरी स्कूल भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं... (व्यवधान) मैं दावे के साथ कहता हूं कि जाटान ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सैकण्डरी स्कूल थी, आपकी सरकार ने एकीकरण में बंद कर दी, आज वहां प्राइमरी स्कूल भी नहीं है।

श्रीमती शकन्तुला रावत (बानसूर) : स्कूलें बनवायी हैं तो गिन लो आप...(व्यवधान) कितनी पंचायत रह रही हैं।

श्री सभापति : आपस में चर्चा नहीं करें, आसन को संबोधित करें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : रामलाल भाईसाहब, विपक्ष एक साफी की शीशी की तरह होता है, आयुर्वेद में आती है साफी जो बहुत कड़वी होती है, जिसे कोई पी नहीं सकता। इसको अच्छी तरह पी जाओ, सारे कीड़े मर जाएंगे। विपक्ष की पूरी बात सुनी जाए, विपक्ष आपको दिशा देने का काम करता है। हमारा काम तो आप करोगे नहीं। साफी की शीशी है विपक्ष, इसको अच्छी तरह पीओ जो आपके पेट के कीड़े मर जाएं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : मुझे लगता है कि उस आयुर्वेद की दवा की सबसे ज्यादा आवश्यकता आप लोगों को है, आप उसका सेवन कीजिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले कई वर्षों से कई काम ऐसे थे जो रुके हुए थे। इनके पांच साल के कार्यकाल में जयपुर जिले के बाशिदें ने कई बार प्रयास किये, कालाडेरा रीको के अन्दर पशु आहार का जो प्लांट लगा है, नदबई से आकर जयपुर के किसानों का पशु आहार काफी महंगी रेट के अन्दर पशुओं के लिए उपलब्ध था लेकिन मैं कृषि मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा और वसुन्धराजी को कि सरकार बनते ही सबसे पहले पशु आहार का प्लांट कालाडेरा के अन्दर शुरू हुआ और आज वह अपने अन्तिम छोर पर आ चुका, कुछ दिनों बाद वहां पर पशु आहार बनना शुरू होगा। रियायती दर पर किसानों को पशु आहार मिलना उपलब्ध होगा। सभापति महोदय, मैं तो इतना कह सकता हूं कि पिछले एक साल के अन्दर एक नहीं अनेकों काम ऐसे हुए हैं जिन कामों को विपक्ष को भी स्वीकार करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं बिजली के क्षेत्र में बात कहना चाहूंगा, बिजली के क्षेत्र में अभी और सुधार की आवश्यकता है। अभी भी कई पुराने फीडर हैं, वोलटेज की समस्या है, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरी विधान सभा से अगर मैं बात करूं तो 3200 डिमांड नोटिस ऐसे थे जो मुख्यमंत्री

(श्री रामलाल शर्मा)

सबको बिजली योजना में पैंडिंग पड़े हुए थे। पिछले एक साल के अन्दर 2 हजार घरेलू कनेक्शनों के डिमांड नोटिस जारी हुए, उन सब तक लाइट पहुंचने का काम हुआ है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : नहीं हुआ। मेरे...(व्यवधान) विधान सभा क्षेत्र में जिनका डिमांड नोटिस निकला हुआ है एक का भी कनेक्शन नहीं हुआ, दावे के साथ कह सकता हूं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : मैं आपकी विधान सभा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी विधान सभा की बात कर रहा हूं। यदि मेरी बात असत्य है तो कभी चाय पीने के लिए आप रुक जाना, मैं आपको रिकार्ड उपलब्ध करा दूंगा।

श्री सभापति : आसन को सम्बोधित करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : सभापति महोदय, एक निवदन आपके माध्यम से मैं और करना चाहूंगा, बिजली के क्षेत्र में सभी प्रतिपक्ष के नेताओं ने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की हैं, वास्तव में यह जांच का विषय है कि आखिरकार 15 हजार करोड़ से बढ़कर पिछले साल के अन्दर 55 हजार करोड़ का घाटा कैसे हो गया। सभापति महोदय, यह जांच का विषय है कि महंगी बिजली खरीदी या खरीदने में कोई अनियमितता थी वया और कोई मामला था। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि इस विषय की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार इन्होंने क्या किया। आज भी ये पाक साफ बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण सदन के पटल पर रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आने वाले समय के अन्दर राजस्थान को एक अग्रिम पंक्ति में ले जाने का यह दस्तावेज काम करेगा। आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री धर्मपाल चौधरीजी। श्री धर्मपाल चौधरी। माननीय सचेतक महोदय, आपकी लिस्टी पूरी, हो गयी है, आपकी भी हो गयी।

सदन की बैठक सोमवार दिनांक 02 मार्च, 2015 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.39 बजे सोमवार 02 मार्च, 2015 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

कुशलगढ़ के द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पद

27. श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में माध्यमिक शिक्षा में द्वितीय श्रेणी अध्यापक के विषयवार विभिन्न विद्यालयों में कितने-कितने पद स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त हैं? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में आर.पी.एस.सी. से चयनित द्वितीय श्रेणी अध्यापकों में से उक्त कितने स्थानीय अध्यापकों का पदस्थापन विधान सभा क्षेत्र के बाहर किन कारणों से किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में माध्यमिक शिक्षा में द्वितीय श्रेणी अध्यापक के विषयवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) आर.पी.एस.सी. से चयनित द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के पदस्थापन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पदस्थापन किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के 05 आशार्थी अंग्रेजी विषय एवं 01 आशार्थी संस्कृत विषय को कुशलगढ़ से बाहर पदस्थापित किया गया है। कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सीधी भर्ती के पद रिक्त नहीं होने के कारण उक्त 06 आशार्थियों का पदस्थापन कुशलगढ़ से बाहर किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लम्बित आवेदन

28. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कितने वृद्ध जनों, विधवा एवं विकलांगों को वर्तमान में पेंशन प्रदान की जा रही है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संदीप शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्राप्त किये गये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आवेदन अभी तक लम्बित हैं? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिन आवेदकों की पेंशन स्वीकृत है उन्हें नियमित रूप से पेंशन देने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन पेंशन से लाभान्वित किये गये पेंशनरों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य में 295 पंचायत समिति कार्यालय तथा 192 उपखण्ड कार्यालय हैं जिनके द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन आवेदन लेने एवं पेंशन स्वीकृति का कार्य किया जाता है। लम्बित आवेदनों के रिकार्ड का संधारण भी इन कार्यालयों में किया जाता है। जिला कलक्टर कार्यालयों से लम्बित आवेदनों की सूचना मंगवाई गई है। वर्ष 2012-13 में प्राप्त किये गये पेंशन आवेदनों में से लम्बित आवेदन पत्रों का जिलों से अभी तक प्राप्त विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों के अन्तर्गत यथा सम्भव प्रतिमाह, माह के प्रथम सप्ताह तक पेंशन भुगतान का प्रावधान है। वर्तमान में सामान्यतया सभी पेंशनरों को मनीआर्डर के माध्यम से प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। पेंशन भुगतान को नियमित एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से पेंशनरों को भामाशाह योजनान्तर्गत बैंक बचत खातों के माध्यम से पेंशन भुगतान का प्रयास किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बसवा (दौसा) के वन क्षेत्र में अवैध खनन

29. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दौसा जिले की बसवा तहसील में चेजा पत्थर की कितनी खानें कहां-कहां व किस-किस के नाम से आबंटित हैं व वर्तमान में किस-किस की कहां-कहां पर कितनी-कितनी खानें चल रही हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(श्रीमती अलका सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खानों के आस-पास वन क्षेत्र है? यदि हां, तो किन-किन खानों के पास व कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज़ पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्थानों पर कुछ वन क्षेत्र से पत्थर निकाले जाते हैं? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों से? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(4) क्या उक्त वन क्षेत्र में हो रहे खनन की जांच की कोई व्यवस्था है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कब-कब किस-किस स्तर पर जांच की गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जिला दौसा की तहसील बसवा में खनिज चेजा पत्थर के कुल 10 खनन पट्टे स्वीकृत हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

(2) जी हां। उक्त खनन पट्टे वन विभाग द्वारा जारी गैर-वन पुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही स्वीकृत किये गये हैं । उक्त खनन पट्टों की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी परिशिष्ट-1 में दर्शायी गयी है ।

(3) वन विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार उक्त स्थानों में से केवल कोलेश्वर खुर्द में स्थित वन क्षेत्र में अवैध खनन किये जाने की छुट-पुट घटनाएं घटित हुई हैं जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है ।

(4) जी हां। खान विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर क्षेत्र की जांच की जाती है । गत 3 वर्षों में वन विभाग की ओर से की गयी अवैध खनन निर्गमन की जांच एवं कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर तथा खान विभाग द्वारा की गयी जांच कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-30

(स्थगित)

पाली की भैरव एवं कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समितियों की अनियमितताओं की जांच

31. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(1) पाली शहर स्थित भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति एवं कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति का पंजीयन कब किया गया एवं पंजीयन के समय इन समितियों में कौन-कौन पदाधिकारी एवं सदस्य थे?

(2) उक्त गृह निर्माण सहकारी समितियों के पास किस-किस नाप के कितने-कितने भूखण्ड थे एवं कौन-कौन सा भूखण्ड किस-किस सदस्य को दिया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त गृह निर्माण समितियों की योजनाओं में किस नाप के भूखण्ड सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रिक्त रखने थे? स्वीकृत मानचित्र की प्रति के साथ विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त रिक्त भूमि में से वर्तमान में कितनी भूमि रिक्त है एवं किस-किस भूमि पर क्या-क्या निर्माण कार्य, किन-किन कारणों एवं अनुमति से किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त गृह निर्माण समितियों में कौन-कौन से भूखण्ड का पट्टा या आबंटन पत्र किस-किस व्यक्ति द्वारा कब-कब, किस-किस व्यक्ति के नाम जारी किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त गृह निर्माण सहकारी समितियों का विभाग द्वारा कब-कब अंकेक्षण किया गया? प्रत्येक अंकेक्षण के समय कौन-कौन सा भूखण्ड किस व्यक्ति के नाम का था एवं अंकेक्षण में क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई व सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) उक्त समितियों के मानचित्र में कब-कब, किन-किन कारणों से किस-किस अधिकारी की सहमति से क्या-क्या परिवर्तन किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि उक्त समिति के पदाधिकारियों द्वारा अनेक भूखण्डों के एक से अधिक पट्टे एवं आबंटन पत्र जारी कर दिये गये हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(9) क्या यह भी सही है कि समिति के गठन के समय जिन-जिन सदस्यों को जो-जो भूखण्ड आबंटित किया गया था, बाद में आबंटी की बिना सहमति एवं जानकारी के उन भूखण्डों को दूसरे व्यक्ति को आबंटित कर दिया गया? यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(10) क्या सरकार उक्त समितियों की जांच कराकर इसमें हुई

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

अनियमितताओं में जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

उत्तर

(1) भैरवा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. पाली का पंजीयन द्वारा दिनांक 11.12.1980 को पंजीयन क्रमांक 1196/टी एवं कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति लि. पाली का पंजीयन दिनांक 29.07.1981 को पंजीयन क्रमांक 1211/टी द्वारा किया गया।

पंजीयन के समय इन समितियों के पदाधिकारी एवं सदस्यों की सूची परिशिष्ट संख्या 1 से 4 तक संलग्न है।

(2) भैरवा गृह निर्माण सहकारी समिति लि., पाली की आडिट रिपोर्ट वर्ष 1981-82 के अनुसार समिति के पास कुल 95 भूखण्ड थे। समिति के 95 सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति लि., पाली के कुल 262 भूखण्ड थे, जिनकी सदस्य सूची परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(3) कार्यालय जिला कलक्टर, पाली के अभिलेखागार से प्राप्त अभिलेख के अनुसार भैरवा गृह निर्माण सहकारी समिति लि., पाली की मण्डली खुर्द आवासीय योजना तथा कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति लि., पाली की मण्डली खुर्द आवासीय योजना के स्वीकृत नक्शों के अनुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा आवासीय भूखण्ड, सड़क, खुला स्थान व पार्क तथा विद्यालय हेतु छोड़े गये भूखण्डों के क्षेत्रफल को दर्शाया गया है। स्वीकृत नक्शा परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

(4) नगर परिषद पाली द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उक्त रिक्त भूमि में वर्तमान में कितनी रिक्त भूमि है तथा क्या-क्या निर्माण हो रहा है, इसकी भी सूचना विस्तृत सर्वे करवाया जाकर ही प्राप्त हो सकती है। परिशिष्ट 8 पर संलग्न है।

नगर परिषद पाली द्वारा भैरवा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. एवं कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति लि. पाली में कुल 16 (सोलह) भूखण्डों पर निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। परिशिष्ट-8 पर संलग्न है।

(5) नगर परिषद पाली द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार नगर परिषद पाली ने कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति लि. (गोदाइजाव) पाली में कुल

(सहकारिता राज्य मंत्री)

10 पट्टे जारी किये गये। चूंकि उक्त पट्टे राजस्थान विधियां संशोधन नियम 1999 के प्रभावी होने के पश्चात जारी किये गये, इसलिये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा ए व बी के अन्तर्गत भूमि के खातेदारी के अधिकार समाप्त होकर भूमि नगर परिषद पाली के नाम दर्ज होने से हितधारियों के हक में पुन: आबंटन/नियमन किया गया है।

अत: नगर परिषद पाली द्वारा पट्टा पत्रावलियों में समिति द्वारा अपने सदस्यों के हक में जारी आबंटन पत्र प्राप्त नहीं किये गये हैं। परिशिष्ट संख्या 10 पर संलग्न है।

कार्यालय जिला कलक्टर पाली के अभिलेखागार से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2000 से पूर्व कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति लि. (गोदाईजाव) आवासीय योजना के सदस्यों को 10 (दस) पट्टे जारी किये गये। उक्त पट्टे विलेख स्वीकृत पत्रावली में कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति लि. पाली द्वारा उक्त 10 सदस्यों को जारी आबंटन पत्र उपलब्ध है। परिशिष्ट-9 पर उपलब्ध है।

भैरवा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. एवं कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति लि. पाली के शेष आबंटन पत्रों के सम्बन्ध में समिति का रिकार्ड प्राप्त नहीं होने के कारण जवाब दिया जाना सम्भव नहीं है।

(6) भैरवा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. पाली का अंकेक्षण वर्ष 1980-81 से वर्ष 1987-89, वर्ष 1991-92 तथा वर्ष 2008-09 का विभाग द्वारा संपादित करवाया गया है। कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति लि. पाली का अंकेक्षण वर्ष 1981-82 का विभाग द्वारा सम्पादित करवाया गया है। आडिट रिपोर्ट के अनुसार सदस्य एवं भूखण्ड आबंटन की सूची परिशिष्ट 10 से 20 तक संलग्न है।

कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति लि. पाली समिति की आडिट रिपोर्ट वर्ष 1981-82 के साथ सदस्यों की सूची परिशिष्ट-20 ए पर संलग्न है। समिति के आडिट रिपोर्ट में कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पाई गई है, जिससे कोई विशेष अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही अपेक्षित हो। वर्ष 1982-83 से लगातार समिति बन्द रहने के कारण आडिट कार्य सम्पन्न नहीं हुआ है।

(7) कार्यालय नगर परिषद पाली से प्राप्त सूचना के अनुसार कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति लि. पाली के खसरा नंबर 1418/5

(सहकारिता राज्य मंत्री)

रकबा 3 बीघा भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संशोधित ले-आउट प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में नगर परिषद पत्र क्रमांक 1105 दिनांक 26.08.2008 वरिष्ठ नगर नियोजक को लिखा गया एवं नगर नियोजक के पत्र जेडी जेड/1628/पाली दिनांक 17.09.2008 के अनुसार मानचित्र में संशोधन किया गया। परिशिष्ट-8 पर उपलब्ध है।

(8) भैरवा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. द्वारा रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 31 के अन्तर्गत रिकार्ड प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली में वाद संख्या 13/2013 दर्ज करवाया गया था। उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है जिसकी आगामी सुनवाई दिनांक 24.03.2015 है। उक्तानुसार पत्र व वाद की प्रति परिशिष्ट 21 पर संलग्न है।

कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति लि., पाली का रिकार्ड प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय मुख्य मजिस्ट्रेट पाली में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 31 के तहत वाद दायर कर दिया गया है। जिसकी सुनवाई दिनांक 26.02.2015 को है। परिशिष्ट 21 पर संलग्न है।

(9) यह जानकारी विभाग के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि समितियों ने रिकार्ड नहीं दिये हैं। भैरवा गृह निर्माण सहकारी समिति लि., पाली के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान द्वारा पत्र क्रमांक फा. 2 (23) सविरा/हाउसिंग/75/पार्ट-5, दिनांक 07.02.2013 द्वारा निर्देशित करने पर समिति से अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत रिकार्ड प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली में वाद संख्या 13/2013 दर्ज करवाया गया था। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। जिसकी आगामी सुनवाई दिनांक 24.03.2015 है। उक्तानुसार पत्र वाद की प्रति परिशिष्ट-21 पर संलग्न है।

कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति लि., पाली द्वारा की गई कतिपय अनियमितताओं के कारण तत्समय प्रवृत्त राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 36 के अन्तर्गत उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, पाली के आदेश क्रमांक फा. उरपा/समिति/धारा 36/88/4814-82, दिनांक 27/28.07.1992 द्वारा समिति के तत्कालीन संचालक मण्डल को भंग कर

(सहकारिता राज्य मंत्री)

कार्यालय के निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था। उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, पाली के आदेश की प्रति परिशिष्ट संख्या 22 पर संलग्न है।

कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति लि. पाली के रिकार्ड प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय मुख्य मजिस्ट्रेट पाली में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 31 के तहत वाद दायर कर दिया गया है। परिशिष्ट-21 पर संलग्न है।

(10) राज्य सरकार उक्त समितियों की जांच राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के तहत करवा रही है एवं अनियमितता पाई जाने पर जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मेहरानगढ़ दुर्ग तलहटी को विकसित करने की कार्य योजना

32. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जोधपुर की सुन्दर बालाजी पहाड़ी एवं संलग्न क्षेत्र को पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त कर पहाड़ियों को मेहरानगढ़ दुर्ग तलहटी में हर्बल पार्क एवं फूलों की घाटी के रूप में और पहाड़ी के शिखर को सनसेट पाईंट के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सुन्दर बालाजी पहाड़ी तहसील जोधपुर के ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 28 रकबा 139.12 बीघा किस्म गैर मुमकिन आबादी में अवस्थित है। सुन्दर बालाजी पहाड़ी एवं संलग्न क्षेत्र में लगभग 500 पक्के आवासीय भवन निर्मित हैं, जिसके कारण सुन्दर बालाजी पहाड़ी एवं संलग्न क्षेत्र को पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त करने में व्यवहारिक कठिनाई रहेगी। सुन्दर बालाजी कालोनी काफी पुरानी है तथा वर्तमान में नगर निगम जोधपुर में वार्ड संख्या 3 में अवस्थित है।

मेहरानगढ़ दुर्ग तलहटी में हर्बल पार्क एवं फूलों की घाटी के रूप में विकसित किये जाने का वर्तमान में विभाग के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन

(स्वायत्त शासन मंत्री)

नहीं है। सुन्दर बालाजी पहाडी को सनसेट पाइंट के रूप में विकसित करने के लिये नगर निगम जोधपुर द्वारा चारदीवारी, फ्लोरिंग एवं बैंच लगायी जाकर विकास कार्य करवाया गया है।

प्रदेश की पुरा सम्पदाओं का निरीक्षण

33. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कुल कितने पुरा स्मारक कहां-कहां पर अवस्थित हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के किस-किस जिले में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी वर्तमान में किस पद पर कब से पदस्थापित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में किस-किस पुरा सम्पदा का किस-किस निरीक्षक द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया? निरीक्षण रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के अलावा अन्य स्थानों की पुरा सम्पदा की देखरेख सम्यक रूप से नहीं हो रही है? यदि हां, तो क्यों एवं इस हेतु सरकार क्या कारगर कदम कब तक उठाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा 335 पुरा स्मारक संरक्षित घोषित हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट-1 पर है ।

(2) इस विभाग में पदस्थापित 372 अधिकारियों/कर्मचारियों की जिलेवार सूची परिशिष्ट-2 पर है।

(3) विगत 5 वर्षों में विभागीय अधिकारियों द्वारा विभागाधीन पुरा सम्पदा (स्मारकों/संग्रहालयों) के निरीक्षणों का विवरण परिशिष्ट-3 पर है एवं निरीक्षण रिपोर्ट परिशिष्ट-4 पर संलग्न है ।

(4) जी नहीं। जयपुर शहर के अलावा भी संरक्षित स्मारकों की राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध बजट के आधार एवं प्राथमिकतानुसार विभाग द्वारा सम्यक् रूप से संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं मरम्मत के कार्य सम्पादित करवाये जा

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री)

रहे हैं। विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में स्मारकों पर कराये गये संरक्षण/ जीर्णोद्वार एवं विकास कार्यो का विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में नदियों को जोड़ने की योजना

34. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश की सरकार बनास, कालीसिंध, साबरमती, ब्राह्मणी, चम्बल, मेज, पार्वती, परवन, गम्भीर एवं अनास आदि नदियों को जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या चम्बल की सहायक नदी मेज एवं ब्राह्मणी का पानी जयपुर के रामगढ़ बांध में लाया जायेगा? यदि हां, तो क्या सरकार रामगढ़ बंधे के पानी को बाण गंगा के जरिए भरतपुर तक तथा ढूंढ नदी का पानी मोरेल-बनास के जरिए सवाई माधोपुर पहुंचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार उक्त नदियों के अतिरिक्त भी अन्य नदियों को जोडने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी नदियों को?

उत्तर

(1) जी हां। चम्बल की सहायक नदी पार्वती एवं कालीसिंध को बनास, गम्भीर एवं पार्बती नदियों से जोड़ने हेतु प्रीफिजिब्लिटी रिपोर्ट तैयार कर केन्द्रीय जल आयोग जयपुर के द्वारा भारत सरकार के मुख्य अभियन्ता, यमुना बेसिन को दिनांक 3.2.2015 को प्रस्तुत की गई है, जिसमें विस्तृत सर्वेक्षण पश्चात डी.पी.आर. बनाने हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने एवं इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किये जाने की मांग प्रस्तुत की गई है। केन्द्रीय सरकार से आवश्यक स्वीकृति एवं वित्तीय सहायता उपरान्त डी.पी.आर. तैयार करने हेतु कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में चम्बल की सहायक नदी मेज एवं ब्राह्मणी का पानी जयपुर के रामगढ़ बांध में लाये जाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(3) पार्वती-कालीसिंध नदियों को बनास, गम्भीर एवं पार्बती नदियों से जोड़ने के अतिरिक्त चम्बल की सहायक नदी ब्राह्मणी को बनास नदी से जोड़ने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

करौली जिले में सर्व शिक्षा अभियान में कराये गये निर्माण कार्यों की जांच

35. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला करौली में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कराये गये भवन निर्माण, हैण्डपम्प एवं अन्य कार्य की जांच करने की जिम्मेदारी किस-किस की है एवं विगत चार वर्षों में कब-कब किस-किस स्तर पर जांच की गई व नहीं, तो क्यों?

(2) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्य कराने वाली विद्यालय विकास समिति के कौन-कौन सदस्य निर्धारित हैं? क्या वे सभी इस प्रकार के कार्यों की देखरेख हेतु तकनीकी एवं वित्तीय प्रबंधन हेतु आवश्यक योग्यता रखते हैं? यदि हां, तो क्या एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निर्माण कार्यों की जांच केवल शिकायत प्राप्त होने पर ही की जाती है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार द्वारा शिकायत प्राप्त नहीं होने पर निम्न स्तरीय निर्माण को भी सही माना जाता है? हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सर्व शिक्षा अभियान में कराये गये कार्यों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की किस-किस स्तर पर क्या-क्या जिम्मेदारी निश्चित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी तकनीकी स्तर पर केवल कनिष्ठ अभियन्ता की है? यदि हां, तो क्यों? घटिया एवं अनुपयोगी निर्माण होने पर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ताओं के विरुद्ध विगत पांच वर्षों में क्या कार्यवाही की गई एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि कुछ स्थानों पर घटिया निर्माण कार्यों का पुनर्निर्माण किया गया है? यदि हां, तो पुनर्निर्माण कराने पर व्यय किसके द्वारा किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार उक्त निर्माण कार्यों की नियमित जांच हेतु पृथक से तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला करौली में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत भवन निर्माण, हैण्डपम्प लगाने एवं अन्य कार्यों के नियमित निरीक्षण एवं जांच की जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय की "विद्यालय प्रबंधन समिति" सम्बन्धित ब्लाक के कनिष्ठ अभियंता तथा जिले के सहायक अभियंता सर्व शिक्षा अभियान की है।

विगत चार वर्षो में कराये गये निर्माण कार्यों की जांच समय-समय पर एवं आवश्यकतानुसार निर्माण के दौरान सम्बन्धित ब्लाक के कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता, सर्व शिक्षा अभियान, करौली द्वारा निर्माण कार्यो के विभिन्न स्तरों यथा नींव स्तर, प्लीन्थ, लिन्टल, छत एवं फिनिशिंग स्तर पर की गई।

(2) सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत कार्य कराने वाली "विद्यालय प्रबंधन समिति" की कार्यकारणी में 15 सदस्य होते हैं। सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता द्वारा समय-समय पर निर्माण कार्यों का तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है।

विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन हेतु जारी दिशा-निर्देशों में समिति के सदस्यों के लिए निर्माण कार्यो की देखरेख बाबत् तकनीकी एवं वित्तीय प्रबंधन हेतु आवश्यक योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है।

विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन हेतु जारी दिशा-निर्देश परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(3) जी नहीं। कार्यों की जांच नियमित रूप से समय-समय पर आवश्यकतानुसार निर्माण के दौरान की जाती है। शिकायत प्राप्त नहीं होने पर निम्न स्तरीय निर्माण कार्य सही नहीं माना जाता है। निष्पादन के दौरान कार्य में कमी पाये जाने पर सम्बन्धित विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से आवश्यकतानुसार एवं मापदण्डानुसार सुधार कर गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित करवाया जाता है।

(4) सर्व शिक्षा अभियान में कराये जाने वाले कार्यों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मासिक आधार पर निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् द्वारा सुपरवीजन एवं मानिटरिंग सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिमाह निम्नानुसार कार्यों का निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है :-

(शिक्षा राज्य मंत्री)

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा	1 कार्य
जिला प्रभारी अधिकारी, राप्राशिप	1 कार्य
डी.ई.ई.ओ./डी.पी.सी.	2 कार्य
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	6 कार्य
सहायक परियोजना समन्वयक	4 कार्य
सहायक अभियंता	30 कार्य
सहायक लेखाधिकारी	2 कार्य
कार्यक्रम सहायक	1 कार्य
बी.ई.ई.ओ.	5 कार्य
कनिष्ठ अभियंता	समस्त कार्य
नोडल प्रधानाध्यापक	50% कार्य

सम्बन्धित दिशा-निर्देश की प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(5) सम्बन्धित ब्लाक के कनिष्ठ अभियंता एवं जिले के सहायक, अभियंता, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा समय-समय पर निरीक्षण एवं आवश्यकता अनुसार समिति को तकनीकी मार्ग-दर्शन प्रदान किया जाता है तथा निर्माण सामग्री के फील्ड एवं प्रयोगशाला परीक्षण कराये जाते हैं।

घटिया एवं अनुपयोगी निर्माण कार्यों के विरुद्ध लिखित प्रकरण प्राप्त नहीं होने के कारण विगत 5 वर्षों में किसी भी कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई हैं।

(6) जी नहीं।

(7) जी नहीं। सर्व शिक्षा अभियान में जिला स्तर पर सहायक अभियंता एवं ब्लाक स्तर पर कनिष्ठ अभियंता तकनीकी कार्मिक के रूप में कार्य करते हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान

36. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामलाल शर्मा)

क्या यह सही है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति गत दो वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 में कुल कितने आवेदन छात्रवृत्ति के लिए प्राप्त हुए तथा कितनी राशि वितरित की गई? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 (जनवरी, 2015 तक) प्राप्त आवेदन पत्रों, स्वीकृत आवेदन पत्रों एवं स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का जिलेवार, वर्षवार एवं वर्गवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रणथम्भौर टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में अवैध खनन

37. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रणथम्भौर टाइगर रिजर्व के आस-पास के क्षेत्र को बफर एरिया घोषित किया गया है? यदि हां, तो कब एवं कितने क्षेत्र को? सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बफर एरिया में वर्तमान में खनन कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत एवं क्यों तथा इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में बाघों के मूवमेंट को देखते हुए इसे बफर क्षेत्र घोषित करने के बावजूद विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से खनन कार्य निरन्तर हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों को निलम्बित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। रणथम्भौर टाइगर रिजर्व के पास के 29792.65 हैक्टेयर क्षेत्र को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.07.2012 से बफर क्षेत्र

(वन राज्य मंत्री)

घोषित किया गया हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 6.7.2012 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा गारण्टी योजना में चयन के मानदण्ड

38. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) खाद्य सुरक्षा गारण्टी योजनान्तर्गत लाभार्थी को चिन्हित करने के क्या नियम/मानदण्ड निर्धारित हैं? नियम/मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त योजना के तहत अलवर जिले में कितने व्यक्तियों को चिन्हित कर लाभान्वित किया गया? ग्राम पंचायतवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना में चिन्हित सभी योग्य व्यक्तियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) उक्त योजना के तहत दिसम्बर, 2014 तक जिले में कितने टन गेहूं का आबंटन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थी को चिन्हित करने के मानदण्डों (समावेशन एवं निष्कासन) की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) खाद्य सुरक्षा गारन्टी योजना के तहत अलवर जिले में शहरी क्षेत्र में 327163 व्यक्तियों एवं ग्रामीण क्षेत्र में 2550104 व्यक्तियों कुल 2877267 व्यक्तियों को चिन्हित कर लाभान्वित किया जा रहा है। ग्राम पंचायतवार संख्या सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्त योजना में चिन्हित पात्र अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व्यक्तियों को निर्धारित मात्रा में एवं अन्य पात्र व्यक्तियों को आनुपातिक लाभ मिल रहा है।

(4) उक्त योजना के तहत दिसम्बर, 2014 तक अलवर जिले में

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

183728.00 मै.टन गेहूं का आबंटन किया गया। माहवार विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	माह	आबंटित मात्रा मै.टन
1	अक्टूबर, 2013	11810.00
2	नवम्बर, 2013	11810.00
3	दिसम्बर, 2013	11810.00
4	जनवरी, 2014	11810.00
5	फरवरी, 2014	12230.00
6	मार्च, 2014	12483.00
7	अप्रैल, 2014	12483.00
8	मई, 2014	13483.00
9	जून, 2014	12483.00
10	जुलाई, 2014	12385.00
11	अगस्त, 2014	12385.00
12	सितम्बर, 2014	12139.00
13	अक्टूबर, 2014	12139.00
14	नवम्बर, 2014	12139.00
15	दिसम्बर, 2014	12139.00

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान विश्वविद्यालय में नियुक्ति से वंचित कर्मचारी

39. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में वर्ष 2003-04 में प्रोफेसर एच. एस. शर्मा समिति गठित की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विश्वविद्यालय में गठित उक्त समिति की संतुति रिपोर्ट को विश्वविद्यालय सिंडिकेट द्वारा अनुमोदित किया गया है?

(श्री रामहेत सिंह यादव)

(3) उक्त समिति की संतुति पर आज तक कितने कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या उक्त समिति की संतुति तथा सिंडिकेट के अनुमोदन के बावजूद कुछ कर्मचारियों को अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के नाम तथा अनुमोदित पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) उक्त कर्मचारियों को नियुक्ति नहीं देने के क्या कारण रहे तथा देरी के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या उक्त समिति द्वारा संतुतित ऐसे कर्मचारी को भी नियुक्ति दी गई है, जो कि नियुक्ति की दिनांक को पद हेतु वांछित योग्यता पूर्ण नहीं कर रहा था? यदि हां, तो क्यों? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। नियुक्ति नहीं अपितु नियमितीकरण के सम्बन्ध में प्रोफेसर एच.एस. शर्मा के संयोजकत्व में कमेटी का गठन किया गया था। आदेश की प्रति परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) जी हां। सिंडिकेट के निश्चय संख्या 43, दिनांक 17.7.2014 की प्रति परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(3) कुल ग्यारह कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान की गई थी। आदेशों की छायाप्रतियां परिशिष्ट '3' पर संलग्न हैं।

(4) जी नहीं। प्रो. शर्मा समिति के द्वारा श्री उदयवीर के सम्बन्ध में स्पष्ट अनुशंसा नहीं होने व प्रशासनिक आदेश नहीं होने के कारण इन्हें नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। अनुशंसा की छायाप्रति परिशिष्ट '4' पर संलग्न है।

(5) सिंडिकेट के निर्णयानुसार उपरोक्त नियुक्तियां देने के लिये देरी में कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(6) प्रो. शर्मा समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रश्न के भाग 3 के उत्तर में सम्मिलित 11 कर्मचारियों में से 1 कर्मचारी श्री माइकल फिलिप प्रयोगशाला सहायक के पद की वांछित योग्यता नहीं रखते थे। सिंडिकेट के निश्चय संख्या 17, दिनांक 18.2.2010 की अनुपालना में विश्वविद्यालय के जारी आदेश दिनांक 3.3.2010 के द्वारा इनकी शैक्षणिक योग्यताओं में

(उच्च शिक्षा मंत्री)

शिथिलता प्रदान करते हुये प्रयोगशाला सहायक के पद पर सेवाएं नियमित की गई थीं। सूचना परिशिष्ट '5' पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में अपार्टमेन्ट एक्ट लागू करने की कार्य योजना

40. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश में बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षार्थ अपार्टमेंट एक्ट लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार प्रदेश में चार सौ वर्गगज से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों पर फलैट निर्माण को पूर्णतः प्रतिबंधित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षार्थ राजस्थान अपार्टमेंट आनरशिप विधेयक, 2014 लागू करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में उक्त विधेयक, 2014 मंत्रिमण्डल से अनुमोदन पश्चात विधान सभा में प्रस्तुत होगा, जिसे पारित होने पर एवं राष्ट्रपति महोदय की अनुमति पश्चात लागू किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। क्योंकि वर्तमान में ही जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2010 एवं माडल राजस्थान भवन विनियम, 2013 में फ्लैट निर्माण के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 750 वर्गमीटर होना आवश्यक है तथा 225 वर्गमीटर से अधिक एवं 750 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल के भूखण्ड जो 12 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है, उनमें एक से अधिक आवास इकाइयां अनुज्ञेय हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-क

750 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्डों में प्रत्येक तल पर 1 से अधिक आवास इकाइयों के निर्माण हेतु प्रचलित भवन विनियमों में निम्न प्रावधान है :-

क्र. सं.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	सड़क की न्यूनतम चौड़ाई	प्रत्येक तल पर अनुज्ञेय आवासीय इकाई	मंजिलों की संख्या (अधिकतम ऊंचाई)
1.	225 से 500 वर्गमीटर	12 मीटर	2	भूतल + 2 मंजिल (12 मीटर)
2.	500 वर्गमीटर से अधिक 750 वर्गमीटर तक	12 मीटर परन्तु 18 मीटर से कम	3	स्टिल्ट + 3 मंजिल (12 मीटर)
3.	500 वर्गमीटर से अधिक 750 वर्गमीटर तक	18 मीटर या उससे अधिक	3	स्टिल्ट + 3 मंजिल (15 मीटर)

उपरोक्त निर्माण प्रस्तावित होने पर भवन मानचित्र अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य है तथा भूखण्ड के अन्दर ही पार्किंग की सुनिश्चितता के लिए स्टिल्ट का निर्माण अनिवार्य किया गया है। पार्किंग के लिए आवेदक से रुपये 1 लाख प्रति कार पार्किंग की दर से अमानत राशि लिये जाने का प्रावधान है, जिसे निर्माण पूर्ण होने के बाद पार्किंग का प्रावधान सुनिश्चित होने पर लौटायी जाती है।

वर्तमान में प्रचलित भवन विनियमों के अनुसार फ्लैट की परिभाषा निम्नानुसार है :-

''फ्लैट से तात्पर्य 12 मीटर एवं इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर 750 वर्गमीटर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्डों पर एक से अधिक निवास इकाइयों/आवास समूहों के निर्माण से है''

चित्तौड़गढ़ में प्राकृतिक जल स्रोतों पर स्वीकृत कार्य

41. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में गत पांच वर्षों में किन-किन नदियों तथा प्राकृतिक जल स्रोतों पर कहां-कहां पर क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये एवं कौन-कौन से कार्य पूर्ण कर लिये गये एवं कितने शेष हैं? स्वीकृत कार्यों की प्रगति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

(2) क्या सरकार शेष रहे कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र में गत पांच वर्षों में 72 कार्य स्वीकृत किये गये, कार्यों का नाम, स्थान एवं वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। स्वीकृत कार्यों में से 65 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, 7 कार्य पूर्ण किये जाने शेष है।

(2) जी हां। शेष रहे 7 कार्यो को महानरेगा योजना अन्तर्गत श्रमिकों की उपलब्धतानुसार पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सुमेरपुर के क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन

42. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सुमरेपुर के अनेक विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी मरम्मत करवाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र समुरेपुर में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत 36 राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत 23 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय क्षतिग्रस्त एवं मरम्मत योग्य हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2015-16 में इन विद्यालय भवनों की मरम्मत के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किये जा रहे है। भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्ययोजना में अनुमोदन होने पर बजट आबंटन हेतु कार्यवाही की जाकर इन विद्यालय भवनों का मरम्मत कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत उक्त विद्यालयों के मरम्मत के प्रस्ताव सम्बन्धित विद्यालयों से मंगवाये जा रहे हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट आबंटन हेतु कार्यवाही की जाकर इन विद्यालय भवनों का मरम्मत कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को रोजगार प्रशिक्षण

43. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए रोजगार प्रशिक्षण शिविर कहां-कहां आयोजित कर कितने लोगों को प्रशिक्षण दिलाया गया?

(2) प्रदेश में किन-किन जिलों में अनूसचित जाति/जनजाति के कितने लोगों को राजकीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति विकास निगम से ऋण उपलबध करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्रों को 4 जिलों में राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किया गया तथा अनुसूचित जाति विकास निगम को ऋण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त न होने के कारण ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) प्रदेश में 25 जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति के 1091 व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराया गया। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रामगढ़ में नियम विरुद्ध खनन कार्य

44. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में खनन क्षेत्रों में खनन हेतु क्या प्रावधान है? उक्त प्रावधानों की अनुपालना किन-किन अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के अन्तर्गत आने वाले खनन पटटों/लीजों पर खनन प्रावधानों एवं नियमों की अवहेलना की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में खनन हेतु ग्रामों

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

के निवास क्षेत्र के 500 मीटर से भी कम दायरे में ही खनन की अनुमति जारी की गयी है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों के विपरीत खननधारियों द्वारा 500 मीटर से 1-5 किमी के दायरे में खनन किया गया है जिसे स्थानीय लोगों के विरोध के कारण हाल ही में रोका गया है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं एवं उक्त क्षेत्र में खनन निरीक्षण किन-किन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या सरकार अवैध एवं नियमों के विपरीत खनन कर रहे उक्त खननधारियों के पट्टे निरस्त करने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में खनन हेतु प्रधान खनिजों के लिये खनिज रियायत नियम 1960 एवं अप्रधान खनिजों के लिये राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के अनुसार प्रावधान है । उक्त प्रावधानों की पालना हेतु राज्य सरकार द्वारा खान एवं भूविज्ञान विभाग के विभिन्न अधिकारियों निदेशक, अतिरिक्त निदेशक (खान), अधीक्षण खनि अभियंता, खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता एवं तकनीकी कर्मचारी फोरमेन, सर्वेयर को शक्तियां प्रदान की गयी हैं । केन्द्र सरकार के भारतीय खान ब्यूरो के अधिकारी एवं खान सुरक्षा निदेशालय के अधिकारियों द्वारा भी उनके कार्यक्षेत्र अनुसार पालना सुनिश्चित की जाती है ।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में प्रभावशील खनन पट्टों में से 27 खनन पट्टेधारियों द्वारा नियमों एवं संविदा शर्तों के उल्लंघन किया जाना विगत 2 वर्षों में पाया गया जिनके विरुद्ध शास्ती आरोपित करने की कार्यवाही की गयी है तथा वर्तमान में खनन प्रावधानों एवं नियमों की अवहेलना का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है, विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुछ खनन पट्टों की स्वीकृतियां निवास क्षेत्र निवास क्षेत्र से 500 मीटर से कम दायरे में जारी की गई हैं । रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में प्रभावशील खनन पट्टों का विवरण एवं उनकी

(खान मंत्री)

निकटतम आबादी से दूरी परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है । राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 18(26) के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक स्थल, रेल लाइन, सडक भवन व निवास स्थान आदि से न्यूनतम 45 मीटर की दूरी छोड़कर खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य करने का प्रावधान होने से निवास क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे से 1.5 किलोमीटर के दायरे में खनन कार्य किया जा सकता है एवं 45 मीटर से कम दूरी पर खनन कार्य नहीं हो रहा है ।

(4) खनन पट्टों में खनन कार्य रोके जाने का एक प्रकरण है जो ग्राम पूठी तहसील रामगढ़ में खनिज मेसेनरी स्टोन के स्वीकृत खनन पट्टा संख्या 201/06 व 204/06 से लगभग 300 मीटर की दूरी पर श्री इब्राहिम खान द्वारा अपने आवासीय मकान में खनन कार्य से प्रदूषण एवं ब्लास्टिंग से कम्पन्न होने को लेकर है जिसके सम्बन्ध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल में प्रकरण विचाराधीन है । खनन पट्टों की स्वीकृति एवं नियम विरुद्ध खनन के सम्बन्ध में तीन अधिकारियों की कमेटी बनाई जा रही है, कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही अधिकारी/कर्मचारी के दोषी होने या न होने का ज्ञात हो सकेगा । उक्त क्षेत्र में खनन पट्टों का निरीक्षण जिन अधिकारियों द्वारा किया गया है, उसका विवरण परिशिष्ट-ब में अंकित है ।

(5) प्रश्न के भाग-2 के उत्तर में अंकितानुसार खनन पट्टाधारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है जो परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है एवं भविष्य में इस तरह के प्रकरण ध्यान में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा इस सम्बन्ध में अधिकारी/कर्मचारी का दोष पाये जाने पर उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जोधपुर जिले में निजी विश्वविद्यालय द्वारा फर्जी डिग्री वितरण

34. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को जोधपुर में निजी विश्वविद्यालय द्वारा फर्जी डिग्रीयां बांट कर छात्रों के साथ खिलवाड़ करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार निजी विश्वविद्यालयों पर अंकुश लगाने के लिए कोई कानूनी प्रावधान लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या विश्वविद्यालय के विरुद्ध मिल रही शिकायतों को देखते हुए सरकार नियामक आयोग के गठन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समाचार पत्रों एवं प्राप्त शिकायतों के माध्यम से जोधपुर नेशनल विश्वविद्यालय द्वारा फर्जी डिग्रीयां बांटे जाने का मामला विभाग की जानकारी में आया है।

विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण हेतु नियामक आयोग का गठन किया जाना प्रक्रियाधीन है। इस हेतु विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिये विभाग के आदेश दिनांक 19.2.2015 द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया है। समिति गठन के आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 के रूप में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। बिन्दु संख्या 1 के अनुसार ।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक : प.3 (1) शिक्षा-4/2014   जयपुर, दिनांक 19.2.2015

<u>आदेश</u>

राज्य में संचालित निजी विश्वविद्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु रेग्यूलेटरी कमीशन का गठन करने हेतु सुझाव देने एवं रेग्युलेटरी कमिशन के गठन हेतु विधेयक का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निम्नलिखित अधिकारीगण की एक समिति गठित की जाती है :-

1. श्री श्रवण साहनी, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर – अध्यक्ष
2. डा. एम. के. गोखरू, व्याख्याता, गणित, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर - सदस्य
3. डा. के. के. शर्मा, व्याख्याता, भूगर्भ शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, सिरोही - सदस्य
4. डा. उपेन्द्र पाल सिंह, उप विधि परामर्शी, कालेज शिक्षा, जयपुर - सदस्य
5. डा. आर.एस. पाराशर, व्याख्याता, विधि, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग - सदस्य
6. डा. दिलीप गोयल, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा - सदस्य सचिव

उक्त समिति निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार-विमर्श कर अपनी अनुशंसा एवं अनुशंसानुसार आवश्यक प्रावधान सम्मिलित करते हुये रेग्यूलेटरी कमीशन के गठन हेतु विधेयक का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी :-

1. रेग्यूलेटरी कमिशन का स्वरूप, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, शक्तियां, कृत्य, अधिकारी एवं कर्मचारी तथा उनकी नियुक्ति प्रक्रिया आदि।
2. प्रस्तावित रेग्यूलेटरी कमिशन केवल निजी विश्वविद्यालयों के लिये ही बनाया जाना है अथवा प्रदेश में संचालित समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, अन्य निजी शिक्षण संस्थाओं यथा-तकनीकी, प्रबन्धन, विधि, इंजिनियरिंग, चिकित्सा, फार्मेसी, पोलिटेक्निक, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों आदि को भी उसके दायरे में लाया जाना है? इस बाबत स्पष्ट अनुशंसा।
3. निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में फीस निर्धारण हेतु एक समिति गठित करने का प्रावधान है। क्या उक्त कार्य भी रेग्यूलेटरी कमीशन को दिया जा सकता है? इस बाबत स्पष्ट अनुशंसा।
4. प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे अन्य राज्यों के निजी विश्वविद्यालयों के केन्द्रों, तथाकथित विश्वविद्यालयों, संस्थानों का पता लगाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्तियां कमीशन को प्रदान करने बाबत अनुशंसा।

5. रेग्यूलेटरी कमीशन की स्थापना हेतु चेयरपर्सन, सदस्यों एवं स्टाफ आदि के वेतन भत्तों, कार्यालय व्यय एवं कार्यालय भवन आदि के संभावित वित्तीय भार का आकलन करना जिससे तदानुसार आवश्यक बजट प्रावधान वित्त विभाग से स्वीकृत करवाया जा सके।

6. अन्य अनुशंसायें/सुझाव जो समिति उपयुक्त समझे।

हाल में अखबारों एवं मीडिया में निजी विश्वविद्यालयों की अनियमितताओं के बारे में रोज समाचार छप रहे हैं। अत: उपरोक्त समिति सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उक्त कार्य आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, जयपुर में कैम्प लगाकर तुरन्त प्रभाव से शुरू करेगी एवं 15 दिवस में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी जिससे विधान सभा के आगामी सत्र में इस हेतु विधेयक प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

आज्ञा से,

अश्विनी भगत

शासन सचिव, उच्च शिक्षा

राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस वहन करने की योजना

35. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा देश के आई.आई.टी., आई.आई.एम., एन.आई.टी. एवं ट्रिपल आई.टी. सहित राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में अध्ययनरत प्रदेश के विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत फीस वहन करने की क्या योजना है? योजना के प्रावधान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे प्रदेश के छात्रों को कौन-कौन से राष्ट्रीय संस्थानों में अध्ययन हेतु इस योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा प्रदेश के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में कौन-कौनसी योजनाओं एवं छात्रवृत्तियों द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा देश के आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी एवं

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

ट्रिपल आईटी सहित राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में अध्ययनरत प्रदेश के विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत फीस वहन करने की मुख्य मंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में अध्ययन हेतु इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए चिन्हित संस्थानों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) प्रदेश के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में निम्न योजनाओं एवं छात्रवृत्तियों द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है:-

1. आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृति।
2. महिला योग्यता छात्रवृति।
3. उर्दू छात्रवृति।
4. स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृति।
5. मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृति।
6. ललित कला छात्रवृति।
7. राजस्थान के पूर्व सैनिकों के बच्चों को देय छात्रवृति।
8. कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृति।
9. शोध छात्रवृति।
10. मिलिट्री देहरादून (भारतीय सैन्य महाविद्यालय देहरादून) छात्रवृति।
11. भारत-पाक एवं चीन युद्ध के मृतक अथवा अपंग सैनिकों के बच्चों/उनकी विधवाओं को छात्रवृति।
12. मुख्य मंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना।
13. देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना।

विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा डिग्रियों का वितरण

36. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा डिग्री जारी करने के लिए परीक्षा फार्म के साथ शुल्क राशि ली जाती है?

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विश्वविद्यालय के छात्रों को उत्तीर्ण होने के उपरांत भी दस से अधिक वर्षों से डिग्रियां नहीं मिल रही हैं? यदि हां, तो किन-किन वर्षों में ली गयी परीक्षाओं की व क्यों एवं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार परीक्षा परिणाम जारी होने के तीन माह की अवधि में डिग्री जारी करने की पुख्ता व्यवस्था करने हेतु यथोचित निर्देश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

1. आकादमिक परीक्षाओं की वर्ष 2003 से 2014 तक डिग्रीयां नहीं बनी हैं।
2. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में वर्ष 1991 के पश्चात डिग्रीयां नहीं बनी हैं। प्रशासनिक कारणों से उक्त डिग्रीयां समय पर तैयार नहीं हुई हैं। इसके लिये कोई जिम्मेदार नहीं है।

(3) इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2013 की समस्त उपाधियां 10.3.2015 तक केन्द्रों को भेजने की व्यवस्था की जा रही है तथा वर्ष 2013 के अतिरिक्त वर्षों की डिग्रीयां छपवाने के कार्य की ई-निविदा दिनांक 26.2.2015 तक मांगी गई है, तदानुसार शेष डिग्रीयां तैयार करने की कार्यवाही की जावेगी।

प्रदेश के तहसील मुख्यालयों पर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

37. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कितनी तहसीलें राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से वंचित हैं? क्या सरकार वंचित तहसीलों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार तहसील मुख्यालय कोटकासिम व किशनगढ़ बास में

(श्री रामहेत सिंह यादव)

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 160 तहसीलें राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से वंचित हैं।

जी हां, राज्य सरकार की नीति प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की है। वर्तमान में कुल 295 पंचायत समितियों में से 278 पंचायत समितियों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत हो चुके हैं। शेष 17 पंचायत समिति स्थानों पर सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जायेंगे।

(2) राज्य सरकार की नीति प्रत्येक पंचायत समिति में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की है।

स्थानीय मांग एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर गुणावगुणों के आधार तहसील मुख्यालय कोटकासिम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जा सकेगा।

किशनगढ़ बास में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

पृथ्वीराज नगर योजना (जयपुर) के नियमन से प्राप्त आय

38. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा पृथ्वीराज नगर का नियमन प्रारम्भ किया गया है? यदि हां, तो जनवरी, 2015 तक कितने भूखण्डों का नियमन किया गया तथा उससे कितनी राजस्व आय प्राप्त हुयी?

(2) उक्त नियमन के उपरान्त कितने आवासियों को विद्युत एवं पेयजल योजनाओं से जोड़ा गया है तथा कितने आवेदन अभी तक लम्बित हैं तथा उन्हें कब तक कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे?

(3) सरकार द्वारा उक्त आवासीय योजना के नियमन उपरान्त कौन-कौनसी सुविधाएं मुहैया करवाई गईं व कौन-कौनसी शेष हैं तथा अब कब तक मुहैया करवा दी जायेंगी? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जनवरी, 2015 तक 4049 भूखण्डों का नियमन करते हुए पट्टे (लीज-डीड) जारी किए गये हैं, जिससे जयपुर विकास प्राधिकरण को 89.48 करोड रुपये की राजस्व आय प्राप्त हुयी है।

(2) नियमन के उपरान्त पृथ्वीराज नगर के आवासियों को विद्युत कनेक्शन देने के लिये नगरीय विकास विभाग ने अपने पत्र क्रमांक : प.6(15) नविवि/3/87पार्ट दिनांक 22.12.2014 के द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना में जिन भूखण्डों के पट्टा-विलेख (लीज-डीड) जारी हो गए हैं, उनमें विद्युत कनेक्शन देने के आदेश जारी किये हैं, आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इस आदेश की अनुपालना में जयपुर विद्युत वितरण निगम (ज.वि.वि.नि.लि.) द्वारा विद्युत कनेक्शन देने के आदेश जारी किये गये हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। ज.वि.वि.नि.लि. के अनुसार अभी तक कुल 155 आवेदन विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त हुये एवं इनमें से 93 विद्युत कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं तथा 62 आवेदन लम्बित हैं, जिनमें कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पृथ्वीराज नगर के नियमन के उपरान्त किसी भी आवासीय योजना को पेयजल योजना से नहीं जोड़ा गया है तथा ना ही किसी का आवेदन लम्बित है।

(3) पृथ्वीराज नगर योजना में जनवरी, 2015 तक नियमित की गयी कुल 79 आवासीय योजनाओं में से 5 योजनाओं में डामरीकृत सडकों की सुविधा मुहैया करायी जा चुकी है। 46 योजनाओं में WBM कार्य करवा दिया गया है। इन 46 योजनाओं में डामरीकरण कार्य एवं शेष 28 योजनाओं में सड़क निर्माण कार्य जून, 2015 तक करवाया जाना प्रस्तावित है।

पृथ्वीराज नगर में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त क्षेत्र में पेयजल कार्य जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा किया जाना है व जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्य पाइप लाइन व आधारभूत संरचनाओं के लिए प्रारम्भिक निर्णय अनुसार पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राशि रुपये 240.00 करोड़ रुपये की हिस्सा राशि दी जायेगी। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त 240.00 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 4.2.2015 को जारी की गई है। इनमें से प्राधिकरण

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

द्वारा प्रथम किस्त की राशि रुपये 60.00 करोड़ स्वीकृत कर जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष राशि विस्तृत पेयजल परियोजना की स्वीकृति व जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की मांग के अनुसार भविष्य में उपलब्ध कराई जानी है।

योजना में सीवरेज कार्यों हेतु राशि रुपये 171.61 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 28.10.2014 को जारी की जा चुकी है। परियोजना का विस्तृत तकमीना व डिजाइन का कार्य करवाया जा रहा है।

पृथ्वीराज नगर आवासीय योजना के नियमन के उपरान्त विद्युत सम्बन्धित सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये क्षेत्र में पांच 33/11 के.वी. विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने प्रस्तावित हैं। उक्त कार्य हेतु एक सब-स्टेशन की भूमि जोन-18 में आबंटित की जा चुकी है व जोन-19 में एक सब-स्टेशन हेतु चिन्हित की जा चुकी है। उक्त दोनों सब-स्टेशनों की तकनीकी स्वीकृति हेतु जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. में पत्रावली प्रक्रियारत है। शेष तीन सब-स्टेशन हेतु भूमि चिन्हित की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पृथ्वीराज नगर योजना के नियमन के उपरान्त जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पृथक से कोई नवीन पेयजल सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। विभाग द्वारा पूर्व से ही सिंघल फेज एवं हैण्डपम्प के द्वारा पेयजल सुविधा मुहैया करवाई जा रही है, जिसकी सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। वर्तमान में पृथ्वीराज नगर उत्तर भाग के लिए ड्राफ्ट डीपीआर बनाई जा चुकी है, जो समीक्षाधीन है तथा पृथ्वीराज नगर दक्षिण भाग के लिए डीपीआर बनाने के लिए निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। पाइप लाइन योजना से वंचित पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में बसी कालोनियों को बजट एवं संसाधनों की उपलब्धता अनुसार पेयजल सुविधा मुहैया कराया जाना प्रस्तावित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रताप नगर, हाउसिंग बोर्ड, सांगानेर (जयपुर) की क्षतिग्रस्त सड़कें

39. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रताप नगर, हाउसिंग बोर्ड, सांगानेर (जयपुर) की कौन-कौनसी सड़कें वर्तमान में क्षतिग्रस्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त सडकों पर डामरीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्रताप नगर हाउसिंग बोर्ड, सांगानेर में नगर निगम क्षेत्राधिकार में वर्तमान में क्षतिग्रस्त हालत में सड़कों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. सैक्टर-1 ब्लाक 10 प्रताप नगर
2. सैक्टर-3 ब्लाक 30 व 32 प्रताप नगर
3. सैक्टर-4 ब्लाक 40 प्रताप नगर
4. सैक्टर-5 ब्लाक 50, 51, 52 प्रताप नगर
5. सैक्टर-6 ब्लाक 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68 प्रताप नगर
6. सैक्टर-7 ब्लाक 70 प्रताप नगर
7. सैक्टर-8 ब्लाक 80, 81, 82, 83, 84, 85 प्रताप नगर
8. सैक्टर-16 ब्लाक 160, 162, 163, 164 प्रताप नगर
9. सैक्टर-17 ब्लाक 170, 171, 172, 173, 174 प्रताप नगर
10. सैक्टर-18 ब्लाक 180, 181, 182, 183, 184, 185 प्रताप नगर
11. सैक्टर-22 ब्लाक A, B प्रताप नगर
12. सैक्टर-26 ब्लाक 261, 264 प्रताप नगर

उक्त सैक्टर की सड़कें रख-रखाव के प्रयोजनार्थ हाउसिंग बोर्ड द्वारा नगर निगम, जयपुर को हस्तान्तरित की जा चुकी हैं।

(2) जी हां। नगर निगम जयपुर में उपलब्ध संसाधनों एवं बजट की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय पार्षदों की मांग अनुसार प्राथमिकता से उक्त कार्य कराये जा सकेंगे।

सागर एनक्लेव, मानसरोवर (जयपुर) में विद्युत कनेक्शन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र

40. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मानसरोवर, जयपुर के धौलाई में सागर एनक्लेव नाम से कोई आवासीय कालोनी स्थापित है? यदि हां, तो कब से कितनी भूमि पर, कुल कितने भूखण्ड कितनी माप के, किस-किस खसरे पर हैं तथा किस सोसायटी से संबद्ध है? नक्शा सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

(2) क्या उक्त आवासीय कालोनी में बिजली कनेक्शन लेने के लिये जे.डी.ए. से एन.ओ.सी. लेना अनिवार्य है? यदि हां, तो जे.डी.ए. द्वारा कितने भूखण्डों के लिये एन.ओ.सी. कब-कब जारी की गई? जारी की गई सभी एन.ओ.सी. की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री महावीर स्वामी गृ.नि.स.स. द्वारा दिनांक 8.8.2005 व सागर एनक्लेव विकास समिति द्वारा दिनांक 21.12.2012 को जोन कार्यालय में प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार सागर एनक्लेव योजना ग्राम- रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, सांगानेर के नाम से स्थापित है। यह योजना जयुपर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं है। योजना के सम्बन्ध में महावीर स्वामी गृ.नि.स.स. व सागर एनक्लेव विकास समिति द्वारा अलग-अलग समय पर रिकार्ड प्रस्तुत किया है, जिसका विवरण इस प्रकार है :-

सोसायटी द्वारा जोन कार्यालय में दिनांक 8.8.2005 को प्रस्तुत सदस्यता सूची व नक्शे अनुसार यह योजना ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई के खसरा नम्बर 172, 173, 174, 175, के 14887.00 व.ग. पर है, जिसमें कुल 43 आवासीय भूखण्ड व 19 व्यावसायिक भूखण्ड दर्शाये गये हैं। भूखण्डधारियो की उपलब्ध कराई गई सदस्यता सूची मय भूखण्डों की माप व नक्शे की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। सहकारी समिति की योजनाओं के रिकार्ड प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिनांक 22.10.1999 के बाद योजना का रिकार्ड प्रस्तुत करने के कारण योजना का नियमन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं किया गया।

अध्यक्ष व सचिव सागर विकास एनक्लेव समिति द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान में दिनांक 21.12.2012 को प्रस्तुत भूखण्डधारकों की सूची व नक्शे अनुसार ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई के खसरा नम्बर 172, 173, 174, 175 व 177 मिन. के कुल 15929.82 व.ग. पर कुल 68 भूखण्डों की योजना है। भूखण्डधारियों की विकास समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची मय भूखण्डों की माप व नक्शें की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश (क.ख) एवं अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 7 जयपुर दीवानी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/13 कमला उर्फ कमला देवी बनाम संयुक्त गृ.नि.स.स. में पारित स्थगन

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

आदेश दिनांक 16.4.2013 द्वारा रामसिंह उर्फ धौलाई के खसरा नम्बर 172, 173, 174, 175 व 177 में यथा स्थिति के आदेश है, जो आज भी प्रभावी है। साथ ही न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश (क.ख) क्रम 7 जयपुर महानगर दीवानी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 0/13 श्री कालूराम चौधरी बनाम संयुक्त गृ.नि.स.स. व अन्य में पारित स्थगन आदेश दिनांक 31.1.2013 द्वारा ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई के खसरा नम्बर 174, 176 में यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश हैं, जो आज तक प्रभावी हैं। अत: प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में उपरोक्त स्थगन के कारण प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान विकास समिति द्वारा प्रस्तुत सागर एनक्लेव के नियमन की कार्यवाही नहीं की जा सकी व वर्तमान में न्यायालय के उक्त स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त शक्तियां समाप्त हो जाने के कारण योजना का नियमन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। उक्त आवासीय कालोनी में बिजली कनेक्शन लेने के लिए जे.डी.ए. से एन.ओ.सी. लेना अनिवार्य नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

भिवाड़ी (अलवर) आवासीय योजनान्तर्गत आबंटित आवास

41. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थांन आवासन मण्डल की भिवाड़ी आवासीय योजना में एच.आई.जी. व एम.आई.जी.-बी के कुल कितने आवास निर्मित कर आबंटित किए गये? कुल आवासों में से पूर्ण निर्मित तथा पिलिंथ लेवल तक के आवासों का पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भिवाड़ी स्थित आवासीय योजना में एच.आई.जी. व एम.आई.जी.-बी के कुल कितने आवास आवासन मण्डल कर्मचारियों को आबंटित किए गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) भिवाडी स्थित आवासीय योजना में एच.आई.जी. व एम.आई.जी.--बी के कुल आवास सामान्य जनता (विधायकों एवं सांसदों के अतिरिक्त) को आबंटित किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल के गठन का

(श्री जगदीश नारायण)

उद्देश्य सिर्फ आवासन मण्डल कर्मचारियों के हितों की पूर्ति के लिए उन्हें बहुमूल्य आवास अलाट करना था? यदि नहीं, तो इतने अधिक आवास सिर्फ एक योजना में प्राथमिकता से मण्डल कर्मचारियों को क्यों आबंटित किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार आवासन मण्डल कर्मचारियों की तरह ही सामान्य जनता को भी इसी तरह से स्वतंत्र आवास भिवाड़ी योजना में दिए जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भिवाड़ी में कुल तीन योजनाओं में MIG-B एवं HIG के निर्मित एवं आबंटित आवासों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	योजना का नाम	HIG के आवास			MIG-B के आवास	
		निर्मित	प्लिंथ	आबंटित	निर्मित	आबंटित
1.	पुरानी कालोनी	125	-	124	138	138
2.	सैक्टर 4 व 7	148	-	147	148	144
3.	अरावली विहार	400	29	427	90	90
कुल		**673**	**29**	**698**	**376**	**372**

उक्त आवासों में से अरावली विहार योजना में HIG के 29 आवास प्लिंथ स्तर के हैं एवं शेष सभी आवास पूर्ण निर्मित हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) खण्ड भिवाड़ी की अरावली विहार योजना में HIG के 220 एवं MIG-B के 89 आवास मण्डल कर्मचारियों को आबंटित किए गए हैं। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) खण्ड भिवाड़ी की पुरानी कालोनी में HIG के 124 व MIG-B के 138 तथा सैक्टर 4 व 7 में HIG के 147 व MIG-B के 144 आवास इस प्रकार कुल सामान्य जनता को HIG के 271 व MIG-B के 282 आवास आबंटित किए गए हैं। अरावली विहार योजना में सामान्य जनता को HIG व MIG-B के आवास आबंटित नहीं हुए।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(4) जी नहीं। राजस्थान आवासन मण्डल में कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों को आवास आबंटन में तीन प्रतिशत कोटा निर्धारित था। जिसके तहत मण्डल में वर्ष 2006 में भिवाड़ी एवं अन्य शहरों के लिए विशिष्ट पंजीकरण योजना प्रारम्भ की गई थी जिसके तहत मण्डल में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मण्डल नियमानुसार पंजीकरण करवाया गया। पंजीकरण के तहत भिवाड़ी योजना में आवास आबंटन किये गये हैं। वर्ष 2012 में मण्डल कार्मिकों को आवास आबंटन का कोटा तीन प्रतिशत से घटा कर एक प्रतिशत कर दिया गया है (प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न)।

भिवाडी योजना में उच्च आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग में सामान्य पंजीकरण योजना के तहत कोई भी आवेदक शेष नहीं है। सामान्य पंजीकरण योजना के सभी आवेदकों को आवास आबंटित किये जा चुके है।

(5) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भिवाड़ी आवासीय योजना में पूर्व में स्वतंत्र आवास सामान्य जनता को आबंटित किये गये हैं, परन्तु वर्तमान में भूमि की अनुपलब्धता के कारण स्वतंत्र आवास सम्भव नहीं है। भविष्य में भूमि की उपलब्धता के आधार पर स्वंतत्र आवास के आबंटन के निर्णय पर विचार किया जा सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बहरोड़ ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाने की योजना

42. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में ग्राम पंचायत अथवा किसी कस्बे को नगरपालिका का दर्जा देने हेतु क्या नियम/मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्राम पंचायत बहरोड़ जिसकी आबादी 20 हजार से अधिक है तथा नगरपालिका हेतु निर्धारित सभी मानदण्डों को पूरा करती है, को नगरपालिका का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 के प्रावधान एवं विभागीय अधिसूचना दिनांक 4.7.1995 एवं दिनांक 30.04.2012 की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) जी नहीं। राजस्व ग्राम बहरोड़ वर्तमान में नगरपालिका है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कोई ग्राम पंचायत नहीं है जिसकी आबादी 20 हजार से अधिक हो।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

नगर निगम जयपुर द्वारा अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्यवाही

43. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम, जयपुर द्वारा अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिये सीलिंग की कार्यवाही करने एवं सील खोलने के लिये कोई नियम/उप नियम बनाये गये हैं? यदि नहीं, तो यह कार्यवाही किस आधार पर की जा रही है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्ष 2009 से 2013 तक जयपुर की चौकड़ी पुरानी बस्ती, मोदीखाना एवं विश्वेश्वरजी में अवैध निर्माण रोकने के लिये कितने मकानों पर सीलिंग की कार्यवाही की गई? चौकड़ी का नाम, भवन मालिक का नाम एवं सीलिंग की कार्यवाही किये जाने की दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिन मकानों में सीलिंग की कार्यवाही की गई, उनमें से कई मकानों की सील खोल दी गई है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा जिन मकानों की विगत पांच वर्षों में सीलिंग की कार्यवाही के पश्चात् सील खोली गई, उनकी सूची सील खोले जाने के कारण सहित सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या उक्त अवधि में चारदीवारी में अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिये जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध एवं क्या व नहीं, तो क्यों? सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त अवधि में चौकड़ी पुरानी बस्ती मोदीखाना एवं विश्वेश्वरजी में ऐसे कितने भवन हैं, जिनमें आवासीय नक्शे पास करवाकर व्यवसायिक निर्माण कर लिये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(6) चौकडी पुरानी बस्ती में ऐसे कितने भवन हैं, जिन्हें जयपुर नगर निगम द्वारा जीर्ण-शीर्ण बताकर ध्वस्त करने के नोटिस दिये गये हैं क्या उक्त भवन ध्वस्त कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो अब कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिये सीलिंग एवं सील खोलने की कार्यवाही राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194(7)(च) के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। पृथक से नियम/उपनियम प्रभावी नहीं है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194(7)(च) की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2009 से 2013 तक जयपुर की चौकड़ी पुरानी बस्ती, मोदीखाना एवं विश्वेश्वरजी में अवैध निर्माण रोकने के लिये की गई सीलिंग की कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। जिन मकानों में सीलिंग की कार्यवाही की गई उनमें से कई मकानों की सील खोल दी गई है। वर्ष 2009 से 2013 तक चौकड़ी पुरानी बस्ती, मोदीखाना एवं विश्वेश्वरजी में सील खोले गये भवनों की सूची मय आधार के परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) विगत पांच वर्षों में चार दीवारी क्षेत्र में अवैध निर्माण के सम्बन्ध में किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(5) जयपुर शहर की चौकडी पुरानी बस्ती, मोदीखाना एवं विश्वेश्वरजी में आवासीय स्वीकृति के पश्चात व्यवसायिक निर्माण कर लिये गये हैं उनका विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(6) चौकड़ी पुरानी बस्ती में जीर्ण-शीर्ण बताकर ध्वस्त करने के नोटिस दिये गये, दो भवनों को ध्वस्त किया गया है। जारी किये गये नोटिसों का विवरण परिशिष्ट "य" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कनिष्ठ अभियन्ताओं का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर स्थायीकरण

44. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कनिष्ठ अभियन्ताओं की वर्ष 2011-12 में भर्ती की गई थी? यदि हां, तो कितने कनिष्ठ अभियन्ताओं को नियुक्ति दी गई? नाम सहित वर्तमान में कहां-कहां पदस्थापित हैं, का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भर्ती किये गये कनिष्ठ अभियन्ताओं को दो वर्ष परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर भी स्थायी नहीं किया गया है? यदि हां, तो स्थायी नहीं करने के क्या कारण रहे तथा सरकार उक्त अभियन्ताओं को कब तक स्थायी करने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं का दो वर्ष परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर भी स्थायी नहीं करने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है? क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? नाम, पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि दो वर्ष परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर कुछ कनिष्ठ अभियन्ताओं को ही स्थायी किया गया है? यदि हां, तो उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य स्तरीय नगरपालिका (मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ) सेवा चयन आयोग के माध्यम से वर्ष 2011-12 में कनिष्ठ अभियंताओं की सीधी भर्ती की गई थी। चयनित अभ्यार्थियों का नाम मय वर्तमान में पदस्थापन का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। कनिष्ठ अभियंता पद का नियोक्ता प्राधिकारी नगर पालिका मण्डल है। नगरपालिका मण्डलों के द्वारा अधिकांश कनिष्ठ अभियंताओं के स्थायीकरण के आदेश जारी किये जा चुके हैं। शेष रहे कनिष्ठ अभियंताओं के स्थायीकरण की कार्यवाही प्रकियाधीन है। जिन कनिष्ठ अभियंताओं की सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं एवं किसी प्रकार की विभागीय जांच विचाराधीन है, उनके स्थायीकरण की कार्यवाही निमयानुसार लम्बित जांचों के अंतिम निस्तारण के पश्चात ही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 2 के उत्तर में निहित है।

(4) जी नहीं। शेष उत्तर भाग संख्या 2 के उत्तर में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फतेहपुर में सिंचाई कार्य हेतु राशि का आबंटन

45. श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में सरकार द्वारा लघु सिंचाई के लिए एनिकटों का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो कितने एनिकटों की स्वीकृतियां जारी की गई? जिलेवार जारी स्वीकृति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए वितीय वर्ष 2014-15 में बजट का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो किन-किन परियोजनाओं के लिए कितना-कितना बजट का प्रावधान किया गया व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार करवाये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन के व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में सिंचाई परियोजना हेतु बजट आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा गत दो वर्षो में भू-जल पुनर्भरण हेतु एनिकटों (WHS) का निर्माण करवाया गया। गत दो वर्षो के न 108 एनिकटों की स्वीकृतियों जारी की गई। जिलेवार स्वीकृतियों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित बजट प्रावधान का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई उपयुक्त प्राकृतिक नदी नाला उपलब्ध नहीं होने से लघु सिंचाई परियोजना प्रस्तावित नही है।

(4) फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में कोई लघु सिंचाई परियोजना प्रस्तावित नहीं होने से बजट दिया जाना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीपलाद सिंचाई परियोजना की नहरों के निर्माण में अनियमितता

46. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि पीपलाद सिंचाई परियोजना में स्वीकृत नहरों के कार्यों में भारी अनियमितता होने के कारण किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनियमितताओं की जांच करवाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। पिपलाद सिंचाई परियोजना में स्वीकृत नहरों के 6 कार्यों में कोई अनियमितता नहीं हुई। कार्यों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बांध में वर्ष 2014-15 के दौरान प्रथम बार जल संग्रहित कर 1000 हैक्टेयर क्षेत्र में निर्मित दायी एवं बायीं मुख्य नहरों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

परिशिष्ट 'अ'

पीपलाद सिंचाई परियोजना की मुख्य नहरों (बायीं एवं दायीं) के पूर्ण कराये गये कार्यों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	लागत Rs. In Lacs	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1	Const of RMC of Piplad MIP	141.75	20.11.12	15.01.14
2	Const of LMC of Piplad MIP	360.75	16.10.12	21.07.14
3	Const of DRB at RD 7500 M & 10560 M of LMC Piplad MIP	51.66	15.11.13	02.04.14
4	Const of 10 No Pipe crossing at various RD's of LMC of Piplad	27.52	11.11.13	28.01.14
5	Const of DRB at RD 990 M & 5160M of LMC Piplad MIP	51.93	15.12.13	02.04.14
6	Const of Pucca structure of RMC of Piplad MIP	25.96	04.10.13	03.02.14

जयपुर जिले के छात्र-छात्राओं की बकाया छात्रवृत्ति

47. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में छात्र-छात्राओं को किस-किस स्तर पर कितनी-कितनी राशि की छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है?

(2) जनवरी, 2009 से अब तक जिला जयपुर के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु कुल कितनी राशि एवं अन्य प्रकार की सहायता स्वीकृत की गयी? उसमें से कितनी राशि का भुगतान अब तक छात्र-छात्राओं को कर दिया गया है?

(3) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षो में स्वीकृत छात्रवृत्तियों का भुगतान अभी तक शेष है? यदि हां, तो क्यों और किन-किन छात्रों का? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्तमान में अवितरित छात्रवृत्ति किन-किन संस्थानों में किस-किस छात्र की कौन-कौन सी अवधि की कितनी-कितनी शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के नियमों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 से 2014-15 (जनवरी 15) तक स्वीकृत छात्रवृत्ति की राशि एवं भुगतान की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। विभाग द्वारा वितरित छात्रवृति में कुछ विद्यार्थियों के बैंक खाते बंद होने, खाता संख्या गलत होने तथा आनलाइन ट्रेजरी में भेजे गये बिलों में लाभार्थियों के नाम तकनीकी कारणों से ट्रेस नहीं होने के कारण नामों की सूची दिया जाना सम्भव नहीं है। साथ ही स्वीकृत किये गये शेष छात्रों के बिल भुगतान कोषालय में भिजवाये जा रहे हैं। अत: नामवार सूची भिजवाये जाने हेतु 15 दिवस का समय दिया जाना उचित होगा।

(4) जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बस्सी के संस्थानों की छात्रवृत्ति बकाया नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मीसा बंदियों को देय पेंशन

48. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आपातकाल के दौरान बन्दी रहे लोगों को पेंशन दी जा रही है? यदि हां, तो मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को कितनी-कितनी राशि कब से दी जा रही है? मीसा एवं डी.आई.आर. की पेंशन दिये जाने का क्या आधार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने लोगों को मीसा में तथा कितने लोगों को डी.आई.आर. में पेंशन मिल रही है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। आपातकाल के दौरान मीसा एवं डीआईआर बंदियों को दिनांक 30.4.2014 तक आवेदन करने वालों को दिनांक 1.1.2014 से एवं दिनांक 30.4.2014 के बाद आवेदन करने वालों को आवेदन की तिथि से प्रतिमाह रुपये 12000/- पेंशन एवं रुपये 1200/- चिकित्सा सहायता दी जा रही है। मीसा एवं डीआईआर बंदियों को पेंशन दिये जाने का आधार/नियमों का प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट 'अ')

(2) राज्य में कुल 172 लोगों को मीसा एवं 421 लोगों को डीआईआर में पेंशन स्वीकृति के आदेश जारी किये जा चुके हैं। जिलेवार विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट 'ब')

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा जिले में सम्बल योजनान्तर्गत चयनित गांव

49. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सम्बल योजना के अन्तर्गत अनूसूचित जाति के कुल जनसंख्या के अनुपात का 40 प्रतिशत या अधिक होने पर गांवों का सम्बल योजना में चयन किया जाता है और उसी योजना के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले में ऐसे गांवों की जिला स्तर पर सूची रखी जाती है? यदि हां, तो वर्ष 2004-05 में उक्त योजना के प्रारम्भ होने के बाद पहली बार भीलवाड़ा जिले के कितने गांवों का सम्बल योजना में चयन किया गया और

(श्री धीरज गुर्जर)

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे कितने गांवों को चयनित कर सूचीबद्ध किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) सम्बल योजना के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले में किन-किन सम्बल गांवों में क्या-क्या विकास के कार्य कराये गये और उनको कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना की प्रभावी मानिटरिंग व्यवस्था नहीं होने से जिला परिषद के पीडी खाते में अनुपयोगी राशि शेष रह गई है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि भीलवाड़ा जिले में उक्त योजना के अन्तर्गत निर्मित किये गये विकास कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं? यदि हां, तो किस कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र कब प्राप्त हुआ है और किस कार्य का किस कारण से प्राप्त नहीं हुआ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में सम्बल योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कुल जनसंख्या के अनुपात का 40 प्रतिशत या अधिक होने पर गांवों का सम्बल योजना में चयन किया जाता है। योजना के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले में ऐसे गांवों की जिला स्तर पर सूची रखी जाती है। भीलवाडा जिले के 74 गांवों का सम्बल योजना में चयन किया गया है। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत सरकार से सम्बल गांवों के चयन के सम्बन्ध में अभी तक कोई सूचना एवं निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) सम्बल योजना के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले के सम्बल गांवों में करवाये गये विकास कार्यों एवं स्वीकृत राशि की सूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। योजना की प्रभावी मानिटरिंग व्यवस्था है। समय-समय पर जिला कलक्टर द्वारा सम्बन्धित विकास अधिकारियों से सम्बल ग्राम योजना के तहत सम्बल ग्राम विकास हेतु निर्माण कार्य के प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने की दशा में योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 तक 83.10 लाख रुपये अवशेष हैं।

(4) योजना के अन्तर्गत निर्मित किये गये विकास कार्यों के

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्राप्त/अप्राप्त की सूचना परिशिष्ट-ब में शामिल है। (परिशिष्ट-ब संलग्न है)

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में लावारिस बच्चों की परवरिश हेतु संचालित योजनाएं

50. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में लावारिस बच्चों की परवरिश करने हेतु वर्तमान में सरकार द्वारा क्या-क्या योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त लावारिस बच्चों की पढ़ाई, पालन पोषण, रोजगार एवं पहचान दिलाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त लावारिस बच्चों के वयस्क होने के पश्चात् उन्हें रोजगार एवं आवास उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों जिनमें मुख्यतः अनाथ, उपेक्षित, लावारिस, बालक-बालिकाओं के लिये किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त विभाग द्वारा उक्त श्रेणी के बच्चों की देखभाल, संरक्षण एवं पुनर्वास के लिये राज्य में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) भी क्रियान्वित की जा रही है।

(2) विभाग द्वारा 0-18 वर्ष के देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों जिनमें अनाथ, उपेक्षित बालक-बालिकाओं के लिये स्वयं के स्तर पर तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से बाल गृहों/आश्रय गृहों का संचालन किया जा रहा है। इन गृहों में बच्चों के लिये निःशुल्क भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षण-प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था उपलब्ध है।

(3) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011 से मुख्य मंत्री हुनर विकास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय एवं अनुदानित

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

बालगृहों के आवासी, जिनकी आयु 17 वर्ष पूर्ण् हो चुकी है व जिनका निकट भविष्य में गृह में निवास की समयावधि पूर्ण होने के कारण निकास प्रस्तावित है तथा पालनहार योजना के अन्तर्गत लाभान्वित बच्चे, जिनकी आयु 17 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक उन्हें योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत बच्चों को व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा एवं स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है ताकि वे रोजगार के लिये सक्षम बन सकें।

महिलाओं/वरिष्ठ नागरिकों/विशिष्टजनों को आबंटित जीवनवृत्ति राशि

51. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले में जनवरी, 2010 से जनवरी, 2013 तक कितनी महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं विशिष्ट जनों को कितनी-कितनी राशि जीवनवृत्ति के रूप में उपलब्ध करवाई गई तथा इनसे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए? प्रत्येक वर्ष की जनवरी माह की स्थिति दर्शाते हुए विधान सभा क्षेत्रवार, वर्गवार, संख्या विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या जीवनवृत्ति का भुगतान प्रतिमाह किया जा रहा है? यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण रहे हैं तथा उसे दूर करने के सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये?

(3) क्या जीवनवृत्ति राशि लाभान्वितों के बैंक खातों में प्रतिमाह जमा करवाई जा रही है? यदि नहीं, तो किस प्रक्रिया से भुगतान किया जा रहा है?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में पेंशन की विभिन्न श्रेणियों में 1 जनवरी, 2010 से माह जनवरी, 2013 तक पेंशन भुगतान की दर का विवरण निम्नानुसार है:-

<u>दिनांक 1.1.2010 को पेंशन दर</u>

55 वर्ष व अधिक आयु की महिला रुपये 200 प्रतिमाह

58 वर्ष से अधिक किन्तु 65 वर्ष की आयु का पुरुष रुपये 100 प्रतिमाह

65 वर्ष व अधिक आयु के पुरुष/महिला रुपये 400 प्रतिमाह

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

किसी भी आयु की विधवा रुपये 400 प्रतिमाह

पति-पत्नी (संयुक्त पेंशन)

दोनों 65 वर्ष से कम आयु रुपये 300 प्रतिमाह

दोनों 65 वर्ष या अधिक रुपये 600 प्रतिमाह

दोनों में से कोई एक 65 वर्ष से अधिक रुपये 500 प्रतिमाह

<u>दिनांक 1.4.2010 से पेंशन दर</u>

1. 75 वर्ष एवं अधिक आयु के पेंशनर को रुपये 750 प्रतिमाह
2. 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रुपये 500 प्रतिमाह
3. 8 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर को रुपये 250 प्रतिमाह

पेंशनरों का विधान सभा क्षेत्रवार रिकार्ड संधारण नहीं किया जाता है। अत: जयपुर जिले में पेंशन की विभिन्न श्रेणियों में जनवरी, 2010 से 1 जनवरी, 2013 तक वर्षवार लाभार्थियों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) यथासम्भव सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान प्रतिमाह किया जा रहा है। कुछ प्रकरणों में पेंशनरों के नाम, पता आदि में त्रुटियां होने के कारण, भौतिक सत्यापन नहीं होने से पेंशनर के निवास पर न मिलने के कारण पेंशन भुगतान में विलम्ब हो जाता है इसके लिए भामाशाह योजनान्तर्गत पेंशनरों के खुलवाये गये बैंक बचत खातों के माध्यम से पेंशन भुगतान का प्रयास किया जा रहा है।

(3) यथासम्भव सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन राशि का भुगतान प्रतिमाह बैंक बचत खाते या मनीआर्डर के माध्यम से किया जा रहा है।

परिशिष्ट-अ

जयपुर जिले में 1 जनवरी, 2010 से जनवरी, 2013 तक वर्षवार पेंशन की निम्न श्रेणियों में लाभान्वित किये गये पेंशनरों का संख्या विवरण

श्रेणी	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013
वृद्धावस्था	20480	34811	34817	35432
विधवा पेंशन	15137	26380	26380	27634
विशेष योग्यजन पेंशन	9600	10742	10742	13244

गांधीनगर (जयपुर) स्थित सरकारी आवासों में कराये गये निर्माण कार्यों की जांच

52. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गांधीनगर, जयपुर स्थित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी तथा जी एवं एफ श्रेणी के आवासों पर गत पांच वर्षो में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु स्वीकृत एवं व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि अधिकांश आवासों पर कराये गये कार्यों में समानता नहीं है?

(3) क्या यह भी सही है कि अधिकांश स्थानों पर मकानों के मूल नक्शे को परिवर्तित कर दिया गया है? यदि हां, तो किस आधार पर?

(4) क्या सरकार गत पांच वर्षों में हुए निर्माण एवं उनमें नियमानुसार कार्य की जांच कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गांधीनगर, जयपुर स्थित आवासों में विभिन्न कार्यों हेतु गत पांच वर्षो में श्रेणीवार, वर्षवार स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का विवरण ब "परिशिष्ट-1" पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। यह सही है कि कार्यों में समानता नहीं है। आवासों में कार्य आवासी की मांग के आधार पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कराए जाते हैं।

(3) जी नहीं। कुछ आवासों में आवश्यकतानुसार एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त तकमीनों के आधार पर अतिरिक्त निर्माण कराए गए हैं। सामान्यतः भवनों के मूल नक्शों में परिवर्तन नहीं किया गया है।

(4) जी नहीं। विगत पांच वर्षों में निर्माण कार्य सक्षम स्वीकृति से एवं नियमानुसार सम्पादित किए गए हैं। अतः इसकी जांच की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवलगढ़ में नये राशन कार्डों का वितरण

53. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. राजकुमार शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में गत पांच वर्षों में नये राशन कार्ड बनाये गये हैं? यदि हां, तो कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये और इनमें से कितने आवेदकों के राशन कार्ड बनाकर वितरित कर दिये गये हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये और इनमें से किन-किन आवेदकों के राशन कार्ड बनाये जाकर वितरित किया जाना शेष है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में जिन आवेदकों के राशन कार्ड बनाये जाकर वितरित किया जाना शेष है, उनके राशन कार्ड कब तक बनाकर वितरित कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। सम्पूर्ण राज्य में कुल 17801628 आवेदन पत्र राशन कार्ड बनाने हेतु प्राप्त हुए थे, जिनमें से 16531253 आवेदकों को राशन कार्ड बनाकर वितरित कर दिये गये हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में कुल 92,384 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे, जिनमें से 91,472 राशन कार्ड बनाकर वितरित कर दिये गये हैं। 912 आवेदकों के राशन कार्ड बनाये जाकर वितरित किया जाना शेष है, जिनकी पंचायत समिति/नगरपालिका वार संख्या सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में जिन आवेदकों के राशन कार्ड बनाये जाकर वितरित किया जाना शेष है, उन्हें जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। साथ ही 1 अप्रैल, 2015 से ई-मित्र/सीएससी के माध्यम से राशन कार्ड बनाये जाने हेतु दिनांक 2.2.2015 को निर्देश जारी किये जा चुके हैं, जिनकी प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लोगों के चयन पर कार्यवाही

54. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में गत पांच वर्षों में खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आबादी से अधिक लोगों का चयन कर लिया गया है?

(श्री हरिसिंह रावत)

यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है एवं सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना में अपात्र लोगों का भी चयन कर लिया गया है? यदि हां, तो अपात्र लोगों का नाम सूची से हटाकर योजना की खामियों को कब तक दूर कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना 2 अक्टूबर, 2013 से लागू हुई है तथा इसके अन्तर्गत आबादी से अधिक लोगों का चयन नहीं किया गया है।

(2) जी हां। उक्त योजना में अपात्र लोगों के चयन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अत: खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा पात्र का चयन एवं अपात्र का निष्कासन कर खाद्य सुरक्षा लाभार्थी सूचियों के शुद्धिकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न संख्या-55

(स्थगित)

किशनगढ़ बास में सहकारी समिति द्वारा वितरित ऋण

56. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले में ग्रामीण सेवा सहकारी समिति कहां-कहां गठित हैं व उक्त गठित समितियों में कितने-कितने सदस्य हैं? समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त समितियों द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में कितने सदस्यों को गत दो वर्षों में कितनी-कितनी ब्याज रहित ऋण राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समितियों द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में गत दो वर्षों में कितने नये सदस्य बनाये गये व उक्त नये सदस्यों में से कितने सदस्यों को ब्याज रहित कितनी-कितनी ऋण राशि प्रदान की गई व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिले में 307 ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित हैं, जिनमें कुल 172916 सदस्य हैं। समितिवार सदस्यों की संख्या की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में विगत दो वर्षों वर्ष 2012-13 में 13355 सदस्यों को राशि रुपये 5821.64 लाख एवं 2013-14 में 13874 सदस्यों को 7012.99 लाख का ब्याज रहित ऋण वितरण हुआ है। समितिवार सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में गत दो वर्षों में बनाये गये नये सदस्य व इन नये सदस्यों को वितरित ब्याज रहित ऋण राशि की सूचना परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। बैंक में वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण समस्त नये सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवलगढ़ में पर्यटन स्थलों पर सुलभ काम्प्लैक्सों का निर्माण

57. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने प्रदेश में पर्यटक और यात्रियों की सुविधाओं के लिए चयनित किये गये पर्यटन स्थल व बस स्टैण्डों पर सुलभ काम्प्लेक्स का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2014-15 में किस-किस पर्यटन स्थल व बस स्टैण्ड पर सुलभ काम्प्लेक्स स्वीकृत किया गया? स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप प्रदेश में कहां-कहां पर सुलभ काम्प्लेक्स बनाये गये और उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के पर्यटन स्थलों व बस अड्डे पर सुलभ काम्प्लेक्स का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 2014-15 में पर्यटन विभाग द्वारा किसी पर्यटन

(पर्यटन राज्य मंत्री)

स्थल व बस स्टैण्ड पर सुलभ काम्प्लेक्स बनाये जाने हेतु स्वीकृति जारी नहीं की गयी है।

(2) वर्ष 2014-15 में पर्यटन विभाग द्वारा किसी पर्यटन स्थल व बस स्टैण्ड पर सुलभ काम्प्लेक्स बनाये जाने हेतु स्वीकृति जारी नहीं की गयी है।

(3) पर्यटन विभाग में वर्तमान में नवलगढ़ के पर्यटन स्थलों व बस अड्डे पर सुलभ काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न संख्या-58

(स्थगित)

सूरगढ़ (बामनवास) के नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय के रिकार्ड की जांच

59. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में निजी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता देने के सम्बन्ध में नियम एवं मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो नियम एवं मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरगढ़ तहसील बामनवास को नियमानुसार मान्यता जारी की गई थी? यदि हां, तो कब तथा किस-किस अधिकारी द्वारा जांच के उपरान्त मान्यता दी गई? मान्यता प्रदान करने के आवेदन से मान्यता प्रदान करने तक के सम्पूर्ण पत्रादि की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त विद्यालय को मान्यता देने के पश्चात् किस-किस अधिकारी ने कब-कब निरीक्षण किया तथा विद्यालय में कौन-कौनसी कमियां पाई गईं? कमियों के सम्बन्ध में ब्लाक शिक्षा अधिकारी बामनवास ने कमियों को दूर करने के सम्बन्ध में कितने पत्र प्रेषित किये? निरीक्षणकर्ता का नाम, पाई गई कमियां तथा प्रेषित पत्रों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरगढ़ द्वारा मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् वर्ष 2004 से वर्ष 2013 तक कक्षा 1 से 8 तक की छात्र संख्या, परिणाम सीट ब्लाक शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा बामनवास को प्रेषित किये गये थे? यदि नहीं, तो इसके लिए

(श्री हीरालाल)

कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर मान्यता/क्रमोन्नयन हेतु नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं राजस्थान नि:शुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2011 के अनुसरण में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान नियम 1993 में विद्यालयों की मान्यता से सम्बन्धित प्रावधानों में विस्तृत संशोधन 21 जून, 2011 को अधिसूचित किये गये हैं। इसके आधार पर विभाग द्वारा मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं जिनकी प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरगढ़ पंचायत समिति बामनवास जिला सवाई माधोपुर को वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम खण्ड शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, बामनवास (सवाई माधोपुर) के आदेश दिनांक 16.06.2001 के द्वारा सत्र 2001-02 से 2003-04 तक के लिए अस्थाई मान्यता प्रदान की गई । अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति बामनवास के आदेश क्रमांक : ब्लाक/विअ/400-417 दिनांक 15.1.2003 के द्वारा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प/81/शिक्षा-5/2001 दिनांक 28.9.2001 के तहत उक्त विद्यालय की मान्यता निरन्तर रखने के आदेश जारी किये गये। इसके पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के पत्रांक 384 दिनांक 21.6.2013 को सत्र 2012-13 से 2014-15 तक की अवधि के लिए मान्यता प्रमाण पत्र जारी किया गया। उक्त तीनों आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-ख , परिशिष्ट -ग व परिशिष्ट-घ पर संलगन है। उक्त संस्था के मान्यता सम्बन्धी पत्रावलियां ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, बामनवास कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस कारण आवेदन पत्र तथा दस्तावेज को सदन की मेज पर उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है। मान्यता पत्र दिनांक 16.06.2001 परिशिष्ट-ख पर तथा आदेश दिनांक 15.1.2003 परिशिष्ट-ग पर तथा पत्र दिनांक 21.06.2013 परिशिष्ट-घ पर संलग्न है।

निदेशालय ने पत्र दिनांक 22.2.2015 के द्वारा उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, भरतपुर को जांच के आदेश प्रदान कर दिये गये हैं। जो परिशिष्ट-च पर संलग्न है।

(शिक्षा राज्य मंत्री)

(3) उक्त विद्यालय को मान्यता के पश्चात दिनांक 7.7.2003 को श्री रामसहाय मीणा, अतिरिक्त ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, बामनवास द्वारा तथा दिनांक 5.7.2006 को श्री अकरम खान, विकास अधिकारी, बामनवास द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षणकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार की कमियां एवं सुझाव सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। इस कारण ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, बामनवास द्वारा कमियों को दूर करने के सम्बन्ध में कोई भी पत्र प्रेषित नहीं किया।

(4) जी नहीं। प्रधानाध्यापक नूतन आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरगढ़ द्वारा मान्यता प्राप्त होने के पश्चात कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षा परिणाम शीट ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, बामनवास के कार्यालय को प्रेषित नहीं की गई। निदेशालय के पत्र दिनांक 22.2.2015 के द्वारा उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, भरतपुर को जांच के आदेश दिये गये हैं। जांचोपरान्त दोषी का निर्धारण कर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

करौली जिले में वृक्षारोपण योजना में अनियमितता की जांच

60. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) करौली जिले में गत एक वर्ष में वृक्षारोपण व पर्यावरण सुधार हेतु कितने-कितने वृक्ष कहां-कहां व कब-कब लगाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त जिले में लगाये गये वृक्षों में से कितने जीवित हैं तथा कितने नष्ट हो चुके हैं तथा जिन्दा वृक्षों के रख-रखाव हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये?

(3) उक्त जिले में वृक्षारोपण की देखभाल किस स्तर के अधिकारी द्वारा की जा रही है तथा उनके द्वारा किस प्रकार से व कब-कब, क्या-क्या प्रयास किये गये? अधिकारी का नाम व किये गये प्रयासों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में किये गये वृक्षारोपण योजना में भ्रष्टाचार एवं लापरवाही बरती जा रही है, जिससे जिले में वृक्ष घटते जा रहे हैं तथा क्षेत्र प्रदूषित होता जा रहा है?

(श्री घनश्याम)

(5) क्या सरकार अब इसकी उच्चस्तरीय जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा करौली जिले में विगत एक वर्ष में वृक्षारोपण एवं पर्यावरण सुधार हेतु 308500 पौधे 22 साइट पर माह जुलाई, अगस्त 2014 में लगाये गये साइटवार पौधारोपण का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) उक्त लगाये गये 308500 पौधो में से लगभग 81 प्रतिशत पौधे जीवित हैं। लगभग 19 प्रतिशत पौधे नष्ट हुए हैं। पौधारोपण के समय पौधों को खाद दी जाती है एवं कीटनाशक से उपचार किया जाता है। वृक्षारोपण कार्यों के रख-रखाव के अन्तर्गत पौधों की निराई, गुडाई की गई है। रख-रखाव, सुरक्षा एवं देखभाल का कार्य विभागीय कर्मचारियों तथा वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से किया जाता है।

(3) वृक्षारोपण कार्यों की देखभाल उप वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी स्तर के अधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों एवं स्थानीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से की जा रही है। विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के तकनीकी मार्गदर्शन में वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति द्वारा निराई, गुडाई, पाले से बचाव के उपाय, सुरक्षाकर्मी रखना, टेंडिंग आपरेशन एवं कीटनाशक देने आदि का कार्य किया जा रहा है, ताकि पौधों का उचित रखरखाव एवं देखभाल हो सके। साइट प्रभारियों का कार्यवार विवरण एवं रख-रखाव कार्य का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। विभाग के अधीन ऐसा कोई प्रकरण अभी तक सामने नहीं आया है।

(5) वृक्षारोपण योजना में भ्रष्टाचार एवं लापरवाही बरतने का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सांगोद के अवैध खनन कर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही

61. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हीरालाल नागर)

(1) सांगोद विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में किस-किस खसरा नम्बर पर खनन कार्य किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त खनन लीज किन-किन को कितने-कितने समय तक किस-किस खसरा नम्बर की कब-कब जारी की गई? जारी किये गये आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) जनवरी, 2011 से अब तक उक्त खनन लीज से कितनी-कितनी आय सरकार को प्राप्त हुई? खनन लीजवार, वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) जनवरी, 2011 से अब तक उक्त क्षेत्र में सरकार द्वारा अवैध खनन के कितने प्रकरण कब-कब पकड़े गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सांगोद विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत खनन पट्टों एवं खनन कार्य का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

(2) सांगोद विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत खनन पट्टों का विवरण परिशिष्ट-1 पर एवं स्वीकृति आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध हैं ।

(3) जनवरी, 2011 से 16 फरवरी, 2015 तक उक्त खनन पट्टों से कुल रुपये 35,69,771/- की आय राज्य सरकार को प्राप्त हुई । खनन पट्टावार, वर्षवार आय का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है ।

(4) जनवरी, 2011 से 16 फरवरी, 2015 तक सांगोद विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा कुल 22 प्रकरणों में अवैध खनन पाया गया, जिनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

(माननीय सदस्या श्रीमती गोलमा द्वारा प्रस्तुत नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव जो पढ़ा हुआ माना गया)

विधायक की अनुशंसा पर गौरव पथ निर्माण की स्वीकृति

महोदय,

हाल ही में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक तिहाई ग्राम पंचायत मुख्यालयों में गौरव ग्रामीण पथ की स्वीकृति विधायक की अनुशंसा पर दी है। यह अनुशंसा सत्ताधारी विधायक की ही मान्य की गयी। विधान सभा क्षेत्र लालसोट में प्रतिपक्ष के विधायक की अनुशंसा को दरकिनार कर भारतीय जनता पार्टी के हारे उम्मीदवार की अनुशंसा के आधार पर ग्रामीण गौरव पथ की स्वीकृतियां निकाली गयी हैं। शायद पूरे राज्य में यही स्थिति है कि जहां-जहां विरोध के विधायक हैं, वहां वहां सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उनकी अनुशंसा को तवज्जोह नहीं दी। सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के हारे उम्मीदवार से लिखित अनुशंसा के बाद स्वीकृतियां जारी की हैं। ऐसा राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ एवं लालसोट विधान सभा क्षेत्र में किया गया है।

इसी प्रकार नान पैचेबल वर्क तथा मिसिंग लिंक के कार्यों में भी विपक्ष के सिटिंग विधायकों की अनुशंसा नहीं मानकर भारतीय जनता पार्टी के हारे उम्मीदवार की अनुशंसा मान्य की गयी है। मेरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती सुनीता मीणा की अनुशंसा पर ही नान पैचेबल वर्क तथा मिसिंग लिंक स्वीकृत किये गये। यही नहीं, मेरे क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के दो मिसिंग लिंक मेरे क्षेत्र के अकाउंट में डालकर अलवर ग्रामीण एवं रामगढ़ में स्वीकृत कर दिये गये। बडेर से शीतलपुर 7 किलोमीटर मिसिंग लिंक (1.26 करोड़) स्वीकृत कर मेरे अकाउंट में डाल दिया जबकि इसका निर्माण अलवर ग्रामीण एवं रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में होगा। मेरे क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में एक इंच भी मिसिंग लिंक नहीं बनेगी। इस प्रकार भारी भेदभाव सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा किया गया है।

मेरी प्रार्थना है कि इस भेद को समाप्त किया जाए तथा सिटिंग विधायक की अनुशंसा अनुसार ही स्वीकृतियां जारी की जाएं।